Volume 7, No. 01 ISSN 2249-7927
Jan-June 2017

PREEMINENCE

An International Peer Reviewed Research Journal
(UGC Approved)

Sl. No.-1553 Journal No.-48144

UNITED SOCIETY FOR REHABILITATION AND INCLUSION

PREEMINENCE

Patron

Prof. Yogesh Chandra Dubey
Vice Chancellor
J. R. H. University, Chitrakoot

Advisory Board

Prof. K.B. Pandeya
Dr. J.P. Singh
Prof. S.R. Mittal

Editor

Dr. Vijay Shankar Sharma

Assistant Editors

Dr. Akhil Agnihotri
Dr. Rakesh Kumar Dwiwedi
Dr. Rajnish Kumar Singh
Dr. Punam Pandey
Dr. Reetu Sharma
Dr. Chandra Shekhar Yadav
Dr. Pankaj Tiwari
Sh. Amit Agnihotri
Sh. Nihar Ranjan Mishra
Sh. Atul Srivastava
Dr. Neeraj Kumar Shukla
Dr. Arya Agnihotri
Dr. Rajesh Kumar Pal
Dr. Kalpna Mishra

Legal Advisor

Smt. Subhas Rathi
Dr. Veena Singh

Technical Advisor

Sh. S.K. Agnihotri
Sh. Amar Singh
Mr. Yogendra Tripathi
Mr. Sudhir Kumar
Mr. Akhil Raikwar
Mr. Chandra Prakash Yadav

The views expressed in the articles/research papers are the individual's opinion of the concerned author only.

Editorial Advisory Board

Prof. Ranbir Singh
Ex. Vice Chancellor, National Law University, Delhi

Prof. K.B. Pandeya
Ex. Vice Chancellor
M.G.C. Gramodaya, University, Chitrakoot

Dr. Yogesh Upadhyay
Professor, Dept. of Management
Jiwaji University, Gwalior

Prof. V.D. Mishra
Retd. Professor, University of Allahabad

Dr. J.P. Singh
Consultant, AMITY University, Noida

Prof. S.R. Mittal
Adjunct Professor, NIEPVD, Dehradoon

Prof. T.B. Singh
Adjunct Professor,
Central University of South Bihar

Prof. B. Pandey
Ex. Vice Chancellor,
J.R.H. University, Chitrakoot, U.P.

Dr. S.B. Mishra
Ex. Head Deptt. of Mathematics, M.L.K. (P.G.) College, Balrampur

Dr. Ranganath Mishra
Deptt. of Oncology
National Jewish Health, 1400 Jackson Street
Goodman K721, Denver CO 80206

Dr. Dharmendra Kumar
Ex. Director, PDUIPH, New Delhi

Dr. J.P. Pandey
Deptt. of Physics, M.L.K. P.G. College
Balrampur, U.P.

Dr. Himanshu Pandey
Deptt. of Statistics,
D. D. U. University, Gorakhpur, U.P.

Prof. I.C. Shukla
Ex- Head, Deptt. of Chemistry,
University of Allahabad, Allahabad.

Prof. J. Prasad
Ex Head & Dean, S.H.I.A.T.S., Allahabad.

Dr. Uma Shanker Prasad
Associate Professor
Deptt. of Drawing & Painting
SMP Govt. Girls (PG) College
Madhavpuram, Meerut (UP)

Dr. S.K. Pandey
Head, Deptt. of Computer Science
GIDA, Gorakhpur (UP)

Prof. Kapil Deo Mishra
Vice Chancellor
Rani Durgawati Vishwavidyalay, Jabalpur, MP

Prof. S.P. Gupta
Ex. Director, School of Education,
U.P.R.T. Open University, Allahabad

Prof. Yogesh Chandra Dubey
Vice-Chancellor,
J.R.H. University, Chitrakoot, U.P.

Prof. K.K. Mishra
Deptt. of Pol. Science, BHU, Varanasi

Dr. S.N. Tripathi
Ex. Dean, Dr. R.M.L. Awadh University, Faizabad

Dr. Bharat Mishra
Associate Professor
M.G.C. Gramodaya, University, Chitrakoot

Prof. Arvind Joshi
Deptt. of Social Work,
BHU, Varanasi

Prof. Avanish C. Mishra
Head, Dept, of History,
Dr. Shanuntla Mishra National Rehabilitation University, Lucknow

Prof. Kaushal Kishor
Dept. of Education
Central University of South Bihar, Gaya

Dr. Amit Tripathi
Vice President
Sunward Resources Ltd., Casa 101, Calle 6A, No. 22-75, El Poblado, Medellin, Colambia

Dr. Prgya Mishra
Head, Deptt. of Sanskrit
M.G.C. Gramodaya, University, Chitrakoot

Dr. M.P. Shah
Reetd. Scientist F, Wadia Instt. of Himalayan Geology, Dehradun

Prof. S.S. Chaubey
Ex. Prof. & Head
Deptt. of Geography
Arrah University, Arrah, Bihar

Prof. J.P. Lal
Deptt. of Plant Breeding
B.H.U., Varanasi

Dr. K.N. Uttam
Deptt. of Physics,
University of Allahabad

Dr. D B Tyagi
Principal, Sri Megh Singh PG College, Abidgarh Agra (UP)

Editorial

First of all it gives me an immense pleasure to announce that our journal "PREEMINENCE", published by "United Society for Rehabilitation and Inclusion" is included in the list of recognized journal by one of the apex body UNIVERSITY GRANT COMMISSION. The PREEMINENCE is a faculty-mentored initiative which highlights the outstanding writing and research of students/academicians from different backgrounds. The journal serves as a voice in ongoing academic debates regarding various issues and provides a forum for everyone to publicly share their research, offering opportunities for exposing their work to potential beneficiaries. This issue is comprised of articles from different interdisciplinary fields and all articles were submitted to an editorial process to strengthen substance.

For the PREEMINENCE, the process is as important as the outcome. Authors are exposed to all facets of academic publishing, including submission, the Review Board process, and the final edits. For those participating in the Review Board, gained an inside perspective on the criteria used to evaluate research and writing, and how to critically read and provide constructive feedback on the work of others. Finally, the PREEMINENCE is a platform to bring everyone together from across various Departments and numerous fields of study.

Of course, we encourage prospective authors to read the instructions for authors in their entirety before submitting manuscripts to the journal and even before beginning to write them. A few areas, however, warrant a closer look, either because of changes or because of their importance. And, of course, don't hesitate to contact me (drvijss@gmail.com) or one of the other editors directly if you have any questions.

All the best,

Dr. Vijay Shankar Sharma
Editor

Serial No. ………….....   Subscription No……………....

Subscription Form

'*PREEMINENCE*' An international peer reviewed research journal

Please enter my subscription for Bi-Annual peer reviewed international peer reviewed research Journal named 'Preeminence', for the period from …… to ....

Group	Zone	Annual	Five years
Institutions	Indian	Rs. 3000	Rs. 12000
Individuals	Indian	Rs. 2000	Rs. 7500
Institutions	Outside India	US $ 45	US $ 220
Individuals	Outside India	US $ 25	US $ 120

Name………………………………………………………......................................

Organization………………………………………………………...

………………………………………………………………..

Address………...……………………………………

City/State......…............……………...… Pin Code..……………..............…..

Country..……..…………..

Phone……………………........................…....   Fax..……………...........……..

Email..……..…………...

I enclose the payment of `/US $……………………......…… in favour of Secretary, **United Punarvas Evam Samaveshan Sansthan** payable at Chitrakoot by Demand Draft No.......................…………….. Dated ….........................… OR directly transfer the amount to account no. 31959887864, STATE BANK OF INDIA, Chitrakoot, IFSC SBIN0003869.

Date ……………   Signature ……………….............

Please send the above form, duly filled, along with Demand Draft to the following address:

The Editor
'PREEMINENCE' the International peer reviewed Research Journal
United Society for Rehabilitation and Inclusion
Sonalika House, Ranipur Bhatt,
Chitrakoot 210204 India
Phone: 9919061827, 9412409625, 9450167507
E-mail: usri.up@gmail.com, editor.usri@gmail.com
Website: http://www.usri.in

Order Form for Advertisement

'*Preeminence'* The Interdisciplinary Journal

Please publish attached advertisement in '*Preeminence'* bi-annual peer reviewed international research Journal, for the issue …… month ……year.

Rates for advertisement

No.	Place	Size	Amount		
			Single issue	Two issues	Five issues
1	Inner jacket (Front)	Full	INR 35000	INR 50000	INR 100000
		Half	INR 15000	INR 25000	INR 75000
2	Inner jacket (Back)	Full	INR 20000	INR 30000	INR 50000
		Half	INR 10000	INR 20000	INR 40000
3	Along with papers/articles	Full	INR 7500	INR 10000	INR 25000
		Half	INR 5000	INR 8000	INR 15000
		Quarter	INR 3000	INR 5000	INR 12000

Name…..……………

Organization ....

....

Address…………...…………………….........

City/State .....…………....… Pin Code.……..........…..... Country ..……....

Phone…………………....... Fax..………………....... Email..……......................................

I enclose the payment of INR…………………….....…… in favour of Secretary, **United Pnarvas Evam Samaveshan Sansthan** payable at Chitrakoot by Demand Draft No ....………….. Dated …................

Date …………   Signature …………

Please send the above order form, duly filled, along with Demand Draft and a copy of advertisement (hard and soft) to the following address:

The Editor
'PREEMINENCE' An International Peer Reviewed Research Journal
United Society for Rehabilitation and Inclusion
Sonalika House, Ranipur Bhatt,
Chitrakoot 210204 India
Phone: 9919061827, 9412409625, 9450167507
E-mail: usri.up@gmail.com, editor.usri@gmail.com
Website: http://www.usri.in

Editorial / iv

❖ भारत की आन्तरिक सुरक्षा में पूर्वोत्तर की भूमिका/1

डॉ.आलोक कुमार सिंह

❖ Educational Data Mining Tools And Research Approches : A Review /7

Dr. Bharat Mishra & Amit Agnihotri

❖ Finsler Geometry in Continuum Mechanics/16

Dr. Rakesh Kumar Dwiwedi

❖ भारतीय संस्कृति में वरिष्ठजनों की भूमिका/28

डॉ. प्रज्ञा मिश्रा

❖ A conceptual analysis of Impact of Demonetization on macro economics of India/34

Mr. Gouri Shankar Sharma & Mr. Akhilesh Raikwar

❖ ''समाजवाद'' एक अवलोकन/41

डॉ. सुबोध कुमार

❖ बी.एड. एवं डी.एड़. प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन(जिला ग्वालियर के सन्दर्भ में)/47

डॉ. दीपक शुक्ला

❖ R.K.Narayan's Select Novels: A Study in Gandhiji's 'Religious Thought'/52

Dr. Siddhartha Sharma

❖ मानवाधिकार और सूचना का अधिकार/56

डॉ0 शशिकान्त मणि त्रिपाठी

❖ वर्तमान समय में भारत में न्यायिक सक्रियतावाद की भूमिका/62

डॉ0 महेन्द्र कुमार जायसवाल

❖ लोककल्याणकारी राज्य में समानता की संकल्पना का महत्व/68

डॉ. पंकज तिवारी

❖ न्याय की संकल्पना का वर्तमान स्वरूप/75

डॉ. चन्द्रशेखर सिंह

❖ भारत नेपाल संबंध : मधेसी और उनकी समस्याएं के परिपेक्ष्य में/81

डॉ0 स्मिता पाण्डेय

❖ भारतीय चुनाव आयोग संगठन एवं कार्य एक अध्ययन/94

विवेक कुमार शुक्ला

❖ तीन दिन की बारात (बुन्देलखण्ड के ग्रामीण अंचलों की एक विलुप्त परम्परा)/108

डॉ0 राजेश कुमार पाल

❖ बोमा क्षेत्र का विकास : भारत के विशेष सन्दर्भ में/113

राजेश कुमार गुप्ता

❖ जे0 कृश्णमूर्ति के भौक्षिक चिन्तन का विश्लेशणात्मक अध्ययन/122

अमिता मिश्रा

❖ लोक साहित्य और संस्कृति/124

विपिन कुमार यादव

❖ Inclusive education of CWSN in India/126

Dr. Y K Singh, Vishvesh Dubey

❖ ग्रामीण क्षेत्र में विकलांगजनों की आर्थिक स्थिति/132
डॉ. राकेश कुमार तिवारी एवं राम मोहन दीक्षित
❖ A Historical Eye to the evolution of Finance Commission and devolution of power to the local bodies/136
Dr. Ashok Kumar
❖ Effect to Education for society Development & Growth/146
Dr. Munshi Lal Yadav
❖ समकालीन हिन्दी साहित्य और स्त्री विमर्श/156
डॉ0 किरण त्रिपाठी
❖ Role Of Parents And Child Rearing Practices In Gender Equality/Inequality/160
Dr. Amita Tripathi
❖ निरूक्त में उद्घृत कतिपय आचार्यों के सिद्धान्त/164
डा0 श्रुति श्रीवास्तवा
❖ चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं एवं समस्याएं /170
डॉ0 रेनू गुप्ता एवं डॉ0 राजेश कुमार गुप्ता
❖ परम्परागत संगीत से प्रभावित आधुनिक भारतीय संगीत/177
डॉ० शालिनी वमा
❖ भारतीय लोक–गीत तथा लोक–नृत्य /186
डॉ0. राधा रानी
❖ स्वातन्त्र्योत्तर भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के ह्रास की मीमान्सा/191
डॉ0 नीलम चौरे एवं प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी
❖ विकलांग महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का समाज वैज्ञानिक अध्ययन/196
डॉ0 सुनीता श्रीवास्तव
❖ राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत सरदार पटेल/203
डॉ0 शान्त कुमार चतुर्वेदी
❖ ग्रामीण महिला हिंसा मे महिलाओं की भूमिका एक सामाजिक अध्ययन (ग्राम रानीपुरभट्ट के विशेष संदर्भ मे)/207
रुचि शर्मा
❖ Expanded Core Curriculum For Visually Impaired Children/214
Nihar Ranjan Mishra
❖ Whitman: From Poetic Imagination to Transcending Imagination/222
Dr. Shashi Kant Tripathi
❖ मानसिक स्वास्थ्य तथा आरोग्यता/229
डॉ0 प्रमोद कुमार त्रिपाठी
❖ Thermoluminescence in ZnSe: Mn and ZnSe: (Mn, Nd) Phosphor/237
Dr. Shashi Kant Dwivedi

भारत की आन्तरिक सुरक्षा में पूर्वोत्तर की भूमिका

डॉ.आलोक कुमार सिंह[1],

सात बहनों के प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध तथा 253.000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र सामाजिक दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील रहा, और समय–समय पर भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता रहा है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, अरूणांचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम, त्रिपुरा व मेघालय सात राज्य आते है जिस कारण इसे 'बहनों का प्रदेश' के नाम से संबोधित किया जाता है। इन सात राज्यों का महत्वपूर्ण भू–विन्यास तथा मात्र 13–14 किलोमीटर चौड़े ''सिलीगुडी गलियारें'' द्वारा शेष भारत से जुड़े होने के कारण इस क्षेत्र के सामाजिक महत्व को स्वतः ही समझा जा सकता है। इस सपूर्ण क्षेत्र में व्यापक गरीबी, अशिक्षा, सरकार द्वारा की गयी उपेक्षा तथा बांग्लादेश व म्यांमार आदि से शरणार्थियों की घुसपैठ से न केवल अशान्ति को बढ़ावा मिला है अपितु यहा रहने वालो आदिवासी जनजातियों में आक्रोश व हिंसात्मक प्रवृत्ति का विकसित होना स्वाभाविक हो गया है। समय व परिस्थिति का लाभ उठाते हुए चीन व पाकिस्तानी एजेण्टों तथा अमेरिकी मिशनरियों ने यहां के क्षेत्रीय नागरिकों की भावनाओ को उभार कर हिंसात्मक कार्यवाईयों को नया आयाम देने का भरसक प्रयास किया है। इन विदेशी शक्तियों द्वारा शस्त्रास्त्र, गोला, बारूद, धन आपूर्ति, घुसपैठियों तथा आतंकवादियों को प्रशिक्षण शरण देने के परिणामस्वरूप भारत के इस क्षेत्र में अत्याधिक अशांति व अस्थिरता उत्पन्न हो गयी है।

1. **सह. आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, डी0एन0(पी0जी0) कालेज, फतेहगढ**

नागालैण्ड–

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अशांति व अस्थिरता उत्पन्न होने का प्रमुख कारण अलगाववादी आंदोलन है। इस क्षेत्र में अलगाववादो आंदोलन की शुरूआत सर्वप्रथम नागाओं ने की थी जो मूलतः स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जब भारत में ईसाई मिशनरियों का अधिपत्य था उस समय इन मिशनरियों ने इस क्षेत्र के लोगों की नृजातीय भावनाओं को जागृत करने हेतु उत्परक का कार्य किया। जब साइमन कमीशन, 1929 में आया तो नागाओं के प्रतिनिधि मण्डल ने कमीशन से कहा कि ''जब आप भारत छोड़े, तो हमें भारत से अलग कर दें क्योंकि हमारी संस्कृति और परम्पराएं भारत से अलग है।'' उस समय नागालैण्ड असम राज्य का एक जिला था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जब भारत सरकार द्वारा ''राज्य पुनर्गठन आयोग'' की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गयी उस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी बड जिलों में एक बेचनी और अशांति की लहर फैल गयी। उस अशांति का प्रमुख कारण वहां के नृजातिय समूहों की वह सोच थी जिसके अनुसार वे ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद अपने क्षेत्र पर राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सम्प्रभुता प्राप्त करेंगे परन्तु ऐसा नही हुआ। जब उन्हे असम राज्य के अन्तर्गत समाहित किया गया तो वहां को जनजातियों का एक बड़ा वर्ग जो कि स्वतंत्रता का पक्षधर था, विरोध प्रकट करने लगा। उन्हे आशंका थी कि भारत सरकार उनके अधिकारों एवं हितों के साथ न्याय नही करेगी तथा बड़ी संख्या में मदानी भागों के लोगों का वहां आगमन होता रहेगा जिससे उनका नृजातीय ढ़ांचा तहस–नहस हो जायेगा।''

मिजोरम–

मिजोरम में अस्थिरता तथा अशांत वातावरण की शुरूआत 1966 में हुई। यहां पर चकमा शरणार्थियों की समस्या सबसे विकट समस्या है। इन चकमा शरणार्थियों ने मिजोरम की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को विगाड़ डाला है तथा यहां की सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने में लगे हुए है। मिजोरम का पमुख आतंकवादी संगठन 'मिजो नेशनल फ्रट (M.N.F) दिन प्रतिदिन आंतकवादी गतिविधियों में संलिप्त होता जा रहा है। 1980 में इस संगठन ने गैर मिजो निवासियों को राज्य से भगाने हेतु व्यापक स्तर पर आंतकवादी गतिविधियों का सहारा लिया जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था अस्त–व्यस्त हो गयी। इस राज्य में 1994 में मिजोरम रिफॉर्मेशन आर्मी (M.R.F) की स्थापना की गयी। इस संगठन का प्रभाव क्षेत्र आइजोल के आस–पास अधिक सक्रिय है।

मणिपुर–

माणिपुर में सन् 1968 में ''रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ मनिपुर'' की स्थापना के बाद अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न होने लगा। मणिपुर में 'नागा–कुकी' के मध्य नृजातीय सधर्ष पिछले कई दशकों से उग्र रूप धारण किये हुए है। बीते पन्द्रह सालो में इस विवाद के तहत हजारों लोग हताहत हुए हैं। इन दोनो ही प्रजातियों के उग्रवादी संगठन संघर्षरत है। वर्तमान समय में दोनों ही नृजातीय समूहों को विदेशी सहायता तथा स्थानीय राजनीतिक दलों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है।

त्रिपुरा–

त्रिपुरा में भी सक्रिय त्रिपुरा सेना तथा 1978 में अस्तित्व में आये ''त्रिपुरा नेशनल वाललिण्टयर्स (TN.V) द्वारा 1980–82 में राज्य के वाह्य कबाइलियों को हिंसा व आंतकवादी गतिविधियों का शिकार बनाया गया। इन संगठना को बंगलादेश की सरकार पूर्ण समर्थन देती रही। इस राज्य में वास्तविक संघर्ष नृजातीय अस्तित्व को लेकर ही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब त्रिपुरा का भारत में विलय हुआ उस समय यहां जनजातियों के छोटे–छोटे समूह थे, परन्तु बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ से यहा की जनजातियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होने लगा, जिससे यहां के उग्रवादी संगठनों ने इस घुसपैठियों को बाहर करने और धारा 370 लागू करने के लिए उग्र रूप धारण कर लिया।

अरूणाचल प्रदेश–

अरूणाचल प्रदेश में भी चकमा शरणार्थियों की समस्या ने गंभीर रूप धारण किया हुआ है। चकता शरणार्थियों की वजह से इस प्रदेश की जनयंख्या का घनत्व अत्याधिक बढ़ गया हैऔर प्रदेश सरकार के पास इतनी जमीन नही है कि इन चकताओं को बसाया जा सके। इन चकमा शरणार्थियों के आने स यहां के मूल निवासियों की भाषा एवं संस्कृति पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। अपने अस्तित्व एवं नृजातियता को बचाये रखने के लिए इन लोगों ने सरकार और शरणार्थियों के विरूद्ध संघर्ष का रास्ता चुन लिया है जिसके कारण आये दिन इस राज्य में हिंसात्मक घटनाएं होती रहती है।

मेघालय–

पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों को भांति ही मेघालय भी नृजातीय हिंसा की आग में वर्षों से जल रहा है। यहा भी मूल निवासियों तथा विदेशियों के मध्य उत्पन्न नृजातीय समस्या है। मेघालय के मूल नृजातीय समूह खासी और गारो है।

इन लोगों ने मारवाड़ी, पंजाबी और मुख्य रूप से बंगालियों के विरूद्ध ''ऑल खासी स्टूडेण्ट यूनियन'' नामक उग्र संगठन की स्थापना कर आपसी संघर्ष की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

असम–

जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के सबस बड़े राज्य असम का प्रश्न है, यहां सन् 1979 में विदेशी तत्वों तथा घुसपैठियों के विरूद्ध असम निवासियों द्वारा प्रारम्भ हिंसात्मक कार्यवाहियों ने इन संपूर्ण क्षेत्र को अस्थिर एवं अशांत कर दिया है। यहां के उल्फा उग्रवादियों एवं बोडो पृथकतावादियों द्वारा प्रारम्भ की गयी पृथकतावादी कार्यवाहियां वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। यहां की वोडा जनजाति के लोगों का कहना है कि मैदानी और ईसाई लोगों के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। इसलिए बोडो लोगों ने अपने लिये अलग राज्य ''बोडो सिक्योरिटी फोर्स (B.S.F)'', ''ऑल बोडोलैण्ड स्टूडेण्ट यूनियन (ABSU)'', ऑल असम स्टूडेण्ट यूनियन (AASU)'', तथा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA)'', आदि संगठनों का निर्माण हुआ है जो आज भी भारत की राष्ट्रीय स्रक्षा के समक्ष गम्भीर चुनौतियां उत्पन्न करते रहते है।

पर्वोत्तर क्षेत्र में नृजातीय संघष का मुख्य कारण जहां एक और अशिक्षा, गरीबी, बेराजगारी,भुखमरो तथा राजनीतिक दशाएं है। इस क्षेत्र में बढ़ रही सामरिक व राजनीतिक अभिरूचि से भी इस सम्पूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था निरंतर जटिल होती जा रही है।

भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के समाधान हेतु संयुक्त कार्यकारी दल की बैठकों की औपचारिकता की आड़ में चीन उल्फा, बोडो, मिजो तथा खासी उग्रवादियों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण, धन व शस्त्र आपूर्ति करके इस संपूर्ण क्षेत्र को अस्थिर करने का सतत् प्रयास कर रहा है। इतना ही नही भारत के पड़ोसी देशों–नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान व म्यांमार को आधुनिकतम हथियारों की आपूर्ति करके जहां एक ओर चीन भारत को स्थलीय व हिन्द महासागर की ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं इन राष्ट्रों को माध्यम बनाकर वह क्षेत्रीय उग्रवादियों को भी नैतिक समर्थन देकर उन्हें भारत के विरूद्ध उकसाने में भी पूर्णरूपेण संलिप्त है।

नृजातीय संघर्षों के उन्मूलन के उपाय–

पूर्वोत्तर क्षेत्र के नृजातीय संघर्षों के कारण न केवल पूर्वोत्तर के राज्यों की अपितु संपूर्ण भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पूर्णरूपेण प्रभावित होती है जिससे भारत आंतरिक मामलों में पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप, मादक द्रव्यों की तस्करी तथा घुसपठियों के आगमन में वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयां तीव्र गति से अपना

पैर पसार रही है। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की अस्थिरता पर संवेदनशीलता प्रकट करते हुए यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किये है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए ''पूर्वोत्तर विकास परिषद'' की स्थापना 1972 में ही की गयी परन्तु इस परिषद ने वास्तविक रूप में अपना कार्य उल्फा, बोडो तथा मिजो आंदोलनों के बाद ही प्रारम्भ किया। इस संपूर्ण क्षेत्र से उग्रवादियों एवं विद्रोहियों की समस्या के निदान हेतु सरकार को एक सुनिश्चित तरीके से दूरस्थ स्थित ग्रामों को प्रमुख संचार केन्द्रों से जोड़ना चाहिए, तथा इस क्षेत्र में बसे ग्रामीण समूदायों को जीवनोपयोगी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। साथ हो जनता को राजनीतिक व सामाजिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीकी तथा यंत्रों को भी उपलब्ध कराना चाहिए।
सैन्य दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में सैन्य बलों को विद्रोहियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कठोर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यहां के स्थानीय पुलिस बल को जनता का सहयोग लेकर सैन्य अभियान चलाना चाहिए जिससे विद्रोहियो या उग्रवादियों के स्थलों तक पहुंचकर उनको नष्ट किया जा सके और आत्मसमर्पण के लिए विवश किया जा सके।

समीक्षा–

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र म व्यापक नृजातीय आंदोलन ने देश की संपूर्ण राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को सर्वाधिक छिन्न–भिन्न करने का पूर्णरूपेण प्रयास किया है। असम में उल्फा, बोडोलैण्ड समस्या तथा नक्सलवादी गतिविधियों से भारत की आंतारिक सुरक्षा व्यवस्था का ढ़ांचा निरंतर स्थिर होता जा रहा है। यह तथ्य स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों द्वारा अपनी जड़े मजबूत कर लेने के परिणामस्व रूप आज इस क्षेत्र म ईसाईयों की संख्या अधिक हो गयी है। इस क्षेत्र से सटे हुए नेपाल, वर्मा, तिब्बत व बांग्लादेश आदि राष्ट्र है जिनसे अत्याधिक संख्या में शरणाथो आकर बस गये है, जिसमें भारी संख्या में मुसलमान भी है।

इस प्रकार इस क्षेत्र में नृजातीय आंदोलन का मुख्य कारण जातोय विद्रोह ही है। इन जातीय तथा जनजातीय समुदायों का पारस्परिक टकराव तथा इनकी दयनीय आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा व्यवस्था तथा सांस्कृतिक व राजनीतिक समस्याएं भारत के आंतरिक आयामों को किसर पर किसी रूप में प्रभावित कर रही है।

इसके अतिरिक्त भारत की जनसंख्या में हो रही अनियंत्रित वृद्धि, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा घूसखोरी जैसे अन्य सामाजिक, आर्थिक कारक भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सदैव चुनौती उत्पन्न करते आ रहे है। आर्थिक समृद्धि हेतु सरकार द्वारा लागू आर्थिक उदारीकरण की नीति के परिणामस्वरूप बंद

हो रहे कुटोर उद्योग बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे है। यह आर्थिक क्रांति गरीबों को और अधिक गरीब तथा अमीरों को और अधिक अमीर बनाकर एक बडे हिस्से में अराजकता, असंतोष एवं कुंठा को बढ़ावा दे रही है। इतना ही नही जातिवादी आरक्षण तथा साम्प्रदायिकता के कारण भारतीय समाज की समरसता, बंधुत्व भावनाए तथा विभिन्न सांस्कृतिक तत्व शनैः–शनैः निष्प्राण होते जा रहे है। राजनीतिज्ञों की स्वार्थपरक राजनीति ने देश को सामाजिक व आर्थिक ढ़ांचे को पहले से ही जर्जर बना रखा है।

अतएव राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु यह आवश्यक है कि क्षेत्रवाद, साम्प्रदायिकता, जातीय विद्रोह तथा राजनीतिक अवमूल्यन आदि से उत्पन्न हो रही विस्फोटक परिस्थितियों पर प्रभावकारी अंकुश लगाया जाय। इसके लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, आर्थिक असंतुलन दूर करना तथा देश में स्वस्थ राजनीतिक वातावरण उत्पन्न करना अत्यन्त आवश्यक है। इसक साथ साथ ही आरक्षण नीति के पुनमल्यांकन एवं राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पर सरकार को त्वरित व दूरदर्शितापूर्ण ठोस कदम उठाना चाहिए अन्यथा आंतरिक एकता एवं समृद्धि के अभाव में राष्ट्रीय सुरक्षा व अखंडता को बनाये रखना दुष्कर होगा।

सन्दर्भ :

1- Dr. B.R. Pandey & Dr. R.S. Pandey-National Security and International Relations 2005, Page-276.
2- Dinesh Kotwal, Ethnic Unrest in North East India,The B.S.F. Journal, Volume 8, January,1997.
3- Kalpana Rajaram(Edited), National & Social Issues, Spectrum Book Pvt. Ltd. New Delhi 2001.
4- Dr. L.S. Yadava, in his Article Purvottar Rajyon mein Nrijatiya Hinsa 1998, Dainik Jagaran, 18 January.
5- Dinesh Kotwal, op. cit.
6- Chandra Bhushan, Terrorism and Separation in North-East India, Kalpaz Publication, New Dehli, 2004.
7- Maj Gen J.R. Mukharji, VSM, Prospective of the North-East, The B.S.F Journal, Volume-8,January 1997.

8- Strategic Analysis, November 2008, Page 1497.
9- India Journal of Strategic Studies, Volume 24, 2005.
10- Dr. L.S. Yadava op. cit.

EDUCATIONAL DATA MINING TOOLS AND RESEARCH APPROCHES : A REVIEW

Dr. Bharat Mishra[1], Amit Agnihotri[2]

ABSTRACT

Euducational Data Mining develops and adapts statistical, machine-learning and data-mining methods to study educational data generated basically by students and instructors. Their application may help to analyze student learning processes considering their interaction with the environment *(Baker, Costa, Amorim, Magalhaes, & Marinho, 2012)*. Educational data mining (EDM) is a research area which utilizes data mining techniques and research approaches for understanding how students learn. Interactive e-learning methods and tools have opened up opportunities to collect and scrutinize student data, to ascertain patterns and trends in those data, and to formulate new discoveries and test assumptions about how students learn. Educational data mining research uses technical methods like prediction, clustering, relationship mining, modeling etc. As described in a practice guide of the Department of Education’s Institute of Education Sciences *(Hamilton, Halverson, Jackson, Mandinach, Supovitz, & Wayman. 2009),* working from student data can help educators both track academic progress and understand which instructional practices are effective.

KEYWORDS

Educational Data Mining (EDM), EDM Components, DM Methods, Educational Planning

1. Associate Professor, MGCG Vishwavidyalaya, Chitrakoot (MP)

2. Research Scholor, MGCG Vishwavidyalaya, Chitrakoot (MP)

1. INTRODUCTION

Educational Data Mining (EDM) is an emerging field exploring data in educational context by applying different Data Mining (DM) techniques/tools. EDM support properties from fields like Learning Analytics, Psychometrics, Artificial Intelligence, Information Technology, Machine learning, Statics, Database Management System, Computing and Data Mining. It can be considered as interdisciplinary research field which provides intrinsic knowledge of teaching and learning process for effective education *(Romero and Ventura, 2013).* EDM objective can be described in the following way:

1.1 Academic Objectives

- Person oriented (related to direct participation in teaching and learning process)
  E.g.: Student learning, cognitive learning, modelling, behavior, risk, performance analysis, predicting right enrollment decision etc. both in traditional and digital environment and Faculty modelling- job performance and satisfaction analysis.
- Department oriented (related to particular department with respect to time, sequence and demand). E.g.: Redesign new courses according to industry requirements, identify realistic problems to effective research and learning process.
- Domain Oriented (related to a particular institutions). E.g.: Designing Methods-Tools, Techniques, Knowledge Discovery based Decision Support System (KDDS) for specific application, branch and institutions.

1.2 Administrative Objectives

- Administrator Oriented (related to direct involvement of higher authorities/administrator)
  E.g.: Resource (Infrastructure as well as Human) utilization, Industry academia relationship, marketing for student enrollment in case of private institutions and establishment of network for innovative research and practices.
- To explore heterogeneous educational data by analyzing the authors' views from traditional to intelligent educational systems in the decision making process.
- To explore intelligent tools and techniques used in EDM and
- To find out the various EDM challenges.

2. EDM COMPONENTS

The major components of EDM are Stakeholders, DM Methods-Tools and Techniques, data, task and Outcomes which meet the objectives (see fig. 1).

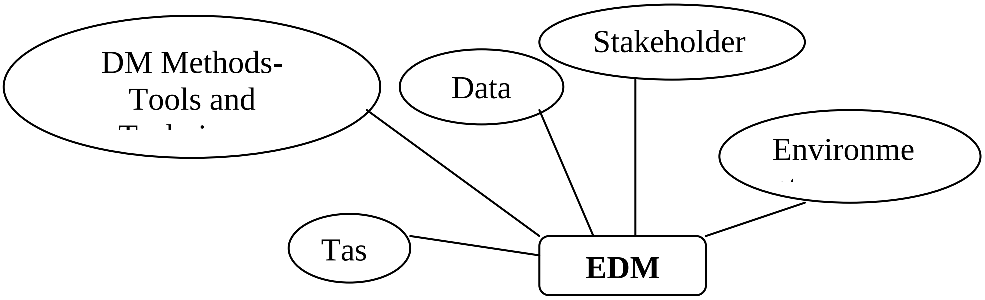

Fig.1

2.1. Stakeholders

In the view of education, major stakeholders of education can be divided in following groups:

- *Primary group.* This group is directly involved with teaching and learning process.
  e.g.: Students and Faculties.
- *Secondary group.* This group is indirectly involved in the growth of the institution.
  e.g.: Parents and Alumni.
- *Hybrid group.* This group is involved with administrative/decision making process.
  e.g.: Employers, Administrator/Educational Planner, and Experts.

2.2. EDM environments

- *Formal Environment*. Direct interaction with primary group stakeholder of education.
  e.g.: face to face classroom interaction.
- *Informal Environment*. Indirect interaction with primary group stakeholder of education.
  e.g.: web based education *(Cocea, and Weibelzahl, 2009)*
- *Computer Supported Environment (individual and interaction*). Direct and /or Indirect interaction with all the three groups.
  E.g.: Intelligent Tutoring Systems- Tools such as DOCENT, IDE, ISD Expert, Expert CML related to curriculum development *(Murray, 1999).*

2.3. Educational Data

These data are typically generated from the offline or online source.

- *Offline Data*. Offline Data are generated from traditional and modern classroom interaction interactive teaching/learning environments, learner/educators information, students attendance, course information, etc..
- *Online Data*. Online Data are generated from the geographically separated stakeholder of the education, distance educations, web based education *(Ha, Bae, and Park, 2000)*, computer supported collaborative learning used in *(Tchounikine, Rummel & McLaren, 2010)* social networking sites and online group forum. etc.
- *Uncertain Data* .Uncertain Data are generated from scientific measurement techniques, sensor generated data, etc.

2.4. Educational Task

It is a repetitive process for formation of Institution's Vision and mission, to look after the talent of primary group to meet the academic and administrative objectives. It can be further divided into two types:

- *Decision making task:* Active participation of the hybrid group of stakeholder.
- *Learner based task:* Active participation of Primary stakeholder.

2.5. Data Mining Approaches

Data Mining (DM) approaches are one of the major components in EDM. It can be broadly divided into two groups:

- Verification Oriented (Traditional Statistics- Hypothesis test, Analysis of Variance etc.)
- Discovery Oriented (Prediction and Description- Classification, Clustering, Prediction, Relationship Mining, Neural Network, Web mining etc.)

3. Approaches popular with the EDM researchers.

Classification

It is the problem of identifying to which of a set of categories (sub-populations) a new observation belongs, on the basis of a training set of data containing observations (or instances) whose category membership is known. It is an analysis technique which maps data into a predefined class. This technique is useful in student monitoring systems for predicting student performance.

Statistics

This technique is useful to identify outlier fields, record using mean, mode etc.

Clustering

It is a task of grouping a set of objects in such a way that objects in the same group (called a cluster) are more similar to each other than to those in other groups (clusters). It is a technique to group similar data into clusters in a way that groups are not predefined.

Prediction

It is a technique to predict a future state rather than a current state.

Neural Network

This technique is useful to determine residency, ethnicity, to predict academic performance, accuracy prediction in the branch selection *(Dutta Borah, Jindal, Gupta, Deka, 2011)* and explores learning performance in a TESL based e-ling system *(Wang and Liao, 2011).*

Association Rule Mining

It is a technique to identify specific relationships among data. This technique is useful to identify students' failure patterns, parameters related to the admission process, migration, contribution of alumni, student assessment, co-relation between different group of students, to guide a search for a better fitting transfer model of student learning etc.

Web mining

It is a technique for mining web data. This technique is useful for building virtual community in computational Intelligence.

4. EDM Tools

4.1 SQL

SQL, or the Structured Query Language, is used to organize some databases. SQL queries can be a powerful method for extracting exactly the desired data, sometimes integrating ("joining")across multiple database tables. Many basic filtering tasks, such as selecting a specific subset of students, or obtaining data from a specific date range, are significantly faster in database languages such as SQL.

4.2 RapidMiner

RapidMiner (http://rapid-i.com/content/view/181/190/) is a package for conducting data mining analyses and creating models. It has limited functionality for engineering new features out of existing features (such as the creation of multiplicative interactions), and for feature selection (based on inter-correlation of features with one another and with outcome measures). However, RapidMiner has an extremely extensive set of classification and regression algorithms, as well as algorithms for clustering, association rule mining, and other applications.

4.3 WEKA

The Waikato Environment for Knowledge Analysis (Weka, http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/Weka/) is a free and open source software package that assembles a wide range of data mining and model building algorithms. It does not support the creation of new features, though it does have support for automatic feature selection. Weka has an extensive set of classification, clustering, and association mining algorithms that can be used in isolation or in combination, through methods such as bagging, boosting, and stacking.

4.4 SPSS

Like Excel, SPSS is known beyond just the data science community. SPSS is primarily a statistical package, and offers a range of statistical tests, regression frameworks, correlations, and factor analyses. SPSS is complemented by IBM SPSS Modeler Premium, a relatively newer analytics and data mining package which integrates previous analytics and text mining packages.

4.5 KNIME

KNIME ("naim", KoNstanz Information MinEr, www.knime.org), formerly Hades, is a data cleaning and analysis package generally similar to RapidMiner and Weka. It offers many of the same capabilities as those tools, and like RapidMiner, incorporates all of Weka's algorithms.

4.6 Orange

Orange (orange.biolab.si) is a data visualization and analysis package. While it has considerably fewer algorithms and tools than RapidMiner, Weka, or KNIME it has a cleaner and easier to understand interface, with color-coded widgets differentiating between data input and cleaning, visualization, regression and clustering.

4.7 KEEL

KEEL (http://sci2s.ugr.es/keel/) is a data mining tool used by many EDM researchers. Unlike some of the tools listed above, which attempt to broadly survey different types of methods, KEEL has extensive support for some types of algorithms and tasks, but limited support for other algorithms and tasks.

4.8 Spark MLLib

Spark (http://spark.apache.org/mllib/) is a framework for large-scale processing of data across multiple computer processors, in a distributed fashion.

4.9 Tableau

Tableau presents a family of products for interactive data analysis and visualization. Although the primary focus of the Tableau toolset is support for business intelligence, it has been commonly applied in educational settings to analyze student data, provide actionable insights, enhance teaching practices and streamline educational reporting. Tableau is available at www.tableau.com.

4.10 D3.js

D3.js (Data Driven Documents; www.d3js.org) is a JavaScript library that allows manipulation of data-driven documents, enabling researchers and practitioners to

build complex, interactive data visualizations that require data handling and are targeted for modern web browsers.

4.11 LIWC

The Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) tool (Tausczik & Pennebaker, 2010) is a graphical and easy-to-use computerized text analysis tool which measures the latent characteristics of a text through analysis of the vocabulary used.

4.12 WMatrix

WMatrix (http://ucrel.lancs.ac.uk/wmatrix/) is an online graphical tool that can be used for word frequency analysis and visualization of text corpora.

4.13 TAGME

TAGME is a text annotation tool, specifically designed for semantic annotation of short, unstructured or semi-structured text segments, such as the text obtained from search-engine snippets, tweets or news feeds (Ferragina and Scaiella, 2010). The text annotation process identifies a sequence of terms and annotates them with pertinent links to Wikipedia pages.

4.14 Apache Stanbol

Apache Stanbol is an open source software tool for semantic text analysis (stanbol.apache.org/docs/trunk/scenarios.html). It is primarily designed to bring semantic technologies into existing content management systems, and for text mining and feature extraction. Similar to TAGME, it links keywords extracted from text to Wikipedia concepts.

4.15 EgoNet

EgoNet (http://egonet.sf.net) is a free social network analysis tool which focuses on the analysis of egocentric networks, which are, generally speaking, social networks constructed from the perspective of the individual network actors, typically using survey instruments.

4.16 NodeXL

NodeXL (Network Overview Discovery Exploration for Excel, http://nodexl.codeplex.com) is an extension for Microsoft Excel that makes it easy to visualize network data in Microsoft Excel from a wide variety of input data formats.

4.17 NetMiner

NetMiner (http://www.netminer.com) is a commercial graphical tool for the analysis of networks and their visualizations.

SUMMARY & CONCLUSION

One key consideration for researchers and practitioners new to educational data mining and learning analytics is that no one tool is ideally suited to conducting the entire process of analyzing most data sets from start to finish. Different tools are uniquely suited to different tasks. We have reviewed 17 tools frequently used for data mining/analytics in the area of education. This is a rapidly changing area, and new tools are emerging constantly. Nonetheless, we hope that this review will prove

useful to researchers interested in learning about these emerging methods not just at a theoretical level, but in terms of practical application and use.

References:

- Baker, R. S. J. D., Costa, E., Amorim, L., Magalhaes, J., & Marinho, T. (2012). Mineracao de Dados Educacionais: Conceitos, Tecnicas, Ferramentas e Aplicacoes. Jornada de Atualização em Informática na Educação, 1, 1-29.

- Hamilton, L., R. Halverson, S. Jackson, E. Mandinach, J. Supovitz, and J. Wayman. 2009. Using Student Achievement Data to Support Instructional Decision Making (NCEE 2009-4067).

- Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance.

- Romero, C., and Ventura S.(2013), " Data Mining in Education". *WIREs Data Mining and Know.Dis.,* Vol.3,pp.12-27.

- Cocea,M., and Weibelzahl,S (2009), "Log file analysis for disengagement detection in e-learning environments", *Springer Journal User Modeling and User Adapted Interaction.* Vol.19, No.4, pp.341-385. DOI: 10.1007/s 11257-009-9065-5.

- Murray, T.(1999), "Authoring Intelligent Tutoring Systems: An Analysis of the State of the Art", *International Journal of Artificial Intelligence in Education.*Vol.10,pp.98-129.

- Ha, S., Bae, S., and Park, S. (2000) "Web mining for distance education" in *Proc. Int. Conf. On Management of Innovation and Technology,* IEEE. Pp.715-719.

- Tchounikine, P., Rummel, N., McLaren, M. (2010), "Computer Supported Collaborative Learning and Intelligent Tutoring Systems", *Advances in Intelligent Tutoring Systems,* SCI No.308,pp.447-463.

- Dutta Borah, M., Jindal, R., Gupta,D.,Deka,G.C (2011), "Application of knowledge based decision technique to Predict student's enrolment decision.

in Proc. Int. Conf. on Recent Trends in Information Systems, India:IEEE,pp.180-184,DOI :10.1109/ReTIS.2011.6146864

- Wang and Liao.(2011), "Data Mining for adaptive learning in a TESL based e-learning system", *in Elsevier journal Expert systems with applications*, Vol.38, No.6,pp.6480-6485.

- *Verbeek, H. M. W., Buijs, J. C. A. M., Van Dongen, B. F., & van der Aalst, W. M. (2010). Prom 6: The process mining toolkit. Proc. of BPM Demonstration Track, 615, 34-39. Witten, I., H., Frank, E., Hall, M., A. (2011). Data mining: practical machine learning tools and techniques.*

- *Rajni Jindal and Malaya Dutta Borah (2013), International Journal of Database Management Systems (IJDMS) Vol.5, No.3*

Finsler Geometry in Continuum Mechanics

Dr. Rakesh Kumar Dwiwedi[1]

Abstract

In Finsler geometry, each point of a base manifold can be endowed with coordinates describing its position as well as a set of one or more vectors describing directions, For example. the associated metric tensor may generally depend on direction as well as position, and a number of connections emerge associated with various covariant derivatives involving a fine and nonlinear coefficients. Finsler geometry encompasses Riemannian, Euclidean, and Minkowskian geometries as special cases, and thus it affords great generality for describing a number of phenomena in physics. Here, descriptions of finite deformation of continuous media are of primary focus. After a review of necessary mathematical definitions and derivations, prior work involving application of Finsler geometry in continuum mechanics of solids is reviewed. A new theoretical description of continua with microstructure is then outlined, merging concepts from Finsler geometry and phase field theories of materials science.

1. Introduction

Mechanical behavior of homogeneous isotropic elastic solids can be described by constitutive models that depend only on local deformation, for example, some metric or strain tensor that may generally vary with position in a body. Materials with microstructure require more elaborate constitutive models, for example, describing lattice orientation in anisotropic crystals, dislocation mechanisms in elastic-plastic crystals, or cracks or voids in damaged brittle or ductile solids. In conventional continuum mechanics approaches, such models typically assign one or more time- and position-dependent vector(s) or higher-order tensor(s), in addition to total deformation or strain, that describe physical mechanisms associated with evolving internal structure.

---

1. Assistant Professor (Mathematics), Dept. of Computer and Information Sciences, JRH University, Chitrakoot (UP)

Mathematically, in classical continuum physics, geometric field variables describing behavior of a simply connected region of a body depend fundamentally only on referential and spatial coordinate charts and related by a diffeomorphism , with and denoting corresponding points on the spatial and material manifolds covered by corresponding chart(s) and denoting time. State variables entering response functions depend ultimately only on material points and relative changes in their position (e.g., deformation gradients of first order and possibly higher orders for strain gradient-type models. Geometric objects such as metric tensors, connection coefficients, curvature tensors, and anholonomic objects also depend ultimately only on position. This is true in conventional nonlinear elasticity and plasticity theories, as well as geometric theories incorporating torsion and/or curvature tensors associated with crystal defects, for example. In these classical theories, the metric tensor is always Riemannian (i.e., essentially dependent only upon or in the spatial or material setting), meaning the length of a differential line element depends only on position; however, torsion, curvature, and/or covariant derivatives of the metric need not always vanish if the material contains various kinds of defects (non-Euclidean geometry). Connections are linear (i.e., affine). Gauge field descriptions in the context of Riemannian metrics and affine connections include. Relevant references in geometry and mathematical physics include, in addition to those already mentioned. Finite deformation director theories of micropolar type are addressed in the context of Riemannian (as opposed to Finslerian) metrics in.

Finsler geometry, first attributed to Finsler in 1918, is more general than Riemannian geometry in the sense that the fundamental (metric) tensor generally may depend on additional independent variables, labeled here as and in spatial and material configurations, with corresponding generalized coordinates and . Formal definitions will be given later in this paper; for the present immediate discussion, it suffices to mention that each point can be considered endowed with additional degrees-of-freedom beyond or and that transformation laws among coordinates as well as connection coefficients (i.e., covariant differentials) generally depend on or as well as or . Relevant references in mathematics include. For descriptions of mechanics of solids, additional degrees-of-freedom can be associated with evolving features of the microstructure of the material, though more general physical interpretations are possible.

The use of Finsler geometry to describe continuum mechanical behavior of solids was perhaps first noted by Krner in 1968 and Eringen in 1971, the latter reference incorporating some basic identities and definitions derived primarily by Cartan, though neither developed a Finsler-based framework more specifically directed towards mechanics of continua. The first theory of Finsler geometry applied to continuum mechanics of solids with microstructure appears to be the purely

kinematic theory of Ikeda, in a generalization of Cosserat-type kinematics whereby additional degrees-of-freedom are director vectors linked to structure. This theory was essentially extended by Bejancu to distinguish among horizontal and vertical distributions of the fiber bundle of a deforming pseudo-Finslerian total space. More complete theories incorporating a Lagrangian functional (leading to physical balance or conservation laws) and couched in terms of Finsler geometry were developed by Saczuk, Stumpf, and colleagues for describing solids undergoing inelastic deformation mechanisms associated with plasticity and/or damage. To the author's knowledge, solution of a boundary value problem in solid mechanics using Finsler geometric theory has only been reported once, in. Finsler geometry has been analogously used to generalize fundamental descriptions in other disciplines of physics such as electromagnetism, quantum theory, and gravitation.

This paper is organized as follows. In Section 2, requisite mathematical background on Finsler geometry (sometimes called Riemann-Finsler geometry is summarized. In Section 3, the aforementioned theories from continuum physics of solids are reviewed and compared. In Section 4, aspects of a new theory, with a primary intention of description of structural transformation processes in real materials, are proposed and evaluated.

2. Finsler Geometry: Background

Notation used in the present section applies to a referential description, that is, the initial state; analogous formulae apply for a spatial description, that is, a deformed body.

2.1. Coordinates and Fundamentals

Denote by an -dimensional manifold. Each element (of support) of is of the form , where and , with the tangent bundle of . A Finsler structure of is a function with the following three properties: (i)The fundamental function is on; (ii) (i.e., is homogeneous of degree one in);(iii)the fundamental tensor is positive definite at every point of .Restriction of to a particular tangent space gives rise to a (local) Minkowski normwhich follows from Euler's theorem and the identitySpecifically letting , the length of a differential line element at depends in general on both and asA Finsler manifold reduces to a Minkowskian manifold when does not depend on and to a Riemannian manifold when does not depend on . In the latter case, a Riemannian metric tensor is . Cartan's tensor, with the following fully symmetric covariant components, is defined for use later:

Consider now a coordinate transformation to another chart on ; for example,From the chain rule, holonomic basis vectors on then transform as

2.2. Connections and Differentiation

Christoffel symbols of the second kind derived from the symmetric fundamental tensor areLowering and raising of indices are enabled via and its inverse . Nonlinear connection coefficients on are defined aswhere . The following nonholonomic bases are then introduced:It can be shown that unlike, these nonholonomic bases obey

simple transformation laws like. The set serves as a convenient local basis for ; its dual set applies for the cotangent bundle . A natural Riemannian metric can then be introduced, called a Sasaki metric: The horizontal subspace spanned by is orthogonal to the vertical subspace spanned by with respect to this metric. Covariant derivative , or collectively connection 1-forms , define a linear connection on pulled-back bundle over . Letting denote an arbitrary direction,A number of linear connections have been introduced in the Finsler literature. The Chern-Rund connection is used most frequently in applications related to the present paper. It is a unique linear connection on characterized by the structural equations. The first structure equation implies torsion freeness and results inThe second leads to the connection coefficientsWhen a Finsler manifold degenerates to a Riemannian manifold, and . Cartan's connection 1-forms are defined by where correspond to; its coordinate formulae and properties are listed in. It has been shown how components of Cartan's connection on a Finsler manifold can be obtained as the induced connection of an enveloping space (with torsion) of dimension. When a Finsler manifold degenerates to a locally Minkowski space (independent of), then . Gradients of bases with respect to the Chern-Rund connection and Cartan tensor areAs an example of covariant differentiation on a Finsler manifold with Chern-Rund connection , consider a tensor field on the manifold . The covariant differential of isNotations and denote respective horizontal and vertical covariant derivatives with respect to .

2.3. Geometric Quantities and Identities

Focusing again on the Chern-Rund connection , curvature 2-forms arewith the exterior derivative and the wedge product (no factor of). HH-, HV-, and VV-curvature tensors of the Chern-Rund connection have respective componentsVV-curvature vanishes, HV-curvature obeys , and a Bianchi identity for HH-curvature isWhen a Finsler manifold degenerates to a Riemannian manifold, then become the components of the usual curvature tensor of Riemannian geometry constructed from , and . All curvatures vanish in locally Minkowski spaces. It is not always possible to embed a Finsler space in a Riemannian space without torsion, but it is possible to determine the metric and torsion tensors of a space of dimension in such a way that any -dimensional Finsler space is a nonholonomic subspace of such a space with torsion.

Nonholonomicity (i.e., nonintegrability) of the horizontal distribution is measured by]where is the Lie bracket and can be interpreted as components of a torsion tensor. For the Chern-Rund connection,Since Lie bracket is strictly vertical, the horizontal distribution spanned by is not involutive.

3. Applications in Solid Mechanics: 1973–2003

3.1. Early Director Theory

The first application of Finsler geometry to finite deformation continuum mechanics is credited to Ikeda, who developed a director theory in the context of (pseudo-) Finslerian manifolds. A slightly earlier work considered a generalized space (not necessarily Finslerian) comprised of finitely deforming physical and geometrical fields. Paper is focused on kinematics and geometry: descriptions of deformations of the continuum and the director vector fields and their possible interactions, metric tensors (i.e., fundamental tensors), and gradients of motions. Covariant differentials are defined that can be used in field theories of Finsler space. Essential concepts from are reviewed and analyzed next.

Let denote a pseudo-Finsler manifold in the sense of, representative of a material body with microstructure. Let denote a material point with coordinate chart , covering the body in its undeformed state. A set of director vectors is attached to each , where . In component form, directors are written. In the context of notation in Section 2, is similar to a Finsler manifold with , though the director theory involves more degrees-of-freedom when , and no fundamental function is necessarily introduced. Let denote the spatial location in a deformed body of a point initially at , and let denote a deformed director vector. The deformation process is described by The deformation gradient and its inverse areThe following decoupled transformations are posited:with . Differentiating the second of, where denotes the total covariant derivative. Differential line and director elements can be related by

Let denote the metric in the reference configuration, such that is a measure of length (for Cartesian coordinates). Fundamental tensors in the spatial frame describing strains of the continuum and directors areLet and denote coefficients of linear connections associated with continuum and director fields, related bywhere and . The covariant differential of a referential vector field , where locally , with respect to this connection isthe covariant differential of a spatial vector field , where locally , is defined aswith, for example, the differential of given by . Euler-Schouten tensors areIkeda implies that fundamental variables entering a field theory for directed media should include the set . Given the fields in, the kinematic-geometric theory is fully determined once are defined. The latter coefficients can be related to defect content in a crystal. For example, setting results in distant parallelism associated with dislocation theory, in which case gives the negative of the wryness tensor; more general theory is needed, however, to represent disclination defects or other general sources of incompatibility requiring a nonvanishing curvature tensor. The directors themselves can be related to lattice directions, slip vectors in crystal plasticity, preferred directions for twinning, or planes intrinsically prone to cleavage fracture, for example. Applications of multifield theory towards multiscale descriptions of crystal plasticity are also possible.

3.2. Kinematics and Gauge Theory on a Fiber Bundle

The second known application of Finsler geometry towards finite deformation of solid bodies appears in Chapter 8 of the book of Bejancu. Content in extends and formalizes the description of Ikeda using concepts of tensor calculus on the fiber bundle of a (generalized pseudo-) Finsler manifold. Geometric quantities appropriate for use in gauge-invariant Lagrangian functions are derived. Relevant features of the theory in are reviewed and analyzed in what follows next.

Define as a fiber bundle of total space , where is the projection to base manifold and is the fiber. Dimensions of and are (for a solid volume) and , respectively; the dimension of is . Coordinates on are , where is a point on the base body in its reference configuration, and is a director of dimension that essentially replaces multiple directors of dimension 3 considered in Section 3.1. The natural basis on is the field of frames . Let denote nonlinear connection coefficients on , and introduce the nonholonomic basesUnlike , these nonholonomic bases obey simple transformation laws; serves as a convenient local basis for adapted to a decomposition into horizontal and vertical distributions:Dual set is a local basis on . A fundamental tensor (i.e., metric) for the undeformed state isLet denote covariant differentiation with respect to a connection on the vector bundles and , withConsider a horizontal vector field and a vertical vector field . Horizontal and vertical covariant derivatives are defined asGeneralization to higher-order tensor fields is given in. In particular, the following coefficients are assigned to the so-called gauge H-connection on :Comparing with the formal theory of Finsler geometry outlined in Section 2, coefficients are analogous to those of the Chern-Rund connection, and is analogous to. The generalized pseudo-Finslerian description of reduces to Finsler geometry of when and a fundamental function exists from which metric tensors and nonlinear connection coefficients can be derived.

Let denote a set of differentiable state variables, where . A Lagrangian function of the following form is considered on :Let be a compact domain of , and define the functional (action integral)Euler-Lagrange equations referred to the reference configuration follow from the variational principle :These can be rewritten as invariant conservation laws involving horizontal and vertical covariant derivatives with respect to the gauge-H connection.

Let be the deformed image of fiber bundle , representative of deformed geometry of the body, for example. Dimensions of and are and , respectively; the dimension of is . Coordinates on are , where is a point on the base body in its current configuration, and is a director of dimension . The natural basis on is the field of frames . Let denote nonlinear connection coefficients on , and introduce the nonholonomic basesThese nonholonomic bases obey simple transformation laws; serves as a convenient local basis for whereDual set is a local basis on . Deformation of to is dictated by diffeomorphisms in local coordinates:Let the usual (horizontal) deformation gradient and its inverse have componentsIt follows from that, similar to and, Nonlinear connection coefficients on and can be related

byMetric tensor components on and can be related byLinear connection coefficients on and can be related byUsing the above transformations, a complete gauge H-connection can be obtained for from reference quantities on if the deformation functions in are known. A Lagrangian can then be constructed analogously to, and Euler-Lagrange equations for the current configuration of the body can be derived from a variational principle where the action integral is taken over the deformed space. In application of pseudo-Finslerian fiber bundle theory similar to that outlined above, Fu et al. associate with the director of an oriented area element that may be degraded in strength due to damage processes such as fracture or void growth in the material. See also related work in.

3.3. Recent Theories in Damage Mechanics and Finite Plasticity

Saczuk et al. adapted a generalized version of pseudo-Finsler geometry similar to the fiber bundle approach of and Section 3.2 to describe mechanics of solids with microstructure undergoing finite elastic-plastic or elastic-damage deformations. Key new contributions of these works include definitions of total deformation gradients consisting of horizontal and vertical components and Lagrangian functions with corresponding energy functionals dependent on total deformations and possibly other state variables. Constitutive relations and balance equations are then derived from variations of such functionals. Essential details are compared and analyzed in the following discussion. Notation usually follows that of Section 3.2, with a few generalizations defined as they appear.

Define as a fiber bundle of total space , where is the projection to base manifold and is the fiber. Dimensions of and are 3 and , respectively; the dimension of is . Coordinates on are , where is a point on the base body in its reference configuration, and is a vector of dimension . Let be the deformed image of fiber bundle ; dimensions of and are 3 and , respectively; the dimension of is . Coordinates on are , where is a point on the base body in its current configuration, and is a vector of dimension . Tangent bundles can be expressed as direct sums of horizontal and vertical distributions:Deformation of to is locally represented by the smooth and invertible coordinate transformationswhere in general the director deformation map Total deformation gradient is defined asIn component form, its horizontal and vertical parts areTo eliminate further excessive use of Kronecker deltas, let , , and . Introducing a fundamental Finsler function with properties described in Section 2.1, the following definitions hold: Notice that correspond to the Chern-Rund connection and to the Cartan tensor. In, is presumed stationary () and is associated with a residual plastic disturbance, is remarked to be associated with dislocation density, and the HV-curvature tensor of (e.g., of) is remarked to be associated with disclination density. In, is associated with lattice distortion and with residual strain energy density of the dislocation density. In, a fundamental function and connection coefficients are not defined explicitly, leaving the theory

open to generalization. Note also that is more general than. When the latter holds and, then , the usual deformation gradient of continuum mechanics.

Restricting attention to the time-independent case, a Lagrangian is posited of the formwhere is a generic vector of state variables and denotes a generic gradient that may include partial, horizontal, and/or vertical covariant derivatives in the reference configuration as physically and mathematically appropriate. Let be a compact domain of , and defineEuler-Lagrange equations referred to the reference configuration follow from the variational principle analogously to. Conjugate forces to variations in kinematic and state variables can be defined as derivatives of with respect to these variables. Time dependence, dissipation, first and second laws of thermodynamics, and temperature effects are also considered in; details are beyond the scope of this review. In the only known application of Finsler geometry to solve a boundary value problem in the context of mechanics of solids with microstructure, Stumpf and Saczuk use the theory outlined above to study localization of plastic slip in a bar loaded in tension, with specifying a preferred material direction for slip. In, various choices of and its gradient are considered in particular energy functions, for example, state variables associated with gradients of damage parameters or void volume fractions.

4. Towards a New Theory of Structured Media

4.1. Background and Scope

In Section 4 it is shown how Finsler geometry can be applied to describe physical problems in deformable continua with evolving microstructures in a manner somewhat analogous to the phase field method. Phase field theory encompasses various diffuse interface models wherein the boundary between two (or more) phases or states of material is distinguished by the gradient of a scalar field called an order parameter. The order parameter, denoted herein by, typically varies continuously between values of zero and unity in phases one and two, with intermediate values in phase boundaries. Mathematically, Physically, phases might correspond to liquid and solid in melting-solidification problems, austenite and martensite in structure transformations, vacuum and intact solid in fracture mechanics, or twin and parent crystal in twinning descriptions. Similarities between phase field theory and gradient-type theories of continuum mechanics are described in; both classes of theory benefit from regularization associated with a length scale dependence of solutions that can render numerical solutions to governing equations mesh independent. Recent phase field theories incorporating finite deformation kinematics include for martensitic transformations, for fracture, for amorphization, and for twinning. The latter (i.e., deformation twinning) is the focus of a more specific description that follows later in Section 4.3 of this paper, though it is anticipated that the Finsler-type description could be adapted straightforwardly to describe other deformation physics.

Deformation twinning involves shearing and lattice rotation/reflection induced by mechanical stress in a solid crystal. The usual elastic driving force is a resolved shear stress on the habit plane, in the direction of twinning shear. Twinning can be reversible or irreversible depending on material and loading protocol; the physics of deformation twinning is described. Theory that follows in Section 4.2 is thought to be the first to recognize analogies between phase field theory and Finsler geometry and that in Section 4.3 the first to apply Finsler geometric concepts to model deformation twinning. Notation follows that of Section 3.2 and Section 3.3 with possible exceptions highlighted as they appear.

4.2. Finsler Geometry and Kinematics

As in Section 3.3, define as a fiber bundle of total space with . Considered is a three-dimensional solid body with state vector : dimensions of and are 3; the dimension of is 6. Coordinates on are , (), where is a point on the base body in its reference configuration. Let be the deformed image of fiber bundle ; dimensions of and are 3, and that of is 6. Coordinates on are , where is a point on the base body in its current configuration, and is the updated state vector. Tangent bundles are expressed as direct sums of horizontal and vertical distributions as in: Deformation of to is locally represented by the smooth and invertible coordinate transformationswhere the director deformation function is, in general,Introduce the smooth scalar order parameter field as in, where . Here is identified with the reference gradient of :For simplicity, here is taken as a Cartesian coordinate chart on such that , and so forth. Similarly, is chosen Cartesian. Generalization to curvilinear coordinates is straightforward but involves additional notation. Define the partial deformation gradientBy definition and then from the chain rule,leading toFrom and, local integrability (null curl) conditions and hold. As in Section 3, denote nonlinear connection coefficients on , and the Finsler-type nonholonomic basesLet denote nonlinear connection coefficients on, and define the nonholonomic spatial bases asTotal deformation gradient is defined asIn component form, its horizontal and vertical parts are, as in and the theory of, As in Section 3.3, a fundamental Finsler function , homogeneous of degree one in , is introduced. ThenSpecifically for application of the theory in the context of initially homogeneous single crystals, letThe metric tensor with Cartesian components is identified with the gradient energy contribution to the surface energy term in phase field theory, as will be made explicit later in Section 4.3. From and, reference geometry is now Minkowskian since the fundamental Finsler function is independent of . In this case, and reduce toHorizontal and vertical covariant derivatives in reduce to partial derivatives with respect to and , respectively, leading toWhen , then vertical deformation components . In a more general version of applicable to heterogeneous material properties, and is homogeneous of degree zero with respect to , and the above simplifications (i.e., vanishing connection coefficients) need not apply.

4.3. Governing Equations: Twinning Application

Consider a crystal with a single potentially active twin system. Applying, let twinned domains, parent (original) crystal domains, and in twin boundary domains. As defined in, let denote the twinning eigenshear (a scalar constant), denote the unit normal to the habit plane (i.e., the normal covector to the twin boundary), and the direction of twinning shear. In the context of the geometric framework of Section 4.2, and with simplifying assumptions applied throughout the present application, and are constant fields that obey the orthonormality conditionsTwinning deformation is defined as the tensor fieldNote that . Scalar interpolation function monotonically increases between its endpoints with increasing , and it satisfies , , and . A typical example is the cubic polynomial. The horizontal part of the deformation gradient in obeys a multiplicative decomposition:The elastic lattice deformation is the two-point tensor : Note that can be considered a version of the Bilby-Krner decomposition proposed for elastic-plastic solids and analyzed at length in from perspectives of differential geometry of anholonomic space (neither nor is necessarily integrable to a vector field). The following energy potentials, measured per unit reference volume, are defined:Here, is the strain energy density that depends on elastic lattice deformation (assuming in), is the total interfacial energy that includes a double-well function with constant coefficient , and is the square of the fundamental Finsler function given in. For isotropic twin boundary energy , and equilibrium surface energy and regularization width obey and. The total energy potential per unit volume is . Let be a compact domain of , which can be identified as a region of the material body, and define the total potential energy functionalRecall that for solid bodies, . For quasi-static conditions (null kinetic energy), the Lagrangian energy density is . The null first variation of the action integral, appropriate for essential (Dirichlet) boundary conditions on boundary , iswhere the first variation of potential energy density is defined here by varying and within , holding reference coordinates and reference volume form fixed:Application of the divergence theorem, here with vanishing variations of and on , leads to the Euler-Lagrange equations. The first Piola-Kirchhoff stress tensor is , and the elastic driving force for twinning is . These equations, which specify mechanical and phase equilibria, are identical to those derived in, but have arrived here via use of Finsler geometry on fiber bundle . In order to achieve such correspondence, simplifications and have been applied, the first reducing the fundamental Finsler function to one of Minkowskian geometry to describe energetics of twinning in an initially homogeneous single crystal body ().

A more general and potentially powerful approach would be to generalize fundamental function and deformed coordinates to allow for all possible degrees-of-freedom. For example, a fundamental function corresponding to nonuniform values of in the vicinity of grain or phase boundaries, wherein properties change

rapidly with position, could be used instead of a Minkowskian (position-independent) fundamental function. Such generalization would lead to enriched kinematics and nonvanishing connection coefficients, and it may yield new physical and mathematical insight into equilibrium equations—for example, when expressed in terms of horizontal and vertical covariant derivatives used to describe mechanics of interfaces and heterogeneities such as inclusions or other defects. Further study, to be pursued in the future, is needed to relate such a general geometric description to physical processes in real heterogeneous materials. An analogous theoretical description could be derived straightforwardly to describe stress-induced amorphization or cleavage fracture in crystalline solids, extending existing phase field models of such phenomena.

5. Conclusions

Finsler geometry and its prior applications towards continuum physics of materials with microstructure have been reviewed. A new theory, in general considering a deformable vector bundle of Finsler character, has been posited, wherein the director vector of Finsler space is associated with a gradient of a scalar order parameter. It has been shown how a particular version of the new theory (Minkowskian geometry) can reproduce governing equations for phase field modeling of twinning in initially homogeneous single crystals. A more general approach allowing the fundamental function to depend explicitly on material coordinates has been posited that would offer enriched description of interfacial mechanics in polycrystals or materials with multiple phases.

Conflict of Interests

The author declares that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

References

1. C. A. Truesdell and R. A. Toupin, “The classical field theories,” in Handbuch der Physik, S. Flugge, Ed., vol. 3/1, pp. 226–793, Springer, Berlin, Germany, 1960. View at Google Scholar
2. A. C. Eringen, Nonlinear Theory of Continuous Media, McGraw-Hill, New York, NY, USA, 1962. View at MathSciNet
3. A. C. Eringen, “Tensor analysis,” in Continuum Physics, A. C. Eringen, Ed., vol. 1, pp. 1–155, Academic Press, New York, NY, USA, 1971. View at Google Scholar
4. R. A. Toupin, “Theories of elasticity with couple-stress,” Archive for Rational Mechanics and Analysis, vol. 17, pp. 85–112, 1964. View at Publisher · View at Google Scholar · View at MathSciNet · View at Scopus
5. J. D. Clayton, “On anholonomic deformation, geometry, and differentiation,” Mathematics and Mechanics of Solids, vol. 17, no. 7, pp. 702–735, 2012. View at Publisher · View at Google Scholar · View at MathSciNet · View at Scopus

6. J. D. Clayton, Nonlinear Mechanics of Crystals, Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2011.
7. B. A. Bilby, R. Bullough, and E. Smith, “Continuous distributions of dislocations: a new application of the methods of non-Riemannian geometry,” Proceedings of the Royal Society A, vol. 231, pp. 263–273, 1955. View at Publisher · View at Google Scholar · View at MathSciNet
8. E. Kröner, “Allgemeine kontinuumstheorie der versetzungen und eigenspannungen,” Archive for Rational Mechanics and Analysis, vol. 4, pp. 273–334, 1960. View at Google Scholar · View at MathSciNet
9. K. Kondo, “On the analytical and physical foundations of the theory of dislocations and yielding by the differential geometry of continua,” International Journal of Engineering Science, vol. 2, pp. 219–251, 1964.View at Publisher · View at Google Scholar · View at MathSciNet · View at Scopus
10. B. A. Bilby, L. R. T. Gardner, A. Grinberg, and M. Zorawski, “Continuous distributions of dislocations. VI. Non-metric connexions,” Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol. 292, no. 1428, pp. 105–121, 1966. View at Publisher · View at Google Scholar
11. W. Noll, “Materially uniform simple bodies with inhomogeneities,” Archive for Rational Mechanics and Analysis, vol. 27, no. 1, pp. 1–32, 1967. View at Publisher · View at Google Scholar · View at MathSciNet ·View at Scopus
12. K. Kondo, “Fundamentals of the theory of yielding elementary and more intrinsic expositions: riemannian and non-riemannian terminology,” Matrix and Tensor Quarterly, vol. 34, pp. 55–63, 1984.View at Google Scholar
13. J. D. Clayton, D. J. Bammann, and D. L. McDowell, “A geometric framework for the kinematics of crystals with defects,” Philosophical Magazine, vol. 85, no. 33–35, pp. 3983–4010, 2005. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus
14. J. D. Clayton, “Defects in nonlinear elastic crystals: differential geometry, finite kinematics, and second-order analytical solutions,” Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 2013. View at Publisher · View at Google Scholar
15. A. Yavari and A. Goriely, “The geometry of discombinations and its applications to semi-inverse problems in anelasticity,” Proceedings of the Royal Society of London A, vol. 470, article 0403, 2014. View at Publisher · View at Google Scholar
16. D. G. B. Edelen and D. C. Lagoudas, Gauge Theory and Defects in Solids, North-Holland Publishing, Amsterdam, The Netherlands, 1988.
17. I. A. Kunin, “Kinematics of media with continuously changing topology,” International Journal of Theoretical Physics, vol. 29, no. 11, pp. 1167–1176, 1990. View at Publisher · View at Google Scholar ·View at Scopus
18. H. Weyl, Space-Time-Matter, Dover, New York, NY, USA, 4th edition, 1952.
19. J. A. Schouten, Ricci Calculus, Springer, Berlin, Germany, 1954.
20. J. L. Ericksen, “Tensor Fields,” in Handbuch der Physik, S. Flugge, Ed., vol. 3, pp. 794–858, Springer, Berlin, Germany, 1960. View at Google Scholar

भारतीय संस्कृति में वरिष्ठजनों की भूमिका

डॉ. प्रज्ञा मिश्रा[1]

सर्वप्रथम विषय के व्युत्पत्ति एवं अर्थ पर प्रकाश डालना अति आवश्यक है। शाध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ निम्नवत् हैं–

भारतीय शब्द भारत से बना है।

भारत[1] – (भरत+अण्) भारत से संबंध रखने वाला।

भारतीय – भारत या हिन्दुस्तान में निवास करने वाला।

भारत गाँवों का देश है।

संस्कृति[2] – (सम.कृ.क्तिन्) परिष्कार, मनोविकास।

वृद्ध[3] – वि. (विद्+क्त) वृद्धि को प्राप्त, बड़ी उम्र का।

जनः[4] – (जन्+अच्) व्यक्ति, पुरुष।

अर्थात ग्राम्य संस्कृति एवं वरिष्ठजनों की भूमिका।

भारतीय संस्कृति का पल्लवन अरण्यों तथा पर्वत की उपत्यकाओं में अवस्थित ऋषियों–मुनियों के आश्रमों में हुआ, जिन्होंने अपनी साधना और तपश्चर्या के बल पर ब्राह्मण, आरण्यक आदि विविध प्रकार के साहित्य की सर्जना की। प्रस्तुत शोध आलेख में संस्कृत साहित्य की कालजयी रचनाओं में वर्णित तथ्यों के आधार पर आलोच्य आलेख पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

पाश्चात्य भोगवाद एवं भोगजन्य आंधी ने आज सम्पूर्ण विश्व को अपने आगोश में ले लिया है। इसको और अधिक हवा प्रदान की है– आधुनिक संचार–क्रांति ने। परिणामस्वरूप आज सम्पूर्ण–विश्व ग्लोबल–मार्केट के रूप में तब्दील हो गया है, जहाँ हर वस्तु की कीमत उसकी आर्थिक गुणवत्ता के आधार पर तय की जाती है। यहाँ तक कि मनुष्य को भी एक उत्पाद के रूप में देखा जा रहा है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे विषय विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने लगे हैं। कहना नहीं होगा कि सम्पूर्ण विश्व के अध्यात्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठित

1. अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि, चित्रकूट, सतना, म.प्र.

भारतवर्ष उक्त सांस्कृतिक परिवर्तन के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। परिवार के बड़े बुजुर्ग आज न केवल स्वयं को आर्थिक रूप में असहाय पाते हैं बल्कि अपने को भावनात्मक रूप से उपेक्षित भी महसूस करते हैं। ऐसे में आज यह ज्वलंत प्रश्न उभर रहा है कि बुजुर्ग जिनके पास जीवन का संचित ज्ञान एवं जिंदगी का विराट अनुभव होता है, उनके ज्ञान एवं अनुभव का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए? साथ ही उन्हें भावनात्मक और आर्थिक सुरक्षा कैसे प्रदान की जा सके जिससे वे अपने उत्तरवर्ती जीवन को भार न समझे और खुशहाल जीवन जीते हुए समाज के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकें।

उद्देश्य

1. प्रस्तुत शोध का उद्देश्य है, परिवार के बुजुर्गों के अनुभव एवं ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए?
2. बुजुर्गों को भावनात्मक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
3. युवाओं का वृद्धजनों के प्रति कर्त्तव्य।
4. वृद्धजन और युवा पोढ़ी में परस्पर–पूरक भाव लाना है।

उक्त उद्देश्य की प्राप्ति भारतीय संस्कृति के अध्ययन से ही संभव है। शोध आलेख के आधार पर आलोच्य शीर्षक पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

रामायण में वृद्धजन

रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि ने जिस महाकाव्य की रचना की वह कालजयी, आदर्श, नीति निर्धारक एवं पथ–प्रदर्शक है। महाज्ञानी, परम–बुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने सबको प्रिय लगने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के सम्पूर्ण चरित्रों का समाधि द्वारा यथारूप निरीक्षण करके महाकाव्य का रूप दिया।

प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान ऋषिः।
चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमर्थवत्।।[5]

महर्षि वाल्मीकि ने श्रीराम के सम्पूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। रामायण में 24 हजार श्लोक, 5 सौ सर्ग तथा उत्तर सहित 7 काण्डों का प्रतिपादन किया है। महर्षि वशिष्ठ के कारण इक्ष्वाकुवंश को पहचान मिली।

गुरु वशिष्ठ के द्वारा समझाये गये नन्दिनी गाय की सेवा के रहस्य से राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिण को रघु जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई जिसके कारण इक्ष्वाकुवंश रघुकुल नाम से सम्पूर्ण जगत् में विख्यात हुआ। उन्हीं (गुरु वशिष्ठ अरुन्धती) के आश्रम में ज्ञान प्राप्त कर बालक राम श्रीराम बने।

राजा दशरथ से लोक कल्याण हेतु माँग कर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को ले गये। मार्ग में उन्होंने बला और अतिबला की शिक्षा प्रदान की। विश्वामित्र जी की इच्छानुसार और आदेशानुसार ही श्रीराम ने शिव–धनुष तोड़कर सीताजी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। वरिष्ठजनों की आज्ञा पालन हेतु श्रीराम, लक्ष्मण और सीता 14–वर्ष के लिये वन की ओर चले। तब गंगा, यमुना, संगम के पास स्थित भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे। उनके निर्देशानुसार चित्रकूट महर्षि वाल्मीकि के पास पहुँचे। वाल्मीकि जी उनके आगमन से अति प्रसन्न हुए और परस्पर सम्मान किया। साथ ही चित्रकूट में लक्ष्मणजी से एक कुटी बनाने को कहा।[6]

चित्रकूट में ही महर्षि अत्रि–अनसूया के आश्रम में पहुँच कर श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने उन दोनों का यथा योग्य अभिवादन किया।[7] महर्षि अत्रि ने सती अनसूया का परिचय देते हुये कहा कि एक बार 10 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई थी, तब सम्पूर्ण जगत निरन्तर दग्ध होने लगा। तब 10 वर्षों तक घोर तपस्या और उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के कष्ट का निवारण किया। महर्षि अत्रि ने श्रीराम से कहा कि विदेहराज नंदिनी सीताजी सती अनसूया के पास जाकर शिक्षा प्राप्त करें। तब सीताजी ने श्रीराम के कहने पर पतिव्रता अनसूया जी के पास दोनों हाथ जोड़ कर नमन करके उनकी कुशलता का समाचार प्राप्त करके पतिव्रत धर्म का उपदेश प्राप्त किया।

अनसूया जी ने सीताजी को कभी मलिन न होने वाली साड़ी, शरीर की सुन्दरता बढ़ाने वाला अंग राग और सदैव चमकने वाले आभूषण उपहार देकर धारण करने को कहा। विज्ञान, तकनीक, सौन्दर्यशास्त्र और औषधि विज्ञान भी उस समय वृद्धजन जानते थे। महर्षि अत्रि–अनसूया से अनुमति एवं आशीर्वाद प्राप्त करके तीनों दण्डक वन की ओर चले। वृद्ध भीलनी शबरी का आतिथ्य श्रीराम ने प्रेम पूर्वक स्वीकार किया और उनके जूठे बेर स्नेहारितेक के कारण खाए। यह वृद्धजनों के प्रति समरसता का व्यवहार है। पक्षिराज वृद्धजटायु को श्रीराम ने पिता तुल्य आदर दिया। एक वृद्ध पक्षी में भी मानवीयता का व्यवहार भारतीय संस्कृति की विशेषता है। शत्रु के यहाँ मजबूरी में रहते हुए लंका में स्थित अशोक वाटिका की एक राक्षसी त्रिजटा को सीताजी ने माँ कहकर संबोधित किया। लोकापवाद के कारण वन में छोड़ी गई सीताजी को पिता तुल्य महर्षि वाल्मीकि ने आश्रय दिया। वे स्वयं पैदल जाकर स्वागत करके उन्हें आश्रम लाए। उनके आश्रम के निकट वृद्धा तापसी स्त्रियाँ रहती थीं। उन्होंने सीताजी की देख–रेख की और सीता–राम पुत्र लवकुश का जन्म भी उन्हीं की देख–रेख में हुआ।

उत्तरकाण्ड में श्रीराम के दरबार में अगस्त्य मुनि के साथ जब अनेक ऋषि श्रीराम से मिलने आये तब राजा राम हाथ जोड़कर खड़े हुये और फिर पूजन सामग्री से आदर पूर्वक उन सबका पूजन किया।

दृष्टवा प्राप्तवान् मुनिस्तांतु प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः।
पाद्याध्यादिभिरानर्च गांनिवेद्य च सादरम्।।[8]

अभिज्ञानशाकुन्तलम् में वृद्धजन

महाकवि कालिदासकृत अभिज्ञानशाकुन्तलम् में नाटक की नायिका का पालन–पोषण महर्षि कण्व (जो उस समय कुलपति थे) क आश्रम में हुआ। आश्रम में गौतमी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी, जो सभी बच्चों की देख–रेख करती थी। चक्रवर्ती सम्राट राजा दुष्यन्त एक मृग का शिकार करना चाह रहे थे, किन्तु ऋषि कुमारों ने कहा आश्रम के मृग को नहीं मारना चाहिये, तो राजा मान गये। चक्रवर्ती सम्राट भी वरिष्ठजनों का सम्मान करते थे।

कण्व ऋषि ने अपने आश्रम वासियों को ऐसे संस्कार दिये थे कि पहले वे प्रकृति की पूजा करते थे, तब स्वयं का ध्यान रखते थे।

नाटक के चतुर्थ अंक में महर्षि कण्व बेटी की बिदाई के अवसर पर अत्यन्त दुःखी हो जाते हैं। उनका गला रुँध जाता है। मुख से शब्द नहीं निकलते हैं। वे कहते हैं, आज मेरी बेटी पति के घर जा रही है। इस कारण मेरी ज्ञानेन्द्रियाँ जड़ हो जा रही हैं। अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। मुझ जैसे वनवासी की यह स्थिति है तो गृहस्थ पिता की क्या स्थिति होगी।

पीड्न्ते गृहिणः कथं न तनयानिशेषदुःखैनवैः।[9]

फिर कण्व ऋषि तपोवन के वृक्षों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं जो शकुन्तला तुम्हारे जल सिंचन न होने पर जल नहीं पीती थी, अलंकरण प्रिय होने पर भी तुम्हारे नवीन पत्तों को ग्रहण नहीं करती थी, तुम्हारे सर्वप्रथम पुष्पोत्पत्ति क अवसर पर शकुन्तला का उत्सव होता था, यह तुम्हारी शकुन्तला आज पति के घर जा रही हैं, तुम सभी के द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए।

पातुंन प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या।
नादत्ते प्रियमंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्।।
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः।
सयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम् ।।[10]

कण्व ऋषि पुत्री शकुन्तला से कहते हैं– पूज्य श्वसुर आदि गुरुजनों की सेवा करना, सेवक–वर्ग के प्रति अत्यन्त उदार रहना, भाग्य पर गर्व न करना। इस प्रकार की स्त्रियाँ गृहणी अधिकार को प्राप्त करती हैं। इसके विपरीत स्त्रियाँ पितृकुल और पतिकुल को मानसिक पीड़ा देती हैं।11

इस प्रकार परिवार और समाज के प्रति दायित्व भी वृद्धजन बताते थे। जब शकुन्तला पति के घर की ओर जा रही थी, प्रकृति पत्तों के माध्यम से आँसू बहा रही थी। जिस मृग के बच्चे की सेवा शकुन्तला ने की थी वह शकुन्तला की साड़ी का कोना पकड़ लेता है और जाने से रोकता है। वनस्पति, पशु और मनुष्यों

के मध्य प्रेम, सौहार्द, परस्परपूरकता का भाव कण्व ऋषि के व्यक्तित्व और शिक्षा का प्रभाव था।

निर्वासित शकुन्तला की देख–रेख मरीचि ऋषि के आश्रम में होती है और उनके पुत्र भरत का जन्म भी ऋषि के आश्रम में हुआ था। उनके द्वारा जो साहस की शिक्षा मिली वह बालक शेर के दाँत गिनने में समर्थ था। वही बालक भरत बड़े होकर चक्रवर्ती सम्राट बना। उन्हीं के कारण आर्यावर्त का नाम भारत देश पड़ा। दुष्यन्त और शकुन्तला का पुनर्मिलन मारीचि ऋषि के कारण संभव हुआ।

स्वप्नवासवदत्तम् में वृद्धजन

महाकवि भासकृत स्वप्नवासवदत्तम् नाटक में मगधराज की पुत्री पद्मावती आश्रम में अपनी माँ महादेवी से मिलने पहुँची और एक दिन वह उसी आश्रम में रुकी। राजकुमारी ने आश्रमवासियों का सम्मान किया और वहाँ रहने वाली वृद्ध तापसी ने कहा कि आश्रम तो अतिथियों का स्वकीय गृह होता है। पद्मावती ने उन्हें आर्ये कहकर प्रणाम किया। तापसी ने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। राजकुमारी के एक सेवक ने कहा– राजकुमारी धर्म प्रिय हैं। किसी के कार्य में बाधा नहीं डालना चाहती, जिसे जो सामग्री चाहिए, तीर्थों का जल, समिधा आदि बिना रोक–टोक के ला सकते हैं।

तीर्थेदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान्
मिच्छेत् तपस्विषु कुलव्रतमेतदस्याः।[12]
कस्यार्थः कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितम्।।[13]

पद्मावती के एक वृद्ध सेवक द्वारा कहा गया कि आश्रम वासियों! आप लोग जो चाहें माँग सकते हैं। किसे जल पात्र की आवश्यकता है? किसे वस्त्र चाहिए? आदि। धर्म में रुचि रखने वाली राजकुमारी आप लोगों को अभीष्ट प्रदान करके स्वयं को अनुग्रहीत करना चाहती हैं। अतः जिसे जो वस्तु अभीष्ट लगे कहे।

सम्पूर्ण अध्ययन से यह निष्कर्ष निष्पन्न होता है कि भारतीय संस्कृति में वृद्धजनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें पूरे समाज के लिये शिक्षा प्रदान करना वरिष्ठ स्त्रियों एवं पुरुषों का कार्य था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा मानव को मानव बनाने की हुआ करती थी। प्रकृति संतुलन, पर्यावरण, पशु–प्रेम, युद्ध, आत्म–रक्षा, समरसता, गृहस्थ जीवन के दायित्व का निर्वहन, उत्तम शासक, आज्ञाकारी बहू और आदर्श पुत्र की शिक्षा वरिष्ठ ऋषि और उनकी पत्नी दिया करते थे।

आश्रमों का आदर बड़े से बड़े लोग एवं चक्रवर्ती सम्राट भी किया करते थे। आश्रमों में युवा वर्ग एवं राजा, राजकुमार, रानी, राजकुमारी वहाँ की व्यवस्था देखने हेतु जाते थे एवं आवश्यक सहयोग किया करते थे। आश्रम का खर्च अधिकांशतः राजा लोग किया करते थे या तो वृद्धजन घर में ही रहकर ज्ञान और अनुभव को सभी छोटों को हस्तांतरित करते थे। यह आश्रम में रहकर परिवार,

समाज, राष्ट्र के लिये विविध रचनात्मक सहयोग दिया करते थे, किन्तु अर्थोपार्जन का भार उन पर नहीं होता था।

वर्तमान युग में भी वरिष्ठजनों की महती भूमिका है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लेखक, चिकित्सक, उच्च प्रशासनिक पदों पर पदस्थ अधिकारी, कुलपति, कुलाधिपति, समाज सेवी संगठनों के संरक्षक, वैज्ञानिक, व्यापारी, न्यायाधीश, गाँव के मुखिया, अभिनेता–अभिनेत्री, प्रबुद्ध कृषक एवं घर में नाना–नानी, बाबा–दादी सभी स्वयं अर्थोपार्जन करते हुए अथवा अर्थ का त्याग करते हुये अपने जीवन के अमूल्य अनुभवों एवं ज्ञान के सार तत्त्व को अपनी युवा पीढ़ी में हस्तांतरित करते हुए आनन्द का अनुभव करते ह।

इस प्रकार हम प्राचीन भारतीय संस्कृति (ग्राम्य संस्कृति) के अनुसार चलते हैं तो संसार के वृद्धजनों का आत्मसम्मान पुनः ला सकते हैं और उनके अमूल्य अनुभवों और ज्ञान के द्वारा पुनः भारत को खोयी हुई पहचान दे सकते हैं। भारत को पुनः आध्यात्मिक गुरु बना सकते हैं। अन्ततः यही कहना उचित है–

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोवलम्।।

अभिवादनशील होने से और वृद्धों की नित्य सेवा करने से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. संस्कृत हिन्दी कोश, वामन शिराम आप्टे, पृ. 736.
2. संस्कृत हिन्दी कोश, वामन शिराम आप्टे, पृ. 1348
3. संस्कृत हिन्दी कोश, वामन शिराम आप्टे, पृ. 972
4. संस्कृत हिन्दी कोश, वामन शिराम आप्टे, पृ. 394
5. रामायण, महर्षि वाल्मीकि, बालकाण्ड, चतुर्थ सर्ग, श्लोक–1.
6. राममय चित्रकूट, डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, अध्याय–2, पृ. 28–32.
7. राममय चित्रकूट, डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, अध्याय–2, पृ. 66.
8. वा.रा.उ.का., सर्ग श्लोक–13, पृ.1453.
9. अभि.शा.महा.कालि. अंक–4, श्लोक–6, पृ. 244.
10. अभि.शा.महा.कालि. अंक–4, श्लोक–9, पृ. 248.
11. अभि.शा.महा.कालि. अंक–4, श्लोक–18, पृ. 266.
12. स्वप्नवासवदत्तम्, महा. भास, अंक–1, श्लोक–6, पृ. 16.
13. स्वप्नवासवदत्तम्, महा. भास, अंक–1, श्लोक–8, पृ. 18

A conceptual analysis of Impact of Demonetization on macro economics of India

Mr. Gouri Shankar Sharma[1], Mr. Akhilesh Raikwar[2]

ABSTRACT

On 8th November, Government of India had taken important move against counter the black money in India and banned different high valued currencies. There is much favourism and criticism is still going on by different economic advisors and media experts. We should all understand that the impact of this move is long term in nature, in short term we seen there is slow down in economics and certain industries like construction, small and marginal companies etc hit drastically. Marginal labors and migrated labors affected most, large number of human resource wasted in long ques and baking sector feel the stress of work pressure. On other hand, there are certain positive long term impact of demonetization can be seen in futures. This paper will focus on long term impact of demonetization on Indian economy. The methodology that adopted for the study of paper is completely secondary in nature will based upon the expertise, past news papers, views of economic experts and research journal etc.

(Key Words:- Demonetization, economics, Government of India, Industry, Labor)

INTRODUCTION

Black money is most important term discussed and heard by Indian since after independence but there are few governments and judiciary taken any step to cope up with or try to take strict action to short out this problem in India. The present government came with full majority in parliament and with full confidence. So, they have taken strict action to unearth the earthed black money India, and the common people of India heard the word demonetization. Demonetization is like a treatment of cancer (chemotherapy). In chemotherapy cancer gets cured but it takes time and in short period also drastically negatively impact on health of a person, without the chemotherapy cancer can't be cure and person will die. Demonetization is like a

1. Assistant Professor, Noida Institute of Engineering and Technology, Greater Noida
2. Mr. Akhilesh Raikwar, Assistant Manager (CSR), Hira Group, Raipur, CG

chemotherapy treatment and black money is a cancer. Government has taken this step, knowingly the short term negative impact on Indian economic. Government has taken this strict action to cope up with back money. The parallel illegal economy or the back economy that destroyed or drastically pulled down growth of Indian economy and it is also cause of uneven economic growth in country.

HISTORY OF DEMONETIZATION

Demonetization is a new term for this generation but it is not new world and India. World and India both face demonetization prior of this so many time.

The details are shown below:

IN WORLD	IN INDIA
GHANA In 1982, Ghana had taken the step of digitization and demonetized fifty cedi currency notes in order to hawala process of money laundering and to encounter with corruption in country. This step is fallen negative and finally the move was taken back foreign currency & physical assets. **NIGERIA** Nigerian government implemented demonetization but the step was drastically failed due to the un planned move of government. Muhammadu Buhari led military government brought different colored notes in Nigerian economy in order to fight with black money. **MAYANMAR** The military led Mayanmar government implemented demonetization in 1987 to fight with black money, but the steps was negatively taken by the public and shortly people started protest this step and due to this so many people witnessed several killings. **SOVIET UNION** In 1991, under the governance of Mikhail Gorbachev demonetized the high value notes into 50s and 100s but the move went wrong and it costs Mikhail Gorbachev's position. **NORTH KOREA** In 2010 North Korea did demonetized their currency but the move went wrong and people starved and went to suffer for basics in nation.	This is not a first time India witnessed demonetization prior of this in 1946, 1966 and 1978. **IN 1946** In second world war UK led government shifted the burden of cost of second world war to its colonial countries. Honorable PM of UK started sucking money from India to feed the army in war. Introduced Rs.1000 bill. The expenses of people increased to hyper inflation. The government declared demonetization of above Rs. 1000 and given very short time to exchange. The notes were accounted only for three percent of Indian population, so it did not influence common people of India at that time. It was a more currency conversion move than encounter with black money. **IN 1978** In 1978 Janata Party led Morarji Desai withdraw high value notes of Rs. 1000 and Rs. 500, but the move was taken back by the government in the recommendation of Wanchoo Committee because the currency lost value. IN 1966 In 2016 so many under developing countries lost the purchasing power in US Dollars. In previous decade trade deficits had soared to all time high. Inflation moved to 7%. Government devalued Rs. 7.50 to Rs. 4. 75 per US Dollar. So many middle east countries accept at that time in Indian rupees. Sadly, Indian rupees lost the value.

ZIMBABWE Zimbabwe once had 100 trillion dollar note and it demonetized, then the exchanged in a mocking way dropped trillion dollars to 0.5 dollar.	

OBJECTIVE OF THE STUDY

1. To understand the concept of demonetization and macro economy.
2. How demonetization helps in counter with the black money in India.
3. To understand the co relation between demonetization and macro economy.

OVERVIEW OF INDIAN ECONOMY

As per the report of Central Statics Organization (CSO), India emerged as fastest growing economy of the world. As per the economic survey of IMF India will achieve 7%-8% in coming year (2016-17) and it will continue in coming years. The fundamentals of economy get accelerated after the formation of new government and their strong commitment. Demonetization was the one of the strong and strict decision taken b the government. The strong effect of economic grown started shown as result now a days. The GDP cost started increasing and reached to 7.3%. The significant growth can be seen in banking, insurance, construction, services, transport and communication. Indian economy will grow at the rate of 8% till 2020 in a report of Goldman Sachs report of 2015.

RESEARCH METHODOLOGY

The research paper is completely based upon the secondary data available in form of research paper, magazines, journals, news paper and TV. Demonetization had done in India and so many other countries earlier so the data gathered and arranged in tabular form. Expert view played very important role in this research. Interacted with so many scholars and economist and expert of economy. There are so many published materials by the government, banks and articles published and analysis available online and offline. News channels broadcasted TV shown on the topic, also taken into consideration.

CHALLENGES

The major challenges are faced in the formulation of this research paper are mentioned bellows:

1. Getting secondary data was an issue because demonetization was new for Indian.
2. The study required high level of understanding of Economic Policies and its understanding.
3. Most of the data gathered for this research was taken from public media, debate and discuss, so recording and analyzing was difficult.
4. Still the process of demonetization is taking place in India, so it will be so early to exact prediction of impact of demonetization.

5. Still government did not declared data related to black money and demonetization process so the exact detailing can be done after the data available.

LONG TERM IMPACT OF DEMONITIZATION ON INDIAN ECONOMY

1. **Demonetization and Parallel Economy:-** The parallel economy that was running since years, now it will shoot down by the demonetization i.e government exchanged old 500 & 1000 notes with new 500 & 200 notes, and very soon we will able to see that funding of unethical and antinational activity will come down. Those who indulge in hawala racket, money laundering, terror funding, naxal funding, smuggler all these kind of activity will come down at national level and it will be great benefited for nation.
2. **Demonetization and Physical Money Supply and Use:-** In long term we will see that government will circulate very low amount of physical money to promote electronic medium to counter the black money. So, near future we will see down turn the use of physical money supply and use.
3. **Demonetization and Demand:-** Most of the people they hold back or un accountable money use these money to purchase luxury and capital goods item like property, car, jewelry ect. Demonetization also impact the purchasing power of common people because most of their money in short term hold by the bank, also industrialists are not getting proper money supply to produce the goods, due to this factor very soon we see there will be down turn on the demand of consumer and capital goods in Indian market. It will also impact on the GDP of the nation in long period.
4. **Demonetization and Commodity Prices:-** Government has taken this initiation to counter the un countable money or black money and named as chemotherapy of Indian economy. Very soon we will see fall on prices of commodity because of most of the transaction will be done through electronic media or by cheque, government also did mandatory PAN card for above of 5000 thousand transaction and any one cant do more than 2 lack transaction in cash, earlier those people of companies was doing transaction in cash and don't pay tax will not able to do so, due to this prices of commodity will fall down in future.
5. **Demonetization and Agriculture:-** Agriculture is one of the sector which negetively influenced by the demonetization in short term, it happened due the 80% percent of Indian farmers are marginal and still use agriculture equipment and fertilizers in cash and also pay high prices over the printed price. In long term government motivate these farmers towards back and connect them electronic media of transaction then it will help them purchase fertilizers on printed prices and government also able to track the record of farmer and provide benefit directly to the farmers.

6. **Demonetization and Small Industries:-** Black money is not good for any country or any industry, those companies they do cash transaction will face tough situation but those who will change their way of doing business will save themselves. If the small firms follow the government rules and regulation it will help them get subsidized loan and benefits from government. The black money government will capture by the process of demonetization definitely this will help the small firms because government will shift this money by the baking channels to these small firms of nation in long term.
7. **Demonetization and Public Savings:-** Government has started scheme named Jan Dhan Yogna, under this scheme government opened so many bank accounts of those poor people who don't have access of baking services and do not have bank account. Earlier 65% of people were not using baking series, still the data is more than 50 percent. By the demonetization common people are facing problem in short term but in long term when these people will associate with banks, definitely they will get benefited and we see drastic improvement in public saving.
8. **Demonetization and Politics:-** Some of the area where back money is mostly use like construction and infrascture sector apart from these area politics is one of the major investment area of balk money. In election or any political activity we see the use of unaccountable money in India. Even political parties spend huge amount of money but show very few money as their expenditure, also these political parties are great source of converting balk money into white money. So the political funding will come down and we will see less expenditure in elections.
9. **Demonetization and Professional Service Providers:-** Most of the professional like doctors, lawyers, consultants and other professional they show unrealistic figure of their earning. While filling the ITR they hide maximum money and this money spend by them in unaccountable sources also invest them into black source of investments. In future we will see this kind of acidity will track by the income tax department. Very soon government will track these illegal sources of investment and will take strict action against them.
10. **Demonetization on GDP:-** In short period there is fall on GDP number but in long run when the impact of demonetization will went down and money again move into the economic cycle, then the economy of nation will soar up to new high level.
11. **Demonetization and Banking Activity in Nation:-** Due to demonetization process, very soon banking sector will see high growth in saving and these money will increase liquidity of banking sector. Banks will be use these

money in further investment and distribute to different sector, circulation of money will high. By this process economy and banks both will get benefited.

CONCLUTIONS

In recent ups and down of demonetization process, there are so many holes in implementation of demonetization this process but this change will definitely prove positive for the Indian economy in long run. Balk money will definitely wipe out form the economy; it will definitely boost the economy in long run. Short term down fall will see in real estate price. Common and poor people of nation will definitely get benefited. This demonetization process definitely strengthens the economy of nation.

REFERENCES

1. CA Lalit Mohan Agarwal(2012), edit. “White Paper on Black Money”, Journal of Securities Academy & faculty for e-education, vol.72.
2. Dr. Shanmugapriya. S & Veerakumar. K, (2014) “Determinants of Investment decision on Online Commodities” Acme International Journal of Multidisciplinary Research, Vol 2, Issue 9, September- 2014. P.No.39-45
3. Government of India (2016), “Committee on Digital Payments”, Ministry of Finance Henry,
4. http://www.forbesindia.com/blog/economy-policy/demonetisation-the-long-and-short-of it/
5. http://www.ndtv.com/topic/pradhan-mantri-garib-kalyan-yojana 8. https://www.thequint.com/india/2016/11/12/how-demonetisation-will-boost-cashless-economy-rs-500-100-2000-pm-narendra-modi-currency-bank-notes
6. http://www.quora.com/What-will-be-the-impact-of-demonetization-in-India-and-how-could-it-have-been-minimized
7. https://www.researchgate.net/publication/312128645_DEMONETIZATION_A_COMPARATIVE_STUDY_WITH_SPECIAL_REFERENCE_TO_INDIA [accessed Apr 9, 2017].
8. James S. (1980), "The Cash Connection: How to Make the Mob Miserable", The Washington Monthly. PricewaterhouseCoopers India (2015), “Disrupting cash: Accelerating electronic payments in India”
9. K. George, “Demonetization has hit India’s growth: IMF” WASHINGTON JANUARY 16, 2017
10. Rai, Suyash (2016), “A flawed policy: The real problem with demonetisation is not just in implementation”, scroll.in
11. *Research paper (PDF): " DEMONETIZATION -A COMPARATIVE STUDY " WITH SPECIAL REFERENCE TO INDIA*. Available from.
12. Rogoff, Kenneth S. (2016), The Curse of Cash, Princeton University Press
13. Sands, Peter (2016), " Making it Harder for the Bad Guys: The Case for Eliminating High 15. Denomination Notes", Harvard Kennedy School M-RCBG Associate Working Paper No. 52

14. Sen, Pronab (2016), "Demonetisation is a hollow move", Op-ed: Mint
15. Summers, Larry (Feb 16, 2016), "It's time to kill the $100 bill", Op-ed: Washington Post
16. Tax Research Team , Demonetisation: Impact on the Economy No. 182 14-Nov-2016 , National Institute of Public Finance and Policy ,New Delhi

''समाजवाद'' एक अवलोकन

डॉ. सुबोध कुमार[1]

समाजवादियों के अनुसार समाजवाद की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

1– समुदाय की प्रधानता। 2– मानवीय सहयोग।

3– समानता। 4– संपत्ति पर समुदाय का नियंत्रण।

5– सामाजिक वर्ग।

समुदाय क्या है?

समुदाय, समाजवादियों के अनुसार मानव मूलतः सामाजिक प्राणी है और वह अपनी सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का निदान समाज में ढूंढ सकता है। इसीलिए समाजवादी मानव को कामरेड भाई या बहन के समान मानवीय संबंधों से जोड़ते हैं।

समाजवादियों के अनुसार व्यक्ति को समाज से पृथक् किया ही नहीं जा सकता और अलग–अलग व्यक्ति की कल्पना ही निरर्थक है, क्योंकि व्यक्ति मूलतः सामाजिक है लेकिन मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्यक्ति का स्वार्थी, भौतिकवादी और आक्रामक व्यवहार वास्तविक तथ्य है। इसे कैसे असिद्ध किया जा सकता है? लेकिन समाजवादियों के अनुसार व्यक्ति की इन प्रवृत्तियों के निर्माण में समाज का योगदान है तथा पूंजीवादी व्यवस्था में एक ऐसा ही उपभोक्तावादी व्यक्ति का निर्माण हुआ है। इसीलिए उदारवादियों या व्यक्तिवादियों की भांति समाजवादी व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान करने के बजाय समुदाय को महत्व प्रदान करते हैं, रॉबर्ट ओवेन जैसे समाजवादियों ने ऐसे ही समुदाय के निर्माण का प्रयत्न किया।

1. सह. आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग, डी0ए0वी0पी0जी0 कालेज, गोरखपुर, उ0प्र0

मानव–सामाजिक होने के कारण ही सहयोग की उसकी प्रवृत्ति नैसर्गिक है। अतः मानव एक–दूसरे से प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग करना चाहता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शत्रु बन जाता है, जबकि सहयोग के द्वारा परस्पर बंधुता, देखभाल और प्रेम का निर्माण होता है। समाजवादियों की मान्यता के अनुसार मनुष्य का कार्य केवल भौतिक उद्देश्यों से नियंत्रित नहीं है, अपितु नैतिक उद्देश्यों से भी नियंत्रित होता है तथा व्यक्ति सामुदायिक भलाई और सहयोग करने वाला होता है। मार्क्स के शब्दों में ''उत्पादन हमेशा सामाजिक एवं सहयोगपूर्ण ढंग से होता है लेकिन लाभ समाज के केवल एक वर्ग का प्राप्त होता है तथा पूंजीवादी व्यवस्था में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा पर बल दिया जाता है।''

समाजवादियों का मूल आदर्श विषमता का उन्मूलन करना एवं एक समतामूलक समाज का निर्माण करना है। रूढ़िवादियों ने समाज में विशेषाधिकार एवं विषमता को स्वाभाविक माना। उदारवादियों ने केवल नैतिक समानता को मुख्य माना जबकि समाजवादियों के अनुसार समानता का मूल अभिप्राय आर्थिक समानता है और समाज में विषमता का मूल कारण लोगों की प्रतिभाओं और क्षमताओं में भिन्नता नहीं अपितु लोगों के साथ भेद–भावपूर्ण व्यवहार है। समाजवादी इस विषमता को समाप्त करने के लिए कभी–कभी राज्य के उन्मूलन का प्रयास करते हैं जिन्हें मार्क्सवादी कहा जाता है, जबकि कुछ समाजवादी इस विषमता को लोकतांत्रिक माध्यमों से दूर करने का प्रयत्न करते हैं।

समाजवादियों के अनुसार समाज में विषमता का मूल कारण निजी संपत्ति है। प्रथम, यह निजी संपत्ति अनुचित है, क्योंकि संपत्ति का उत्पादन पूरे समाज द्वारा होता है। द्वितीय, निजी संपत्ति उपभोक्तावाद को बढ़ावा देती है जो नैतिक रूप में अनुचित है। तृतीय, निजी संपत्ति के कारण ही समाज में संघर्ष एवं विभाजन पैदा होता है। इसीलिए एक ऐसे समाज में बंधुता एवं सहयोग नहीं हो सकता, जिसमें निजी संपत्ति पाई जाती है।

समाजवादी समाज के विश्लेषण ने आर्थिक तत्वों की प्रधानता देते हुए समाज का विभाजन वर्गों के आधार पर करते हैं, व्यक्तियों के आधार पर नही। मार्क्स ने तो समाज का यही वर्गीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए साम्यवादी या समतामूलक समाज के निर्माण का आदर्श रखा। समाजवाद के उपरोक्त आदर्शों को प्राप्त करने के माध्यम पृथक्–पृथक् हैं। कुछ समाजवाद की प्राप्ति लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते है, इन्हें विकासवादी समाजवादी कहा गया एवं इंग्लैण्ड में इन्हे फेबिया समाजवादी कहा गया। कुछ समाजवादी हिंसक एवं क्रांति के द्वारा समाजवाद प्राप्त करना चाहते हैं, इनमें मूलतः मार्क्सवादी एवं

श्रमसंघ समाजवादी हैं, जबकि कोल जैसे व्यक्ति समाजवाद की प्राप्ति के लिए गिल्ड का सहारा लेते हैं। इसलिए इन्हें गिल्ड समाजवादी कहा गया।

समाजवाद के प्रकार –

1– फेबियन समाजवाद –

फेबियन समाजवाद की मूल मान्यताएं –

1. फेबियन समाजवादी राज्यों के कार्यों में विस्तार के द्वारा समाजवाद की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं।
2. इनके अनुसार समाजवाद की प्राप्ति शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मार्ग से संभव है।
3. इनकी लोकतंत्र में गहरी आस्था है और समाजवाद क्रमिक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है।
4. फेबियन समाज के बुद्धिजीवियों के अनुसार समाज में परिवर्तन शैक्षिक एवं नैतिक रूप में किया जा सकता है।

आर्थिक पक्ष –

1. समाजवादियों का मूल उद्देश्य पूंजीवाद एवं एक समतामूलक समाज की प्राप्ति है। इनके अनुसार पूंजी एवं भूमि पर समूचे समाज एवं राज्य का नियंत्रण होना चाहिए।
2. यह रिकार्डों के लगान–सिद्धांत से प्रभावित है।
3. अतः इनके अनुसार समाज में मूल्य का श्रोत श्रम नहीं, अपितु संपूर्ण समाज है इसीलिए लगान और किराये पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए किसी व्यक्ति का नहीं।
4. फेबियन समाजवादी आर्थिक विषमता का उन्मूलन करने के लिए उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण करने के समर्थक हैं।

समाजवाद लाने के कार्यक्रम और नीतियां –

1. फेबियन समाजवादी समाजवाद की प्राप्ति के लिए सामाजिक विधायन का समर्थन करते हैं। अतः राज्य के द्वारा एवं राज्य की नौकरशाही के द्वारा सामाजिक कल्याण के विभिन्न उपाय किये जायेंगे।
2. सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं से संबंध रखने स उद्योग पर सार्वजनिक स्वामित्व होगा।
3. उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली संपत्तियों पर तथा भूमि एवं उद्योगों में लगी पूंजी पर प्रगतिशील करारोपण होगा।

मार्क्सवाद से तुलना –

1. फेबियन समाजवादी क्रमिक, शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक माध्यम से समाजवाद की प्राप्ति करना चाहते हैं जबकि मार्क्सवाद के अनुसार समाजवाद की प्राप्ति केवल वर्ग–संघर्ष द्वारा ही संभव है।
2. फेबियन समाजवादी राज्य के कार्यों में अधिक विस्तार के समर्थक हैं जबकि मार्क्स का उद्देश्य राज्य का उन्मूलन था।
3. मार्क्सवादियों ने समाजवाद का अंतिम उद्देश्य वर्ग–विहीन, राज्य–विहीन माना, जबकि फेबियन समाज के लिए समाजवाद का कोई अंतिम उद्देश्य नहीं, अपितु समाजवाद निरंतर प्रगतिशोल एवं विकासशील प्रक्रिया है।

विकासवादी समाजवाद –

फेबियन समाजवाद की सभी विशेषताएं सम्मिलित की जा सकती है, केवल मार्क्स के संशोधन के संदर्भ में। इसलिए इन्हें संशोधनवादी भी कहा गया।

यह समाजवाद मूलतः लोकतान्त्रिक समाजवाद या राज्य अबौद्धिकवाद में विश्वास करन के कारण ही भविष्य के समाज की एक काल्पनिक रूप रेखा भी प्रस्तुत की गई, जिसमें श्रमिक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे।

समाजवाद की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई का रूप –

1. धीरे–धीरे काम करना।
2. वस्तुओं पर (उत्पादों पर) नाम–पत्र या लेबल का प्रयोग।
3. तोड़–फोड़
4. लेकिन पूंजीवाद का सर्वनाश एक आम हड़ताल के द्वारा होगा।

श्रमसंघवादियों के भावी समाज की रूपरेखा –

1. श्रमसंघवादियों के अनुसार ट्रेड–यूनियनों का ही अर्थव्यवस्था एवं राज्य दोनों पर अधिकार होगा, क्योंकि ये राज्य–विहीन समाज का समर्थन करते हैं।
2. समूचे समाज का प्रबंध मजदूर सघों का ट्रेड यूनियनों द्वारा किया जायेगा।

गिल्ड समाजवाद

मूल आधार –

1. गिल्ड समाजवाद इंग्लैण्ड में पनपी हुई समाजवादी विचारधारा है जिसके अनुसार समकालीन उत्पादन की कारखाना प्रणाली के बजाय मध्यकालीन व्यवस्था मे प्रचलित गिल्ड प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है।
2. गिल्ड का आशय उत्पादन की इकाईयों से है, जिसमें केवल श्रमिक ही नहीं अपितु प्रबंधक एवं अन्य सभी कर्मचारी सम्मिलित होते हैं।

3. गिल्ड समाजवादियों के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत श्रमिक केवल श्रम करने वाला वस्तु को भांति क्रय–विक्रय किया जा रहा है जबकि समाजवादियों के अनसार श्रम, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न भाग है जिसको व्यक्ति से पृथक् नहीं किया जा सकता। इसीलिए इनका प्रसिद्ध नारा है – ***मजदूरी नहीं, अपितु वेतन चाहिए*** ।

गिल्ड समाजवादियों का आर्थिक पक्ष –

ये समाजवाद के आर्थिक पक्ष को प्राथमिकता प्रदान करते हैं और इनके अनुसार आर्थिक गतिविधियों को पूर्णतः गिल्ड के नेतृत्व में सौंपने की आवश्यकता है और गिल्ड, उत्पादक एवं उपभोक्ताओं दोनों के होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु उल्लेखनीय है कि आर्थिक गतिविधियों को राज्य को नहीं सौंपना चाहते। गिल्ड प्रणाली के उत्पादन में ही यह संभव होगा कि समाज से विषमता और अभाव का पूर्णतया उन्मूलन होगा। गिल्ड प्रणाली में श्रमिको को वेतन प्राप्त होगा, मजदूरी नहीं।

राजनीतिक पक्ष –

1. गिल्ड समाजवादी राज्य को समाप्त करने के पक्षधर नहीं है, अपितु राज्य की शक्तियों को न्यूनतम करने के समर्थक हैं। इनके अनुसार राज्य का मूल कार्य प्रशासन और सुरक्षा से संबंधित होगा।
2. गिल्ड समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुनसरचना की मांग करते हैं। इसीलिए इन्होंने प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व पर बल दिया, जिसके अनुसार प्रतिनिधित्व व्यक्ति का नहीं अपितु हित या व्यवधान का होता है।

आलोचना –

1. स्पेन्सर के शब्दों में समाजवाद का अभिप्राय व्यक्ति को समाज का दास बना देना है।
2. हेयक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "The Road Serfdom" के अंतर्गत यह मत व्यक्त किया है कि कल्याणकारी राज्य सर्वाधिकारवादी राज्य का दूसरा रूप है। अतः राज्य के बढ़ते कार्यों के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है।
3. समाजवादी विचारधारा में मानव–स्वभाव का एकांगी एवं आर्थिक चित्रण किया गया है, क्योंकि व्यक्ति सदैव अपने हित के लिए कार्य करता है, समाज या समुदाय के लिए नहीं।
4. वस्तुतः राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पूर्ण नियन्त्रण एवं निर्देशन अक्षम एवं अकुशल होता है। इसीलिए आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण एवं निर्देशन निजी क्षेत्रों के द्वारा प्रभावी रूप में किया जा सकता है।

संदर्भ –

1. पंत, गुप्ता, जैन, ''राजनीति विज्ञान के आधार'', सेन्ट्रल पब्लिशिंग हाउस इलाहाबाद, 1999, पेज 587.
2. ए0डी0आर्शीवादम्, ''राजनीति विज्ञान'' एस चन्द्र' नई दिल्ली, पेज 778.
3. ओ0पी0 गाबा, ''राजनीतिक–चिन्तन की रूपरेखा'', मयूर पेपर वैक्स, नोएडा 2005, पेज 216.
4. बी0एल0फाड़िया, ''अवधारणाएं एवं विचारधाराएं, '' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2012, पेज 79.

बी.एड. एवं डी.एड़. प्रशिक्षणांर्थियों की शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

(जिला ग्वालियर के सन्दर्भ में)

डॉ. दीपक शुक्ला[1]

प्रस्तावना (Introduction)– किसी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है आर एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में इस शिक्षा प्रक्रिया क ठीक प्रकार स संचालन हेतु एक शिक्षा नीति व शैक्षिक प्रशासन वहुत ही आवश्यक होता है। जब तक शिक्षक राष्ट्र के शैक्षिक प्रशासन को भली प्रकार समझकर उसके अनुरूप अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वाह नहीं करेंगे तब तक कोई भी शैक्षिक नीति धरी की धरी रह जायेगी। यह योजना ठीक प्रकार से शिक्षकों तक पहुंचाने का सर्वोत्तम समय है– उनका प्रशिक्षण काल अर्थात बी. एड. या डी. एड. पाठ्यक्रम। अर्थात शिक्षक बनने की प्रक्रिया के प्रथम चरण (बी. एड. या डी. एड. कार्यक्रम) में शिक्षका को शैक्षिक नीति, शैक्षिक प्रशासन व उनके क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका का ज्ञान उचित प्रकार से करा दिया जायेगा तो वह ठीक प्रकार से अपने कर्तव्य में अपनी भूमिका का निर्वाह कर शासन की योजना में सकारात्मक सहयोग प्रदान कर पायेंगे।

भारत का शैक्षिक प्रशासन 1919 के अधिनियम के पूर्व पूर्णतः केन्द्रीकृत था। परन्तु धीरे–धीरे इसका विकेन्द्रीकरण हुआ, इसे समवर्ती सूची में रखा गया। वर्तमान काल में राज्य में शिक्षा की व्यवस्था राज्य के शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में की जाती है जिसके अधीन अनेक उपनिदेशक एवं सहायक होते हैं। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री राज्यों के शैक्षिक प्रशासन पर परोक्ष रूप से नियत्रण रखता है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, भारतीय प्रावधिक शिक्षा परिषद् तथा अन्य समानांतर निकायों का अध्यक्ष होने क नाते वह राज्य प्रतिनिधियों, शिक्षा मंत्रियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकरूपता की स्थापना के लिए प्रभावित करता है।

---

1. प्राचार्य, श्री वासुदेव वेसिक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उम्मेदगढ़ वांसी, जिला मुरैना (म0प्र0)

According to national society for the study of education (NSSE)-
"Education administration is a social statemenship which guides educational activities, plans, programmes and facilities and provides leadership in a long term but broaded social perspectives"

उपरोक्त कारणों से ही शाधार्थी ने " बी.एड. एवं डी. एड. प्रशिक्षार्थियों की शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति के तुलनात्मक अध्ययन को" अपने अध्ययन विषय के रूप में चुना है। ,

अभिवृत्ति–(**Attitude**) अभिवृत्ति का शब्दिक अर्थ है– मनः स्थिति या रूख। अर्थात् यह एक मनोवेज्ञानिक कारक है। अभिवृत्ति मनुष्य की वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तु का मनोवैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है और इसी के आधार पर व्यक्ति वस्तुओं या व्यक्तियों का मूल्यांकन करता है। कुछ पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति को मनुष्य की वह अवस्था माना ह जिसके द्वारा मानसिक तथा नाड़ी व्यापार सम्बन्धी अनुभवों का ज्ञान होता है। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक 'ऑलपोर्ट' महोदय हैं।

अभिवृत्ति का जन्म प्रायः चार साधनों स होता ह–
(1) समन्वय द्वारा (2) आघात द्वारा (3) भेद द्वारा (4) स्वीकरण द्वारा। अभिवृत्ति के निर्माण में माता–पिता, शिक्षा प्रणाली, संवेगात्मक परिस्थितियों तथा सूच्यता का विशेष हाथ होता है। अभिवृत्ति परिस्थितियों पर निर्भर करती है इसलिए कहा गया है कि–

भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख ना लगे तो खाना–विकृति है।
स्वयं भूखे रहकर दूसरों का खिलाना, भारतीय संस्कृति है।।

क्रेच, कृचफील्ड एवं वैलेची (1982) के अनुसार–

" किसी एक वस्तु के सम्बन्ध में तीन संघटकों का स्थायी तंत्र अभिवृति कहलाता है– संज्ञानात्मक संघटक अर्थात् वस्तु के बारे में विश्वास, भावनात्मक संघटक अर्थात वस्तु से संबंधित भाव, तथा व्यवहारात्मक क्रियात्मक संघटक अर्थात उस वस्तु के प्रतिकिया करने की तत्परता। "

शोध के उद्देश्य–(**Objectives**)– शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध हेतु निम्न उद्देश्यों का निर्धारण किया गया।

(1) भावी अध्यापकों में शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
(2) बी.एड. एवं डी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
(3) महिला एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थियों में शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(4) शिक्षा के बढ़ते स्तर के साथ शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति की बदलती स्थिति का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ (**Hypothesis**)—चूँकि प्रत्येक शोध का आधार परिकल्पनाएँ होती हैं अतः प्रस्तुत शोध हेतु शोधार्थी द्वारा निम्न परिकल्पनाओं का चयन किया गया है—

(1) बी.एड. एवं डी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति में कोइ सार्थक अंतर नहीं होता है।

(2) महिला एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थियों में शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोधविधि—(Methodology)— प्रस्तावित शोधकार्य एक सर्वेक्षण शोधकार्य है, तथ्यों के स्पष्टीकरण हेतु पुस्तको, पत्रिकाओं, शोधपत्रों आदि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श (**Sample**)—न्यादर्श में ग्वालियर जिले के अशासकीय शिक्षा महाविद्यालय के 50 बी.एड. व 50 डी.एड. प्रशिक्षणार्थियों का चयन यादृच्छिकी विधि से निम्न प्रकार किया गया है।

न्यादर्श—तालिका

100 प्रशिक्षणार्थी			
50 बी.एड.		50 डी.एड.	
महिला—25	पुरुष—25	महिला—25	पुरुष—25

उपकरण—(**Tools**) उक्त शोध में शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति का स्तर ज्ञात करने हेतु शोधार्थी द्वारा डॉ. टी.आर. शर्मा द्वारा निर्मित प्रमाणीकृत परीक्षण—

"A Scale for measuring attitudes towards educational administration" (ATEA) का उपयोग किया गया है।

समंको का संकलन (**Collection of data**)— उपरोक्त परीक्षणों को शोधकर्ता द्वारा स्वयं अपनी उपस्थिति में न्यादर्श को दिया गया। शोधकर्ता द्वारा स्वयं समस्त निर्देशों को पढ़ा गया तथा स्वतंत्र भाव से शांत वातावरण में पत्रकों को पूर्ण कराकर स्वयं उन्हें संकलित किया गया। संकलन उपरांत शोधकर्ता द्वारा पत्रकों का फलांकन किया गया और फिर प्राप्त आकडों का ब्यवस्थापन व सारणीयन कर व्याख्या व विश्लेषण हेतु मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व सी. आर. मान का प्रयोग किया गया।

निष्कर्ष (**Results**) शोधार्थी ने अपने शोधकार्य के माध्यम से चयनित परिकल्पनाओं की जांच की और इस जांच के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए—

(1) **प्रथम परिकल्पना** बी.एड. एवं डी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

98 डी.एफ. (स्वतंत्रता की कोटि) पर सी.आर. का मान 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.98 तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.63 होना चाहिए जवकि गणना से प्राप्त सी.आर. का मान 1.35 है जो दोनों सार्थकता स्तरों के मान से कम है अर्थात नगण्य है। अतः परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है अर्थात् बी.एड. एवं डी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं होता है।

मध्यमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में डी.एड. प्रशिक्षणर्थियों की तुलना में शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति अधिक पाई जाती है।

(2) **द्वितीय परिकल्पना**– महिला एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थियों में शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

98 डी.एफ. (स्वतंत्रता की कोटि) पर सी.आर. का नाम 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.98 तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.63 होना चाहिए जबकि गणना से प्राप्त सी.आर. का मान 1.78 है जो दोनो सार्थकता स्तरों के मानों से कम है अर्थात महिला एवं पुरूष प्रशिक्षार्थियों में शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि पुरुष प्रशिक्षणर्थियों में महिला प्रशिक्षणार्थियों की तुलना में शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृति तुलनात्मक रूप से अधिक पाई जाती है।

भावी शोध हतु सुझाव (Suggestions)– उपरोक्त शोध के आधार पर शोधार्थी भावी शोधकार्य हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत करता है।

(1) राज्य वार शैक्षिक पशासन के प्रति अभिवृत्ति का आंकलन करना।
(2) शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति के गिरते स्तर के कारणों को ज्ञात करना।
(3) विद्यालय के वातावरण का अभिवृत्ति से तुलनात्मक सम्वन्ध स्थापित करना।
(4) ग्रामीण व शहरी शिक्षकों में शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।
(5) शासकीय एवं अशासकीय शिक्षकों में शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
(6) शैक्षिक प्रशासन के प्रति अभिवृत्ति में वृद्धि हेतु सुझाव देना, इत्यादि।

संदर्भ ग्रंथ सूची–(Bibiliography)–

(1) पाण्डेय, रामशकल, शिक्षा मनोविज्ञान, आर.लाल बुक डिपो, मेरठ।
(2) वर्मा,डॉ. प्रीति,मनोविज्ञान एवं शिक्षा में सांख्यिकी, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
(3) राय पारसनाथ, अनुसंधान एक परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा।

(4) शर्मा, आर,ए. शिक्षक अधिगम के नवीन परिवर्तन,मेरठ इन्टरनेशनल पब्लिशिंग।
(5) कपिल एच.के. अनुसंधान विधियाँ, भार्गव प्रकाशन आगरा।
(6) भार्गव, महेशचन्द्र, आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एव मापन, भार्गव प्रकाशन, आगरा।
(7) पाण्डेय, आर.एस. शिक्षा के मूल्य सिद्धांत, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
(8) भारतीय आधुनिक शिक्षा (2011), एन.सी.ई.आर.टी. प्रकाशन।

R.K.Narayan's Select Novels: A Study in Gandhiji's 'Religious Thought'

Dr. Siddhartha Sharma[1]

ABSTRACT

Gandhiji's religious thoughts and beliefs influenced R.K.Narayan's thoughts in his Novels and how they both mingled together has been a matter of research. He followed Indian traditions and also strengthened them with modern spirit. R.K.Narayan's name is like a fresh shower of rain in the mind of the readers especially Indian Novels. R.K.Narayan seems to reflect the Gandhian religious view in his novels to a large extent. For the purpose of research, the following novels of R.K.Narayan — 'The Guide', 'A Tiger for Malgudi', 'The Financial Expert', 'Waiting for the Mahatma', 'The Darkroom', 'The ManEater of Malgudi'. The points on which the discussion will veer round shall be the religious thoughts of Gandhiji, and same can be divided into the following components: 1.Indomitable faith in the divine 2. Belief in the supernatural 3. Truth and nonviolence 4.Immorality as a menace to religion 5. Love for all life.

KEYWORDS: Indian tradition, Religion, Politics, Super Natural, Non-violence.

R.K.Narayan's name is like a fresh shower in the mind of the readers specially Indian Novels. R.K.Narayan seems to reflect the Gandhian religious view in his Novels to a large extent. To serve my purpose I have selected the following Novels of R.K.Narayn-*'The Guide', 'A Tiger for Malgudi', 'The Financial Expert'* , '*Waiting for the Mahatma', 'The Darkroom', 'The Man-Eater of Malgudi'.*

Our "Father of Nation" Mahatma Gandhi, popularly known as 'Bapu' enlightened us with his philosophic as well as religious thoughts. If we make a list of Indian novelists writing in English probably R.K. Narayan would be one of our best choices in that first list.

1. Associate Professor of English, MGCGV, Chitrakoot, Satna(MP)

Narayan had great faith in the divine, Narayan's novels seem to share an equal faith in the divine. In the words of Gandhiji ''I can live without water and air but cannot live without him, if you pluck my eyes I will not die but if you blast my belief in God then I shall die.'' In Narayan's novel *The Darkroom*Savitri declares, "I have always performed my daily pooja without fail". In *The Man-Eater of Malgudi* thousands of Malgudians on a certain festival sing devotional songs, pray and place their offerings to the images of Radha and Krishna in the temple of Lord Krishna.

In *The Dark Room* Savitri bears the name of Satyavan's wife from the Savitri-Satyavan myth. Sriram in *Waiting for the Mahatma* is the name by which Lord Rama is respectfully addressed in the Ramayana. Even Jagadish, an extremist in Waiting for the Mahatma bears name of one of the God.

Narayan had great belief in the supernatural. R.K. Narayan's novels seem to share this belief. The marriages in his novels cannot take place unless the horoscopes of the prospective bride and groom get matched. In *The Financial Expert* when Balu's horoscope does not match the horoscope of the daughter of a very rich planter, Margayya, Balu's father, out of selfish gains, asks Dr. Pal to find a different astrologer to rearrange "the stars of Balu to suit the circumstances".Further, in *The English Teacher*, Susila's illness leads her mother to believe that Susila is possessed by an evil spirit. And she brings in a Swamiji to cure Susila through mantras, whereas, Susila's illness is diagnosed as typhoid by the doctor. But, faith in the supernatural often borders on the belief in a superstition. Mr. Sampath: The printer of Malgudi presents a similar example. After his anger in the studio of sunrise pictures, Ravi becomes quiet and reserved, his mother is led to believe that Ravi is possessed by a ghost and can only be brought back to his normal self through exercising.

Furthermore, in *A Tiger for Malgudi* the belief of the villagers in the supernatural creates a lot of humour. As the number of animals decrease with the passing of each day, they think that they are being devoured by some devil. So, they prepare to "perform propitiatory ceremonies in their villages" whereas the animals are killed by the tiger. Narayan's novels are mainly concerned with Indian way of life. As Chetan Karnani aptly remarks: "Narayan's themes are usually built round Indian beliefs and superstitions."

The Vendor of Sweets, The Guide, The truth, and *Waiting for the Mahatma* advocates the Gandhian doctrine of truth and non-violence. The character of Gandhi in *Waiting for the Mahatma* while speaking a large gathering on the sands of Sarayu in Malgudi advocates "the practice of absolute truth and non-violence".

But the Gandhian doctrine of non-violence seems to find an elaborate treatment in Narayan's novels. Even as an advocate of non-violence Gandhiji himself admits that violence is an inborn instinct in human beings. Moreover, the Gandhian movements like satyagraha, Civil Disobedience, Non-Cooperation, Dandi March and Quit India, referred frequently to Narayan's novels, are based on the

doctrine of non-violence. P.S. Sundaram observes: “Violence in any form, Narayan feels, is evil, a thing to be avoided.”

Immorality is a menace to religion, and it is to be argued that often the western and the Indian ways of life interact, influencing many lives. The spread of western ways and their alluring effect on Indians posed a threat to Indian religion. Gandhiji notes: “The tendency of the Indian civilization is to elevate the moral being that of the western civilization is to propagate immorality. The latter is godless; the former is based on a belief in god.”

*The Bachelor of Art s*nonetheless, contrasts the western mode of living with that of Indian in moral terms, demonstrating the shortcomings of traditionally orthodox Indian society. In *The Guide* Rosie’s educational qualification as M.A., her derivation from family tradition as temple dancer to perform public shows, even her western name, altogether seems to make way for her moral degradation. Similarly, Raju’s rejection of traditional jibba and the lace-edged dhoti for dashing bush-shirts, corduroys, hair- and face-lotions and perfumes of all kinds in order to impress Rosie, paves a way for his moral degeneration. In the same vein, Mali, influenced by the western ways in ‘*The Vendor of Sweets’*, takes to beef-eating, lives immoral life with grace and later gets arrested by the police on the charge of keeping half a bottle of wine in his car.

As for the love for all life, it is useful to learn that Gandhiji himself was an apostle of love. The Gandhian love has ancomprehensive nature. Narayan’s novels seem to express this all-embracing nature of love. They also record love for animals. In ‘*Swami and Friends’* Swaminathan’s love for ant is revealed the way he is anxious to save the ant’s life. And when he fails to save the ant, Swaminathan utters “a prayer for the soul of the ant”. Also, the Swamiji, the master of the tiger in ‘*A Tiger for Malgudi’* retorts the school teacher for using the word ‘brute’ for the tiger. Moreover, the Swamiji enlightens people by telling them that the tiger “has only the appearance of a tiger, but he is not one-inside he is no different from you and me”.

Narayan’s novels reverberate Gandhiji’s love for children. The headmaster in The English Teacher loves his school children very much. When he watches them he gets “a glimpse of some purpose in existence and creation”. *Waiting for the Mahatma* presents vivid example of the Gandhian love for children. The fictional Gandhi distributes the garlands and fruits presented to him, among children. He is “very keen that children should be free and happy.” Moreover, he makes a dirty untouchable boy sit beside him on the divan and then smooths out the boy’s matted hair with his fingrs. And Bharati’s love for children is evidenced in the refugee camp in New Delhi where she is found nursing the refugee children dutifully. Thus, Narayan’s novels share Gandhian love for animals and children.

Narayan’s novels demonstratesGandhian faith in God through various ways –religious discourses, prayers, pilgrimages, references to scriptures and the

characters figuring in them, preponderance of the temples of various deities, the scriptural echo in the naming of the major characters.

Narayan's novels demonstrates Gandhian faith in God through various ways- prayers, pilgrimages, religious discourses, references to scriptures and the characters figuring in them, preponderance of the temples of various deities, the scriptural echo in the naming of the major characters.

REFERENCES

1. Batra, Shakti. "Impact of Gandhi on Indian Writing", Indian Literature. XVII, NO. 3 (1974), pp. 38-51.
2. Gowda, H.H. Anniah. "Literary Criticism: R.K. Narayan", The Literary Half-Yearly. VI, No. 2 (July 1965), pp. 25-39.
3. Mann, Charles W. "Narayan, R.K. Gods, Demons and Others", Library Journal. 89, No. 19 (November 1, 1964), p. 4359.
4. Walsh William. R.K. Narayan: A Critical Appreciation. New Delhi: Allied Publishers Pvt. Ltd., 1983.
5. Parekh, Bhikhu. Gandhi: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press Inc., 2001.
6. Shah, Gunvant. Gandhi for the New Generation. 1982; rpt. Ahmedbad: Navajivan Publishing House, 1996.

मानवाधिकार और सूचना का अधिकार

डॉ0 शशिकान्त मणि त्रिपाठी[1]

मानवाधिकार बीसवो शताब्दी का सम्भवतः सर्वाधिक प्रसरित विचार रहा है जिसने मनुष्य की गरिमा और आस्मिता के उच्चतम प्रतिमानों की प्रतिस्थापना में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानवाधिकारों के संरक्षण और सम्वर्द्धन का जो आन्दोलन आज राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर देखा जा रहा ह उससे प्रथम दृष्टया यही आभास हा रहा है कि इसका विकास हाल के वर्षो में हुआ है जबकि ऐसा नही है। विश्व के प्रायः सभी प्राचीन आख्यानों या मिथकों में ऐसे प्रसंगो का उल्लेख देखा जा सकता है जो मानव को गरिमा की महत्ता के आगे निरंकुश सत्ता का विधि नियन्त्रित होते प्रदर्शित करते है। सभी आख्यानों या मिथको में शाश्वत रूप से दो पक्ष होते है– अच्छाई और बुराई। 'अच्छाई' सामान्य अर्थो में मानवाधिकार का पक्ष है।

मानवाधिकार एक दर्शन या विचारधारा के रूप में कालबद्व नहीं है अपितु विभिन्न परिस्थितिया, अपेक्षाओं एवं मागा के रूप में इसकी अभिव्यक्ति होती रही है। वेद वाक्य हो अथवा उपनिषद्, स्मृतिया हा अथवा महाकाव्य मानव के लिए निश्चित नैतिक अधिकारों को सदैव ही मान्यता मिली है।[1] वास्तव में अधिकार मानव के व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक, मानसिक और नैतिक विकास की आवश्यक शर्त है अधिकार न केवल व्यक्ति तथा उसके व्यक्तित्व के विकास की एक आवश्यकता है वल्कि समाज के विकास के लिए भी जरूरी है। यद्यपि समय परिवर्तन के साथ ही अधिकारों के प्रति धारणाए परिवर्तन हाती रहती है एवं होती रहेगी। देशकाल एवं संस्कृति के कृत्रिम विभेदों से परे मानव के अस्तित्व की अस्मिता से समीकृत ऐसे अधिकार जो उसे विकास एवं उत्थान के समुचित अवसर उपलब्ध करा सके, मानवाधिकार की श्रेणी में रखे जाते हैं।

---

1. प्राचार्य, प्यारी देवी राजित स्नातकोत्तर महाविद्यालय तिलौरा, सहजनवां , गोरखपुर

मानव के अधिकारों का जन्म मूलतः धर्म, मानवीय, अनुभवों, पर्यवेक्षण आदि के सम्मिलन से हुआ है। समय के साथ–साथ, धीरे–धीरे उपरोक्त अधिकारों व वाध्यताओं ने शासक व शासित के बीच एक सम्बन्ध कायम किया जो विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न शासन पद्धतियों के रूप में सामने आया, जैसे ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था में, यूरोप के रोमन कानून में यह व्यवस्था प्राकृतिक कानूनों की अभिव्यक्तिया थी जो बाद में विभिन्न जन आन्दोलन तथा संवधानिक लोकतंत्र की नीव बनी। इंग्लैण्ड में मैग्नाकाटा, अमेरिका की स्वतंत्र की उद्घोषणा, रूस में बोलशेविक क्रान्ति मानवाधिकार के अवधारणा के विकास के कुछ प्रमुख विन्दु है यद्यपि यह सभी अपने–अपने समय की क्रान्तिकारी उद्घोषणाए भी थी लेकिन इनके कार्यकरण के क्षेत्र में संकीर्णता भी थी जैसे ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था में अधिकार केवल ग्रीक नागरिको को ही प्राप्त थे गुलामों और दासों को नागरिक ही नहीं समझा जाता था। मैग्नाकार्टा के सम्बोधन का क्षेत्र तत्कालीन लार्डस को किया गया है न कि इंग्लैण्ड की आम जनता को। अमेंरिकी 'विल ऑफ राइटस' सभी मानव अधिकारों की गारंटी देता था। लेकिन व्यवहार में सिर्फ वह श्वेत और प्रोटेस्टेंट व्यक्तियों के लिए ही था।[2]

समकालीन विश्व में मानवाधिकारों के प्रति जो सजगता बढो है उससे हम अपनी सभ्यता की महान उपलब्धि मान सकते है वर्तमान समय में हम जिन अधिकारों का गर्व से जिक्र करते है उनमें से एक सूचना की स्वतन्त्रता का अधिकार भी शामिल है इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि वर्तमान युग लोकतान्त्रिक युग है और एक लोकतंत्र कभी भी सफल लोकतंत्र नहीं बन सकता यदि उसक शासन में जनता की भागीदारी न हो। सूचना के अधिकार से प्रतिनिधि लोकतंत्र का स्वरूप भागीदारी लोकतंत्र में परिवर्तन हो जाता है यदि नागरिकों को अच्छे ढंग से सूचना प्राप्त होती है तो वे बेहतर ढंग से चुनाव कर सकते है वे इस बात की भी जानकारी रख सकते है कि किस प्रकार सरकारे, निजी निगम और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन काम कर रहे है। आज उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में यह अधिकार और महत्वपूर्ण हो गया है कि लोगो को उन मुद्दों के बारे में सूचित किया जाय जो उन्हे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहते है सूचना की उपलब्धता पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार को मूलभूत मानवाधिकार दस्तावेजो अर्थात मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में अहस्तान्तारणीय मौलिक मानवाधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त हुई। संयुक्तराष्ट्र संघ ने सूचना के अधिकार को वर्ष **1946** मे ही अपनी मान्यता दे दी थी जब उनकी महासभा ने यह संकल्प पारित

किया था कि ''सूचना की स्वतन्त्रता मौलिक मानव अधिकार है और यह सभी स्वतंत्रताओं की कसौटी है, जिसके लिए संयुक्तराष्ट्र संघ समर्पित है'' ।[3] संयुक्तराष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा **1948** के अनु0– **19** में आजादी की अभिव्यक्ति तथा सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को शान्ति तथा समृद्धि के लक्ष्य के लिए एक मानव अधिकार के रूप में सम्मिलित किया था। अनु0–19 के अनुसार ''प्रत्येक व्यक्ति को अपने अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त है और इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के अपना मत रखने और किसी भी साधन से और किसी भी सीमा तक सूचना एवं विचारों का पता लगाने, प्राप्त करने तथा उसे प्रकाशित करने की स्वतंत्रता शामिल है।[4] इसी अनु0 के पैरा 2 में उपबन्धित अधिकारों के प्रयोग के साथ विशेष कर्तव्य एव दायित्व भी बताये गये है। अनु0–19 (2) के अनुसार प्रत्येक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इस अधिकार में चाह मौखिक अथवा लिखित या प्रकाशित कला के रूप में अथवा अपनी पसन्द के किसी अन्य माध्यम से किसी भी सीमा तक सभी प्रकार की सूचना तथा विचारों का पता लगाना, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतन्त्रता भी शामिल होगी।[5]

स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसका वर्णन नहीं किया और न ही अंग्रेजो का बनाया हुआ शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 में संशोधन किया। आने वाली सरकारें गोपनीयता अधिनियम 1923 के धारा 5 व 6 के प्रावधानों का लाभ उठा कर जनता से सूचनाओं को छुपाती रही हमारे देश मे सत्ता और जनता के बीच ऐसे रिश्तों की परम्परा रही है। राजतंत्र में राजा के पास निरंकुश सत्ता थी उसके निर्णय को चुनाती नहीं दी जा सकती थी। उपनिवेश में विदेशी शासक भी इसी नीति पर चले। उन्होने सूचना को अपनी ताकत बनाया जनता को इससे दूर रखा। सरकारी मशीनरी के सचेत ढंग से गोपनीयता की संस्कृति विकसित कर ली।[6] भारत में सूचना का अधिकार प्राप्त करना एक कठिन कार्य था लेकिन इसे पूर्ण करने में समाज के विभिन्न वर्गो तथा संगठनो ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया प्रथम– भारतीय संविधान एवम् न्यायिक निर्णय, द्वितीय– व्यक्तियों या संगठनों का योगदान। सबसे पहले सूचना के अधिकार के प्रति कुछ सजगता 1975 के शुरूआत में उ0प्र0 सरकार बनाम राजनरायन से हुई, न्यायालय ने अपने निर्णय में नागरिकों को भारतीय संविधान के अनु0–19 (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढाकर सूचना के अधिकार में शामिल कर लिया।

रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है प्रत्येक प्रजातांत्रिक सरकार इस स्वतंत्रता को बडा महत्व देती है इसके बिना

जनता को तार्किक एवं आलोचनात्मक शक्ति को जो प्रजातांत्रिक सरकार के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है विकसित करना सम्भव नही है। स्वतंत्रता समस्त लोकतान्त्रिक संगठनों का मूलाधार है क्योकि राजनीतिक चर्चा के अभाव में किसी भी प्रकार की लोक जानकारी जो कि लोकप्रिय सरकार के सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिआवश्यक हैं, सम्भव नहीं है। ऐसे अधिक स्वतंत्रता के दुरूपयोग होने का खतरा रहता है।[7] भारत में सूचना के अधिकार के लिए सबसे पहले लडाई राजस्थान राज्य के किसानों द्वार चलाई गयी। अरूणा राय एवं निखिल डे के नेतृत्व में मजदूर किसान भाक्ति संगठन (एम0के0एस0एस0) का आन्दोलन भारत में सूचना के अधिकार का पथम सोपान था दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अन्ना हजारे ने गांधीवादी तरीके से आन्दोलन चलाकर पारदर्शिता के पक्ष में माहौल तैयार किया।

भारत में सूचना के अधिकार को और पारदर्शी बनाने की शुरूआत पर्यावरण आन्दोलन के रूप में हुई। 1984 में भोपाल गैस काण्ड ने पूरे देश में पर्यावरण आन्दोलन कारियों को सकते मे डाल दिया, यह सर्वविदित तथ्य है कि इस हादसे में हजारो लोगा की मौत हुई थी। विकलांगता और नाना प्रकार की बोमारियों से भोपाल का वह इलाका अभी भी मुक्त नहीं हुआ है त्रासदी के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि यूनियन कार्बाइड संयत्र के आस–पास के बस्तियों में यदि कुछ जरूरी जानकारियां पहुचा दी गयो होती तो सैकड़ो लोगो की जाने बचायी जा सकती थी 'चेहरे' को गीले रूमाल से ढकने से मौत नहीं होगी और जहरीली गैस का असर कम हो सकता है जैसे सामान्य जानकारी भी लोगो को नहीं दी गयी थी। यही नही कुछ 'एन्टीडाट' दवाओं के बारे में कम्पनी ने जानबूझकर सूचनाए छिपाने का काम किया था।[8]

कन्द्र सरकार ने 1997 में एच0 डी0 शौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके मई 1997 में सूचना की स्वतंत्रता का प्रारूप प्रस्तुत किया लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया हालांकि इससे पहले 'तमिलनाडु राज्य में 17 अप्रैल 1996 को सूचना का अधिकार अधिनियम को बनाया। इस क्षेत्र में प्रथम राज्य होने का गौरव प्राप्त किया'।[9] वर्ष 2002 में संसद के दोनो सदनों द्वारा सूचना की स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया इसे 10 जनवरी 2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी लेकिन यह प्रभावी नहीं हुआ तत्पश्चात 12 मइ 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 को भी निरस्त कर दिया गया।[10]

सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देती है कि

1– सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकें या कोई भी सूचना ले सकें।
2– किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ले सकें।
3– किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सकें।
4– किसी भी सरकारी काम की जांच कर रख सकें।
5– किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामग्री का प्रमाणित नमूना ले सकें।

इस प्रकार सूचना का अधिकार प्राप्त होने से सार्वजनिक मामलों में लोगो की भागोदारी आसान हो गयी है। इस अधिकार से सरकार की जवाबदेही में वृद्धि हो गयी है। निर्णय करने की क्षमता में सुधार आया है। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियो को बेहतर सुचनाए प्राप्त होती है। सरकार की अपने नागरिकों के साथ विश्वसनियता बढ जाती है यह अधिकार ऐसा शसक्त अधिकार है जिससे भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष में अत्यधिक समर्थन प्राप्त होता है। सूचना का अधिकार आम व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो या अशिक्षित उसे जानने का अधिकार है कि क्या सरकार अपने दायित्वों को पूरा कर रही है या नही। सरकार की नीतिया लोगो के अनुकूल है या नहीं। अतः सूचना को नागरिकों को अनुचित ढंग से दूर नहीं रखा जा सकता । प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि सरकार किस प्रकार करो के द्वारा प्राप्त धन का व्यय कर रही है। इस अधिकार से लोक प्राधिकारियों द्वारा नीति एवं प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और अनावश्यक गोपनीयता समाप्त हा जाती है इससे व्यक्ति और समूह सरकार के निर्णय के उस प्रक्रिया के बारे में सूचना प्राप्त करते रहते है और जो उन्हे प्रमाणित करती है और वे उन मापदण्डों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है जिन्हे सरकारी अभिकरणों द्वारा सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता है यह सब जनता की क्षमता पर निर्भर करता है।

अतः गैर सरकारी संगठनों के साथ–साथ मोडिया द्वारा जनता में इस अधिकार को आधिकाधिक प्रचार–प्रसार किया जाय क्योंकि यदि सूचना के अधिकार का सजग ढग से सदुपयोग किया गया तो निश्चित ही जनशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा इससे देश की व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव होगा साथ ही साथ यह भारतीय लोकतंत्र के विकास में मोल का पत्थर साबित होगा।

सन्दर्भ

1– कृष्णमोहन माथूर, स्वांत्रयोत्तर भारत में मानवाधिकार, नई दिल्ली ज्ञान पब्लिकेशन हाउस 2000 पृष्ट–48
2– मानवाधिकार, मैनुवल विदेश एवं व्यापार विभाग, आस्ट्रलियन गर्वनमेंट पब्लिकेशन सर्विस, केनवेरा, पृष्ट–10

3— संयुक्त राष्ट्र महासभा, संकल्प 59 (2), 65 वी पूर्ण बैठक 14 सितम्बर 1946
4— UN Human Right Declaration U.N Publication 2000, P-07
5— डॉ0 आर0 के0 चौबे, सूचना का अधिकार विधि, इलाहाबाद ला एजेन्सी पब्लिकेशन, इलाहाबाद 2008 पृष्ट—2
6— विष्णु राजगढिया, अरविन्द केजरीवालः सूचना का अधिकार, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 2007 पृष्ट—35
7— डॉ0 आर0 के0 चौबे, सूचना का अधिकार विधि, इलाहाबाद ला एजेन्सी पब्लिकेशन, इलाहाबाद 2008 पृष्ट—28
8— इंदिरा जयसिंह, लीगल लेट डाउन, भोपाल— इनसाइड स्टोरी— टी0 आर0 चौहान, 1994, पृष्ट—194 एवं 211
9— डॉ0 आर0 के0 चौबे, सूचना का अधिकार विधि, इलाहाबाद ला एजेन्सी पब्लिकेशन, इलाहाबाद 2008 पृष्ट—9
10— वही, पष्ट—49

वर्तमान समय में भारत में न्यायिक सक्रियतावाद की भूमिका

डॉ0 महेन्द्र कुमार जायसवाल[1]

भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था के साथ संघात्मक ढांचे को अपनाया गया है। संघात्मक ढांचे में न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। न्यायपालिका के सर्वोत्कृष्ट संगठन के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक तथा नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जा सकता है। जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो यह व्यवस्था हमारे देश में न्याय की परम्परागत धारणा पर आधारित रही है। इस धारणा के अनुसार न्यायालयों का कार्य है उनके सामने आने वाले विवादों का कानूनों के अनुसार फैसला करना। भारत में संविधान लागू होने के बाद लगभग तीन दशक तक परम्परागत धारणा के अनुरूप न्यायपालिका कार्य करती रही। 1970 के दशक के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनीं, जिनके आधार पर न्यायाधीशो और समस्त न्याय व्यवस्था से जुड़ा वर्ग यह सोचने के लिए बाध्य हुआ कि कानून को अधिक सक्रिय होना चाहिए तथा संविधान की आत्मा की रक्षा के लिए कानूनी प्रक्रियाओं के दायरे से बाहर निकलकर अधिक सक्रियता से कार्य करना चाहिए।

विगत कुछ वर्षों से न्यायपालिका की सक्रियता काफी बढ़ी है। न्यायपालिका की इस सक्रियता के फलस्वरूप नागरिकों के बीच न्यायपालिका की ख्याति और लोकप्रियता बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका की सक्रियता बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों के बीच चर्चा और विवाद का केन्द्र भी बनी हुई है।

---

1. सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कालेज, सिरसा, इलाहाबाद।

माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा न्यायालय के ''ओमररीच'' शब्द का प्रयोग किया गया है। यानि न्यायपालिका को अपनी सीमा से बाहर जाने की बात कही गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने यह बात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में कही है। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य से न्यायिक सक्रियता पर बहस छिड़ गई है। न्यायालय को इस तरह की नसीहत कई अन्य नेताओं द्वारा भी समय–समय पर दी गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि राजनेता क्यों बार–बार न्यायालय की नसीहत देते हैं? क्या उन्हें अपनी सीमा का ज्ञान है? क्या न्यायालय सरकार के परामर्श के अनुसार निर्णय देने को बाध्य हैं? क्या वास्तव में न्यायालय अपनी सीमा रेखा से बाहर जाकर कार्य कर रही है इत्यादि ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर गम्भीर चिन्तन एवं मनन की आवश्यकता है।

भारत में इन दिनों सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति के लिए सरकार ही मुख्य रूप से दोषी है। दोनों के बीच टकराव का उदाहरण उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान में पिछड़ी जातियों के आरक्षण की व्यवस्था पर अंतरिम स्थगन आदेश देने से है। न्यायालय के इस निर्णय को प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रिमण्डल के कुल सहयोगी अतिसक्रियता की दृष्टि से देखते हैं तथा न्यायालय को नसीहत देते हैं कि अपनी सीमा के अन्दर कार्य करे। क्या सरकार यह बतायेगी कि उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश सीमा रेखा का उल्लंघन किया है? अब प्रश्न यह उठता है कि संसद द्वारा पारित कानून एवं कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है या नहीं? न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायालय का मौलिक अधिकार है, इसका लम्बा इतिहास है। सत्रहवीं शताब्दी में ब्रिटेन का दार्शनिक ''कोक'' का राजा जेम्स के साथ जो संघर्ष हुआ था उसमें यह बात उभरकर सामने आयी कि न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। 1803 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने ''मार्वरी बनाम मैडीसन'' के विवाद में निर्णय देते हुए कहा था कि न्यायालय को कानून की समीक्षा का अधिकार है। मार्शल के इस निर्णय का न्यायिक जगत पर विशेष प्रभाव पड़ा तथा इसके निम्नलिखित कानूनी पहलू उजागर हुए हैंः–

1. संविधान सर्वोच्च कानून है।
2. संविधान की व्याख्या के प्रतिकूल बनाया गया कोई कानून वैध नहीं है।
3. यदि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून संविधान के प्रतिकूल है तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह व्यवस्थापिका द्वारा पारित काननू को लागू करने से इंकार कर दे।
4. दो परस्पर विरोधी कानूनों पर निर्णय करना न्यायालय का कर्तव्य है।

समय–समय पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई ऐतिहासिक निर्णय में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की है। उदाहरणस्वरूप 1967 ई0 में ''गोलकनाथ बनाम सरकार'', 1973 में ''केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य'', मिनर्वा मिल्स विवाद में न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए, ''42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 368'' में अन्तः स्थापित (4) एवं (5) को इस आधार पर विखण्डित कर दिया है कि न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान का आधारित लक्षण है, जिसे संविधान करके भी छीना नहीं जा सकता।

केशवानन्द भारती विवाद में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि संसद भारतीय संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। संविधान का मूल ढांचा क्या है, इसकी सूची तो न्यायालय ने निर्गत नहीं की है लेकिन न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों से इसके निम्नलिखित आधारिक लक्षण स्पष्ट हुए हैं जो इस प्रकार हैंः–

1. संविधान की सर्वोच्चता
2. विधि का शासन
3. न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 32 और 226
4. संविधान में उद्देश्यिका (प्रस्तावना) में घोषित उद्देश्य
5. संघवाद
6. धर्म–निरपेक्षता
7. प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य
8. अनुच्छेद–32, 136, 141 ओर 132 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियां।

न्यायपालिका अगर अपने दायित्व के प्रति सक्रिय है तो इसमें बुरा क्या है? सरकार के सभी अंगों को अपने कार्य के प्रति सक्रिय होना ही चाहिए। किसी अंग विशेष की निष्क्रियता चिन्ता का विषय होना चाहिए सक्रियता का नहीं। संविधान के अनुच्छेद 32 (2) के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के विभिन्न प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार दिया गया है। अगर कार्यपालिका के आदेश से या संसद के बनाए गए कानूनों से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय को सक्रिय होना ही पड़ेगा। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने ''अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ''इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 139, 226 और 227 के द्वारा भी न्यायालय को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिस कारण उसकी सक्रियता बढ़ी है।

सरकार के तीन अंग हैं। वे हैं– कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका इन तीनों अंगों के कार्यक्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। दुर्भाग्य है कि विधायिका एवं कार्यपालिका अपने निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रही

है। विधायिका कानून निर्मात्री संस्था है और यह संस्था दिन–प्रतिदिन अपनी विश्वसनीयता को खोती जा रही है। कार्यपालिका से जुड़े हुए व्यक्ति जन आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल सिद्ध हुए हैं, छोटी–छोटी समस्याओं को सुलझाने में वे निष्क्रिय रहे हैं। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को सक्रिय होना स्वाभाविक है। एक तरफ व्यवस्थापिका की विश्वसनीयता में कमी आई है तो दूसरी तरफ कार्यपालिका ने भी अपनो जिम्मेदारी से मुंह फेर लिया है। अतः यह कहा जा सकता है कि कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारियों का सम्यक् निर्वहन नहीं कर पा रही है, भारत में जिस तेजी से अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है, प्रायः सभी राजनीतिक दलों में ऐसे अवांछित तत्वों की ऊंची पहुंच देखी जा सकती है, कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिससे नेताओं की विश्वसनीयता में कमी आई है, जैसे नैना साहनी, मधुमिता शुक्ला, कविता चौधरी जैसे काण्ड ने समाज को झकझोर दिया है। तन्दूर हत्याकाण्ड से पूरे देश को दहला देने वाला सुशील शर्मा युवा कांग्रेस का नेता था, जेसिका लाल और शशी नाथ झा हत्याकाण्ड से लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। शशीनाथ झां की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा प्राप्त शिबु सोरेन अभी हाल तक केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शामिल थे। उन्होंने अभी तक लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दिया है। अभी हाल ही में भाजपा सांसद बाबू भाई कटारा पैसे लेकर राजीनतिक पासपोर्ट के जरिए मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए इस काम के लिए उन्होंने 30 लाख रूपये लिए थे। चार अन्य सांसदों पर भी मानव तस्करी के आरोप हैं, संसद निधि विवाद में चार सांसद फंसे हैं। सवाल के बदले पैसे लेने के बाद विवाद में लगभग 11 सांसद फंसे हुए हैं। ऐसे संसद सदस्यों के बल पर व्यवस्थापिका चल रही है। क्या ऐसे संसद सदस्य अपने कार्य के प्रति जवाबदेह हैं, हरगिज रहीं।

अतः यह कहा जा सकता है कि विधायिका एवं कार्यपालिका की निष्क्रियता के कारण न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ी है और इसके लिए सरकार मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

न्यायालय ने कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिसको सरकार न्यायपालिका की अति सक्रियता की दृष्टि से देख रही है जैसे दिल्ली में सफाई व्यवस्था में न्यायपालिका का हस्तक्षेप, पर्यावरण प्रदूषण के सम्बन्ध में आदेश, लापरवाह चिकित्सकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चिकित्सा सेवा को उपभोक्ता कानून की परिधि में लाने का निर्देश, दिल्ली में सरकारी आवासों के आवंटन के मामलों में सरकार को दिए गए आदेश, उच्च शिक्षण संस्थाओं में अति पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था पर अन्तरिम स्थगन आदेश इत्यादि मामलों पर न्यायालय ने समय–समय पर पर जो आदेश दिए हैं, सरकार उनको न्यायालय की अति सक्रियता मानती है। प्रश्न यह उठता है कि सारे विवाद यदि

कार्यपालिका द्वारा सुलझा दिए जाएं तो न्यायालय में जाने का अवसर ही नहीं मिलता। न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है और उसके इस अधिकार को न्यायिक अति सक्रियता नहीं कहा जा सकता। कुछ राजनेता न्यायपालिका की बढ़ती सक्रियता को ''न्यायिक अधिनायकवाद'' की संज्ञा देते हैं और अधिनायकवाद का बहाना बनाकर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित करना चाहते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि आम जनता के जीवन से न्याय का दीपक बुझ जाए। जिस दिन न्याय का दीपक बुझ जाएगा उस दिन व्यक्ति के जीवन में अंधेरा कितना गहन होगा? इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

देश में न्यायपालिका क अधिनायकवाद की स्थापना नहीं हो सकती। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अधिनायकवाद का उदाहरण देखने को मिलता है। कुछ राजनेता यह मानते हैं कि न्यायालय को अपने मूल कर्तव्य के प्रति गम्भीर होना चाहिए। आज देश के विभिन्न न्यायालयों में लगभग तीन करोड़ विवाद वर्षों से लम्बित हैं। न्यायालय को इन लम्बित विवादों का निपटारा जल्द करना चाहिए। प्रश्न यह है कि न्यायालय में इनती बड़ी संख्या में मामले क्यों लम्बित हैं? इसके लिए दोषी कौन है? न्यायाधीशों के हजारों पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं। इन पदों पर नियुक्ति करने का दायित्व कार्यपालिका का है। इतने अधिक लम्बित मामलों को देखते हुए जरूरत केवल न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की ही नहीं, बल्कि उनकी संख्या बढ़ाने की भी है। वर्तमान में हमारे देश में प्रति दस लाख आबादी पर महज 13 न्यायाधीश उपलब्ध हैं। इस आंकड़े से यह सहज ही समझा जा सकता है कि न्यायाधीशों की कितनी बड़ी कमी है? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौर करेगा? निश्चित रूप से यह कार्य विधायिका का है। क्या विधायिका ने यह कार्य समय पर किया है? अतः यह कहा जा सकता है कि न्यायिक क्षेत्र की सारी समस्याओं के लिए सरकार ही जिम्मेदार है।

न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच का विवाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। न्यायपालिका अपने उचित और निष्पक्ष निर्णय से जनता में विद्रोह की भावना को नहीं पनपने देती। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का होना नितांत आवश्यक है। इस देश में न्यायपालिका ही सर्वोच्च है न कि विधायिका और न ही कार्यपालिका, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। संवधानिक दायरे के भीतर सरकार के सभी अंगों का कार्य करना पड़ता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. डी0डी0वसु : भारत का संविधान
2. भारतीय शासन एवं राजनीति : डा0 सुशीला कौशिक
3. भारतीय शासन एवं राजनीति : डा0 बी0एल0फडिया

4. भारतीय शासन एवं राजनीति : एम0वी0सरपि
5. संविधान की आत्मा : सुभाष कश्यप
6. मारिया जोन्स : Parliament in India
7. एम0पी0 पायली : Constitutional Government in India
8. रजनी कोठारी : भारत में राजनीति
9. एम0एम0 कौल : The Hindustan Times Weekly
10. ग्रेनविल आस्टीन : The Indian Constitutional
11. एम0पी0 गुप्ता : Faster of Indian Constitution

लोककल्याणकारी राज्य में समानता की संकल्पना का महत्व

डॉ. पंकज तिवारी[1]

टॉनी के अनुसार, वह मान्यता अतार्किक है कि ब्रिटिश लोग समाज में अधिक्रमता को स्वाभाविक मानते हैं। वे विशेषाधिकारों को पूर्णतया स्वीकार करते है। विषमता या विशषाधिकार टॉनी के अनुसार, इसलिए विद्यमान है कि पूँजीवादी व्यवस्था में पूँजीपति, मजदूरों का शोषण करते है, बल्कि इससे भी बढ़कर गरीब, धनी व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और विषमता को स्वाभाविक मान लेते है। उसके अनुसार समानता का आधार उस मूल मान्यता में अंतर्निहित है जिसके अनुसार सभी मानव में कुछ मूलभूत विषेशताएँ विद्यमान हैं जिसके कारण उन्हें समान समझा जाना चाहिए और व्यावहारिक रूप में ऐसी नीतियों का निर्माण हो, जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता स्थापित हो सके।

टॉनी ने समानता के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं मानवीय क्षमताओं की प्राप्ति के लिए समानता आवश्यक है क्योकि इसके बिना मानव अपनी क्षमता का विकास नहीं कर सकता। सभी को समान सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए और आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार निर्मित हो, जिससे न केवल व्यक्तियों के मध्य भेद–भाव की समाप्ति हो, बल्कि उसके जीवन में न्यूनतम आवश्यकताओं की प्राप्ति भी हो सके। व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं जिनके संदर्भ में सभी व्यक्तियों का सम्मान किया जाना चाहिए–

1. व्यक्ति स्वायत्त एवं अपनो क्षमताओं के विकास हेतु प्रयत्नशील होता है और यदि व्यक्ति को स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई तो वह अपनी क्षमताओं का विकास नही कर सकता।
2. समानता की संकल्पना मानवीय स्वतंत्रता और गरिमा के साथ अंतसबंधित हैं।
3. विभिन्न भिन्नताओं के बावजूद मनुष्य में मानवता के कुछ ऐसे साझे गुण विद्यमान है, अतः उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए।

---

1. असि. प्रोफेसर राजनीतिशास्त्र विभाग, डी.ए.वी.पी.जी. कालेज, गोरखपुर

4. समाज मे विभिन्न समूहों के मध्य भी विषमता नहीं होनी चाहिए जैसा कि विलियम मोरिस ने लिखा है कि समाजवाद का अभिप्राय समानता के उस प्रकार से है जिसमें व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं, पद से नहीं, उसकी संपत्ति से नहीं, अपितु उसके मानवीय गुणों से होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार के मत को टॉनी ने व्यक्त किया और उसके अनुसार समतामूलक समाज का अभिप्राय–जहां पर कोई पदाधिकारियों का वर्ग नहीं, जहाँ पर मजदूरों का वर्ग नहीं, जहाँ वेश्यावृत्ति का अभाव हो, जहाँ वकील न हो, जहाँ कोई पुजारी न हो और जहाँ पर कोई मोची न हों, ऐसा समाज समतामूलक होगा।

यदि मानवीय गुणों या क्षमता के आधार पर व्यक्तियों के मध्य समानता का समर्थन किया जाय तो यह धारणा आधुनिक युग से पहले भी विद्यमान थी। उदाहरण–ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार सभी व्यक्ति ईश्वर की संतान हैं। कांट जैसे विचारक ने सभी व्यक्तियों को स्वयं में साध्य माना, क्योंकि उनकी इच्छाएँ तार्किक हैं और शास्त्रीय उदारवादी लॉक जैसे विचारक ने समान प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर व्यक्तियों को समान माना क्योंकि ये प्राकृतिक अधिकार मानव को प्रकृत्ति–प्रदत्त हैं तथा मानव को जन्मजात प्राप्त हैं। इसलिए प्राकृतिक अवस्था में भी एक प्रकार की नैतिक समानता विद्यमान थी। अराजकतावादियों ने भी समान मानवीय गरिमा एवं मानवीय तत्त्वों के कारण व्यक्तियों के मध्य समानता का समर्थन किया।

रूसो और समानता–

18 वीं शताब्दी के महान विचारक रूसो ने समाज में विषमता की उत्पत्ति का कारण मार्मिक रूप में व्यक्त किया है उसके अनुसार निजी संपत्ति के आविर्भाव के कारण ही अपने–परायेपन की भावना उत्पन्न हुई और समाज में एक व्यक्ति संपत्ति का मालिक बन गया तथा दूसरा उसके अधीन काम करने लगा। परिणामस्वरूप समाज में शोषण आरंभ हुआ। रूसो के अनुसार, प्राकृतिक अवस्था का पूर्ण समतामूलक एवं स्वतंत्र जीवन विषमता–मूलक हो गया। उसके शब्दों में, "मानव स्वभाव नेक है और मानव प्रकृति से सहयोग करने वाला है। लेकिन निजी संपत्ति पर आधारित इस समाज में मानव समाज में द्वेष और घृणा उत्पन्न हो गई।" रूसो का मूल उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जो प्राकृतिक अवस्था की भाँति पूर्ण स्वतंत्र हो। उसके शब्दों में "कोई व्यक्ति इतना धनी नहीं होना चाहिए, जो दूसरों को खरीद सके और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि वह स्वयं को बेचने पर बाध्य हो। रूसों के इन्हीं क्रांतिकारी विचारों का फ्रांसीसी क्रांति पर गहरा प्रभाव पड़ा, तथा इस क्रांति की उद्षोषणा में यह वर्णित है– मनुष्य जन्मजात स्वतंत्र है तथा उसे प्रकृति द्वारा समान अधिकार प्रदत्त है।

समानता के प्रकार–

1. **औपचारिक समानता**–राजनीतिक सिद्धांत में समानता की उत्पत्ति औपचारिक समानता के रूप में हुई और इसका आधार नैतिक रूप में व्यक्तियों की समानता से ग्रहण किया जाता है। इसके अनुसार मानवीय गरिमा समान होने के कारण सभी व्यक्ति समान हैं। 17–18 वीं शताब्दी अमरीकी और फ्रांसीसी घोषणापत्र में नैतिक और अधिकारों के रूप में व्यक्तियों को समान माना गया। जैसा कि लॉक ने कहा– "सभी व्यक्ति समान है, क्योंकि सभी को जन्मजात रूप में समान प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है" अतः समान अधिकारों की धारणा मूलतः औपचारिक समानता के रूप में व्यक्त की जाती ह, औपचारिक समानता का सबसे बेहतर रूप वैधानिक समानता के रूप में देखा जा सकता है, जिसके अनुसार धर्म प्रजाति रंग एवं लिंग के आधार पर नहीं अपितु सभी व्यक्ति विधि समक्ष समान होंगे। अतः व्यक्ति की पद, प्रतिष्ठा या पंक्ति कुछ भी क्यों न हो, वह विधि के समक्ष समान होगा।

   अतः औपचारिक समानता की संकल्पना मूलतया नकारात्मक है, क्योंकि समानता का अभिप्राय यहाँ विशेषाधिकारों को समाप्त करना था, विषमता का अंत करना है जैसा कि मध्यकालीन समतवादी समाज में विद्यमान था, जब व्यक्ति का महत्व उसकी उपलब्धि से नहीं, बल्कि जन्म से निर्धारित किया जाता था। दुनिया के अनेक भागों में, अनेक रूपों में प्रचलित रही। भारत में जाति–व्यवस्था, अफ्रीका में रंग–भेद नीति और अमरोका में नस्लभेद। बेंथम जैसे पाश्चात्य विचारक ने औपचारिक समानता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ प्रस्तुत किया। उसके अनुसार सभी व्यक्तियों को एक समझा जाना चाहिए। इसी आधार पर बेथम ने एक व्यक्ति, एक–वोट का ससर्थन किया। अतः औपचारिक समानता राजनीतिक रूप में भी प्रकट हुई। मिल जैसे विचारक के अनुसार सार्वजनिक जीवन में पुरूष और महिलाओं के मध्य कोई विभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैंगिक आधार पर महिलाओं को सामाजिक जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही विचार मैरी वोल्स्टेनफ्राफ्ट के भी थे।

2. **परिणामों की समानता**–इस समानता का अभिप्राय पुरस्कारों की समानता से है। अतः यह अंतिम स्थिति को समान बनाने का प्रयत्न है। परिणामों की समानता के सबसे प्रबल समर्थक समाजवादी, साम्यवादी एवं अराजकतावादी है। अतः यह औपचारिक समानता या प्रक्रियात्मक समानता के बजाय तत्त्वात्मक समानता पर बल देता है जिसका अभिप्राय भौतिक परिस्थितियों की समानता से है या मूलतः आर्थिक, सामाजिक समानता स्थापित करना है। रूसो जैसे प्रसिद्ध विचारक न सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए आर्थिक समानता निर्मित करने पर बल दिया। लेकिन आर्थिक समानता के

सबसे प्रभावी प्रवक्ता के रूप में कार्ल मार्क्स का नाम विख्यात ह। मार्क्स के अनुसार, समाज में विषमता का मूल कारण निजी संपत्ति है, इसीलिए समानता की प्राप्ति निजी संपत्ति की समाप्ति एवं पूजीवादी व्यवस्था के विध्वंस के पश्चात् ही संभव है। अतः उत्पादन के साधनों पर जब समूचे समुदाय का स्वामित्व होगा तो ऐसी अवस्था में समाज में वर्ग एवं राज्य समाप्त हो जायेंगे। ऐसी अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएँ प्राप्त होंगी। ऐसे समाज में श्रम विभाजन समाप्त हो जायेगा। अतः मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार समानता की प्राप्ति, राज्य के द्वारा या बुर्जुआ लोकतंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि राज्य शोषण का एक यंत्र है। प्रसिद्ध विचारक टॉनी ने भी परिणामों की समानता पर बल दिया। टॉनी के अनुसार, अवसर की समानता की संकल्पना "टैडपोल फिलॉसफी" है। इसी के साथ अराजकतावादियों ने भी परिणामों की समानता पर बल दिया, उनके अनुसार समाज में केवल निजी संपत्ति ही नहीं, अपितु धर्म एवं राज्य सभी को समाप्त करने को आवश्यकता है।

3. **अवसर की समानता**–_इस समानता की संकल्पना लास्की जैसे विचारकों का मूल आधार है, और कल्याणकारी राज्य के समर्थक अवसर की समानता में विश्वास रखते हैं। अवसर की समानता का आशय आरंभिक स्थिति में समानता स्थापित करना है या समान प्रारंभ की मान्यता है या सभी के लिए समान मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करना है। अतः अवसर की समानता व्यक्ति में निहित विषमताओं को स्वीकार करती है। इसलिए अवसर की समानता, असमान बनने के लिए होगी। वस्तुतः समानता का यह अभिप्राय नहीं है कि किसी भी रूप में विषमता को न स्वीकार किया जाय, बल्कि समानता का मूल अभिप्राय अतार्किक विषमताओं की समाप्ति है अतः क्रिस्टोल बेल के अनुसार आधुनिक समाज में भी विषमताएँ विद्यमान है, लेकिन ये विषमताएं, प्रतिभा, कौशल और गुणों के आधार पर है, जाति और लिंग के आधार पर नहीं। समकालीन समाज में एक नये व्यावसायिक और तकनीकी वर्ग का उदय हुआ है, अतः इसे बेल ने उचित मेरिटोक्रेसी कहा है।

   अतः समानता का अभिप्राय परिस्थितियों में समानता नहीं हो सकती और जॉन रॉल्स जैसे समकालीन विचारक ने समाज में व्याप्त उन विषमताओं को उचित माना है जिसके कारण समाज में वंचित वग के लोगों का अधिकतम लाभ हो। रॉल्स के लिए एक न्यायपूर्ण समाज की कल्पना अवसर की समानता के अभाव में संभव नहीं है। रॉल्स के अनुसार, अवसर की समानता का आशय है–सभी व्यक्तियों को समाज में मूलभूत प्राथमिक वस्तुएँ उपलब्ध होनी चाहिए जिसका आशय है संपत्ति, स्वतंत्रता, अधिकार जैसी प्राथमिक वस्तुएँ है। अतः

रॉल्स के अनुसार समाज में समानता स्थापित करने के लिए विभेद का प्रयोग करना होगा। लेकिन इसी के साथ रॉल्स ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाने का समर्थन नहीं किया अपितु उनकी प्रतिभा का उपयोग समाज में न्याय स्थापित करने के लिए किया।

ठीक इसी प्रकार की मान्यता डॉर्किन की है। डॉर्किन ने "संसाधनों की समानता" पर बल देते हुए यह स्पष्ट किया कि समानता का आशय आरंभिक स्थिति में समानता हैं, प्रत्येक परिस्थितियों में समानता नहीं। डॉर्किन के अनुसार आरभिक स्थिति में सभी के लिए समान संसाधनों का वितरण आवश्यक है, लेकिन संसाधनों के वितरण में उन लोगों को वरीयता प्रदान की जायेगी जो प्राकृतिक रूप में अपंग है, क्योंकि उनके अनुसार प्राकृतिक रूप में अपंग व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता तथा केवल भौतिक तत्त्वों की पूर्ति उसकी अक्षमता भरपाई नहीं कर सकती।

अवसर की समानता, औपचारिक समानता की त्रुटियों को पूर्ण करने का प्रयास है, क्योंकि अवसर की समानता में परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाता है, जबकि औपचारिक समानता में परिस्थितियों को उपेक्षित किया गया था। इसलिए समानता का अभिप्राय समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना है और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार करना है इसीलिए राजनीतिक एवं वैधानिक समानता अपूर्ण है, यदि सामाजिक एवं आर्थिक समानता अनुपस्थित हो। दूसरी ओर, परिणामों की समानता के अंतर्गत राजनीतिक समानता को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया गया जबकि जिलास जैसे विचारक के अनुसार सोवियत साम्यवादी प्रणाली में साम्यवादी दल और उनके सदस्यों को एक विशेषाधिकार प्राप्त हो गया और वे एक नये वर्ग के रूप में उभरे। इसलिए साम्यवादी समाज की वर्ग–विहीन, राज्य–विहीन समाज की संकल्पना या समानता अर्जित करने का लक्ष्य कपोल–कल्पना ही सिद्ध हुआ, वास्तविकता नहीं।

सकारात्मक क्रिया (Affirmative Action)

लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्यों में समानता को व्यावहारिक एवं प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक समानता एवं राजनीति–वैधानिक समानता के समिश्रण का प्रयास किया गया। अवसर की समानता को व्यापक आधार प्रदान करते हुए सकारात्मक क्रिया और संरक्षणात्मक विभेद जैसी मान्यताओं को स्वीकार किया गया है, क्योंकि ऐसा समाज जहाँ किसी "समूह विशेष के साथ ऐतिहासिक एवं दीर्घकालिक रूप में शोषण हुआ हो या विषमता का व्यवहार हो, उनका उत्थान करने के लिए उनके विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। अमरीका में अश्वेत या काले लोगों की वंचित स्थिति को दूर करने के लिए सकारात्मक क्रिया का

प्रयोग हुआ, जिसके अंतर्गत अनेक विश्वविद्यालयों ने अश्वेत छात्रों के लिए सीटें आरक्षित को एवं उन्हें कम अंकों पर भी विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया गया।

भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संरक्षणात्मक विभेद का प्रावधान है, क्योंकि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति पिछड़ी है, इसलिए इनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। अतः समानता स्थापित करने के लिए विभेद करना आवश्यक है लेकिन यह विभेद शोषण के लिए नहीं, अपितु समूह–विशेष की स्थिति के उत्थान के लिए है। इसी, आधार पर भारत में सरकारी सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण प्रदान किया है और सम्प्रति निजी क्षेत्र भी इस दिशा में पहल कर रहे हैं। डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार, "स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में राजनीतिक लोकतंत्र तो स्थापित हो गया, लेकिन समाजिक, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना अभी शेष है।

अमेरीका और भारत दोनों देशों में सकारात्मक विभेद या संरक्षणात्मक विभेद को लागू करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है–

(1) क्षतिपूर्ति का सिद्धांत (2) समानुपातिक न्याय का सिद्धांत (3) वितरणात्मक सिद्धांत।

वस्तुतः भारत में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को दिया गया आरक्षण इस मान्यता पर आधारित है कि अतीत में उनके साथ भेद–भाव किया गया। इसलिए समाज का यह दायित्व है कि इस भेद–भाव की क्षतिपूर्ति की जाय। अतः सकारात्मक क्रिया में उन नव–उदारवादियों की मान्यता को अस्वीकृत किया जाता है जिनके अनुसार पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का स्वामी है। इसलिए समाज में मुक्त प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। लेकिन मूल प्रश्न है कि यदि सामाजिक, आर्थिक स्थिति विषम है तो मुक्त प्रतिस्पर्धा निरर्थक हो जाती है। समाज एक इकाई है, जिसमें यदि कुछ लोग अत्यधिक अमीर एवं अत्यधिक गरीब हैं तो यह समाज न्यायपूर्ण नहीं हो सकता।

समानता का मूल अभिप्राय समान लोगों में समान व्यवहार एवं असमान लोगों में असमान व्यवहार करना है, इसलिए समाज में जिस अनुपात में समूहों की संख्या है, उसी अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व राजकीय सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं या प्रशासनिक क्षेत्रों में होना चाहिए। अमेरिका में अश्वेतों का प्रतिनिधित्व उनके जननांकीय अनुपात से कम है, जबकि भारत जैसे देश में भी पिछड़े वर्गो का महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजकीय सेवाओं, प्रशासनिक क्षेत्रों एवं विश्वविद्यालयों में कम है, यदि वर्तमान में सच्चर समिति की रिपोर्ट को देखा जाय तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी उपरोक्त क्षेत्रों में अपर्याप्त है। इसीलिए अवसर की समानता में संरक्षणात्मक विभेद का महत्व है। डॉर्किन ने तो प्राकृतिक रूप में अपंग व्यक्तियों

के लिए समानता का विशेष आग्रह किया एवं जान रॉल्स ने भी समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए पूरे समाज के लिए हितकारी माना।

अरस्तू के अनुसार समाज में वस्तु, सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में दिये गये योगदान के अनुसार होना चाहिए। लेकिन समस्या तब होती है जब समाज असमान एवं विषम हो। ऐसे विषमता मूलक समाज में वस्तु, सेवाओं और पदों का वितरण क्षमता के अनुसार नहीं, बल्कि आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। एक समतामूलक समाज में वस्तु, सवाओं एवं पदों का वितरण आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए।

राजनीतिक समानता का अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक सत्ता से समान सहभागिता देना है और यह सामान्यतः लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ही देखी जाती है। लेकिन लोकतंत्र के विकास के आरंभिक चरण में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के समर्थकों ने भी राजनीतिक समानता का समर्थन नहीं किया। उदाहरण के लिए लॉक ने केवल संपत्तिशाली लोगों के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया, जबकि दूसरी ओर मिल जैसे विचारक ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का इतना प्रबल समर्थन करते हुए भी सभी व्यक्तियों को समान मताधिकार का समर्थन नहीं किया। जे0 एस0 मिल के मित्र डी0 टॉकविले ने तो यहाँ तक कहा कि वस्तुतः अमेरिका में समानता की संकल्पना आने से लोकतंत्र बहुमत का निरंकुश तंत्र बन गया है।

संदर्भ

1. एच.जे0 लास्की : ग्रामर ऑफ पोलिटिक्स, पेज 153—154
2. ज्ञान सिंह संधु : "राजनीति सिद्धान्त" हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, नई दिल्ली पेज, 243—244
3. जे.सी. जौहरी : राजनीतिक संकल्पनाएँ तथा विचारधाराएँ एस. बी. पी. डी पब्लिसिंग हाउस, आगरा पेज 143
4. सर आर्नेस्ट बार्करः प्रिन्सिपुल ऑफ सोशल एण्ड पोलिटिकल थ्योरी पेज—151
5. प्रो0 एस.पी.एम. त्रिपाठीः "राजनीति विज्ञान के आधारभूत सिद्धान्त" प्रत्यूश पब्लिकेशन्स दिल्ली, पेज 181—182
6. ए.डी. आ" ीर्वादम् : "राजनीति विज्ञान एस चन्द नई दिल्ली पेज—213—214

न्याय की संकल्पना का वर्तमान स्वरूप

डॉ. चन्द्रशेखर सिंह[1]

प्लेटो के अनुसार न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है अतः न्याय का अभिप्राय समाज में एक समानुपात का निर्माण है और राजनीति विज्ञान में यूनानी युग से ही न्याय की संकल्पना पर महत्वपूर्ण बल प्रदान किया गया है। यूनानी युग में न्याय का अभिप्राय नैतिक था अतः सद्गुणी जीवन का पालन करना या दायित्वों का निर्वहन करना ही न्याय है। बार्कर के शब्दों में–"न्याय का अभिप्राय व्यक्ति एवं व्यक्ति के संबंधों तथा मानवीय संबंधों को जोड़ना ही न्याय है। अतः न्याय का अभिप्राय राजनीतिक मूल्यों का समिश्रण है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और निष्पक्षता जैसे मूल्य सम्मिलित हैं।

न्याय एक जटिल संकल्पना है कभी इसका प्रयोग नैतिक रूप में, कभी वधानिक रूप में और कभी–कभी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप में भी किया जाता है।

न्याय का वैधानिक आयाम–_वैधानिक रूप में न्याय का अभिप्राय विधि के उल्लंधन के परिणामस्वरूप दंड प्रदान करना है, विधि का शासन सुनिश्चित करना ही न्याय है। अतः समाज में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान मानना एवं विधि का निष्पक्ष प्रयोग करना ही न्याय है।

राजनीतिक आयाम–__राजनीतिक न्याय का अभिप्राय, उस राजनीतिक प्रक्रिया से है या उन व्यावहारिक नीतियों से है जिसके द्वारा समाज में अनेक प्रशासनिक एवं कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए–भारत में राजनीतिक न्याय के अंतर्गत प्रत्येक दलों का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों का उत्थान है।

---

1. **असि. प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग, डी.ए.वी.पी.जी. कालेज, गोरखपुर**

सामाजिक आयाम– समाज का विभाजन सोपानिक या जाति धर्म या लिंग के आधार पर न होना ही न्याय है। अतः एक न्यायपूर्ण समाज में व्यक्ति का स्थान जन्म के द्वारा नहीं, अपितु कर्म या उपलब्धि के द्वारा निर्धारित होता है तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार रोजगार, शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है।

आर्थिक आयाम– मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों के अनुसार न्याय का मूल स्रोत नैतिकता या राजनीतिक संरचना नहीं अपितु आर्थिक संरचना है। जिस समाज में उत्पादन के साधनों पर वर्ग–विशेष का नियंन्त्रण होता है, वह समाज न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए न्यायपूर्ण समाज में उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होना चाहिए।

न्याय के उपरोक्त आयामों को देखते हुए सम्प्रति न्याय का आशय सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय एक वृहद शब्द है जिसमें आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को भी सम्मिलित किया जा सकता है। सामाजिक न्याय का अभिप्राय समाज में वस्तु, सवाओं और पदों का वितरण निष्पक्ष एवं समान रूप में किया जाय।

न्याय के मानदंड– वस्तुतः न्याय, वितरण का गुण माना जाता है, और समाज में वस्तुओं, सेवाओं और पदों का वितरण किस आधार पर किया जाय, यह सदैव न्याय की मूल चुनौती है। डेविड मिलर ने न्याय के निम्नलिखित मानदंडों को प्रस्तुत किया–

1. आवश्यकता के आधार पर वितरण।
2. अधिकारों के आधार पर वितरण।
3. अर्हता के आधार पर वितरण।

1. **आवश्यकता के आधार पर वितरण**– आवश्यकता के आधार पर वितरण का समर्थन मूलतः मार्क्सवादी करते हैं। इस मान्यता के अनुसार एक आदर्श साम्यवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए तथा उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएँ प्राप्त होंगी। यद्यपि मार्क्स ने साम्यवाद के पहले की समाजवादी अवस्था में जो कि संक्रमणकालीन होगी, उसमें वितरण को कार्य के आधार पर स्वीकार किया है।

   अतः मार्क्सवादी मान्यतानुसार मानवीय आवश्यकता की पूर्ति मानवीय जीवन का आधार है, यह आवश्यकताएँ सभी मानव–मात्र की हैं। ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पूँजीवादी व्यवस्था के विनाश के पश्चात् ही संभव है, क्योंकि पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण बुर्जुआ वर्ग का होता है। समाज मूलतः वर्ग–विभाजित होता है। इसलिए बुर्जुआ लोकतंत्र के द्वारा न्यायपूर्ण समाज की कल्पना निरर्थक है। इसलिए आवश्यकता उत्पादन

तंत्र को परिवर्तन करने की है, न कि राजनीतिक प्रणाली को। इसलिए मार्क्सवादी आमूल–चूल परिवर्तन पर बल प्रदान करते हैं।

लेकिन व्यावहारिक रूप में यह निर्धारित करना अत्यधिक कठिन है कि मानवीय आवश्यकता क्या है? और मानव की प्रवृत्ति मूलतः अपने लिए कार्य करने की होती है, समाज के लिए नहीं। इसलिए उदारवादी विचारकों के अनुसार समाजवादी व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति समाज का दास हो जाता है।

2. **अधिकारों के आधार पर वितरण**– 1980 के दशक में नव–उदारवादी विचारकों ने समतावाद, कल्याणकारी राज्य एवं हस्तक्षेपवादी अर्थव्यवस्था की कड़ी आलाचना की, और इस संदर्भ में अग्रणो विचारक नॉजिक के अनुसार (**Anarchy, State and Utopia**) आवश्यकतानुसार न्याय की संकल्पना अपूर्ण एवं खण्डित है। इनके अनुसार न्याय का आधार पात्रता या योग्यता होनी चाहिए। अतः इनके अनुसार वस्तुओं का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज के लिए किये गए योगदान के अनुपात में होनी चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि महान विचारक अरस्तू की मान्यता भी ऐसी ही थी। अरस्तू के अनुसार समाज में वितरण का आधार योग्यता होनी चाहिए। इसीलिए अरस्तू ने समाज में केवल विवेकशील व्यक्तियों को शासन–कार्य सौंपने का समर्थन किया।

नॉजिक के अनुसार, व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति एवं वस्तुएँ उसकी क्षमता, प्रतिभा एवं श्रम का परिणाम है। इसलिए उस पर केवल उसी व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, य प्रक्रियात्मक न्याय में विश्वास रखते हैं, न कि परिणामों पर ध्यान देते हैं। जबकि यह उल्लेखनीय है कि मार्क्सवादी तत्त्वात्मक न्याय पर बल देते हैं। नॉजिक की संकल्पना जॉन रॉल्स के विरोध में आयी और उसने राज्य द्वारा किसी प्रकार के वितरणकारी उपायों एवं सामाजिक न्याय का कटु विरोध किया। नॉजिक के अनुसार, न्याय का आशय निम्नलिखित तीन नियमों से है–

1 संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए।

2 संपत्ति का हस्तान्तरण वैध होना चाहिए।

3 यदि संपत्ति का हस्तांतरण/अर्जन वैध नहीं है, तो इस संदर्भ में दंड का प्रावधान भी होना चाहिए।

अतः नॉजिक के अनुसार कोई धनी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को निजी रूप में संपत्ति का दान कर सकता है, लेकिन उसे नैतिक रूप में संपत्ति का दान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसने तो यहाँ तक कहा कि यदि सरकार व्यक्ति की संपत्ति अंधिग्रहित करने का प्रयास कर रही है तो यह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हमला है।

लेकिन अधिकार पर आधारित न्याय की मान्यता व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में नहीं, बल्कि अणु के रूप में देखती है। इसलिए व्यक्ति को असीमित संपत्ति के संचय का अधिकार नहीं दिया जा सकता क्योंकि व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा का विकास, समाज और सामाजिक संदर्भ में होता है, अलग–थलग नहीं।

3. **अर्हता के आधार पर न्याय**– अर्हता का आशय उचित पुरस्कार या दण्ड है। जिस पुरस्कार या दण्ड के लिए व्यक्ति अर्हता रखता है या उसके योग्य है, उसे उसी हाल में पुरस्कार या दण्ड दिया जाना चाहिए। जैसा कि प्लेटो ने माना कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग दिया जाना ही न्याय है। अतः व्यापक रूप में न्याय के इस मापदण्ड में आवश्यकता आधारित और अधिकार आधारित दोनों का समिश्रण पाया जाता है, क्योंकि एक श्रमिक को उसका पारिश्रमिक दिया जाना ही न्याय है, एक भूखे को उसका भोजन दिया जाना ही न्याय हैं। परंपरावादी विचारकों ने न्याय का अभिप्राय वस्तुओं के एक "प्राकृतिक व्यवस्था" से लिया है। उनके अनुसार न्याय, अपरिहार्य तथा अपरिवर्तनशील है।

अतः इस प्राकृतिक न्याय के आधार पर परंपरावादी विचारक एडमण्ड बर्क ने शास्त्रीय अर्थशास्त्र की मान्यता को स्वीकार करते हुए बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। इसी मान्यता को स्पेंसर ने भी स्वीकार किया है। स्पेंसर के अनुसार व्यक्ति की क्षमताएँ एवं प्रतिभा इस बिन्दु का निर्धारक है कि किसे कितनी वस्तुएँ प्राप्त हों।

अतः स्पेंसर ने सामाजिक डार्विनवाद की मान्यता में विश्वास किया। इनके मतानुसार न्याय को आवश्यकता या अधिकार जैसी अमूर्त संकल्पनाओं के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता, बल्कि व्यक्ति के प्राकृतिक गुणों के आधार पर इसको समझा जा सकता है। अतः परम्परावादिया ने सामाजिक न्याय जैसी अमूर्त संकल्पना के बजाय प्राकृतिक न्याय की संकल्पना में विश्वास किया है।

लेकिन उपरोक्त विचारों को देखने से यह स्पष्ट है कि अर्हता के आधार पर न्याय की संकल्पना अधिकारों के आधार पर न्याय की संकल्पना के समान है।

प्रक्रियात्मक न्याय–

1. प्रक्रियात्मक न्याय मूलतः औपचारिक या वैधानिक न्याय है।
2. प्रक्रियात्मक न्याय में समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास करते हैं।
3. इस न्याय में सेवाओं पदों एवं वस्तुओं के वितरण का आधार, अधिकार माना जाता है।
4. प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है, आवश्यकता पर नहीं।

5. प्रक्रियात्मक न्याय में बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है।
6. इस न्याय की अवधारणा में प्रक्रिया पर बल प्रदान किया जाता है, परिणाम पर नहीं।
7. लेकिन प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि है कि इन्होंने न्याय की कल्पना एक अणुवादी व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, एक सामाजिक प्राणी के संदर्भ में नहीं।
8. समाज में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति विषम होती है, इसलिए एक असमतामूलक समाज में न्याय का प्रक्रियावादी स्वरूप असंगत सिद्ध हो जाता है।

तत्त्वात्मक न्याय–

1 तत्त्वात्मक न्याय का अभिप्राय सामाजिक–आर्थिक न्याय स है।
2 तत्त्वात्मक न्याय में व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है।
3 तत्त्वात्मक न्याय की संकल्पना अवसर की समानता पर आधारित है।
4 तत्त्वात्मक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादी ने माना, इनके अनुसार न्याय का अभिप्राय पूँजीवादी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन या विनाश है।
5 यह एक ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं, जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण हो।
6 मार्क्सवादी अवसर की समानता के बजाय सभी के लिए समान परिस्थितियों का समर्थन करते हैं।
7 मार्क्सवादियों के अनुसार कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती।
8 लेकिन इस मान्यता में भी त्रुटि है, क्योंकि मार्क्सवादी व्यवस्था में जिस प्रकार एक दल का प्रभुत्व या आधिपत्य स्थापित हो गया है उसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया है और सर्वहारा वर्ग के शासन के बजाय सर्वहारा वर्ग पर शासन स्थापित हो गया है।

रॉल्स के न्याय का सिद्धान्त– जॉन रॉल्स ने 20 वीं शताब्दी में अपनी प्रसिद्ध रचना "Theory of justice" (1971) के द्वारा न्याय की संकल्पना को पुनः राजनीतिक चिंतन के केंन्द्र में स्थापित किया। रॉल्स के अनुसार, न्याय समाज का केंद्रीय सद्गुण है। मानवीय समाज द्वारा न्याय के नियमों का निर्माण किया गया हैं, अतः न्याय, मानव के तार्किक चयन का परिणाम है।

संदर्भ

1. ए.डी. आशीर्वादम् : 'राजनीति विज्ञान' एस चन्द एण्ड कं0 लि0, नई

दिल्ली एवं कृष्ण कान्त मिश्र पेज 221
2. प्लेटो : 'रिपब्लिक'
3. अरस्तु : 'निकोमेशियन एथिक्स'
4. जॉन राल्स : ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1972 पेज 04
5. प्रो0 श्री. प्रकाश मणि त्रिपाठी : 'राजनीति विज्ञान के आधारभूत सिद्धान्त' प्रत्यूश पब्लिकेशन्स, दिल्ली पेज–203
6. जे.सी. जौहरी : "राजनीतिक संकल्पनाएँ एवं विचारधाराएँ" एस.वी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस, आगरा, पेज 113–114
7. सी. के0 ऐलन : 'आस्पेक्ट ऑफ जस्टीस' पेज 34
8. ज्ञान सिंह संधु : 'राजनीति सिद्धान्त', हिन्दी माध्यम कार्यान्वन निदेशालय दिल्ली पेज 275–276

भारत नेपाल संबंध : मधेसी और उनकी समस्याएं के परिपेक्ष्य में

डॉ0 स्मिता पाण्डेय[1]

नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा– सा देश है। यह भारत और तिब्बत के बीच स्थित है और अब तिब्बत पर चीन के अधिपत्य के बाद भारत व चीन एक बफर स्टेट का कार्य करता है। भारत के उत्तर–पूरब में स्थित नेपाल सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। चीन द्वारा तिब्बत को हस्तगत कर लेने के बाद भारत–चीन सम्बन्धों में नेपाल की सामरिक स्थिति का राजनीतिक महत्व बढ गया। उत्तर में भारत की सुरक्षा आज एक बड़ी सीमा तक नेपाल की सुरक्षा पर निर्भर करती है। पं0 नेहरू ने 17 मार्च, 1950 को कहा था, ''जहां तक कुछ एशियाई गतिविधियों का सम्बन्ध है, भारत तथा नेपाल के बीच किसी प्रकार का सैन्य समझौता नहीं है लेकिन नेपाल पर किये जाने वाले किसी भी आक्रमण को भारत सहन नहीं कर सकता। नेपाल पर कोई भी सम्भावित आक्रमण निश्चित रूप से भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा।'' अक्टूबर 1956 में डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान कहा था कि नेपाल की शान्ति और सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा भारतीय शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा है। नेपाल के मित्र हमारे मित्र हैं और नेपाल के शत्रु हमारे शत्रु हैं। नेपाल में विगत् 240 वर्ष से चली आ रही राजशाही 28 मई, 2008 को समाप्त हो गई और नव निर्वाचित संविधान सभा ने देश को धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। संविधान सभा के इस फैसले से ज्ञानेन्द्र अब नेपाल नरेश नहीं रहे तथा उनका दर्जा आम नागरिकों के समान हो गया। नेपाल में माओवादियों के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद भारत व नेपाल के सम्बन्ध पहले जैसे मधुर रह सकेंगे इस पर कई प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं।

---

1. **असि0 प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग, पं0दी0द0उ0 राजकीय महिला पी0जी0कालेज, राजाजीपुरम् लखनऊ**

नेपाल में जब भी मधेस से जुड़ी कोई भी मांग मधेसियों न उठाई है तो नेपाल सरकार ने हमेशा उस समस्या को भारत और नेपाल के बीच का द्विपक्षीय मामला बता कर उसके समाधान के लिए भारत से गुहार लगाई है। नेपाली राज्य सत्ता के इस चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया है। नेपाल में राजतंत्र समाप्त हो जाने पर भी इस का चरित्र वहीं रहा है। प्रजातंत्र के बाद गणतांत्रिक व्यवस्था में भी इनका चरित्र वहीं है। मधेस का जिक्र आया कि वे भारत को जोड़ देते हैं। लेकिन फायदे का आकलन किया जाए तो उतर सिफर ही है। नेपाली शासकों ने भी कभी भी मधेस और मधेसी को अपना नहीं समझा आर मधेसी जनता दोनों के बीच पिस कर रह गई है। पहली बार भारत ने नेपाल के शासकों पर दबाव बनाया हुआ है कि मधेस की समस्या नेपाल की आंतरिक है और उसे नेपाल सरकार को ही सुलझााना होगा।

नेपाल की मधेस सम्बन्धी समस्या को समझने से पहले नेपाल की स्थायी राज्य सत्ता के चरित्र और नीयत को समझना होगा। नीयत को पूरा करने के लिए नीति का सहारा लिया जाता है। नीति को संस्थागत करने के लिये एक संविधान की जरूरत होती है। संविधान को वास्तविकता पर उतारने के लिये कानून की आवश्यकता होती है। कानून संसद से बनता है , संसद में शासक का बहुमत होना जरूरी होता है। जब नीयत ही बेईमानी करने की हो और मकसद किसी खास समूहतंत्र को ही शासक बनाए रखने का हो तो जोड़ तोड़ के लिए उस शासक समूह को कुछ भी कर गुजरने से परहेज नहीं होता है।

नेपाल में मधेसियों की मूल समस्या पहचान की है। नेपाल में पहाड़ी मूल के लोगों और गैर पहाड़ी मूल के बीच नेपाल में बहुत बड़ी खाई है। पहाड़ी मूल के लोग जन्म के साथ ही नेपाल वंशज के आधार पर नागरिक मान लिए जाते हैं। उनकी नागरिकता पर नेपाल की राज्यसत्ता और पहाड़ी मूल के लोगों को कभी भी शंका नहीं होती है। सिक्किम में बैठने वाले, दार्जिलिंग में बैठने वाले नेपाली भाषी लोग नेपाली सत्ता और पहाड़ी मूल के लोगों के लिए के अपने हैं पर नेपाल में अपनी ही जमीन पर आदिवासियो की तरह रहने वाले मूल वाशिंदे मधेसी समुदाय को भारतीय समझा जाता है और उनकी नागरिकता को हर हमेशा शंका से देखा जाता है।

लोकतंत्र में देश की जनता सार्वभौम होती है। उसको अपनी सार्वभौमिकता का प्रयोग करने का पूरा हक होता है। राज्यसत्ता को उसके इस हक को उपयोग करने में सहायता करनी चाहिए पर नेपाल में सिर्फ पहाड़ में रहने वाले नेपाली मूल के नेपाली नागरिकों को ही उस में निहित सार्वभौमिकता को प्रयोग करने का प्रचलन रहा है। राज्यसत्ता ने नेपाल में ऐसा प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया है कि नेपाल की कुल आबादी के 33 फीसद मधेसियों की सार्वभौमिकता 67 फीसद

पहाड़ी समुदाय में विलीन कर दी गई है। पहाड़ी शासकों के हर निर्णय को मधेसी बाध्यतावश स्वीकार करते आए थे और वे यही चाहते हैं कि भविष्य में भी मधेसी ऐसी ही करते रहे। नेपाल में मधेसी मिलकर नहीं सह कर रहते आए हैं और पहाड़ी मूल के लोगों की ख्वाहिश रहती है कि मधेसी सिर्फ सह कर उनके साथ रहें।

मधेसी भी नेपाली नागरिक की तरह अपने में निहित सार्वभौमिकता का प्रयोग करना चाहते हैं। उसके लिए वे अखंड नेपाल में ही ऐतिहासिक काल से मधेस भूभाग के रूप में पहचाने गए तराई क्षेत्र में दो स्वायत प्रदेश का निर्माण कर प्रदेश में स्वशासन और केंद्र में सहभागिता मूलक शासन की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं जैसा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है।

नेपाल में मधेसियों की मुख्य समस्याएं–

1. नेपाल में भारत विरोध पर आधारित सदियों से चलता आया पहाड़ी राष्ट्रवाद।
2. भारतीयों की तरह दिखने वाले, भारतीयों की तरह समान सांस्कृतिक आबद्धता में रहनेवाले मधेसियों को कभी भी नेपाली शासकों ने बराबर का नागरिक नहीं माना है। हमेशा उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक ही समझा है।
3. दासता स्वीकार कर रहने वाले मधेसियों को नेपाली नागरिक की तरह बराबरी का अधिकार मांगने पर भारतीय समझकर उनकी नागरिकता पर ही प्रश्न उठाया जाता रहा है।

मधेसियों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाए रखने के लिए पहाड़ियों के साथ उनके विलीनीकरण का प्रयास होते आया है। उनके अलग अस्तित्व और पहचान की मान्यता को स्वीकार नहीं किया गया है। उस पहचान को नेपाल की शासन व्यवस्था में नहीं बल्कि राज्य के हर एक अंग में बहिष्कृत रखा गया है। जैस कर्मचारी तंत्र, सेना, प्रहरी, न्यायपालिका सेवा, संसद इत्यादि में मधेसियों और जनजातियों की जनसख्या के आधार पर समानुपातीक पहुंच को सुनिश्चित न करने के लिए नेपाल का शासन अब तक के तमाम संविधान और कानून में मधेसियों के बहिष्करण को संविधानिक मान्यता देता रहा है। चाहे वो राजतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, या फिर अभी की गणतात्रिक व्यवस्था हो। सरकारी नौकरीयों में विभिन्न समदायों के हिस्से के आंकड़े बहिष्करण की इस सच्चाई को बखूबी प्रमाणित कराते है जैसा कि हम तालिका 1 में देख सकते हैं। तालिका से जाहिर है कि पहाड़ी ब्राह्मणों का हिस्सा बढता ही गया है। उसने क्षेत्री और नेवार समुदाय के हिस्से में जबर्दस्त सेंध लगाई है। दलितों का बुरा हाल है ही। मधेसियों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में कभी भी हिस्सेदारी नहीं मिला है न राजतंत्र में न लोकतंत्र और न ही हाल के गणतंत्र में।

सामुदायिक आबादी और सरकारी नौकरियों में उनका हिस्सा–

सि. न.	समुदाय	जनसंख्या %	सरकारी नौकरियां में हिस्सा फीसदी में			
			1970	1988	2006	2012
1.	पहाड़ी ब्राह्मण	13.00	36.70	47.70	58.20	78.60
2.	पहाड़ क्षेत्री	18.21	21.00	15.00	14.20	
3.	पहाड़ नेवार	04.99	32.20	26.10	13.30	07.30
4.	पहाड़ी दलित	08.52	NA	NA	00.90	00.90
5.	पहाड़ी जनजाति	22.24	01.70	03.30	03.30	04.90
6.	मधेसी *	33.04	08.20	07.90	09.90	08.20

*मधेसी में मधेस में रहने वाले ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित, जनजाति सभी का समावेश है।

कहा जाता है कि जिस समाज को दास बनाके रखना हो उसकी पहचान और स्वाभिमान उससे छोन लो। इसके लिए राजा महेन्द्र ने नेपाली होने के लिए एक भाषा और एक भेषकी अनिवार्यता का कानून बनाया। नेपाली भाषा बोलना और दौरा सुरूवाल पहनने को अनिवार्य बना दिया गया जो सिर्फ पहाड़ के ठंडे इलाकों में पहना जाता है। उन लोगों को सरकारी सेवाओं से दूर रखा गया जिनकी मातृभाषा नेपाली नहीं है। पहाड़ियों के बीच भी भाषा के आधार पर नौकरियों में भेदभाव किया गया हैं। धोती कुर्ता पहनने वालों को बिहारी, धोती, मधेसी कह मूल नेपाली धार से अलग रखा गया।

मधेस में मधेसी जनसंख्या का अनुपात कम करने के लिए मधेस के जंगलों के बीच से महेंद्र राजमार्ग सड़क बनवाकर दोनों बगल शहर का निर्माण कराया गया। वहां पर पहाड़ से पहाड़ियों को लाकर सरकार के खर्चे पर जमीन आवंटित किया गया और घर बनवाया गया। उसी नीति के तहत पहाडियों की जनसंख्या मधेस की जनसंख्या का 36 फीसद हो चुकी है। सन् 1950 में यह 3 फीसदो थी। मधेस में कई ऐसे जिले हैं जहां मधेसी अल्पमत में हो गए हैं और अधिकार मांगने पर स्थानीय बसाए गए पहाड़ी लोगों के द्वारा दमन का सामना करना पड़ता है। ये जिले है झापा , मोरड , सुनसरी , चितवन , नवलपरासो , रूपन्देही , दाड , कैलाली और कंचनपुर।

इतना ही नहीं नेपाल के उत्तर–दक्षिण भूभाग को मिलाकर 14 भाग (अंचल) में बांट कर एंसा प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया गया कि हरेक अंचल में मधेसी लोग

20 फीसद से अधिक न हों। पहाड़ और मधेस में सदियों से लगभग बराबरी की जनसंख्या रहने के बावजूद बजट विनियोजन में विभेद करने के लिए पहाड़ को 55 जिले दिये गए तो मधेस को 20 जिले। पहाड़ के विकट हालात के चलते बजट में विशेष व्यवस्था होती रही है। मधेस में 50 फीसदो जनसंख्या होने के बावजूद नेपाल के बजट में कुल विनियोजित रकम का 14 फीसद से ज्यादा आज तक मधेस को नहीं मिला है। भारत सरकार और अंतराष्ट्रीय संस्थाओं के अनुदान का आवंटन भी नेपाल सरकार इसी तरह करती है। नेपाल के सबसे बड़े सहयोगी भारत की आर्थिक सहायता का भी 20 फीसद ही तराई में जाता है जहां नेपाल की 51 फीसद आबादी रहती है। नतीजा है कि मधेस और मधेसी आज मानव सूचकांक में नेपाल के शेष हिस्से और समुदाय से काफी पीछे है। जैसा हम आगे देखेंगे।

मधेसियों को अपने अतीत के इतिहास को नहीं पढने दिया गया है। सरकारी पाठ्यक्रम में यही पढाया जाता रहा है कि खस राजा ने मधेस को जीत कर नेपाल का एकीकरण किया है और यह नेपालो भूमि जीत के बाद प्राप्त हुई है। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यह है कि नेपाल का वर्तमान मधेस अंग्रेजों द्वारा दो बार में दी गई भूमि है। मेची के झापा से दांग के राप्ती नदी तक का भूभाग सन् 1816 में और सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने में अंग्रेजों का साथ देने के इनाम में राप्ती नदी से पश्चिम महाकाली नदी तक का भूभाग सन् 1860 में दी गई भूमि है। मधेस में तिरहुत राज्य की स्थापना नेपाल राज्य के उदय से 500 वर्ष पहले हुई थी लेकिन नेपाल के राजकीय तंत्र ने मधेसियों को अपनी भूमि पर अपन मालिकाना हक से बेदखल रखा। उन्हें यह एहसास ही नहीं हो पाया कि वे अपने भूमि के स्वामी हैं। अपनी ही भूमि पर उन्हें गुलामों की तरह जीवन बिताने पर बाध्य किया गया। प्रचारित किया गया कि वे नेपाली नहीं भारतीय हैं। वे भारत से नेपाल राज्य में बसने आए हैं। इस दुष्प्रचार के जरिए इस मिट्टी का नागरिक होने का हक मधेसियों से छीन लिया गया।

नेपाली राज्यसत्ता की यह सोच, चरित्र और स्वभाव आज भी मौजूद है। इसी नीयत को अमली जामा पहनाने के लिए संविधान का जबर्दस्ती निर्माण कराया गया है।

माओवादियों द्वारा शुरू किये गए जनयुद्ध का पटाक्षेप भारत की मध्यस्थता में नेपाल सरकार के साथ हुए 12 बुंदे समझौता के मुताबिक सन् 2007–2008 में अंतरिम संविधान निर्माण के साथ हुआ। मधेसियों का एकमात्र राजनीतिक दल तब सद्भावना पार्टी थी। संघीयता और समावशिता की उसकी मांग को अंतरिम संविधान में ठकुराए जाने पर मधेसी जनाधिकार फोरम, नेपाल के नेतृत्व में मधेस में जबरदस्त जनविद्रोह हुआ। 54 मधेशियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। फिर

नेपाली राज्यसत्ता ने मधेसियों का प्रतिनिधित्व कर रहे मधेसी जनाधिकार फोरम, नेपाल और बाद में मधेसी मोर्चा के साथ भारत की मध्यस्थता में समझौता किया। इसके बाद संविधान सभा का निर्वाचन सुनिश्चित हुआ। मोर्चा के साथ समझौते की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं–

1. मधेसियों की आकांक्षा के अनुरूप संविधान सभा से पूर्ण स्वायत्त मधेस प्रदेश बनाया जाएगा।
2. मधेस में मधेसियों की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण किया गया।
3. मधेस और मधेसियों के भूभाग की सुनिश्चितता हुई।
4. मधेसियों की जनसंख्या के अनुपात में हरेक सरकारी निकाय में आरक्षण की व्यवस्था की गई।
5. नेपाली सेना में मधेसियों की न्यून उपस्थिति को देखते हुए उन्हें सामूहिक प्रवेश दिया जाएगा।
6. नेपाल में जन्में मधेसियों को नेपाली नागरिकता देने की मुहिम चलाई जाएगी।

यह समझौते या अंतरिम संविधान के प्रावधान नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी और मधेसी दलों की सामूहिक मान्यता के दस्तावेज हैं। इन्हें बिल्कुल नजर अंदाज कर 5 सितंबर 2015 को जारी संविधान में एक देश, एक भेष, एक भाषा और मधेसियों पर उत्पीड़न, विभेद और बहिष्करण के पुराने महेंद्रकालीन जाल को फिर रचा गया है। इसीलिए मधेसियों ने इसे अस्वीकार कर फिर सड़क विद्रोह का रास्ता अपनाया है।

नए संविधान में क्या क्या बातें हैं जो अंतरिम संविधान के बिल्कुल खिलाफ हैं

1. अंतरिम संविधान की धारा 138 उप–धारा 1(क) और धारा 63 उप–धारा 3 में मधेस को एक भूभाग की कानूनी मान्यता मिली हुई थी। इसमें ''मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति और पिछड़े क्षेत्र की जनता के स्वायत प्रदेश के आकांक्षा को स्वीकार कराते हुए संविधान सभा प्रदेशों के सीमांकन, नामांकन और संख्या के निर्धारण के साथ संघ और प्रदेश बीच अधिकार की सीमाएं और हिस्सेदारी तय की जाएगी'' लेकिन तालिका 2, 3 और 4 का अध्ययन करने पर यह प्रमाणित हो जाता है कि राज्य ने नया संविधान जारी कर सिर्फ मधेसियों के साथ ही नहीं पहाड़ी जनजातियों के साथ कैसा क्रूर मजाक किया है और उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को कैसे नकार दिया है। कैसे उनके जन्म स्थल को खंड–खंड में बाट कर उनके सामूहिक सार्वभौमिकता के प्रयोग को असंभव बना दिया गया है। नए संविधान के जरिए मधेस को छह खंडो में

खंडित कर दिया गया है। सिर्फ एक भाग में मधेसी बाहुल्य है। बाकी पांच खंडों में मधेसी बाहुल्य समाप्त करने के लिए उन्हें पहाड़ के साथ जोड़ दिया गया है। उतना ही नहीं मगर, नेवार, तामाङ, गुरूङ, राई, लिम्बू आदि जनजातियों को अनेक प्रदेश में बांट कर उसी खस समुदाय के बाहुल्य को सुनिश्चित किया गया है जिसके हाथों में विगत् 250 वर्षों से नेपाल के सत्ता की कमान थी और अभी तक है। मधेस का सामाजिक रूप से दो भागों में बांटा गया है। पूरब से पश्चिम तक मधेस के उत्तरी छोर पर रहते आए थारू समुदाय का भूभाग और दक्षिण छोर पर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों जैसे दिखने वाले बाजी समुदाय। दोनों का सम्मिश्रित रूप मधेसी है। नेपाली राज्यसत्ता ने इन्हीं भोले भाले थारूओं की भूमि पर पहाड़ से आंतरिक अप्रवासन करा पहाड़ियों को बसाया। शासकों ने बहुत सूक्ष्म रूप से थारूओं और बाजी समुदाय के बीच के भेद को थारू और मधेसी का भेद बता कर थारू को मधेसी समुदाय से अलग करने का प्रपंच रचा है। इसी भेद के चलते कभी थारू बहूल जिला चितवन में आज वे 16 फीसद तक सिमट आए हैं। जिन जमीनो के वे मालिक थे आज उसी जमीन पर वे कमैया बने हुए हैं। यह सिर्फ चितवन की कहानी नहीं है कैलाली और कंचनपुर जिले का हाल तो और बदतर हैं। वे खुद ही कमैया नहीं है। अपने परिवार के महिला सदस्य को भी उन पहाड़ी आप्रवासी के यहां कुछ रकम के लिए गिरवी पर रख कमलरी बनाए हुए हैं। नेपाली राज्यसत्ता मधेस के विरूद्ध थारूओं का इस्तेमाल करते आई थी और उन्हें यह समझाने में सफल हुई थी कि वे मधेसी नहीं हैं। इस फुट के चलते थारूओं को कमजोर समझ नए संविधान में उन्हीं थारूओं के बसोबास स्थल को दो टुकड़ों में बांट कर पहाड़ के साथ विलय कर दिया है। समग्रता में यह सब करने के पीछे नीयत सिर्फ थी मधेस और मधेसियों की पहचान आर क्षमता को नियंत्रित अवस्था में रखना। केंद्रीय संसद में जनसंख्या के अनुरूप मधेसियों की उपस्थिति को रोकना ताकि वह वहां हमेशा अल्पमत में ही रहें।

तालिका 2 : जारी संविधान के सातों प्रदेशों में पहली और दूसरी बाहुल्य सामुदायिक आबादी फीसदो में–

प्रदेश	पहली बाहुल्य समुदाय	फीसदो	दूसरी बाहुल्य समुदाय	फीसदो
1	खस आर्य	28	मधेसी	12
2	मधेसी	89	पहाड़ी	11

3	खस आर्य	37	तामाड़	20
4	खस आर्य	42	मगर	17
5	खस आर्य	30	मगर	16
6	खस आर्य	62	पहाड़ी दलित	23
7	खस आर्य	60	थारू मधेसी	17

वे लोग पहाड़ी दलित समुदाय हैं जो हिन्दू वर्णव्यवस्था के चलते खस आर्य से च्युत कर दिये गए थे।

तालिका 3 : उच्चस्तरीय राज्य पुनसंरचना आयोग के द्वारा 10 प्रदेशों का खाका और सामुदायिक आबादी–

प्रदेश	पहली बड़ी आबादी	फीसदो	दूसरी बड़ी आबादी	फीसदो
लिम्बुवान	लिम्बुवान	27	खस आर्य	27
थ्करांत	राई	35	खस आर्य	27
मधेस	मधेसी	74	पहाड़ी	26
शेवा	खस आर्य	37	नेवार	36
तांसालिंग	तामाड.	35	खस आर्य	30
नारायणी	खस आर्य	45	मगर	11
त्मुवान	खस आर्य	33	गुरूड.	32
म्गरात	म्गर	35	खस आर्य	35
थारूवान	थारू मधेसी + बाजी मधेसी (27) (25)	52	खस आर्य + पहाड़ी जनजाति (25) (23)	48
खपतड़	खस आर्य	60	पहाड़ी दलित	19

तालिका4 : पहली संविधान सभा के राज्य पुनसंरचना समिति द्वारा प्रस्तुत 14 प्रदेशों का सीमांकन सहित प्रदेशों का सामुदायिक आबादी फीसदो में।

प्रदेश का नाम	पहली बड़ी आबादी	फीसदो	दूसरी बड़ी आबादो	फीसदो
लिम्बुवान	खस आर्य	29	लिम्बू	28
थ्करांत	राई	34	खस आर्य	30
सुनकोशी	खस आर्य	37	पहाड़ी दलित	11
शेर्पा	शेर्पा	36	खस आर्य	15
मधेस	मधेसी	74	खस आर्य+पहाड़ी जनजाति (13) (11)	26

शेवा	खस आर्य	39	नेवार	36
तांसालिंग	तामाड.	44	खस आर्य	31
नारायणी	खस आर्य	43	पहाड़ी दलित	11
त्मुवान	खस आर्य	36	गुरूड.	32
म्गरात	खस आर्य	40	मगर	34
थारूवान	बाजी मधेसी+थारू मधेसी (30) (25)	55	खस आर्य+पहाड़ी जनजाति (28) (11)	45
कर्णाली	खस आर्य	62	पहाड़ी दलित	16
खपतड़	खस आर्य	75	पहाड़ी दलित	18
जड़ान	खस आर्य	55	पहाड़ी जनजाति	36

पहाड़ी जनजाति में नेवार , तामाड , लिम्बू , राई , मगर , शेर्पा और गुरूड. समुदाय शामिल किये जाते हैं।

जब संविधान सभा की राज्य पुनसरचना समिति ने 14 प्रदेशों का प्रस्ताव पास किया तो नेपाली कांग्रेस और एमाले के खस नेताओं ने इसे जातीय राज्य बनाने का माओवादी अभियान कहकर खारिज किया। अन्तरिम संविधान में आयोग द्वारा ही राज्य का पुनरसंरचना की कानूनी धाराओं का उल्लेख किया और राज्य पुनरसंरचना आयोग के गठन की मांग को इन दलों ने आगे बढाया। बहुत जद्दोजहद के बाद एक उच्चस्तरीय राज्य पुनरसंरचना आयोग का निर्माण किया। आयोग ने 10 प्रदेश का प्रस्ताव सरकार के जरिए संविधान सभा 1 में पेश किया गया। लेकिन उस प्रतिवेदन को भी इन दलों ने जातीय राज्य करार देकर आयोग की अनुशंसा को खारिज कर दिया। कांग्रेस और एमाले के समक्ष माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद संविधान सभा 2 ने पहले 6 प्रदेश का सीमांकन नेपाली कांग्रेस और एमाले के कुछ प्रभावशाली नेताओं की हठधर्मिता और मधेसी दलों के विरोध के बावजूद पारित किया। लेकिन पहाड़ की कुछ जनजातियों के विरोध के चलते 7 प्रदेश कायम किया गया। एक का छोड़ बाकी सभी छह प्रदेशों में सिर्फ खस समुदाय का बाहुल्य है। लेकिन नेपाली मीडिया और नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी इन्हें जातीय राज्य नहीं कह रही है। समुदायगत प्रदेश देने को ये जातीय राज्य बोलते हैं। खसों का बाहुल्य राज्य होने पर यह जातीय राज्य नहीं नेपाली मिट्टी का सुगंधित राज्य लगता है। यही नेपाल की स्थायी सत्ता का दोहरा चरित्र है।

2. अंतरिम संविधान की धारा 63 उप–धारा 3 के अनुसार पूरे नेपाल में जनसंख्या और भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टता के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र देने के

सिद्धांत के अनुरूप मधेसी की जनसंख्या के आधार पर मधेस में निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया और दो बार संविधान सभा का निर्वाचन सम्पन्न हुआ लेकिन जारी संविधान में मधेस की जनसंख्या के आधार को खत्म कर दिया गया। इससे मधेस में 50 फीसद से ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद यह सुनिश्चित किया गया कि मधेस में कम निर्वाचन क्षेत्र मिलें। तालिका 4 से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र स्थापना के बाद आजतक राज्य ने मधेस भूभाग को कभी भी उसके जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया है। मधेस विद्रोह के दौरान 56 मधेसियों के शहादत के बाद अन्तरिम संविधान में संशोधन कर एकबार मिला था। जारी संविधान में उसे छोन लिया गया है।

तालिका 5 : लोकतंत्र स्थापना से आज तक राज्यसत्ता द्वारा मधेस तथा पहाड़ में वितरित की गई निर्वाचित क्षेत्रों का विश्लेषण–

सन् 1991	मधेस	पहाड़	कुल
जनसंख्या	86,29,795	98,61,302	1,84,91,097
आबादी फिसादो में	48.67	53.34	100.00
आबादी के हिसाब से क्षेत्र संख्या	96	109	205
वास्तविक निर्वाचन क्षेत्र	88	117	205
आबादी प्रति निर्वाचन क्षेत्र	98,066	84,284	
सन् 2001			
जनसंख्या	1,11,54,883	1,15,82,052	2,27,36,935
आबादी फिसादो में	48,43	51,67	100
आबादी के हिसाब से क्षेत्र संख्या	99	106	205
वास्तविक निर्वाचन क्षेत्र	88	117	205
आबादी प्रति निर्वाचन क्षेत्र	1,26,760	1,06,257	
सन् 2003 के मधेस विद्रोह के बाद अन्तरिम संविधान में संशोधन के जरिए निर्वाचन क्षेत्र को 205 क्षेत्र से बढा कर 240 क्षेत्र किया गया और क्षेत्रों को मधेस के आबादी के अनुपात के आधार पर वितरण हुआ			
वास्तविक निर्वाचन क्षेत्र	116	124	240
आबादी प्रति निर्वाचन क्षेत्र	96,163	93,402	

सन् 2011 में जनगणना के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था			
जनसंख्या	1,33,17,436	1,31,70,415	2,64,87,853
आबादी फिसादो में	50.27	49.73	
आबादी के हिसाब से क्षेत्र संख्या	121	119	
लेकिन सन् 2013 के दूसरे संविधान सभा के निर्वाचन में अन्तरिम संविधान के विपरीत क्षेत्रों का वितरण गया और मधेस को आबादी के अनुपात से कम क्षेत्र संख्या दी गई।			
वास्तविक निर्वाचन क्षेत्र	116	124	
आबादी प्रति निर्वाचन क्षेत्र	1,14,805	1,06,217	

3. जारी संविधान में संसद के ऊपरी सदन राष्ट्रीय सभा के लिए हरेक प्रदेश से 8–8 सांसद की संख्या मुकर्रर की गई है जबकि किसी प्रदेश की जनसंख्या 24 लाख है तो किसी की 54 लाख।
4. अंतरिम संविधान की धारा 8 उप–धारा 6 के अनुसार नेपाली पुरूष के साथ विवाहित विदेशी महिला को तुरंत कानून के द्वारा नेपाली नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। इसके उल्टा जारी संविधान में ऐसी महिलाओं को संघीय कानून के अनुसार नागरिकता देने की बात लिख दी गयी है। संघीय कानून संसद बनाएगी और नेपाली सत्ताधारियों की चिर परिचित नीयत को देखते हुए पूरी आशंका है कि मधेसियो के साथ शादी करने वाली भारतीय महिलाओं को नागरिकता देने में कोई पूर्व शर्त जोड़ दी जाएगी। अंतरिम संविधान के मुताबिक जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त पुरूष अपनी संतान को तभी नेपाली नागरिक बनवा पाएगा जब उसकी बीवी भी नेपाली नागरिक हो। बीवी नेपाली नागरिक न होने की अवस्था में उसकी संतान को नागरिकता नहीं मिलेगी। इस तरह एक राज्यहीन समुदाय का निर्माण हो जाएगा नेपाल में। करीब चालीस लाख ऐसे राज्यहीन नागरिक अभी भी नेपाल में हैं। इनकी संख्या बढती जाएगी।
5. नेपाल का गणतंत्र, लोकतंत्र और संघीय बनाने में जनआंदोलन, माओवादियों द्वारा संचालित जनयुद्ध और मधेसियों द्वारा संचालित मधेस विद्रोह का बराबर का योगदान है। संघीयता तो सिर्फ मधेस आंदोलन की उपलब्धि है। जारी संविधान की प्रस्तावना में जनआंदोलन और माओवादियों द्वारा संचालित जनयुद्ध का वर्णन प्रेरक घटना के रूप में किया गया है। इनमें शहीद हुए लोगों के

परिवार को सरकारी संरक्षण मिलने का प्रावधान है लेकिन मधेस आंदोलन का कहीं भी जिक्र तक नहीं किया गया है। यह मधेसियों के प्रति इन खस शासकों के विभेदकारी नजरिए को दर्शाता है। मधेसी आंदोलन में शहादत का कोई मूल्य और महत्व नहीं दिया गया है।

मधेस आंदोलन की उपलब्धियां–

कोई भी आंदोलन मुख्य रूप से राजनीतिक ही होता है। समाज पर इसका जबर्दस्त प्रभाव पड़ता है। मधेस आंदोलन भी राजनीतिक मांगो को राज्यसत्ता से मनवाने के लिए छिड़ा हुआ है लेकिन इसका प्रभाव मधेस के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी पड़ा है।

1. मधेस में दलित और सवर्ण का, अगड़ो समुदाय और पिछड़े समुदाय का, हिन्दू और मुसलमान का, मेरे गांव और तेरे गांव का अन्तर्द्वन्द्व बहुत हो ज्यादा महसूस किया जाता रहा था पर यह आंदोलन का करिश्मा है कि गांव–गांव में मधेसी लोग एक दूसरे से मिल कर रह रहे हैं। झगड़ों का निपटारा भी बहुत ही सौहार्द पूर्वक आपस में ही मिल बैठ कर हो रहा है। मधेस का आपसी अन्तर्द्वन्द्व नहीं दिखाई दे रहा है। मोर्चा और अन्य मधेसी नेताओं को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मधेस में मधेसी राष्ट्रीयता का विकास हो रहा है। सोचना होगा कि उसे कैसे बढावा मिले।
2. इस आंदोलन से मधेस की समस्याओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत, चीन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि समस्या है और इसके समाधान के लिए नेपाल सरकार पर दबाव बनाया है।
3. आर्थिक रूप से देखे तो समग्र राष्ट्र को ही नुकसान हुआ है। मधेस के कल कारखाने बहुत दिनों से बंद है। रोजमर्रा का जीवन प्रभावित है। मधेसी जनता इस को महसूस कर रहो है कि आंदोलन के साथ यह सब होता ही रहता है।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मधेसी समस्या नेपाल की आन्तरिक समस्या है। वर्तमान समय में इस समस्या से उत्पन्न आन्दोलन शिथिल पड़ गए हैं। जिसका प्रमुख कारण मधेसी समस्या के दृष्टिगत नेपाल सरकार द्वारा नवीन संविधान में उनके हितों के लिए कुछ आंशिक संशोधन की पहल कर अपनी वचनबद्धता का सकारात्मक रूप दिया। भारत सहित विश्व के कई प्रमुख देशों द्वारा इस समस्या के निवारण हेतु नेपाल सरकार के रूख में बदलाव के लिए दबाव डाला गया है।

References :

1. Table no. 1 : Community wise population and their share in public administration is derived from a publication in Himal Khabar Patrika and a paper presented by the researches Mr. Ganga Datta Awasthi and Mr. Rabindra Adhikari on "CHANGES IN NEPALESE CIVIL SERVICE AFTER THE ADOPTION OF INCLUSIVE POLICY AND REFORM MEASURES" published by Support to Particiatory constitution in Nepal (SPCBN)/UNDP on Dec. 2012.
2. Table no. 2 & 3 : Community wise population distribution in each 7 provinces as per promulgated constitution and 10 provinces as recommended by the high level state restructuring commission formed by the Government of Nepal are derived from a draft paper presented to '9th South Asia Conference on Culture as a Factor in Regional Co- operation in South Asia" by Prof. Krishna Hachhethu, a member of the HLSR commission and organized by IDS, Delhi, India on 26-27 Nov. 2015.
3. Table no. 4 : Community wise poulation distribution in each 14 provinces as proposed by the state restructuring thematic committee of Constituent Assembly 1 is derived from a document prepared by OCHA Nepal on 10th Feb. 2010 named as Demographic review of CA proposed Federal Units.
4. Table no. 5 : Constituency de-limitation on the basis of data received from the Parliamentary secretarist of Nepal and the population census on that year.

भारतीय चुनाव आयोग संगठन एवं कार्य एक अध्ययन

विवेक कुमार शुक्ला[1]

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार चुनाव होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव एक ऐसे वातावरण में सम्पन्न कराये जाते हैं जिसमें आम जनता को तर्कसंगत विकल्प का चुनाव करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। ऐसो परिस्थिति में एक स्वतंत्र एवं प्रशासकीय निकाय की आवश्यकता महसूस होती है जो किसी राजनीतिक दबाव एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस आवश्यकता की सार्थकता के महत्व को ध्यान में रखकर भारत सरकार अधिनियम 1935 से 'चुनाव आयोग' नामक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था को भारतीय संविधान में समाहित किया। संविधान निर्माता इस स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता से भली–भांति अवगत थे। इसकी व्यवस्था उन्होंने चुनाव आयाग के रूप में की। इस स्वतंत्र निकाय की महत्ता इस बात को प्रमाणित करती है कि भारतीय संविधान का एक पूरा भाग–15 निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्धित है। इस भाग में अनुच्छेद 324 से 329 तक विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाए निर्वाचनों के संबंध में समाहित की गई है।

अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निर्वाचकों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ''वह उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भॉति कार्यपालिका का भी हस्तक्षेप के बिना अपने कार्यों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से क्रियान्वयन कर सक। निर्वाचन आयुक्त के हटाये जाने के लिए जो उपबन्ध है उसके कारण यह कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र हो जाता है और देश में सत्तारूढ़ दल क नियंत्रण से मुक्त निर्वाचन सुनिश्चित हो जाता है।''[1]

---

1. सहा. आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग, सी0आर0डी0 पी0जी0 कालेज, गोरखपुर

''साधारणतः संविधान में चुनावों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नही की जाती और इस कार्य का पूरा भार विधान मण्डलों पर ही छोड़ दिया जाता है।''[2] किन्तु

भारत के संविधान निर्माताओं ने जनता के इस राजनीतिक अधिकार को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने क लिए संविधान का एक पूरा भाग–15 निर्वाचनों से ही सम्बद्ध किया है। संविधान के इस अनोखे भाग में निर्वाचन से सम्बन्धित विभिन्न संवैधानिक प्रावधान किये गए है। भारत में चुनाव की व्यवस्था हेतु एक स्वतंत्र प्रशासकीय तंत्र की स्थापना की गयी है जैसे चुनाव आयोग का नाम दिया गया है।

सुभाष कश्यप के अनुसार ''देश की आजादी के बाद सबसे बड़ी क्रान्ति यह थी कि लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। घोर पिछड़ेपन, घोर दरिद्रता तथा घोर निरक्षरता वाले नये–नये स्वाधीन हुए देश में हर नागरिक को जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो (अब घटकर 18 वर्ष कर दी गयी है) और जो किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्रत, विकृति, अपराध या भ्रष्ट के आधार पर अयोग्य न हो, वोट का अधिकार देना संविधान निर्माताओं की एक बहुत बड़ी आस्था और आम जनता में विश्वास का कार्य था।''[3] स्वतंत्रता के बाद अब तक सम्पन्न हुए 14वीं संसदीय निर्वाचनों तथा लगभग तीन सौ राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचनों को सम्पन्न कराने में निर्वाचन आयाग ने जिस क्षमता से स्वतंत्र एवं निष्पक्षता का परिचय दिया है और जिस प्रकार अपनी जिम्मेदारियों से चुनाव कार्यों का क्रियान्वयन किया है, उससे भारतीय जनता में इस स्वतंत्र प्रशासकीय निकाय की प्रतिष्ठा बढ़ी है। संविधान निर्माता निर्वाचन के मुद्दे को लेकर जनता के राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति काफी सतक थे। वे चाहते थे कि चुनाव आयोग इतने सक्षम परिपूर्ण एवं न्यायसंगत हो, जिससे लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ बनाया जा सके। संविधान निर्माताओं ने भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था को संविधान में उपबन्धित किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर कराये जाने का प्रावधान किया है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने की राष्ट्रपति समय–समय पर नियत करें। राष्ट्रपति यह नियुक्ति तभी कर सकता है जब संसद द्वारा इस संदर्भ में काई विधि बनायी जाती है। प्रादेशिक निवाचन आयुक्तों के नियुक्ति में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु आयोग से परामर्श करता है ताकि निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से क्रियान्वित किया जा सके। ''मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से उन्हीं कारणों पर और रीतियों से हटाया जा सकता है जिन कारणों एवं रीतियो से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है।''[4] अर्थात् केवल

महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। संविधान निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों की अवधि को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, जिससे वे अपने कार्यों को निडरता, निष्पक्षता तथा बिना किसी हस्तक्षेप के सम्पादित कर सकें।[5]

एम0वी0 पायली ने चुनाव आयोग के संवैधानिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि ''भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण अनोखा प्रावधान है जो संविधान के भाग 15वें निर्वाचन के संदर्भ में उपबन्धित है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन के माध्यम से जनता के राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति काफी जागरूक थे, इसलिए संविधान में एक अलग भाग के रूप में सम्मिलित किया गया है।''[6] वे चाहते थे कि चुनाव मशीनरी इतनी सक्षम परिपूर्ण एवं न्यायसंगत हो जो हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित कराने का मार्ग प्रशस्त करे।

भारतीय संविधान निर्माताओं मे संविधान में भाग–15 के अन्तर्गत निर्वाचनों के सम्बन्ध में जो व्यवस्थाऐं उपबन्धित की है वह निम्नलिखित है–

निर्वाचन आयोग से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान संविधान में प्रमुखतः पाँच अनुच्छेदों में मूलतः वर्णित है।

अनुच्छेद 324 : निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना।

अनुच्छेद 324(1) : इस संविधान के अधीन संसद और राज्य के विधान मण्डल के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों का संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है।

अनुच्छेद 324(2) : निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हो, जितने राष्ट्रपति समय पर नियत कर, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा इस निमित्त बनायी गयी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

अनुच्छेद 324(3) : जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्ति किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

अनुच्छेद 324(4) : लोकसभा के और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद् वाले प्रत्येक राज्य की

विधान परिषद् के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात् द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, खण्ड–(1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में आयाग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे।

अनुच्छेद 324(5) : संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्ते और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें परन्तु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हों आधारों पर ही हटाया जाएगा। जिस रीति से और जिन आधारा पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अन्यथा नहीं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्ते में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 324(6) : जब निर्वाचन आयोग एक अनुरोध करें तब राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्तों को उतने कर्मचारोवृंद उपलब्ध कराएगा जितने खण्ड–(1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

अनुच्छेद 325 : धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक साधारण निर्वाचक, नामावली होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक, नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा।

अनुच्छेद 326 : लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना –

लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधान सभाओं का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर सम्पन्न होंगे। अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो तथा जिसकी आयु (उस तिथि को जिसका निर्धारण इस संबंध में उचित विधान मण्डल द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार 18 वर्ष से कम न हो[7] तथा जो इस संविधान के अनुसार मताधिकार से अयोग्य न ठहराया गया हो अथवा जिसे समुचित विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चितविकृति, अपराध या

भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 327 : विधान मण्डलों के लिए निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने की संसद की शक्ति – इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संसद समय–समय पर विधि द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन से सम्बन्धित या सशक्त सभी विषयों के सम्बन्ध में, जिनके अन्तर्गत निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित कराने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबन्ध कर सकेगी।

अनुच्छेद 328 : किसी राज्य के विधान मण्डल के लिए निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने की उस विधान मण्डल की शक्ति–

इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और जहां तक संसद इस निमित्त उपबन्ध नहीं करती है वहां तक किसी राज्य का विधान मण्डल समय–समय पर, विधि द्वारा, उस राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से सम्बन्धित या सशक्त सभी विषयों के सम्बन्ध में, जिनके अन्तर्गत निर्वाचक–नामावली तैयार करना और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी विषय है, उपबन्ध करेगा।

अनुच्छेद 329 : निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन– इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी –

(क) अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधि मान्यता जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों आवंटन से सम्बन्धित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

(ख) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका समुचित विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन उपबन्ध किया जाए, अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 329(क) : प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद क लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबन्ध –

संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम 1978 की धारा 36 (20–6–1979) से निरसित।[8]

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 1956 तक कोई वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। उसे यह वैधानिक दर्जा जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन के द्वारा दिया

गया। मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यकाल का गठन एक प्रशासनिक संरचना एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकती है जो उस राज्य के आकार एवं कार्य बोझ पर निर्भर होती है। भारत की विविधता, आकार एवं जनसंख्या के दृष्टिगत कुशलतापूर्वक स्वतंत्रत एवं निष्पक्ष चुनावों का संपादन एक वृहद् कार्य है।

1950 में चुनाव आयोग के गठन से लेकर अक्टूबर 1989 तक आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता रहा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 1989 के आम चुनाव से पूर्व कर दी, यद्यपि इन दोनों चुनाव आयुक्तों का पद एक जनवरी 1990 को समाप्त कर दिया गया। पुनः एक अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति क साथ ही कानून में संशोधन करके यह व्यवस्था भी की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की शक्तियाँ उनके वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें भी एक जैसी होगी। कानून में यह भी व्यवस्था की गयी कि यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों में मतभेद हो तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करेगा। इस कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। 14 जुलाई 1995 को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने इस याचिका को रद्द करते हुए इन कानूनों के प्रावधानों को संवैधानिक माना। इस प्रकार आयोग तीन सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है।[9]

1952 में, प्रथम आम चुनाव के लिए राष्ट्रपति ने चार क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की स्वीकृति दी। उनमें से दो को ही छः माह के कार्यकाल हेतु नियुक्ति की गई। दूसरी ओर 1956 में निर्वाचन आयोग ने क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों के पद के स्थान पर एक नया पद उपनिर्वाचन आयुक्त बनाया।

1957, 1962 और 1967 के आम चुनावों में निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए कोई उपनिर्वाचन आयुक्त नहीं था। 1969 में हुए मध्यावधि चुनाव में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु एक उप निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई।[10]

इस प्रकार उप निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से मुख्य निर्वाचन आयुक्त समय–समय पर इसका लाभ उठा पाया जैसा कि एस0पी0 सेन वर्मा का दृष्टिकोण है कि ''क्यों इस प्रथा को स्थगित किया जाना चाहिए।''

राम कृष्ण हेगड़े का भी मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग पूरी तरह से अपनी कार्यों का निर्वहन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से नहीं कर सकता। उन्होंने उल्लेख किया है कि ''18 जून 1985 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधार के बारे में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सुझाव आमंत्रित किये। जनता पार्टी ने अपने प्रत्युत्तर में यह सुझाव रखी कि निर्वाचन

आयोग को तीन सदस्यीय होना चाहिए''[11] जैसा कि बी0 शिवा राव ने 1970 में इसका समर्थन करते हुए लिखा है कि ''इतने बड़े उत्तरदायित्व का संतोषजनक निर्वहन एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह उपयुक्त अवसर है कि संविधान के अनुच्छेद 324 का विस्तार किया जाए और निर्वाचन आयोग को कम से कम पांच सदस्यीय संगठन बनाया जाए। जिसमें एक अध्यक्ष का पद हो। ऐसा आयोग राजनीतिक दबावो से मुक्त रहेगा और जनता के विश्वास को बनाए रखेगा।''[12]

बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग की योजना को रेखांकित करने के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य भ्रान्तियों जिसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्षता निहित है को एक सामूहिक संगठन के रूप में परिवर्तित करके ही दूर किया जा सकता है।

इस प्रकार निम्नलिखित आधारों पर निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किये जाते रहे हैं –

1– ऐसा बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग एक व्यक्ति की तानाशाही की संभावना को समाप्त करेगा।

2– यह आयोग से जडे अपने उत्तरादायित्वों का निर्वहन बिना किसी राजनीतिक दबावों से स्वतंत्र होकर करेगा तथा यह अर्धन्यायिक संगठन के रूप में कार्य करेगा।

3– ऐसा आयोग सर्वसम्मत पर आधारित निर्णय लेगा और स्वतंत्र प्रशासकीय निकाय के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा।

उल्लेखनीय है कि आयोग बहुसदस्यीय बनाए जाने के पक्ष में नहीं था। 1972 में चुनाव आयोग की तरफ से यह पक्ष रखा गया कि प्रभावी और त्वरित कार्य हेतु आयोग का एक सदस्यीय रहना आवश्यक है। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस0पी0 सेन वर्मा ''जिन्होंने बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग के विस्तार का विरोध किया था और एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग का समर्थन किया।''[13]

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी0एन0 शेषन भी बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। उनकी भूमिका इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि वे 'नरसिंह राव मंत्रिमण्डल द्वारा कृष्णमूर्ति एवं मनोहर सिंह गिल की नियुक्ति' जिसे तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी0एन0 शेषन ने पसन्द नहीं किया और उनके अन्य दो चुनाव आयुक्तों के बीच लम्बे समय तक संघर्ष एवं तनाव की स्थिति बनी रही। टी0एन0 शेषन की भूमिका से असन्तुष्ट होकर दोनों चुनाव आयुक्तों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके अपनी पद की गरिमा को संवधानिक बनाने में सफलता हासिल करके इस निकाय को बहुसदस्यीय बनाने का श्रेय आयोग को दिलाया।

वर्तमान समय में दिल्ली स्थित मुख्यालय स्तर पर निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए दो निर्वाचन आयुक्तों, तीन उप निर्वाचन आयुक्तों तथा छः सचिवों की व्यवस्था है जिससे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन कर सकें। सचिवालय आठ शाखाओं में विभक्त है। प्रत्येक शाखा एक उपसचिव या उसके समकक्ष अधिकारी के अधीन है। इन शाखाओं को तीन अनुभागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अनुभाग एक अधिकारी के अधीन निर्देशित होता है और उसके कई सहायक लिपिक, कनिष्ठ लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जुड़े होते हैं।

अनुच्छेद 324 : में निहित शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से समय–समय पर संसद ने कानून बनाये हैं। जैसे 1950 और अप्रैल 1951 का जनप्रतिनिधित्व अनिधित्व अधिनियम, 1952 का राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अधिनियम, 1963 का संघ शासित अधिनियम, परिसीमन आयाग अधिनियम, 1952, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सरकार के लिए 1991 का अधिनियम तथा इन सभी अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले नियम और आदेश।

स्वतंत्रता के पूर्व, ब्रिटिश शासन में भारत की एकता को साम्प्रदायिकता एवं पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर विभाजित करके लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया गया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस कमी को संविधान में दूर करके अनुच्छेद 235 में इस बात का उल्लेख किया है कि संसद या राज्य विधान मण्डलों के निर्वाचन के लिए, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी और धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, को अपात्र नहीं किया जायेगा।

संविधान के अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। संविधान में निर्वाचन से जुड़े सभी प्रावधानों का व्यापक उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 327 के तहत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि निर्वाचनों से जुड़े सम्पूर्ण कानून का निर्माण करें। इसको संविधान के 7 अनुसूचि पैरा–72 तथा अनुच्छे 328 के साथ राज्य सूची के पैरा–73 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।[14]

इस प्रकार यह न सम्प्रदाय के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव किए जाने की संभावना समाप्त करता है अपितु अनुच्छेद 325 और 326 के द्वारा महिलाओं को भी समान अधिकार प्रदान करता है।

इन दायित्वों को सफल संचालन हेतु 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्वाचन आायेग के शक्तियों और उन प्रशासनिक तंत्रों की व्यापक व्यवस्था की गई है जो निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों में आयोग की सहायता करेंगे। अधिनियम

के भाग चार में चुनावों के संचालन हेतु प्रशासनिक तंत्र की विस्तृत चर्चा की गई है। अधिनियम की धारा 19(ए) में व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन आयोग अपने अधिकारों को उपनिर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग के सचिव को प्रत्यायोजित कर सकता है तथा धारा 20 में मुख्य चुनाव अधिकारी के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्थाएँ उपबन्धित की गई है। जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को अधिनियम के अधीन किसी भी राज्य में होने वाले समस्त चुनावों के पर्यवेक्षण का कार्य करना होगा।

20(ए) में जिला निर्वाचन अधिकारियों के सामान्य दायित्वों पर प्रकाश डाला गया है, इसमें कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारियों के पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी जिला स्तर पर तथा उसके अधिकार क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में संसद एवं राज्य विधान मण्डल के लिए होने वाले चुनावों के निरीक्षण का कार्य सम्पादित करेगा। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी उन कार्यों को भी सम्पन्न करेगा जो समय–समय पर उसे चुनाव आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सौपें जाएगें।[15]

जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 20(बी) में चुनाव पर्यवेक्षक की व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत

1– मुख्य निर्वाचन आयोग चुनाव पर्यवेक्षकों को नामित करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह पर्यवेक्षक सरकार का कोई अधिकारी होगा जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले चुनावों के संचालन पर दृष्टि रखेगा। उसके दायित्वों के कई निर्वाचन क्षेत्रों के एक समूह के लिए भी सौंपा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसे निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य दायित्व भी सौपें जा सकते हैं।

2– पर्यवेक्षक को मतगणना अधिकारी के द्वारा परिणाम घोषित होने से पूर्व किसी भी समय मतगणना का कार्य रोक देने का आदेश देने का अधिकार होगा। उसे यह भी अधिकार होगा कि वह मतगणना अधिकारी को चुनाव परिणाम घोषित करने से रोक दें। ऐसा तब प्रावधान होगा जब यदि उसे इस बात का सन्देह हो जाए कि जिस निर्वाचन क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए जहां उसे पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है उसमें व्यापक स्तर पर मतदान स्थलों पर कब्जा एवं गैर कानूनी ढंग से मतदान हुए हैं अथवा मतपत्रो को गैर कानूनी ढंग से मतगणना अधिकारी के नियंत्रण स छीन लिया गया हो या दुर्घटनावश या जानबूझकर मतपत्र नष्ट किए गए हो जिससे कि चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है।

3– मुख्य मतगणना अधिकारी को मतगणना कार्य से रोकने अथवा चुनाव परिणाम घोषित करने से रोकने का निर्देश देने के उपरान्त पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि वह निर्वाचन आयोग को इस पूरे मामले की अनुशंसा प्रेषित करें जिसके उपरान्त चुनाव आयोग समस्त परिस्थितियों का अध्ययन और आकलन करने के उपरान्त धारा 58(ए) अथवा धारा 64(ए) अथवा धारा 66 के अधीन आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत है।

धारा 21 : रिटर्निंग अधिकारी : राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद के होने वाले प्रत्येक निर्वाचन के लिए राज्य की सरकार के साथ मंत्रणा करके चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी को नामित करेगा जो कि या तो किसी सरकारी अधिकारी होगा अथवा स्थानीय प्रशासनिक सत्ता। यह भी प्राविधि किया जाता है कि निर्वाचन आयोग उसी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित कर सकता है।

धारा 22 : सहायक रिटर्निंग अधिकारी : निर्वाचन आयोग रिटर्निंग अधिकारी के अनुपालन एवं सहायता हेतु एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है परन्तु ऐसा व्यक्ति सरकारी अधिकार या स्थानीय सत्ता का अधिकारी होगा।

प्रत्येक सहायक रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन अधिकारी के अधीन रिटर्निंग अधिकारी के सभी या किन्हीं कार्यों को करने के लिए सक्षम होगा जो नामांकन पत्रों की वैधता के जॉच से सम्बन्धित हो, तब तक जब तक कि इस सम्बन्ध में किसी अपरिहार्य कारणों से इस कार्य को सम्पादित करने से रिटर्निंग अधिकारी को रोका नहीं गया हो।

चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य :

चुनाव आयोग के कार्यों को तीन चरणों में विभक्त करके जैसे– चुनाव पूर्व कार्य, चुनाव के दौरान कार्य एवं चुनाव सम्पन्न होने के उपरान्त कार्य के रूप में अध्ययन किया जा सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में उपबन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत संसद तथा राज्य विधान मण्डलों से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवस्था करना चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है।

चुनाव आयोग के कुछ प्रमुख दायित्वों का विवेचन डॉ0 आर0एन0 त्रिवेदी एवं डॉ0 एम0पी0 राय द्वारा इस प्रकार किया गया है जो निम्नलिखित है–

1– संसद तथा राज्य विधान मण्डलों का निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों क निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन, और नियंत्रण करना।

2– उक्त निर्वाचनों का संचालन करना।

3– संसद तथा राज्य विधान मण्डलों का निर्वाचन सम्बन्धी संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति करना।

4– संसद तथा राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों की अनर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श देना।

निर्वाचन आयोग के चुनाव पूर्व कार्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन प्रमुख है। 1952 में संसद द्वारा पारित परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन की व्यवस्था की जाती है। इस अधिनियम म यह प्रावधान है कि प्रति दस वर्ष बाद होने वालो जनगणना के पश्चत् एक परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन होता है तथा सवोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के दो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। आयोग के लिए कुछ सदस्य भी होते है जिनकी संख्या प्रत्येक राज्य के लिए 2 से 7 तक हो सकती है तथा जिन्हें सम्बन्धित राज्य के लोकसभा या विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। जनता व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपने सुझाव या आपत्तियाँ आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है जिन पर आयोग द्वारा अपनी खुली बैठकों में विचार किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार के आपत्तियों के सुझावों पर विचार करने के बाद आयोग अपना परिसीमन आदेश जारी करता है, जो अन्तिम होता है तथा जिसके विरूद्ध किसी न्यायालय में आपत्ति या अपील नहीं की जा सकती।

दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि मतदाता सूचियाँ तैयार करना एवं उसे अद्यतन बनाए रखना। लोकसभा एवं राज्यों के विधान मण्डलों या किसी प्रकार के निकायों के चुनाव कराने से पूर्व मतदाता सूचियाँ तैयार करना। इस कार्य के सम्पन्न होने के बाद ही चुनाव होते हैं। इस कार्य को इस उद्देश्य से सम्पन्न कराया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति, मताधिकार से वंचित न रह जाए जो मताधिकार की योग्यता रखता है। ये सूचिया तैयार कराना इस लिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक चुनाव के समय कुछ मतदाताओं के नाम मृत्यु के कारण मतदाता सूची से निकालने होते हैं तथा कुछ के नाम जोड़ने होते हैं कि वे उस आयु समूह में आ गए हैं जो मताधिकार के लिए निर्धारित है।

चुनाव आयोग का तृतीय महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना है। चुनाव आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में कई आधार निश्चित किया जा सकत है। समय–समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा दलों के मान्यता दिए जाने के नियमों में परिवर्तन किये जाते रहे है। प्रथम आम चुनाव के बाद आयोग ने यह निर्धारित किया था कि केवल उन्हीं दलों को मान्यता दी जाएगी जो राष्ट्रीय दल के रूप में लोकसभा चुनाव तथा राज्य स्तरीय दल के रूप में राज्य

विधान सभा चुनाव में कम से कम तीन प्रतिशत मत प्राप्त कर। वर्तमान नियम के अनुसार ''विद्यमान कानूनों की विसंगतियों को दूर करते हुए चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों को मान्यता प्रदान करने से सम्बन्धी शर्तें में परिवर्तन करने हेतु चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 में संशोधन किया है।

दलों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी शर्तों को और उदार बनाया गया है। कोई दल यदि पत्येक 25 संसदीय चुनाव क्षेत्र में से एक क्षेत्र में विजयो होता है तो उसे राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। यदि कोई दल कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तर के दल के रूप में स्थापित हो जाता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तें हैं –

दल के द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को कम से कम चार राज्या में कुल वैध मतों का 6 प्रतिशत मत प्राप्त हो, विगत लोकसभा चुनाव में राज्य या राज्यों में कम से कम चार सदस्य चुनाव में विजीय हुए हो, कम से कम तीन में कुल संसदीय क्षेत्रका दो प्रतिशत सीट प्राप्त हुआ हो।

राज्य स्तरीय दल के मान्यता हेतु नये मानक के तहत दल के उम्मीदवारों को संसदीय क्षेत्र में कुल वैध मतों का कम से कम 6 प्रतिशत मत प्राप्त हों एवं उसी चुनाव में एक लोकसभा सीट पर चुनाव जीत दर्ज किया हो।

संशोधित शर्तों से उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थितियां भी आई है जब कोई दल किसी राज्य में उपयुक्त संख्या में लोकसभा में जीत दर्ज करता है लेकिन उसे राष्ट्रीय स्तर के दल के योग्य नहीं माना जाता रहा है। उदाहरण के लिए सी0पी0आई0 को पांच राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है लेकिन राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता समाप्त होने के कगार पर है क्योंकि उसे लोकसभा में कम से कम 11 सांसदों की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान समय में दल के पास मात्र 10 सांसद है।

हाल ही में किये गए सुधार से राष्ट्रीय स्तर पर सी0पी0आई0 एवं राज्य स्तर पर पी0एम0के0 एवं एम0डी0एम0के0 लाभान्वित होंगे।

भारतीय संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को कुछ अर्द्धन्यायिक कार्य सौपें गए हैं। संसद सदस्य के सदस्यता के लिए योग्य है या नहों इस सम्बन्ध में आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति अपना निर्णय देता है। इसी प्रकार राज्य विधानमण्डल का कोई विधायक सदस्यता के योग्य है या नहों इस सम्बन्ध में आयोग के परामर्श पर ही संबंधित राज्यपाल अपना निर्णय देता है।

आयोग की शक्ति न्यायिक पुनरावलाकन के अधीन है (चूंकि आयोग की शक्ति अर्द्ध न्यायिक स्वरूप है)। ए0जी0एच0एल0 बनाम ए0 संगमा के वाद में सवोच्च न्यायालय ने (1977) अपने विनिश्चय में यह अवधारित किया था कि उच्च

न्यायालय ऐसे मामलों में जिनमें निर्वाचन आयोग को अधिकार नहीं है अथवा जहां उसके अधिकारों से मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो अथवा संविधान में निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन हो रहा हो, न्यायालय आयोग के आदेशों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है।

निर्वाचन आयोग के अन्य प्रमुख कार्य निम्नलिखित है–

1– मतदाताओं को मतदान कार्य का प्रशिक्षण देने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में अभियान चलाने हेतु दिशा निर्देश देने तथा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से इसका प्रचार–प्रसार करना।

2– प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार करने के नियमों का निर्माण करना।

3– उम्मींदवारों द्वारा चुनाव के दौरान किए जाने वाले व्यय की सीमा का निर्धारण करना और इस कठोरता से पालन कराने हेतु दिशा निर्देश जारी करके चुनाव व्यय का हिसाब लेना।

4– राजनैतिक दलों से चुनाव में किये गये व्यय का हिसाब माँगना।

5– राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार की उचित सुविधा (आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रयोग आदि) उपलब्ध कराना।

6– स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना।

7– चुनाव याचिकाआ के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देना।

8– अपने कार्यों के विषय में तथा चुनाव प्रक्रियाओं में सुधार के सम्बन्ध में सरकार को प्रतिवेदन देना।

9– किसी चुनाव में हुई अनियमितताओं के आधार पर उस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रद्द करना, पुनः मतदान करवाना तथा मतगणना करने हेतु ईमानदार एवं निष्पक्ष अधिकारियों की नियुक्ति कराने का निर्देश जारी करना।

10– मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन करना तथा राज्य सभा के द्विवाषिक चुनावों को व्यवस्था करना।

11– गैर–कानूनी मतदान रोकने हेतु फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देना।

उपर्युक्त कार्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि निर्वाचन आयोग की बहु–आयामी भूमिका है। भारत की संसदीय व्यवस्था में इसका महत्व और भूमिका निर्विवाद है।

सन्दर्भ

1– डॉ0 दुर्गा दास वसु, 'भारत का संविधान एक परिचय', वाथवा एण्ड कम्पनी, नागपुर, 1989, पृ0 390

2– एम0वी0 पायली, 'कांस्टीच्यूसनल गर्वमेन्ट इन इण्डिया' बम्बई, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1977, पृ0 327

3– सुभाष कश्यप, हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, 1996 पृ0 221

4– त्रिवेदी, आर0एन0 एवं एम0पी0 राय : 'भारतीय शासन और राजनीति' कालेज बुक डिपो, 1968, पृ0 353.

5– जयनारायण पाण्डेय, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, 1971, पृ0 442.

6– एम0वी0 पायली, कॉस्टीट्यूसन गवर्नमेन्ट इन इण्डिया, बम्बई, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1977, पृ0 770

7– 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष किया गया, जिसे 18–3–1989 को प्रतिस्थापित किया गया।

8– भारत का संविधान, कानून प्रकाशन, 2004, पृ0 225–227

9– बी0 शिवा राव, 'इलेक्शन प्रैक्टिस्स एण्ड मशीनरी', 'नीड फार रिफार्म्स' जर्नल ऑफ कॉस्टीच्यूसनल एण्ड पार्लियामेन्टरी स्टैडीज, वा0 IV, अक्टूबर, 1970, पृ0 486.

10– रामकृष्ण हेगड़े, इलेक्ट्रोल रिफार्म्स : लेक आफ पोलिटिकल बिल, बंगलौर, कर्नाटका स्टेट जनता पार्टी, पृ0 49.

11– बी0 शिवा राव, इलेक्शन प्रैक्टिसेस एण्ड मशीनरी, 'नीड फॉर रिफार्म्स जरनल ऑफ कॉस्टीच्यूशनल एण्ड पार्लियामेन्टरी स्टेडीज, वा0 IV अक्टूबर–दिसम्बर, 1970, पृ0 488

12– मैनुवल ऑफ इलेक्शन कमिशन, पृ0 71

13– वही, पृ0 71–79

14– मैनुवल ऑफ इलेक्शन कमीशन, पृ0 72.

15– डॉ0 आर0एन0 त्रिवेदी एवं डॉ0 एम0पी0 राय : 'भारतीय सरकार एवं राजनीति', कालेज बुक डिपो, दिल्ली, 1997, पृ0 354

तीन दिन की बारात
(बुन्देलखण्ड के ग्रामीण अंचलों की एक विलुप्त परम्परा)

डॉ0 राजेश कुमार पाल[1]

परम्परा सामाजिक विरासत का अभौतिक पक्ष है और जब यह पक्ष अलिखित, मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होने लगती है तो उससे एक लघु परम्परा का सृजन होता है। लघु परम्पराएँ स्थानीय होती हैं, उनमें सर्वव्यापकता का अभाव पाया जाता है। बुन्देलखण्ड के ग्रामीण अंचलों की तीन दिन की बारात लघु परम्परा का ही एक रूप है। परन्तु यह परम्परा अब विलुप्त हो गई है, मात्र उसकी यादें ही यहाँ के निवासियों में शेष रह गई हैं।

बुन्देलखण्ड के ग्रामीण अंचलों में आज से कुछ समय पहले तीन दिन की बारातें होती थीं अर्थात् शादी–विवाह का कार्यक्रम तीन दिन होता था। वैसे शादी–विवाह की रस्में तो एक सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती हैं परन्तु यहाँ के ग्रामीण अंचलों में पहले बारातें तीन दिन कन्या पक्ष के यहाँ ठहराव करती थीं। ये उस समय की बातें हैं जब आवागमन के साधन इतने विकसित नहीं थे, जब बारातें अधिकांशतया बैलगाड़ी के द्वारा ही जाया करती थी परन्तु नगरीय संस्कृति के ग्रामीण जीवन में प्रवेश, भौतिकवादी प्रवृत्ति, आवागमन के साधनों का विकास, ग्रामीण जीवन में सहयोग की कमी आदि कुछ ऐसे कारक हैं जिसने इस परम्परा को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बुन्देलखण्ड के ग्रामीण अंचलों में पहले बैलगाड़ी ही बारात ले जाने का प्रमुख साधन थीं। एक बारात में पन्द्रह से बीस सग्गड़ (बैलगाड़ी का छोटा रूप) होते थे। इन सग्गड़ों में बैलों के लिए तीन दिन की खाद्य सामग्री भी रहती थी। दूल्हे के घरवाले भी रास्ते में बारातियों के

1. **असिस्टेंट पोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गो0तु0राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट (उ0प्र0)**

खाने के लिए कुछ सामग्री रखते थे। यदि बारात दूर जाना है तो यह सुबह ही रवाना हो जाती थी ताकि समय से कन्या पक्ष के यहाँ पहुँच सके। बारात के जनवासे (बारात ठहरने का स्थान) पहुँचते ही कन्या पक्ष के लोग उनका स्वागत सत्कार करते थे और 'ठन्डई' पिलाते थे। ठन्डई एक शीतल पेय पदार्थ है और बारातियों के स्वागत का मुख्य आधार थी। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यहाँ के ग्रामीण अंचलों में विवाह अधिकांशतया गर्मियों में ही होते थे। फसल की कटाई व मड़ाई के बाद ही लोग विवाह इत्यादि करते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर है। सर्दियों में विवाह करने में वे समर्थ नहीं होते। ठन्डई सिर्फ गर्मियों में ही पिलाई जाती है क्योंकि यह शीतल पेय है जो मखाना, भांग, चीनी, तरबूज बीज, धनिया, कालीमिर्च, पोस्तादाना, खरबूजा बीज, केसर, बादाम, मुनक्का, इलायची, सौंफ इत्यादि को एक साथ पीसकर बनाई जाती है। परन्तु आज गाँवों में कोका कोला, पेप्सी, रुहआबजा इत्यादि पेय पदार्थों के प्रचलन के कारण यह परम्परागत पेय लुप्त हो गया है। ठन्डई इतनो बड़ी मात्रा में तैयार की जाती थी कि सब बाराती बडे चाव से पीते थे इससे बारातियों को दिन भर की गर्मी व थकान से बड़ी राहत मिलती थी। पहले गाँव में सहयोग की भावना इतनी व्याप्त थी कि बारातियों के स्वागत के लिए युवकों की कमी नहीं थी। पहले जिस लड़की की शादी होती थी वह व्यक्ति विशेष की न होकर पूरे गाँव की लड़की मानी जाती थी ऐसी लोगों में मान्यता थी और उसका वह भलीभांति पालन भी करते थे। प्रत्येक व्यक्ति उस उड़की में अपनी लड़की की छवि देखता था। गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से एक चारपाई बिना किसी के कहे उस स्थान तक स्वतः पहुँचा देता था। इतना ही नहीं वह चारपाई के साथ मौसम के अनुरूप कपड़े भी पहुंचाता था। बारात विदा होने के पश्चात सभी गांव वासी अपनी–अपनी चारपाईंया व अन्य सामान स्वतः ही ले जाते थे। यही विशेषताएं ग्रामीण जीवन को बहुत समय तक आत्मनिर्भर बनाए हुए थीं। आज ये सब बातें मात्र कल्पना सी लगती हैं।

विवाह के प्रथम दिन रात में द्वारचार (टीका) के समय वाद्ययंत्रों व लोकनृत्यों की प्रस्तुति अपने आप में बहुत ही सहज थी। वाद्ययंत्र हाथ से ही निर्मित होते थे जिनमें ढोल, नगड़िया, बीन, झांझे प्रमुख थीं। इन्हीं की सम्मिलित धुन पर लोकनर्तक अपने नृत्यों को भावपूर्ण ढ़ंग से प्रस्तुत करते थे। इन नृत्यों में दुलदुल घोड़ी अवश्य रहती थी। दुलदुल घोड़ी लकड़ी की बनी होती थी जिसमें कोई नर्तक उसमें प्रवेश कर नचाता था। इसके अतिरिक्त भालू, शेर व अन्य जीव–जन्तुओं के मुखौटे पहनकर लोग नृत्य करते थे। इन परम्परागत लोक नृत्यों की प्रस्तुति बहुत भावपूर्ण होती थी।

विवाह के दूसरे दिन प्रातः भांवर पड़ती थी। भांवर में दूल्हा–दुल्हन व कुछ बुजुर्ग जन ही होते थे। शेष बाराती जनवासे में मनोरंजन का आनंद लेते थे। बाराती स्वयं अपने साथ ही लोक कलाकारों को लाते थे। ये लोक कलाकार लोकगायनों, लोकगीतों व लोकनृत्यों के माध्यम से बारातियों का भरपूर मनोरंजन करते थे। इसमें उस गांव के निवासी बड़ी मात्रा में इनको सुनने व देखने आते थे। यहाँ पर उपस्थित गांववासियों का बारातीगण स्वागत–सत्कार करते थे, उनको बैठने का स्थान प्रदान करते थे, अपने पास उपलब्ध खाद्य सामग्रियों से उनका मुंह मीठा करते थे, पान–सुपारी इत्यादि खिलाते थे। इस दिन बारातियों व जनातियों (गांववासी) में इतना मेलजोल हो जाता थ कि किसी को लगता ही नही था कि बाराती पराए लोग हैं। गांववासी खुशी से इतना गदगद हो जाते थे कि उस गांव में उपस्थित लोक कलाकार व गायक भी अपने आप को रोक नहीं पाते थे और वे भी उन्हीं की खुशी में रम जाते थे। इस उल्लास व आनन्द का कोई अन्त नहीं था। कब ये पूरा दिन रात म परिवर्तित हो गया किसी को आभास भी नहीं हो पाता था। बारातियों को भोजन बड़े ही सहज ढ़ंग से कराया जाता था। तीन दिन की बारात में कभी पक्का खाना तो कभी कच्चा खाना बनता था। बारातियों को एक पंगत (पंक्ति) में बैठाकर दोने–पत्तल में खाना खिलाने का अंदाज निराला था। व्यंजन तो एक–दो ही रहते थे परन्तु सहयोग, आपसी लगाव व प्यार से भरपूर इनकी मिठास सौ व्यंजनों से कहीं अधिक थी। इन व्यंजनों को बनाने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं पड़ती थी वरन् इनको गांव के प्रमुखजन व औरतें अपने हाथों स बड़ी तत्परता से निर्मित करते थे। खाने के अन्त में गोरस (मट्ठा) परोसा जाता था। मट्ठे को बारातीगण नमक या चीनी के साथ पीते थे। मट्ठा गर्मियों में बड़ा ही फायदेमन्द होता है। इसको पीने से व्यक्ति बीमार होने से बचता है। ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यता रहतो थी। सभी गांववासी अपने–अपने घर का मट्ठा कन्या पक्ष के यहाँ स्वतः ही पहुंचा देते थे। कच्चे खाने में अधिकांशतया दाल रोटी ही बनाई जाती थी। दाल अधिकतर अरहर या चने की रहती थी। रोटियों में देशी घी जरूर लगाया जाता था। घी को दाल में भी डाला जाता था। इस शुद्ध देशी घी की अपनी एक अलग महत्ता थी। दोने पत्तल हरे–भरे पत्तों से निर्मित होते थे जिनकी शुद्धता की अपनी एक अलग पहचान थी। पानी पीने के लिए डिस्पोजल ग्लास की जगह कुल्हड का प्रयोग होता था। कुल्हड़ मिट्टी से बने होते थे और इन्हें गांव में निवास रत कुम्हार जाति के व्यक्ति बनाते थे। एक कुल्हड सिर्फ एक ही बार प्रयुक्त होते थे। दूसरी बार में नये कुल्हड़ प्रयोग किये जाते थे परन्तु ये कुल्हड़ इतने सस्ते होते थे कि व्यक्ति को इसमे तनिक भी आर्थिक तंगी का आभास नहीं होता था। बारातियों को खाना खिलाने व खाना परोसने के लिए गांववासी अपने–अपने घरों से पात्र लाकर ऐसे

जुट जाते थे मानो कि उनके ही घर में विवाह हो रहा है। सभी काम एक स्वचालित व्यवस्था के तहत अपने आप संचालित होते दिखाई देते थे। विवाह के तीसरे दिन सुबह पहले 'कलेवा' होता था। कलेवा में दूल्हा सजधज कर अपने हमजोली के साथियों सहित दुल्हन के घर जाता था। कभी–कभी दूल्हा पालकी में जाता था और उसके साथी पैदल जाते थे। दृश्य बड़े मनभावक होते थे। कलेवा एक तरह का स्वल्पाहार होता है। यहाँ के ग्रामीण अंचलों में जब कोई स्त्री अपने पति को खेत में नाश्ता देने जाती है तो उसे 'कलेवा' कहते है। इस पकार कलेवा का तात्पर्य सुबह के नाश्ते से ही है। दूल्हे के कलेवे में उसके संग साथियों सहित दस से पन्द्रह लोग होते थे। कलेवे में दूध, पूड़ी एवं चीनी दी जाती थी। आगे चलकर उनकी जगह कलेवे में मिठाई एवं नमकीन दी जाने लगी। इस नाश्ते को दूल्हा तुरन्त ग्रहण नहीं करता था वरन् वह ऐसी मुद्रा में रहता था जैसे वह नाराज हो और किसी चीज की इच्छा रखता हो। इस दौरान वहाँ पर उपस्थित महिलाएं दूल्हे को चिढ़ाने के लिए गीत भी गाती थीं। इसके अतिरिक्त एक–एक महिला दूल्हे के पास आकर दूल्हे को खिलाने का प्रयास भी करती थी पर वे असफल रहती थीं और दूल्हे की थाली में अपनी श्रद्धा व हैसियत के अनुसार रुपये रखकर व दूल्हे के पैर छूकर वापस अपने स्थान पर बैठ जाती थीं। यह क्रम काफी देर तक चलता रहता था, जब तक कि सब स्त्रियां दूल्हे को मनाने का प्रयास न कर लें। अन्त में लड़की का पिता या माता या अन्य कोई नजदीकी रिश्तेदार दूल्हे के पास जाता था और उसकी मांग के बारे में पूछता था। यदि मांग लड़की के पिता के अनुकूल है तो वह खुशी से हाँ कर देता था और यदि अनुकूल नहीं है तो वह दूल्हे से हाथ जोड़कर निवेदन करता था कि वह उसकी मांग को पूरा नहीं कर सकता। निवेदन इत्यादि के बाद दूल्हा कलेवा कर लेता था। वैसे दूल्हे की मांग उस समय अधिकांशतया घड़ी, साइकिल, रेडियो, गाय या भैंस इत्यादि होती थो। कलेवा एक प्रकार की विवाह की रस्म की भांति था न कि मोल तोल पर आधारित था। कलेवा के दौरान दूल्हे की थाली में एकत्र रुपयों को एकत्रित करके दूल्हे के साथी या दूल्हे की सालियाँ दूल्हे की जेब में डाल देती थीं। इसी दौरान दूल्हे की सालियाँ दूल्हे के जूते चुरा कर छिपा देती थीं जिन्हें बाद में दूल्हा नेग देकर प्राप्त करता था। कलेवा के अन्त में 'निहारन' होता था जिसमें दूल्हा–दुल्हन को एक साथ पालकी में बैठाकर सूप में हल्दी का घोल डालकर दूल्हा दुल्हन के ऊपर न्यौछावर करके बारातियों की तरफ फेंका जाता था। यह क्रिया कई महिलाओं के द्वारा की जाती थी। निहारन के बाद बारातियों के ऊपर रंग भी फेंका जाता था जिससे बाराती बचने का प्रयास करते थे पर बुरा नहीं मानते थे। पालकी उठाने का कार्य कहार जाति के व्यक्ति करते थे और यह उनका परम्परागत कार्य था। प्रत्येक गांव में एक या दो पालकी अवश्य थीं जो

गांव वालों की सामूहिक सम्पत्ति की भांति थीं। प्रयोग के पश्चात पालकी को किसी के घर में सुरक्षित रख दिया जाता था।

बुन्देलखण्ड के ग्रामीण अंचलों में वर्तमान में तीन दिन की बारात की परम्परा बिल्कुल लुप्त हो गयी है। उपर्युक्त तीन दिन की बारात में हमने कुछ प्रमुख पहलुओं का ही वर्णन किया है। इनके अतिरिक्त और कई कार्यकलाप होते थे। आज नगरीय संस्कृति की भांति यहाँ के ग्रामीण अंचलों में भी चौबीस घण्टे की बारात का ही प्रचलन है। तीन दिन की बारात अब यहाँ अतीत बनकर रह गई है। अब बारातें ट्रैक्टर, जीपों व बसों में जाती हैं जिनके एक्सीडेण्ट भी बड़ी मात्रा में होते हैं। अब व्यक्ति इतना व्यक्तिवादी हो गया है कि उसे अपने गांव में हो रही शादी विवाह से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। वह किसी प्रकार का सहयोग करने से बचता है। गांव में तमाम व्यक्ति ऐसे भी होते है जो उसकी शादी का माहौल बिगाड़ने में लगे रहते हैं। आज प्रत्येक चोज बाजार से लाने के कारण गरीब लोगों के लिए लड़कियों की शादी एक भार सी नजर आने लगी है। परम्परागत पेय पदार्थों की जगह शराब इत्यादि का प्रचलन बढ़ गया है जिससे विवाह इत्यादि का माहोल अपने आप बिगड़ जाता है। अब विवाह में भी छेड़खानी जैसे घटनाएं होने लगी हैं जिससे कभी–कभी शादी का माहौल लड़ाई में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ के ग्रामीण अंचलों में लोगों के पास बन्दूक भी बहुत रहती हैं। बन्दूक रखना यहाँ का व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा समझता है और थोड़ी सी तनातनी में वह किसी को मारने से भी नहीं चूकता। अब य घटनाएं यहाँ आम हो गई हैं। परम्परागत गीतों व लोकगायनों की जगह कानफोडू फिल्मी गीत अपना अलग एक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। बढ़ते प्लास्टिककरण के कारण गाँव में भी प्रदूषण फैलता जा रहा है। पहले की शादियां इतनी शान्ति व सुकून भरी थीं कि उसमें प्राकृतिकता स्वतः ही झलकती थी परन्तु आज की शादियों में कृत्रिमता ही कृत्रिमता नजर आती है। सभी व्यक्ति मात्र एक औपचारिकता का ही निर्वाह करते नजर आते हैं। उनमें सहयोग, सद्भाव की भावना नाममात्र रह गई है।

प्रस्तुत लेख उ0प्र0 के बुन्देलखण्ड क्षेत्र से सम्बन्धित है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत मध्यप्रदेश का भी कुछ भाग आता है। इस लेख में बुन्देलखण्ड के जिन जिलों को आधार माना गया है उनमें बाँदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, प्रमुख हैं।

सन्दर्भ

प्राथमिक संस्मरण पर आधारित

बीमा क्षेत्र का विकास : भारत के विशेष सन्दर्भ में

राजेश कुमार गुप्ता[1]

सारांश

बीमा इतना ही पुराना है, जितनी सभ्यता। प्राचीन समय में यह आपसी सहायता के रूप में विद्यमान था। आधुनिक समय में संयुक्त स्कन्ध कम्पनियों और निगमों में इसका रूप प्रतिबिम्बित होता है। ऋग्वेद में बीमें के लिए 'योगक्षेम' शब्द का प्रयोग किया गया है। मनु ने इस बात पर बल दिया है कि माल को एक नगर से दूसरे नगर में सुरक्षापूर्वक ले जाने को सुनिश्चित करने के लिए विशेष राशि वसूल की जानी चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है–

क्रयाविक्रयमध्यवानं भक्तं च सपरिव्ययम्।
योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य वणिजो दापयेत्करान।।

अर्थात्

'वस्तु का क्रय–मूल्य, विक्रय–मूल्य, यात्रा की दूरी, सम्बन्धित व्यय और योगक्षेम अर्थात् जोखिम तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों से कर वसूल किया जाना चाहिए। प्रारम्भ में बीमे का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों तथा माल की जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका विकास विभिन्न रूपों में हुआ जो संयुक्त परिवार से लेकर सरकारी संस्थाओं क रूप में विस्तृत है। बीमा की आवश्यकता केवल जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने तक ही सीमित नहीं रहकर विनियोग एवं उत्पादन वृद्धि करने तक बढ़ती जा रही है, जिससे बीमे क कार्यों में विविधता आती जा रही है। आज जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण तत्पश्चात् जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा व्यवसाय को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल देने से यह आशा की जाती है कि जीवन के हर क्षेत्र में बीमे की सेवायें उपलब्ध हैं, जिससे व्यक्तियों की अधिकतम सुरक्षा एवं कल्याण होगा।

1. **प्रवक्ता–वाणिज्य विभाग, राजीव गाँधी डी0ए0वी0 महाविद्यालय, बाँदा, (उ0प्र0)**

काफी प्रयासों के बाद भी बीमा की उत्पत्ति के विषय में कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। आज भी इसकी उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है। फिर भो उपलब्ध प्रमाणों एवं तथ्यों के आधार पर इसकी उत्पत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है।

यह माना जाता है कि बीमा प्राचीन भारतीय एवं बेबीलोनियन सभ्यता के समय चलन में था, ऐसा ही वर्णन हमारे पुराने ग्रन्थों ऋग्वेद, मनुस्मृति तथा श्रीमद्भगवद्गीता में भी मिलता है। 'योगक्षेम' शब्द जिसका कि ऋग्वेद में उल्लेख है, का अर्थ बीमा से ही लगाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बीमा सम्बन्धी सुविधाएँ, प्राचीनकाल में भी विद्यमान थी। बीमा का आधुनिक रूप जो हमें देखने को मिल रहा है, उसका प्रारम्भ 13वीं शताब्दी में हुआ माना गया है।[1] बीमा की उत्पत्ति एवं विकास की दृष्टि से सर्वप्रथम सामुद्रिक बीमा का वर्णन मिलता है। इसके बाद धीरे–धीरे अग्नि बीमा, जीवन बीमा तथा अन्य बीमों का उद्भव–विकास हुआ। विभिन्न बीमों का संक्षिप्त इतिहास निम्नवत् है–

सामुद्रिक बीमा–

बीमा का यह स्वरूप सबसे प्राचीन माना जाता है। पुराने जमाने में जब परिवहन के साधनों का अभाव था, तब समुद्री मार्गों से व्यापार करना अत्यधिक जोखिमपूर्ण था। परिणामस्वरूप लोगों को इन जोखिमों से सुरक्षा पाने की आवश्यकता जान पड़ी और यही कारण रहा सामुद्रिक बीमा की उत्पत्ति का। विभिन्न विद्वानों की यह मान्यता है कि लगभग 3000 वर्ष पूर्व भारत, बेबीलोन, यूनान तथा रोम में सामुद्रिक बीमे का प्रचलन था तथा समुद्री जोखिमों से सुरक्षा देने के लिए 'वाटमरी बाण्ड' 'रेन्सपोण्डेन्सिया बाण्ड' तथा 'जनरल एवरेज' नामक पद्धतियाँ प्रचलित थीं। संकट के समय जहाज के कप्तान इन्ही बाण्डों पर ऋण लिया करते थे।

सामुद्रिक बीमा के वर्तमान स्वरूप का जन्मदाता यहूदियों को माना जाता है, जिन्होंने फ्रांस से निर्वासित होने के बाद 12 वीं शताब्दी के अन्त में इसे व्यावसायिक आधार पर प्रारम्भ किया। इसके बाद 13वीं भाताब्दी में इसे इटली ने अपनाया। धीरे–धीरे समुद्री बीमा का प्रारम्भ एवं विकास फ्रांस, बेल्जियम, हालैण्ड, जर्मनी, स्पेन और इंग्लैण्ड में होता गया। सन् 1310 में 'चार्टर ऑफ इन्श्योरेन्स' की स्थापना बेल्जियम में की गई, जहाँ सामुद्रिक जोखिमों के विरुद्ध बीमा करवाया जाता था, इसी दौर में इटली के निर्वासित व्यवसायी जो लन्दन में आकर बस गये थे, ने इंग्लैण्ड की महारानी 'एलिजाबैथ प्रथम' के समय सामुद्रिक बीमा के व्यवसाय को खूब गति दी और विकसित किया। लन्दन की 'लौम्बार्ड स्ट्रीट' आज भी उन व्यवसायियों की यादगार बनी हुई है।[2]

सामुद्रिक बीमा व्यवसाय को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिये सन् 1974 में लन्दन में 'लायड्स संस्था' की स्थापना हुई, जिसन समुद्री बीमा व्यवसाय को नई दिशा दी और आज इस संस्था का विश्व में प्रमुख स्थान है। इसके कई सदस्य आज भी दुनिया के विभिन्न देशों मे समुद्री बीमा व्यवसाय से जुडे हुए हैं।

जहाँ तक भारत में सामूहिक बीमा के उद्गम का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विद्वानों का मानना है कि 18वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षो तथा 19वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में इसकी उत्पत्ति के प्रमाण मिलते हैं और माना जाता है कि कलकत्ता मे ही सर्वप्रथम समुद्री बीमा का कार्य प्रारम्भ हुआ था। सन् 1903 में सामुद्रिक बीमा अधिनियम लागू किया गया तथा राष्ट्रीयकरण के बाद से भारत में साधारण बीमा निगम की सहायक कम्पनियाँ इस व्यवसाय में निरन्तर सेवारत हैं।

अग्नि बीमा–

अग्नि बीमा का उद्गम समुद्री बीमा के बाद हुआ। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी चल–अचल सम्पत्तियाँ कभी भी दावानल की चपेट में आकर स्वाहा न हो जायें अतः वह अग्नि की जोखिम के विरूद्ध भी सुरक्षा चाहता है। वैसे अग्नि बीमा का उद्गम 16वीं शताब्दी में जर्मनी में हुआ था परन्तु इसके विकास को तीव्रगति सन् 1666 म हुए भयंकर अग्निकांड के बाद मिली। 2 सितम्बर 1666 की वह ऐतिहासिक काली रात जिसने लन्दन के एक भाग को अपने साये में लपेट लिया। वह भयंकर अग्नि 4 दिन तथा 4 रात तक धधकती रहो और जिसमें लगभग 85 प्रतिशत मकान तथा लगभग 10 करोड़ की सम्पत्ति स्वाहा हो गई।

इस दिल दहलाने वाले अग्निकाण्ड ने सभी इंग्लैण्डवासियों की मनोवृत्ति को बदल डाला और चारो ओर अग्नि की जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा की भावना जोर पकड़ने लगी। परिणामस्वरूप सन् 1681 में लन्दन में 'फायर इन्श्योरेन्स आफिस' की स्थापना हुई। इसके बाद तो कई नई–नई कम्पनियाँ स्थापित होने लगीं। सन् 1710 में लगभग दो दर्जन व्यक्तियों की साझेदारी में 'सन फायर आफिस' की स्थापना की गयी, जिसने आगे चलकर अपना नाम 'सन् इन्श्योरेन्स आफिस' कर दिया और वर्तमान समय में अग्नि बीमा के क्षेत्र में यह जगत विख्यात कम्पनी है।

भारत में अग्नि बीमा क विकास की गति अत्यन्त धीमी रही इसके पीछे भारतीय व्यापारियों की बीमा के प्रति उदासीनता रही। सन् 1850 में कलकत्ता में 'ट्रिटोन इन्श्योरेन्स' की स्थापना हुई। इसके बाद सन् 1861 म 'नार्थ ब्रिटिश मरकेनटाइल' की स्थापना से सामान्य बीमा कार्य को गति मिली। वर्तमान समय में अग्नि बीमा कारोबार 'भारतीय साधारण बीमा निगम' की 4 सहायक और कुछ निजी कम्पनियाँ कर रही हैं और अग्नि बीमा कारोबार धीरे–धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है।[3]

जीवन बीमा–

विद्वानों का मत है कि ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व रोम तथा अलपीयनवासी जीवन बीमा के सम्बन्ध में जानकारी रखते थे, परन्तु कुछ विद्वान जीवन बीमा का उद्‌गम 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में हुआ मानते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार 18 जून 1583 को सर्वप्रथम एक वर्ष के लिये विलियम गिबन्स (William Gybbons) के जीवन पर 383 पौण्ड 6 शिलिग 8 पैन्स की एक जीवन बीमा पॉलिसी, जिसे रिचार्ड मार्टिन ने बनाया था, को 16 व्यापारियों द्वारा संयुक्त रूप से निर्गमित किया गया था। उस पॉलिसी पर आज की ही तरह शर्तें व दशाएं लिखी हुई थीं। उस पॉलिसी के पीछे विलियम गिबन्स के दीर्घायु होने की कामना लिखी गयो थी। दुर्भाग्य से गिबन्स की मृत्यु 1584 में हो गयी और व्यापारियों ने एक वर्ष पूरा हो गया कहकर भुगतान करने से मना कर दिया। परिणामस्वरूप मामला कोर्ट में ले जाया गया और जीवन बीमा के पहले दावे का भुगतान कोर्ट के माध्यम से हुआ।[4]

इसके बाद सन् 1696 में 'हैण्ड एण्ड हैण्ड सोसायटी' नामक संस्था की स्थापना व्यावसायिक आधार पर हुई। इसके तीन वर्ष पश्चात् लन्दन में 'म्यूच्युअल इक्विटेबल' संस्थान की स्थापना हुई, जिसने सर्वप्रथम गणितीय रीतियों का प्रयोग करते हुए कई बीमे किये। इसके बाद जीवन बीमा कम्पनियों की संख्या इग्लैण्ड में सन् 1801 में आठ तक पहुँच गयी। इस प्रकार जीवन बीमा का व्यवसाय बढ़ता गया और 19वीं शताब्दी में जब मृत्यु संख्यक तालिकाओं का निर्माण एवं प्रयोग होना शुरू हुआ तो इस कारोबार का विकास तीव्र गति से हुआ।

जहाँ तक भारत मे जीवन बीमा के प्रादुर्भाव का प्रश्न है, सर्वप्रथम इंग्लैण्ड की दो कम्पनियों (1) दी अल्वर्ट (2) दी यूरोपियन ने इस ओर ध्यान दिया। उस समय तक ये कम्पनियाँ केवल अंग्रेजों का ही बीमा करती थीं। ऐसा सन् 1866 तक चलता रहा। सन् 1869 तथा 1870 में ये दोनों कम्पनियाँ क्रमशः फेल हो गयीं, जिसके परिणामस्वरूप 1871 में 'बोम्बे म्यूच्यूअल लाइफ एश्योरेन्स कं0लि0' की स्थापना हुइ। इसी क्रम में सन् 1905 में स्वदेशी कम्पनियों की स्थापना का आन्दोलन सा चल पड़ा और कई बीमा कम्पनियाँ भी स्थापित हो गयीं। इनका नियन्त्रण करने के लिए सन् 1912 में बीमा अधिनियम पारित हुआ। इसके पश्चात् इसे और व्यापक बनाने के लिये सन् 1938 में एक व्यापक 'बीमा अधिनियम' पारित हुआ। इसके बाद समय–समय पर इसमें संशोधन भी होते रहे और स्वतन्त्रता के पश्चात् सन् 1950 में महत्वपूर्ण संशोधन कर इसे ज्यादा प्रभावकारी बनाया गया। 19 जनवरी 1956 को भारत सरकार ने लाइफ इन्श्योरेन्स (एमरजैन्सी प्रोवीजन) अध्यादेश जारी किया जो 01 जुलाई, 1956 को पूरे देश में लागू हुआ। उस समय भारत में 245 जीवन बीमा कम्पनियाँ कार्य कर रही थी। इसी क्रम में 1 सितम्बर

1956 से 'भारतीय जीवन बीमा निगम' ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। चूंकि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हो गया था, इसलिए जीवन बीमा निगम ही एकाधिकारी के रूप में लम्बे समय तक इस कार्य में लगा रहा, परन्तु निजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये उदारीकरण के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की कई जीवन बीमा कम्पनियाँ इस समय भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम के सम्मुख व्यावसायिक स्पर्धा के अन्तर्गत चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं।

विविध बीमा–

समय की मांग के अनुसार उपर्युक्त तीन बीमाओं के अतिरिक्त समय–समय पर अन्य प्रकार के बीमों का भी विकास हो गया जिनको सम्मिलित रूप से विविध बीमा कहा गया। इंग्लैण्ड में सन् 1840 में विश्वस्ता गारण्टी बीमा प्रारम्भ हुआ। सन् 1848 में रेल यात्रियों के लिये वैयक्तिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी जारी होने लगी। सन् 1872 में इंजनों का बीमा होने लगा एवं सन् 1880 में नियोजन दायित्व बीमा का चलन शुरू हो गया। इसके पश्चात् सन् 1923 में विमानन बीमा का प्रारम्भ हो गया।

इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति तथा वर्तमान जटिल औद्योगिक प्रणाली ने इनके प्रचार में और अधिक योगदान दिया है। आज जो देश जितने ही उद्योग प्रधान तथा विकसित हैं, वहाँ उतने ही प्रकार के विविध बीमा पाये जाते हैं। उदाहरणस्वरूप पशु–बीमा, चोरो–बीमा, दुर्घटना–बीमा, सामाजिक–बीमा, जनदायित्व–बीमा, निष्ठा गारण्टी–बीमा, मोटर–बीमा आदि।

भारतीय बीमा कम्पनियों ने भी समय–समय पर विभिन्न प्रकार के विविध बीमों का व्यापार प्रारम्भ किया है। परिणामस्वरूप बीमे का क्षेत्र काफी विकसित होता जा रहा है। विविध बीमा का ही पाश्चात्य देशों में 'दुर्घटना बीमा' (Accident Insurance) कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसे आकस्मिक बीमा (Casuality Insurance) कहा जाता है।[5]

भारत में बीमा विधान–

आदि पुरुष मनु के लेखों से यह स्पष्ट होता है कि एक सीमित अर्थ में भारत में वाहन बीमाकर्ता भो हुआ करते थे फिर भी यह निश्चित नहीं है कि प्राचीन भारत में जीवन बीमा पद्धति थी या नहीं। मृत्यु के विरुद्ध बीमा को कुछ वर्ष तक महत्व नहीं दिया जाता था क्योंकि इसे भगवान की इच्छा माना जाता था। अतः जीवन बीमा का विकास उस समय नहीं हो पाया।

19वीं शताब्दी के अन्त तक बीमा अपनी प्रारम्भिक स्थिति में था अतः किसी विधान की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अक्सर बैंकिग और बीमा कम्पनियों पर भारतीय कम्पनी अधिनियम 1883 लागू होता था। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय नई भारतीय जीवन बीमा कम्पनियाँ और मितव्ययी सोसाइटियाँ पारम्भ की गयीं, लेकिन

उनमें से अधिकांश वित्तीय रूप से कमजोर थीं। यह अनुभव किया जाने लगा कि भारतीय कम्पनी अधिनियम 1883 इस कार्य के लिये अपर्याप्त है इसलिये 1912 में दो अधिनियम पारित किये गये (1) मितव्ययी बीमा सोसाइटीज अधिनियम 1912 (2) भारतीय जीवन बीमा कम्पनियाँ अधिनियम 1912। ये दोनों अधिनियम इंग्लिश बीमा कम्पनियाँ अधिनियम 1909 के अनुरूप थे लेकिन अन्तर यह था कि भारतीय जीवन बीमा कम्पनियाँ केवल जीवन बीमें से सम्बन्धित थी तथा गैर जीवन बीमा इनके क्षेत्र से बाहर था। इस अधिनियम ने भारत में जीवन बीमा व्यवसाय को सुदृढ़ बनाया तथा इससे पहले से अच्छा वातावरण उत्पन्न हुआ। परिणामस्वरूप कई कमजोर स्थिति वाली भारतीय तथा गैर–भारतीय कम्पनियों का विलीनीकरण हुआ। भारतीय बीमा विधान केवल जीवन बीमा तक ही सीमित होने का कारण यह था कि सामान्य बीमा कम्पनियाँ बहुत कम थीं और इनके लिए किसी कानून की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। वित्तीय कमजोरी को दूर करने क लिये बीमाकर्ताओं को कुछ निश्चित जमाएं रखनी पड़ती थी। भारतीय बीमाकर्ताओं को रिटर्न प्रस्तुत करने पड़ते थे, जिनमें उनके व्यापार का विवरण होता था। विदेशी बीमाकर्ताओं को भारत में किये गये व्यापार का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं करता पड़ता था। भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने से बचने के लिये कुछ अंग्रेजी कम्पनियों ने अभिगोपन व्यापार करना बन्द कर दिया। कुछ भारतीय कम्पनियाँ जो मूल्यांकनता अथवा अप्रमाणिक एक्चुरियल आधार पर व्यापार का संचालन करती थीं, उन्होंने या तो व्यापार बन्द कर दिया अथवा एक्चुरियल आवश्यकताओं को पूरा करने लगीं, इन कम्पनियों द्वारा 1000 रूपये से कम के बीमा पत्र निर्गमित नहीं किये जाते थे। मितव्ययी बीमा सोसाइटीज अधिनियम 1912 का उद्देश्य ऐसी सोसाइटियों पर नियन्त्रण रखना था जो 1000 रूपये या कम क जीवन बीमा–पत्र और बहुत कम राशि के विवाह या बीमारी बीमा–पत्र निर्गमित करती थीं।[6]

ये दोनों विधान केवल जीवन बीमा को नियन्त्रित करते थे। सामान्य बीमा पर कोई नियन्त्रण नहीं था, क्योंकि इसका अधिक विकास नहीं हुआ था। इन अधिनियमों में निम्नलिखित कमजोरियाँ थीं।

1. विनियोग के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं थे। भारत में विनियोगों पर प्रतिबंधों की आवश्यकता प्रतीत हुइ क्योंकि अशिक्षित जनता कम्पनी की स्थिति का मूल्यांकन करने में असमर्थ थी।
2. नियंत्रण तथा जांच बहुत कम थी। नियमों का पालन नहीं करने पर दण्ड नहीं दिया जाता था।
3. विदेशी कम्पनियों को भारत में तथा भारत के बाहर किये गये कुल व्यापार की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती थी लेकिन भारत में किये गये व्यापार की

लागत तथा उसकी भारतीय कम्पनियों की इसी प्रकार को सूचनाओं के साथ तुलना करना असम्भव था।

4. सरकारी एक्चुरी को किसी भी कम्पनी के सचालन के अन्वेषण कराने का आदेश देने का अधिकार नहीं था, जबकि यह स्पष्ट प्रतीत होता था कि कम्पनी दिवालिया थी। छूट देने के अधिकार के अन्तर्गत कई नये अभिगोपकों को सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी छूट दे दी जाती थी।

5. कोई भी व्यक्ति केवल 25000 रूपये से जीवन बीमा व्यापार प्रारम्भ कर सकता था। कम्पनियों की बहुतायत में स्थापना को रोकना सम्भव नहीं था। विदेशी बीमाकर्ताओं को भारत में निर्गमित जीवन बीमा–पत्रों की कुछ भो राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार अस्वस्थ संस्थाओं की स्थापना को रोकना सम्भव नहीं था। इससे भारत में भेदभाव होता था।

इन सब कमियों के कारण विद्यमान अधिनियम को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई इसलिये 1912 के अधिनियम में अनिवार्य संशोधन करने के लिये सरकार ने 1924 में एक बिल प्रस्तुत किया, विभिन्न संस्थाओं द्वारा पूर्ण टिप्पणियों के बाद यह बिल विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस समय इंग्लैण्ड में बीमा व्यापार के तत्वों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। भारत सरकार ने यह उचित समझा कि इंग्लैण्ड में बीमा कानून पर नये विधान के परिणामों को आंका जाय। ग्रेट ब्रिटेन ने ए0सी0 क्लाउसन की अध्यक्षता में क्लाउसन समिति की स्थापना करके विद्यमान कानून में सम्भव और वांछित परिवर्तनों के प्रतिवेदन का कार्य सौंपा। इस समिति ने फरवरी 1927 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की लेकिन सुझावों पर इंग्लैण्ड की तत्कालीन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

बीमा के मामलों के सम्बन्ध म आंकड़े इकट्ठा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1928 में एक अन्तरकालीन विधान पारित किया जिससे कि समय आने पर एक व्यापक अधिनियम पारित करने में संकलित सूचनाएं काम आ सकें। 1928 का अधिनियम अधिक व्यापक नहीं था। भारत सरकार इंग्लैण्ड में पारित होने वाले कानून की प्रतीक्षा करना चाहती थी, जिससे कि उसी पर भारतीय अधिनियम आधारित किया जा सके, लेकिन इंग्लैण्ड में ऐसा कोई अधिनियम पारित नहीं किया गया। ब्रिटेन में घटनाओं की मन्द गति ने भारत में बीमा कानून में संशोधन के लिये आन्दोलन को पुनर्जीवित किया।

चूंकि 1928 का अधिनियम बहुत व्यापक नहीं था, इसलिये दूसरे अधिनियम की मांग होने लगी। सरकार ने इस न्यायपूर्ण मांग को स्वीकार किया और विधान में विशेष और वांछित सुधारों के अन्वेषण के लिये 1935 में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की। बीमा की सभी शाखाओं के प्रतिनिधियों से भारत सरकार ने एक

सलाहकार समिति की स्थापना की जिसने इस विशेष अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार किया। समिति ने कई परिवर्तन किये और भारत सरकार ने 1937 में विधानसभा में बिल प्रस्तुत किया। बहुत वाद–विवाद और कई परिवर्तनों के पश्चात् यह बिल 1938 के बीमा अधिनियम के रूप में पारित किया गया।

1938 का अधिनियम विस्तृत और अधिक व्यापक था। बीमा व्यापार पर दृढ़ नियन्त्रण स्थापित किया गया। समय–समय पर अधिनियम में संशोधन किये गये। 1938 से 1945 तक इसमें कई बार संशोधन किये गये। 1945 में यह आवश्यक समझा गया कि बीमित कम्पनियों के हितों की रक्षा की जाए इसलिये बीमा व्यापार के सभी कुप्रबन्ध का अन्वेषण करने के लिये श्री कावस जी जहांगीर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी। व्यापक और पूरी जाँच के पश्चात् समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जिनके आधार पर कई महत्वपूर्ण धाराओं में संशोधन करने तथा कुछ नई धाराएं जोड़ने की सिफारिश की गयी। इनके आधार पर एक संशोधित बिल तैयार किया गया तथा विभिन्न प्रवर समितियों को भेजा गया। अन्त में अप्रैल 1950 में लोकसभा द्वारा इसका विधिकरण किया गया। इस संशोधित अधिनियम के अनुसार प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्थाएं की गई। नियन्त्रण का सकल अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित था। बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने बीमा नियंत्रक (Controller of Insurance) की नियुक्ति की। बीमा कम्पनियों के लिये नियमों का पालन अनिवार्य बनाया गया। नियमों की अवहेलना करने पर उन्हें दण्डित किया जाता था। 1956 में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया और इस अधिनियम की कुछ व्यवस्थाएं भारतीय जीवन बीमा निगम पर भी लागू हुई। 1972 में सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय सामान्य बीमा निगम अधिनियम पारित किया गया। इस प्रकार जीवन बीमा के क्षेत्र में 1956 से और सामान्य बीमा के क्षेत्र में 1972 से सार्वजनिक बीमा कम्पनियों का एकाधिकार हो गया।

राष्ट्रीयकरण के पूर्व जीवन बीमा के क्षेत्र में 245 भारतीय और विदेशी कम्पनियाँ एवं सामान्य बीमा के क्षेत्र में 112 भारतीय और विदेशी (सभी निजी कम्पनियाँ) कम्पनियाँ कार्यरत थीं परन्तु राष्ट्रीयकरण के समय सभी निजी कम्पनियों का विलय 'भारतीय जीवन बीमा निगम' और 'भारतीय सामान्य बीमा निगम' में कर दिया गया और सभी निजी बीमा कम्पनियों के लिये भारत में बीमा व्यवसाय वर्जित कर दिया गया।

इरडा (बीमा नियामक विकास प्राधिकरण) अधिनियम 1999 के गठन के पश्चात् नवम्बर 2000 में भारत सरकार के द्वारा पुनः निजी बीमा कम्पनियों को व्यापार करने की अनुमति मिलने के बाद वर्तमान समय में जीवन बीमा के क्षेत्र में बजाज आलियान्ज जीवन बीमा कम्पनी लि0, बिरला सनलाइफ जीवन बीमा

कम्पनी लि0, एच0डी0एफ0सी0 स्टैण्डर्ड जीवन बीमा कम्पनी लि0, पी0एन0बी0 मेट लाइफ इण्डिया बीमा कम्पनी, एस0बी0आई0 जीवन बीमा कम्पनी लि0 जैसी कुल 23 निजी जीवन बीमा कम्पनियाँ व सार्वजनिक क्षेत्र की एक बीमा कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम अब बीमा कारोबार में संलग्न हैं। साथ ही सामान्य बीमा के क्षेत्र में भी बजाज अलियान्ज सामान्य बीमा कम्पनी लि0, आई0सी0 आई0सी0आई लोम्बार्ड सामान्य बीमा कम्पनी लि0, यूनाइटेड इंडिया बीमा कम्पनी लि0, रिलायन्स सामान्य बीमा कम्पनी लि0, रॉयल सुन्दरम सामान्य बीमा कम्पनी लि0 जैसी 29 निजी व चार सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों (न्यू इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, दी ओरियेन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0) को मिलाकर कुल 33 बीमा कम्पनियाँ अब सामान्य बीमा कारोबार में संलग्न हैं।[7] साथ ही निजी बीमा कम्पनियाँ नित नये बीमा उत्पादों को बाजार में लाकर सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों के समक्ष नयी–नयी व्यावसायिक चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः

1. अग्रवाल, ए0एन0 : 'भारत में जीवन बीमा एक ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक अध्ययन'।
2. विश्नोई, डॉ0 आर0 : 'बीमा के सिद्धान्त', साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा।
3. शर्मा, डॉ0 आर0 : 'इन्श्योरेन्स', लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।
4. श्रीवास्तव, बालचन्द्र : 'बोमा के तत्व', साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
5. मिश्रा, एम0एन0 : 'इन्श्योरेन्स प्रिन्सिपल एण्ड प्रेक्टिस', एस0चाँद एण्ड कम्पनी लि0, न्यू दिल्ली।
6. दयाल, डॉ0 आर0 : 'दि इन्श्योरेन्स एक्ट्स', इलाहाबाद लॉ एजेन्सी।
7. www.irda.com.in

जे0 कृष्णमूर्ति के शैक्षिक चिन्तन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

अमिता मिश्रा[1]

श्री जे0 कृष्णमूर्ति 20वीं शताब्दी के विश्व विख्यात और महानतम दार्शनिक तथा आध्यात्मिक गुरू थे। उनके जीवन चरित्र पर यूपल जयशंकर ने बहुत आकर्षक एवं विस्तृत ग्रन्थ लिखा है। यह मान्यता रखते हुए कि वे मैत्रेयी थे। वे एक महान क्रान्तिकारी थे या अपरम्परागत दार्शनिक के रूप में उभरे जिन्होंने अपने विचारों से विश्व के बहुत से बुद्धजीवियों को प्रभावित किया था। उन्होंने कई पुस्तके लिखीं जो दार्शनिक स्वतंत्रता और जीवन की कला सीखने के बारे में थी।

जे0 कृष्ण मूर्ति का संसार में अब तक सबसे महान धार्मिक समीक्षकों में एक माना जाता है। उन्होंने स्वयं को कभी किसी राजनैतिक विचारधारा से नही जोड़ा। वे स्वयं को कभी किसी धर्म, सम्प्रदाय या देश विशेष से जुड़ा हुआ नहीं मानते थे। जे0 कृष्णमूर्ति जी का कहना था कि धर्मसम्प्रदाय तथा देश विशेष के बन्धन, मानव–मानव के बीच अलगाव पैदा करते हैं और परिणामतः समाज में संघर्ष तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं तथा व्यक्ति को सही प्रकार का विचार, व्यवहार और कार्य के मूल्य चुनने चाहिये। उनके अनुसार इस बात या व्यवहार से आप ये कहें कि यह उत्तम सच और उच्च हैं। वही सार्थक है। संसार को बदलने के लिए हमको स्वयं को बदलने की व समझने की कोशिश करनी चाहिये। एक व्यक्ति के मस्तिष्क में ज्ञान या विचारों की रिक्तता होगी है। तभी वह सत्य को जान सकता है। व्यक्ति की सुन्दरता अन्य वस्तुओं या आदशा मे नहीं होती है क्योंकि यह सभी द्वितीयक महत्व के हैं। व्यक्ति में आत्मविश्वास पनपना चाहिये न कि परम्परा में और किसी प्रकार के लगाव में हर व्यक्ति अनूठा होता है इसलिए किसी भी बालक या विद्यार्थी की तुलना अन्य किसी बालक से नहीं करना चाहिये। भलाई स्वतंत्रता में पल्लवित होती है।

1. सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, जे.आर.एच. विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उ0प्र0

जे0 कृष्ण मूर्ति जी का कहना है कि शिक्षा एक तकनीकी मात्र नहीं है। जिससे की एक विद्यार्थी को कोई नौकरी मिल सके अपितु यह एक सहायता के रूप में होनी चाहिये जिससे विद्यार्थी यह स्वयं खोज सकें कि उसे क्या व्यवहार और कार्य करने में प्रसन्नता मिलेगी तथा जीवन को ऐसा नहीं बनाया जा सकता है कि वह किसी व्यवस्था के अनुरूप हो जाये। उसे किसी साँचे में ढालने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वह साँचा कितना भी आदर्शवादी ढंग से क्यों न बनाया गया हो। एक मन जिसे केवल तथ्यों से सम्बन्धित ज्ञान मे प्रशिक्षित या गया है। ऐसा मन जीवन का उसकी विविधता में, उसकी क्षमता में तथा उसकी गहराईयों एवं उसकी महान ऊँचाईयों मे तर्क करने में असमर्थ होता है। जब हम किसी विचार व्यवस्था अथवा किसी विशेष अनुशासन के अनुसार अपने बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, जब हम उन्हें सिखाते हैं कि वे विभागीय विभाजनों की परिधि में ही सोचे तथा समन्वित स्त्री और पुरूष के रूप उनके विकास में बाधक बनते हैं और इस प्रकार बुद्धि पूर्वक विचार करने की क्षमता नहीं रह जाती है। बुद्धि पूर्वक विचार करने का अर्थ है समग्र जीवन का साक्षात्कार। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऐसे समन्वित व्यक्ति को उत्पन्न करना है जो जीव का उसकी समग्रता में साक्षात्कार करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि दार्शनिक जे0 कृष्ण मूर्ति व्यक्ति परम्परा, पूर्ण विचारों, दुराग्रहों और समाज म सभी प्रकार के आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक और शिक्षा के विचारों से मुक्त करना चाहते थे तथा शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में आत्म बल, स्वतंत्रता और आशावाद प्रसारित करना चाहते थे।

आधुनिक शिक्षा के रूप में आज वैज्ञानिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा को ही अधिक महत्व दिया जा रहा है। आज ध्यान व दर्शन का महत्व कम होता जा रहा है जिससे विद्यार्थियों का बाह्य विकास तो हो रहा है परन्तु आन्तरिक विकास बाधित हो रहा है। किसी भी देश का विकास उसके मानव संसाधन पर निर्भर है। यदि मानवों को ऐसी शिक्षा दी जाय जो उनके बाह्य विकास के साथ–साथ आन्तरिक विकास को भी ध्यान में रखे तो शिक्षा अपने आपमें सम्पूर्णता को प्राप्त कर सकेगी।

उपर्युक्त समस्याओं के समाधान एवं हल ज्ञात करने के लिए शोध कर्त्री को प्रस्तुत शोध की आवश्यकता महसूस हुई।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. प्रो0 रूहेला एस0पी0 (2012)–शिक्षा के दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय आधार, प्रकाशन–अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा–2

कृष्ण मूर्तिजी की कृतियाँ–

1. Krishnamurti on Education.
2. शिक्षा संवाद, प्रकाशन– कृष्ण मूर्ति फाउन्डेशन, इण्डिया, राजघाट फोर्ट वाराणसी।

लोक साहित्य और संस्कृति

विपिन कुमार यादव[1]

साहित्य समाज का दर्पण होता है कोई भी साहित्य होगा वह अपने परिस्थिति, परिवेश और समय की बेहतर उपज होता है। लोक साहित्य भी इन्ही परिस्थितियों के सामंजस्य का मूर्तीकरण है। जन संस्कृति का जैसा सच्चा तथा सजीव चित्रण इसमें उपलब्ध होता है वैसा साहित्य के अन्य प्रकारों में कदापि नहीं होता। मानवीय स्वातन्त्र्य और आत्मोन्नति की जो उन्मुक्त विचारधारा और भावनाएँ लोक साहित्य में उभर कर आती हैं वह संस्कृति की निरपेक्ष संवाहिका बन जाती हैं।

क्षेत्रीय स्तर पर मानवीय सभ्यता और संस्कृति के उद्विकास की बेहतर समझ हमें लोक साहित्यों से ही मिलती है। यद्यपि वर्तमान में भूमण्डलीकरण और उदारीकरण के कारण विश्व एक स्थानीय गाँव उभरता हुआ प्रतीत होता है, किन्तु फिर भी 'स्थानिकता' अपने विशेष महत्त्व को रेखांकित करती है और उपने यथार्थ को हमेशा बनाये रखतो है यही कारण है कि स्थानीय सभ्यताओं और संस्कृतियों को रक्षणार्थ और भारत की मौलिक आधारिक संरचना की समझ हेतु लोक साहित्यों का संरक्षण अत्यावश्यक है। न केवल लोक साहित्यों का संरक्षण किया जाना चाहिए वरन् लोक साहित्य को निरन्तर विकास के नवीन प्रतिमानों के अनुसार विकसित होने देना चाहिए।

वस्तुतः लोक साहित्य और कथाएँ संसार के सभी प्रकार के साहित्यों की जनक हैं और लोग गीत सकल काव्य की जननी। इस कारण से लोक साहित्य

---

1. फ्रीलांसर

की महत्ता का कुछ अनुमान किया जा सकता है। हमारे दश में यद्यपि लोक साहित्य का इतिहास बड़ा प्रभावशाली रहा है, किन्तु राष्ट्रीयता और भूमण्डलीकरण के अथाह प्रवाह में लोक साहित्यों की पूर्ण उपेक्षा की गई। यह बात सभी लोग आसानी से समझते हैं कि किसी दश का विकास केवल आर्थिक गतिविधियों के कुशल संचालन पर ही निर्भर नहों करता है, इसके लिए सुदृढ़ संस्कृति, निरन्तर विकासमान सभ्यता और उत्कृष्ट साहित्य भी एक अनिवार्य और सार्थक योगदान देते हैं। यही कारण है कि वर्तमान में न केवल भारत सरकार द्वार बल्कि राज्य सरकारों द्वारा भी आँचलिक साहित्य परिषदों की स्थापना की गई।

आँचलिक परिषदों द्वारा लोक गीतों, लोक साहित्यों आदि के अनेक अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। अवधी, भोजपुरी, मराठी आदि अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में अनेक क्षेत्रोय पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ है। निःसंदेह लोक भाषाओं और लाक साहित्यों का इतिहास उज्ज्वल है किन्तु हमें यह ध्यान देना होगा कि कहीं भूमण्डलोकरण के दौर में अपनी लोक भाषाएँ पिछड़ न जाय, अन्यथा 'भारत और इण्डिया' का तादाम्य समाप्त हो जायेगा।

लोक भाषा और साहित्य के विकास में सामंतवादी अभिवृत्ति ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी यद्यपि अपने वास्तविक रूप में सामंती प्रवृत्ति ने जहाँ केन्द्रीयता की प्रवृत्ति को अधिक चोट पहुँचायी वहीं स्थानीय प्रवत्तियों अर्थात् भाषा, कला, शिल्प, उद्योग और समाज के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।

केन्द्रीय स्तर को सशक्त राजाश्रय का सहयोग न मिलने से संपूर्ण वातावरण ही स्थानीयता की प्रवृत्ति से भर गया। लोक भाषा और साहित्य भी इस प्रवृत्ति से अपने को बचा न सका। इस प्रकार स्थानीय स्तर पर राजाओं की गाथाएँ, कहानियाँ, कृषकों की समस्या आदि सभी लोक साहित्य का सहजता से अंग बन गईं।

इस प्रकार सामंतवादी प्रवृत्ति ने जहां एक ओर राष्ट्रीयता की भावना को खंडित कर वाह्य आक्रमणों को बढ़ाया वहीं दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य के सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।

संदर्भ ग्रंथ–

1. कृष्ण देव उपाध्याय– लोक साहित्य
2. भोलानाथ तिवारी– भाषा विज्ञान

Inclusive education of CWSN in India

Dr. Y K Singh[1], Vishvesh Dubey[2]

Abstract-

In this paper concept of Inclusive Education has been presented, Educating children with disabilities alongside their non-disabled peers is considered one of the better ways to provide education in India (Shah,2005 Shah et al., 2014). Some National policies by which Government of India had tried to implement Inclusive Education. This paper also shows the challenges on the way of Inclusive Education like lack of resources, teaching Practices and lack of supportive leadership. There are some ways to face these challenges overcome from it are *teacher's attitude, flexible curriculum, flexible methods, peer support, barrier free environment, teaching aids and equipments, early diagnosis and intervention, parents involvement, supported community and schools, class size, access to specialists within school.*

Key words- *India, Children with Special Needs, Inclusive Education*.

Conceptualizing Inclusive education-

Inclusive education means that all children, regardless of their ability, are included in a mainstream classroom, or in appropriate or least restrictive environment (LRE), that student of all ability levels are taught as equals, and that teachers must adjust their curriculum and teaching methodologies so that all students benefit. This also avoids wasting resources, and "shattered hopes," which often occurs in classrooms that are "one size fits all." Studies have shown that systems that are truly inclusive reduce drop-out rates and repetition of grades, and have higher average levels of achievement, compared to systems that are not inclusive. People who believe in inclusive education believe that the education system is the

1. Dean, Faculty of Art, MGCG Vishwavidyalay, Chitrakoot Satna, MP

2. Research Scholar, Faculty of Education, MGCG Vishwavidyalay, Chitrakoot Satna, MP

impediment to learning for a child, and that every child is capable of learning. Educating children with disabilities alongside their non-disabled peers is considered one of the better ways to provide education to the population in India (Shah, 2005 Shah et al., 2014). It seems the way in which inclusive education is defined and understood may be another critical challenge in providing quality education to children with disabilities. There are wide variations in how 'inclusive education' is defined and operationalized; terms such as 'integrated education and 'inclusive education' are frequently used interchangeably. Singal (2005) is of the view that inclusive education is largely adopted from the international discourse and has not been engaged with in the Indian context: internationally defined inclusive education relates to the education of students with a range of diversities, not just disabilities, included and supported in mainstream schools. According UNESCO (2009), "inclusive" education system can only be created if ordinary school become more inclusive- in other words, if they become better at educating all children in communities'. In India inclusive education is mainly seen as the education of students with disabilities in regular schools. The definitional issue was examined through two local studies in India (Sandhill and Singh, 2005; Singal and Rouse 2003) one of the key purpose of both the studies was to understand how participants conceptualized inclusive education. In their study of 11 schools, Singal and Rouse (2003) found that most schools accommodated children with one particular type of disability rather than a wide diversity of students. Eight of these schools also had a specialist unit. Some students from these units were placed in regular classrooms for part of the day; others remained in the units most of the time. The researchers also found that the type and extent of disability that a student had played an important role in influencing the decision of the school. Students who looked physically different from others and had low intellectual ability were denied admission to school. Singal and Rouse 's data revealed that one of the major reasons schools included 'disabled' students was pressure from either government bodies or parents to enrol the students in regular schools other schools also wanted to be seen as being innovative and caring. There are many National policies launched by Government of India to assured the education for all.

National Policies

The past few decades have seen many new initiatives being launched by the Government of India both in terms of legislations, policies and schemes in order to address the educational needs of children with disabilities. In 1974, Government of India launched the Integrated Education for Disabled children Scheme (IEDC); in 1988 the Project Integrated Education (PIED) for the disabled, in 1985 the District Primary Education Program (DPEP) with aims to move towards "Universalization of Elementary Education" and Sarva Shikhsha Abhiyan (SSA) in 2001 for meeting the EFA Goals. The Integrated Education for Disabled Children scheme has now been replaced by a new scheme called Inclusive Education of the Disabled at secondary

Stage (IEDSS) approved in September 2008. Though many new initiatives being launched by the Government of India both in terms of legislations, policies and schemes in order to address the educational needs of children with disabilities but there are very low enrolment rate (percentage) of different type disabled child. So we have major challenges to implement inclusive education.

Major Challenges

India is the second most populous country of the world, with a population of about a billion and a quarter (Ministry of Home Affairs, 2011). According to the official estimates from the Census of India (Government of India, 2011), the number of people with disabilities in the country is 26 million, or roughly 2.1% of the total population. However other estimates suggests that this number may be as high -35 million (Office of Chief Commissioner for Person with Disabilities, 2003; Mitchell and Desai, 2005; Singh, 2001).Though many new initiatives being launched by the Government of India both in terms of legislations, policies and schemes in order to address the educational needs of children with disabilities but there are very low enrolment rate (percentage) of different type disabled child.

Enrolment by Type of Disability (%)

Disability in **Grades**

I-VIII		I-V	VI-VIII
Seeing	15.39	24.78	17.95
Hearing	9.11	12.14	9.94
Speech	13.82	11.71	13.24
Moving	34.85	38.08	35.73
Mentally Retarded	18.44	6.25	15.12
Others	8.39	7.04	8.02
% to Total Enrolment	0.86	1.01	0.90

Today, the education system in India as a whole has achieved much but there are also many issues of concern. These pertain to access, equity, quality and relevance, resources, and planning and management of educational programmes. India's unique challenges and characteristics, such as low levels of economic infrastructure and literacy and its unique cultural and social background, are daunting obstacles to the implementation of inclusive education. On the one hand, the educational system is influenced by prevailing societal perceptions and governmental policies; on the other hand, it propounds a specific value system and social order. In India, sectoral challenges to inclusive education can be understood and discussed in the context of socio-economic and cultural issues, governmental and policy issues and educational and capacity-building issues. All of these have an effect on the planning, organisation and management of inclusive schooling (Bhatnagar and Das, 2013). We

will focus our discussion on barriers at the school level, however; namely, lack of resources, abscence of supportive leadership and lack of requisite teaching practices.

Lack of Resources- The literature has consistently indicated that an overwhelming majority of schools in India lack the necessary physical resources to implement inclusive education (Bhan and Rodricks, 2012; Bhatnagar and Das, 2013; Shah et al., Sharma et al., 2009). These resources include basic facilities such as ramps, adequate lighting and availability of wheel chairs, among other physical resources needed for a child to attend a mainstream school. Such challenges are greater for schools located in rural areas and those located in distant, hilly terrains. In addition to a lack of these required physical resources, there is a severe shortage of required personnel such as special education teachers, teacher aides, related service professional (speech and language therapist, physical therapist and occupational therapist) and other school professionals (Shah 2005). In the absence of such key professionals, inclusion endeavours turn out to be no more than 'child dumping' in many instances. According to the Ministry of Human Resources Development, in 2007 there were only 6,678 resource teachers employed under SSA- a miniscule amount, given the number of students with disabilities in the country. Unnikrishnan (2010) argued that in certain situations where professionals are present, they are not in fact trained to work in an inclusive setting. Many of these professionals include special education teachers who have been trained in the clinical model, for example by working with a child in a one-on-one setting. Meetings the needs of children with disabilities in an inclusive environment therefore present a significant challenge for these professionals. Large class size presents another for the implementation of inclusive education in the Indian context. According to the Government of India's own accounts (Sarva Shiksha Abhiyan Evaluation Report, 2010), class sizes of 40 students or more are widespread in states such as Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal. This, compounded by a lack of trained professionals, severely limits the ability of regular school teachers to meet the needs of students with disabilities, reducing class size may not be a solution; preparing teachers to teach in large classes and using existing resources to address the barrier of large class sizes is necessary.

Teaching Practices- The entire premise of inclusive education hinges on classrooms teacher's ability to differentiate instruction and provide necessary modifications for students with disabilities. However, a number of authors (Shah, 2005; Unnikrishnan, 2010) have pointed out those regular school teachers in India lack familiarity with these critical skills. In addition, a vast majority of the teachers utilize large-group and didactic instruction as a dominant form of instructional delivery. The literature is clear about the limited benefits for students with disabilities when such methods of severely limits the educational opportunities for a child with a disability to receive an appropriate education in India.

Lack of Supportive Leadership- Successful inclusion programmes require supportive leadership at the school level. Although there is limited literature

available on administrator's support for inclusion in the Indian context, it can be said that many administrators, especially those at privately managed schools, succumb to academic and test-score pressure and neglect the education of disadvantage groups, including those with disabilities. This is evident from the low levels of enrolment of children with disabilities in these schools, inspite of government's efforts to promote inclusion in the past four decades. Up until the implementation of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act or Right to Education Act (2009), many children with disabilities were denied even admission to their neighbourhood public school, let alone the provision of inclusive education. This is still taking place in schools across India. School leadership and management is, however, under close scrutiny by the government for any denial of educational rights of children with disabilities (Ministry of Law and Justice, 2009). Inspite of all above problems in the way of inclusive education here are some ways of the future to solve these problems.

The Way of the Future

Teacher's attitude- The attitudinal shaping of teachers is very important for the inclusive education. The teachers should also be given enough room to brood upon the problems of the children in his/her busy schedule. It is also important that they posses enough love and affection to help the child get out of the trouble.

Flexible curriculum- If we want implementation of inclusive education then curriculum should be flexible according to the capacity and needs of every child for that teachers should be trained to develop Individualized Educational Plans accommodating the curriculum and the needs of the child, putting them on one line.

Flexible methods- To solve the common problems of the education, new methods and strategies must be suggest according to the needs and capacities of child with special needs.

Peer support- The greater boon to inclusion is the peer support. The child with special need enjoys the company of his/her peer socializes. Not only the physical inclusion becomes possible with the cooperation of the peers but also the academic inclusion turns easier as the children of the same age communicate their ideas easily and understand each other with a greater ease.

Barrier free environment- Barrier free environment should be making for the child with special needs. In the barrier free environment environment child with special needs may give their best .

Teaching aids and equipments- Teaching and equipment should be use in class for the ease of child with special needs. It will help this child come out of their difficulties.

Early diagnosis and intervention- All gynaecologist, paediatricians should be trained in the early diagnosis of disabilities. They should also be informed about various educational interventions apart from the services of the para professionals. The educational intervention should be start at the earlier stage. There should be a

separate institution with a comprehensive support of all professionals- clinician, paramedical and educational to ensure bringing out fullest potential of the student.

Parents involvement- Parent's involvement is very important for implementation of the inclusive education so they should be given best possible training , so that they may provide good upbringing of their child with special needs.

Supported community and schools- The community and school shall support inclusion the practical problems in educating the child with special needs shall be well supported by the community in an united effort. Each one has taking up some small part of the responsibility shall lessen the burden of the parents, teachers, schools. In order to achieve real inclusion, all the learning opportunities provided throughout the school (play, sports, and clubs) has to be strictly inclusive.

Class size- The lesser the size of the class, greater the scope for inclusion.

Access to specialists within school- The special teachers should be appointed in every school under the Sarva Shiksha Abhiyan.

Conclusion- In this paper I made as attempt to describe the efforts made by the Government of India to provide education to children with disabilities. I also identified some of the major challenges that this country is facing, which may have contributed to the country's poor performance. But there are some ways by which we may fulfil the dream of complete inclusive education in India like well designed individualized programs, professional development for all teachers involved, general and special teachers alike, Time for teachers to plan, meet, create and evaluate the students together, reduce class size based on the severity of student needs, professional skill development in the areas of cooperative learning, peer tutoring, adaptive curriculum, collaboration parents and teachers or Para educators, specialists, administration, and outside agencies, sufficient funding so that schools will be able to develop programs for students based on student need instead of the availability of funding.

References-

- www.academia.edu/.../Inclusive_Education_in_India_Past_Present_and_Future
- www.ibe.unesco.org/National_Reports/ICE_2008/India_NR08.pdf
- http://www.ijifr.com/searchjournal.aspx

ग्रामीण क्षेत्र में विकलांगजनों की आर्थिक स्थिति

डॉ. राकेश कुमार तिवारी[1], राम मोहन दीक्षित[2]

जिस समय संसार में मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो वह हर प्रकार से अनभिज्ञ था, न उसे भोजन की परवाह थी न ही तन ढ़कने के लिए कपड़े, न आवास। जैसे जैसे मानव समाज में सुधार होता गया वैसे वैसे मनुष्य की नयी आवश्यकताएं भी जन्म लेती गयी, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने अनेक प्रयत्न प्रारम्भ किये। प्रारम्भ में समाज में एक वस्तु से दूसरी वस्तु प्राप्त करने के लिए विनिमय प्रथा का प्रारम्भ हुआ, परन्तु जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गयी, मनुष्य को विनिमय की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था अतः मानव मस्तिष्क का विकास पर्याप्त मात्रा में हो चुका था, अतः मनुष्य ने यह निर्णय किया कि विनिमय के स्थान पर यदि किसी ऐसी प्रणाली का विकास किया जाय, जिससे मनुष्य को विनिमय में होने वाली कठिनाईयों से छुटकारा मिल सके तथा मनुष्य सरलतापूर्वक अपने समस्त कार्यो को आसानीपूर्वक पूरा कर सके, मनुष्य के संसार में मुद्रा प्रणाली का आरम्भ हुआ, जिसके द्वारा मानव समाज में विनिमय के स्थान पर एक ऐसी वस्तु का निर्माण किया गया, जिससे अनेक वस्तुएं खरीदना तथा स्वयं द्वारा उत्पादित की गयी वस्तु को बेचकर मुद्रा के रूप में धन प्राप्त करना तथा अपने खाने के लिए भोजन पहनने के लिए कपड़े, आभूषण तथा रहने के लिए घर एवं किसी भी कार्य को करने के लिए मजदूरों की मजदूरी आदि के लेन देन मुद्रा प्रणाली द्वारा मान्यता प्राप्त रूपया से होने लगा। अतः वर्तमान समय में समाज कई वर्गो में बंट गया, जिस वर्ग के पास अत्यधिक धन था अथवा है, व पूंजीपति वर्ग हो गया, उसके बाद मध्यम वर्ग यह एक ऐसा वर्ग जो अपनी आवश्यकताएं स्वयं की आर्थिक स्थिति मजबूत रखते हुए कर सकता है, तीसरा वर्ग एक ऐसा वर्ग जिसके पास आय का स्रोत उसके खर्च से कहीं कम रहता है।

---

1. **सहायक आचार्य, जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उ0प्र0**
2. **शोध छात्र, जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उ0प्र0**

जिसके कारण वह अनेक परिस्थितियों को झेलता है। जिसका उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिसके कारण ऐसे वर्ग के लोग अपनी आवश्यकताओं को समय से पूरा नही कर सकते जैसे उनके पास विलासिता की वस्तुओं की कमी होती है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे कई बार मनोरंजन करने के लिए भी समस्त वस्तुएं नही एकत्र कर पाते। यहां तक कि इस वर्ग में तमाम परिवार एसे भी होते है, जिसे पास रहने के लिए घर तथा पहनने के लिए कपड़े को भी सिर्फ इसलिए कमी रहती है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर होती है, जिसके कारण इस वर्ग में अनेक प्रकार की बीमारियां भी अतिशीघ्र जन्म लेती है। सरकारों के अत्यधिक प्रयासों के बावजूद अभी तक भारत में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत, पूंजीपति एवं मध्यम वर्ग से कई गुना ज्यादा है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या के अत्यधिक होने के कारण सरकार एवं समाज सेवी संस्थाओं के अत्यधिक प्रयास के बावजूद अभी तक सम्पूर्ण गावों में अनेक सुविधाओ की कमी है, क्योंकि आज भी पूंजीपति वर्ग यह नही चाहता कि निम्न वर्ग विकास के रास्ते पर पूर्ण रूप से आगे बढ़ सके। अतः सरकार की अनेक योजनाएं केन्द्र या राज्य सरकार से तो चलती हैं परन्तु वे मध्यम अथवा पूॅजीपति वर्ग तक ही सीमित रह जाती रही है, परन्तु भारत सरकार द्वारा जल्द ही में धन विधेयक के रूप में आधार को मंजूरी दिये जाने के बाद अत्यधिक सुधार हुए हैं क्योंकि सरकार द्वारा चलायी जा रही अनेक योजनाओं में धीरे धीरे आधार संख्या का पंजीयन अनिवार्य किया जा रहा है, जिसके कारण गरीबों तक पहुंचने वाली सरकार की अनेक योजनाओं को गांव तक का सफर करने में अब कम समय लगता है और धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा है कि अब निम्न वर्ग जो उपेक्षा का शिकार हुआ करता था और सरकार उसे मुख्य धारा में लाने के अनेक प्रयास करती थी, परन्तु वे विफल हो जाते थे, इस आधाररूपी कानून के कारण अब यह विफलता सफलता के रूप में प्रकट होती नजर आ रही है, चूंकि भारत विश्व की जनसंख्या में दूसरे नम्बर का देश है तथा इसकी लगभग 65 प्रतिशत आबादी ऐसी है, जो 35 वर्ष की उम्र की है। अतः यह श्रम के क्षेत्र में भी विश्व का सबसे अग्रिम देश है, परन्तु युवाओं के बेरोजगार एवं तकनीकी प्रशिक्षण की कमी के कारण इस देश के विकास की गति जो अब तक रूकी हुई थी या धीमी थी, इक्कीसवीं सदी में उसकी गति कुछ वर्षो से विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गयी है। इन तमाम योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बावजूद आज हम ऐसे वर्ग की स्थिति का पता लगाने या विवरण पढ़ने का प्रयास कर रहे है, जो समाज के इन दोनों वर्गो में पाये जाते है, उनकी स्थिति कुछ सामान्य नागरिकों की स्थिति से कुछ भिन्न है, यह वर्ग है भारत का सबसे अलग वग जिसे पौराणिक परम्परा के अनुसार पीड़ित, लाचार, असहाय अनेक संज्ञाओं के बाद विकलांग वर्ग का नाम

दिया गया, परन्तु विगत 27 दिसम्बर 2015 को मन की बात करते हुए प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा दिव्यांग शब्द का प्रयोग करने की घोषणा की गई, परन्तु इनकी आर्थिक स्थिति के विषय में सरकार द्वारा चलाई गयी समस्त योजनाएं अभी पूर्ण रूप से गांवों तक नही पहुंची है, इस वर्ग का कुछ विवरण ऑकड़ों के माध्यम से हम अग्रलिखित पंक्तियों में देने का प्रयास कर रहे है।

जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जिसका एक बड़ा भाग भारत के सबसे बड़े राजनैतिक प्रदेश उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यहॉ पर जनगणना 2011 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19812341 है। जिसका अधिकतर भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। उत्तर प्रदेश में शहरों की अपेक्षा गांवों में कई गुना अधिक जनसंख्या निवास करती है, जो कि अभी भी अनेक सुविधाओं से वंचित है, जो व्यक्ति को शहरों में आसानी से मिल जाती है, सरकार द्वारा उठाये गये अनेक कदमों के बावजूद गांव में रहने वाले व्यक्तियों तक सुचारू रूप से नही पहुंच पाती हैं। उत्तर प्रदेश में जहां ग्रामीण जनसंख्या शहरीय जनसंख्या से कई गुना अधिक हे, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 155317278 है तथा शहरी जनसंख्या 44495063 है। ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 77.731 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या का 22.271 प्रतिशत है, जो कि बिल्कुल उसी प्रकार से है, जिस प्रकार से वायुमण्डल में आक्सीजन और नाइट्रोजन का अन्तर होता है। इन आंकड़ों में पुरूषों की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या से अधिक है। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण पुरूषों की जनसंख्या 80992995 तथा महिलाओं की जनसंख्या 74324283 है तथा शहरी पुरूषों की जनसंख्या 23487515 है तथा महिलाओं की जनसंख्या 21007548 है।

उत्तर प्रदेश जो कि भारत का जनसंख्या एवं राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, तो यहां पर निवास कर रहे विकलांग वर्ग की जनसंख्या भी कही कम नही है, उत्तर प्रदेश में विकलांगजनों की कुल जनसंख्या 41571514 है, जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2.08 प्रतिशत है। इसमें विकलांग पुरूषों की कुल जनसंख्या 2364171 तथा विकलांग महिलाओं की कुल जनसंख्या 1793343 है। समस्त उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों को विकलांगजनों की जनसंख्या इस प्रकार है–

वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आंकड़े–

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या–

कुल जनसंख्या	पुरूष	स्त्री	विकलांग
199812341	104480510	95331831	4157514

उत्तर प्रदेश के विकलांगजनों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए हमने जिला बाराबंकी के विकास खण्ड निन्दूरा की बड़ागांव न्याय पंचायत का प्राथमिक सर्वेक्षण किया, जिसमें आंकड़े निम्नवत् है–

बाराबंकी की कुल जनसंख्या	पुरूष	स्त्री	विकलांग
3260699	1707073	1553626	79104
न्याय पंचायत बड़ागांव की कुल जनसंख्या	पुरूष	स्त्री	विकलांग
32000	17400	14600	563

प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार विकलांगजनों की आर्थिक स्थिति–

न्याय पंचायत बड़ागांव के विकलागजनों की आर्थिक स्थिति के आंकड़े–

विकलांगजनों की कुल जनसंख्या	गरीबी रेखा के ऊपर	गरीबी रेखा के नीचे
563	00	563

18 वर्ष से कम आयु वर्ग के विकलांग	18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विकलांग
224	339

उक्त किये गये सर्वेक्षण के अनुसार यह ज्ञात होता है कि सरकार द्वारा किये गये अनेक प्रयासों के बावजूद आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगजनों की आर्थिक स्थिति में सुधार तो हुआ है, परन्तु अभी भी अनेक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगजन पूर्णतया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में ही निवास करते है।

सन्दर्भ

1. शासनादेशों का संकलन–2 विकलांग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश–2012
2. परफार्मेंस बजट 2013–14
3. विकलाग कल्याण विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों का परिचय निदेशालय विकलांग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ
4. साख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
5. परफार्मेंस बजट– 2013–14
6. प्राथमिक सर्वे

A Historical Eye to the evolution of Finance Commission and devolution of power to the local bodies

Dr. Ashok Kumar[1]

In the time of the Rig-Veda (1700 BC), evidences suggest that self-governing village bodies called 'sabhas' existed. With the passage of time, these bodies became panchayats (council of five persons). Panchayats were functional institutions of grassroots governance in almost every village. The Village Panchayat or elected council had large powers, both executive and judicial. Land was distributed by this panchayat which also collected taxes out of the produce and paid the government's share on behalf of the village. Above a number of these village councils there was a larger panchayat or council to supervise and interfere if necessary. Caste-ism and feudalistic system of governance under Mughal rule in the medieval period slowly eroded the self-government in villages. A new class of feudal chiefs and revenue collectors *(Zamindars)* emerged between the ruler and the people. And, so began the stagnation and decline of self-government in villages.

In spite of various committees such as the **Royal Commission on Decentralization** (1907)[i], the report of Montague and Chemsford on constitutional reform (1919)[ii], the Government of India Resolution (1919)[iii], etc., a hierarchical administrative structure based on supervision and control evolved. The administrator became the focal point of rural governance. The British were not concerned with decentralized democracy[iv] but were aiming for colonial objectives.

During the British rule, the autonomy of panchayats gradually declined with the establishment of local civil and criminal courts, revenue and police organizations, the increase in communications, the growth of individualism and the operation of the individual Ryotwari '(landholder-wise) system as against the Mahalwari or village tenure system.[v]

1. Asst. Professor, Department of Commerce R.N.Y.M College, Barhi (VBU) Hazaribag, Jharkhand

The Indian Constitution known as the finest and longest document in the world of Constitution is perhaps the most amended Constitution of the World. From its genesis in 1950, taking a huge leap, we stepped into a new Part in the Constitution of India, namely, Part IX relating to Panchayats was incorporated, *vide* The 73rd Constitution Amendment Act, 1992[vi]. This Amendment generated great expectations. It was considered as radical in nature, for it promised institutionalisation of a third stratum of government at the local level. The implications of establishing institutions of self-government at the sub-state level have been, indeed, far-reaching. It seemed that a decentralised polity was a distinct possibility in our country.[vii]

Arguments began with the financial ability of a local body as soon as development was a point to ponder upon. As always viewed and now in a time frame, we understand that an institution of self-government, the Panchayat should have adequate fiscal capacity as well as substantial fiscal autonomy. The fiscal capacity may be defined as the capability of the Panchayat to raise financial resources commensurate with the functions assigned to it. In other words, the functions assigned to a Panchayat institution must match with the financial resources it is capable of raising from various sources including grants from the State Government. Fiscal autonomy, on the other hand, is the extent of independence the Panchayat has in raising and spending financial resources.

In this context, we can advance into *Public Finances,* which is a branch of study that has helped us understand the role of government, its revenue, expenditure of the public authorities and the adjustment of one or the other in deriving the desirable results. Firstly, let us further understand how the financial independence and relationship of the local governing bodies have taken shape.

"I feel more and more that we must function more from below than from the top..too much of centralization means decay at the roots and ultimately a withering of branches, leaves and flowers"

-Pandit Jawaharlal Nehru

Key Word :- Panchayat, Committee, Documents, Constitution, Amendement.

Fiscal Decentralisation

It was noted earlier that decentralisation[viii] of governmental functions from the State to the local bodies has not taken place in the manner intended by the Constitution. Barring one or two, in the earlier decades no State had made serious efforts in transferring functions, powers and responsibilities to the PRIs.

<u>If we understand and carefully go through the Expenditure Decentralisation Ratio (EDR: Percentage share of the total government's expenditure in the total expenditure of the central government), the PRI expenditure as percentage of total</u> expenditure of the State Government is less than 10 per cent over the years in most

of the states. Reportsix suggest that the State of Karnataka only was found to be an exception where local government expenditure constitutes more than 30 per cent of the State expenditure. Further, an exercise was done by Oommen (2000)[x] to measure tax-revenue decentralisation ratio, indicating percentage of local government tax revenue to total State Government tax revenue. It was found that out of 12 major States the tax revenue of local bodies (PRIs and urban local bodies) in 9 States constituted less than five per cent of the total tax revenue of State Government. In two other States, the ratio was higher, but less than 10 per cent. This indicates that the local bodies have not been given sufficient tax assignments to raise revenue locally.

The arguments may go on in support of the fact that the fiscal autonomy of PRIs is extremely poor – almost throughout the country. Data used in this table relate only to the revenue receipts, that is to say, the receipts that are necessary to meet the recurring expenses of the institutions, namely, salary of staff, office expenses, and maintenance of assets. To be viable, they should be able to meet a least 50 per cent of their revenue requirements by using their own fiscal powers. But, this is not the case and the Panchayats remain principally grant fed.

An immediate impact of this is the lack of autonomy of the PRIs to finance from its own funds, the maintenance expenses of the core services, that is to say, water supply, street lighting, sanitation and roads. Report of the Eleventh Finance Commission for 2000-2005, Annexure VIII.2A and VIII.2B says that the expenditure on core services as a percentage of total revenue expenditure is low in all the States and below even one percent in a number of States. Some figures even drop down to 3-4% in states like Madhya Pradesh and Odisha and even below 1% in State of west of Bengal. Similarly, very small portion of internally collected revenue is spent on core services. (Note: Core Services here mean, water supply, street lighting, sanitation and roads).

The Constitutional Provisions on the Finances of Local Government

There are two provisions in the Constitution, namely 243H and 243-I[xi] dealing with the finances and fiscal powers of the Panchayats. (Exactly similar provisions exist for the urban local bodies in Part IXA of the Constitution, namely articles 243X and 243Y). By far, the most novel provisions that brought the local government institutions in the scheme of fiscal federalism[xii] are contained in articles 243-I (for Panchayats) and 243Y[xiii] (for Municipalities). They envisage the setting up of State Finance Commission (SFC) as soon as may be within one year from the commencement of the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992 and thereafter after expiration of every fifth year in every State for reviewing the financial status of the Panchayats/municipalities and for recommending measures to improve the same by restructuring, if necessary, the State-local fiscal relationship.

In making these provisions, it was rightly assumed that the financial viability of the rural and urban local bodies cannot be ensured only by assigning tax, duties, tolls and fees, for by their nature, they are less elastic and less buoyant. Transfer from the States' revenue as well as grants-in-aid would thus be necessary to supplement the finances of the PRIs and the municipalities. It is through such mechanism that the vertical imbalance and horizontal imbalance can be corrected in a federal polity. (The former refers to the mismatch between the revenue earning power and functional responsibilities of a unit of Government and the latter refers to the unequal development of areas falling under the jurisdiction of different governmental units).

Appropriate expenditure and tax assignment and other revenue sharing powers for each tier of government are a crucial component in any decentralisation[xiv] policy. Both theory and experience suggest that it is important to specify expenditure responsibilities as clearly as possible in order to enhance accountability, and reduce unproductive overlap, duplication of authority and legal challenge. In theory, decision making should occur at the lowest level of government consistent with the principle of subsidiary. The constitutional amendment as maintained the erstwhile division of subjects between the union and the state governments, under which, the subject of local government stands assigned to state govt. the amendments maintain that the legislature of a state will continue to have powers to endow the panchayat s and municipalities swit such powers and authority as it may consider necessary to enable them to function as institutions of self government.

In tandem, the Constitutional Amendment has maintained the prerogative of the state legislature to decide which taxes, duties tolls and fees should be assigned to local bodies and which of them should be shared between the state and local bodies. The amendment has provided for the setting up of a Finance Commission for the purpose of reviewing the financial position of the panchayats and making recommendations in the principles that would government:

- distribution between the state and panchayats of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees that may be leviable by the state;
- determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by the panchayats;
- grants in aid to the panchayats from the consolidated funds of the state; and
- any other measure that would improve the finances of the panchayats

These provisions in the Constitution envision a major vertical and horizontal restructuring in the state local and central local fiscal relations. It has also provided

to states an opportunity to redesign the existing fiscal system so that it is coherent and flexible enough to meet the rapidly changing local needs and responsibilities[xv].

The reports of the SFCs have not been uniform in respect of their approach, coverage and methodology adopted for making recommendations. "Many SFC reports have not addressed the specific items listed in articles 243-I and 243Y, nor have they provided a clear idea of the power, authority and responsibilities actually entrusted to the local bodies. Many of these reports also do not clearly indicate the principle formulated for sharing or assignment of State taxes, duties, tolls, fees and the grants-in-aid." — (Report of the Eleventh Finance Commission: para 8.11b). Some SFC reports such as those of West Bengal and Karnataka have been hailed because their approach unmistakably, was towards creating institutions of self-government.' Some reports, on the other hand, have been criticised for their failure to take a similar approach (Oommen, 2000: 30-31).

The financial relationship between the Centre (Union) and the States is provided in the constitution. The constitution gives a detailed scheme of distribution of financial resources between Union and the States. The Indian constitution makes a broad distinction between the power to levy a tax and the power to appropriate the proceeds of a tax. Thus, the legislature which levies a tax is not necessarily the authority which retains the proceeds of a tax levied. The Constitution grants the Union Parliament exclusive power to levy taxes on several items. The State legislatures enjoy similar power with regard to specified items mentioned in the union list while the legislatures levy taxes on items mentioned in the state list (state's exclusive power to tax include: land revenue; stamp duty; estate duty; agricultural income; entry tax; sales tax; taxes on vehicles and luxuries, etc).

The centre state relationship has evolved over the years for various reasons, be it the foundation of their relation or the recommendation evolving in the form of policies. A beginning in financial decentralization was made in 1871, when the system of assigning fixed annual lump-sum grant and receipts from certain provincial services to the Provincial Governments was introduced. Then in 1882, fixed lump-sum grant was replaced with the scheme of 'divided heads' in which revenues from stamps, excise, income tax, forests, registration, irrigation and land revenue were divided between the Centre and the Provinces~ Revenues from departmental services and public works were made entirely provincial. The system of quinquennial review and settlement of provincial financial allocation was introduced.

[xvi]The Finance Commission came into existence in 1951. It was established under Article 280 of the Indian Constitution by the President of India. It was formed to define the financial relations between the centre and the state. The Finance Commission Act of 1951 states the terms of qualification, appointment and disqualification, the term, eligibility and powers of the Finance Commission.[1] As per the Constitution, the commission is appointed every five years and consists of a chairman and four other members. Since the institution of the first finance

commission, stark changes have occurred in the Indian economy causing changes in the macroeconomic scenario. This has led to major changes in the Finance Commission's recommendations over the years. Till date, Fourteen Finance Commissions have submitted their reports.

There are Articles 269, 270, 275, 282 and 293 all of which specify ways and means of sharing resources between Union and States. Apart from the above- mentioned provisions, The Indian Constitution provides an institutional framework to facilitate Centre- State Transfers. This body is the Finance Commission, which came into existence in 1951, under Article 280 of the Indian Constitution, which states:

The Commission is constituted to make recommendations to the president about the distribution of the net proceeds of taxes between the Union and States and also the allocation of the same amongst the States themselves. It is also under the ambit of the Finance Commission to define the financial relations between the Union and the States. They also deal with devolution of non-plan revenue resources.

So far 14 Finance Commissions have been appointed which are as follows:

Finance Commission	Year of Establishment	Chairman	Operational Duration
First	1951	K. C. Neogy	1952–57
Second	1956	K. Santhanam	1957–62
Third	1960	A. K. Chanda	1962–66
Fourth	1964	P. V. Rajamannar	1966–69
Fifth	1968	Mahaveer Tyagi	1969–74
Sixth	1972	K. Brahmananda Reddy	1974–79
Seventh	1977	J. M. Shelat	1979–84
Eighth	1983	Y. B. Chavan	1984–89
Ninth	1987	N. K. P. Salve	1989–95
Tenth	1992	K. C. Pant	1995–2000
Eleventh	1998	A. M. Khusro	2000–2005
Twelfth	2002	C. Rangarajan	2005–2010
Thirteenth	2007	Dr. Vijay L. Kelkar	2010–2015
Fourteenth[3]	2013	Dr. Y. V Reddy	2015–2020

To quickly understand the relevance and motivation behind the distribution of funds, we can examine the way the distribution took place in previous FCs.

- The Tenth Finance Commission distributed the PRI grant amongst the states on the basis of state-wise rural population as per the 1971 Census. The grant for urban local bodies was allocated to the states on the basis of the inter-state ratio of slum population derived from the urban population figures of the 1971 Census.
- The Eleventh Finance Commission distributed grants amongst the states as per the following parameters: i) Population: 40 per cent ii) Distance from highest per capita income: 20 per cent iii) Revenue effort: 10 per cent iv) Geographical area: 10 per cent v) Index of decentralisation: 20 per cent.
- Twelfth Finance Commission made allocations to states based on the following indicators: i) Population: 40 per cent ii) Distance from highest per capita income: 20 per cent iii) Revenue effort: a) With respect to state's own revenue: 10 per cent b) With respect to GSDP: 10 per cent iv) Geographical area: 10 per cent v) Index of deprivation: 10 per cent.

The table below gives a snapshot of the delegation of funds through the last few Finance Commissions. It clearly shows how the funds allocated by previous Finance Commissions to PRIs and ULBs, along with amounts actually released as detailed below.[xvii]

Such figures additionally reflect the functioning of the state governments as well.

(Rs. crore)

Commission	Amount Allocated		Amount Drawn		Amount not Drawn	
	PRIs	ULBs	PRIs	ULBs	PRIs	ULBs
FC-X (1995-2000)	4380.93*	1000	3576.35 (66.46 %)	833.88 (83.39 %)	804.58 (33.54%)	166.12 (16.61%)
FC-XI (2000-05)	8000	2000	6601.85 (82.52%)	1751.89 (87.59%)	1398.15 (17.48%)	248.11 (12.41%)
FC-XII** (2005- 09)	18000	4500	16664.77 (92.58%)	4024.54 (89.43%)	1335.23 (7.42%)	475.46 (10.57%)

Note: * Rs. 100 per capita of rural population.
** From 1 April 2005 to 6 November 2009.
Source: Ministry of Finance, Government of India

The Twelfth Finance Commission recognised that the conditionalities imposed for release of funds to local bodies ultimately handicapped the very local bodies for which they were meant. *Amounts not drawn essentially reflected nonperformance by State Governments.*

While the Eleventh FC had already envisioned the depth of self regulation and recommended the review of the accounting heads under which funds are transferred

to local bodies to ensure clarity and hence there must be maintenance of accounts and audit of local bodies, the Twelfth FC noted that the recommendations were still to be implemented. It suggested that the SFCs should follow the procedure for data acquisition as well as report writing adopted by the Finance Commissions, by using a similar format and recommending transfer of resources in a like fashion.

Recently the Fourteenth Finance Commission is constituted under the chairmanship of Y.V. Reddy, former RBI Governor.

Major Recommendations of 14th Finance Commission[xviii] headed by Prof. Y V Reddy

The share of states in the net proceeds of the shareable Central taxes should be 42%. This is 10 percentage points higher than the recommendation of 13th Finance Commission.

Fourteenth finance commission recommendation with respect to local bodies and state government-

1. More devolution of fund to state government from 32 percent to 42 percent which is a significant vertical devolution of fund.
2. State government are free to allocate grant to local bodies based on performance instead of earlier formula derived by finance commission.
3. Local government should be empowered to moblize more fund through strengthening tax structure and increasing tax base also using various instruments like local body bonds etc.
4. Centrally sponsored scheme has been reduced to half so that state government free to take decision for their fund (for CSS state government are forced to make their contribution and because of that state government cannot take more rational decision for use of fund)
5. Further transfer of fund from state government to local bodies based on population (2011 census) and area.

With such an ambitious devolution of powers to the rising stream of local bodies, there are granted merits; however the demerits also need to be checked. While the local government is empowered to take decision for their requirements, the financial empowerment does not insure cooperation in implementation of various state policies at local. Similarly, the financial empowerment to local bodies would create employability at local level (help in tackling issue of migration). At the same time as unspent performance grants would be automatically disbursed to local bodies enhancing State's accountability, there is also the risk of lack of maintenance of accounts at local level hamper accountability. However, the recommendation also empowers the state with several tax and non-tax revenues to local-bodies so that they can raise their own revenues.

Irrespective of the ambitiousness of such recommendation and adherence to it, the inevitable truth in the discourse of development remains with the fact that the State may pursue policies for their political agenda instead of development.

CONCLUSION

As far as the local communities are concerned, the local government is certainly expected to be more sensitive and quick responsive towards its needs. Beyond Education and Health, to raise the efficacy of the resources, thinking in small pockets would not only raise the level of equitable distribution of benefits but also the management would be concrete process.

The extent of fiscal decentralisation through the empowerment of the PRIs has been very little. The fiscal autonomy of the PRIs is far from adequate, because they cannot balance their revenue budget (not to speak of creating a surplus), by using their own fiscal powers. The PRIs are principally grant-fed and their dependence upon the State Government even for carrying out their routine functions is quite heavy. Among the three-tiers of Panchayats, the gram Panchayats are comparatively in a better position. This is so, because the GPs have some taxing power of their own, while the other two tiers are dependent only on tolls, fees and non-tax revenue for generating internal resources.

We may conclude that major fiscal restructuring and financial resources are necessary to enable the Panchayats to function as viable local self-government institutions. Some of the measures necessary for such reforms may be taken even within the framework of existing Constitutional provisions. But there are areas where rethinking about the Constitutional framework itself would be necessary.

"We want to promote co-operative federalism in the country. At the same time, we want a competitive element among the states. I call this new form of federalism Co-operative and competitive Federalism"

- Prime Minister Narendra Modi

References:

1. Charles Edward Henry Hobhouse, Sir bart.; *Great Britain. Royal Commission on Decentralization in India*, London, Printed for H.M. Stationery Off., by Darling, 1908-09.
2. Vibhuti Bhushan Mishra, Mittal Publications 1987, Chapter 10, *Evolution of the Constitutional History of India, 1773-1947: With Special Reference to the Role of the Indian National Congress and the Minorities*
3. HL Deb 30 November 1920 vol 42 cc764-74, *GOVERNMENT OF INDIA ACT, 1919: DRAFT RULES*
4. Younis Ahmad Sheikh, *Democratic Decentralisation In India: An Overview*, International Journal of Social Science & International Journal of Social

Science & Interdisciplinary Research, ISSN 2277-3630 IJSSIR, Vol. 3 (7), JULY (2014)ISSN 2277-3630 IJSSIR, Vol. 3 (7), JULY (2014)

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Local_self-government_in_India
6. P 32, Decentralisation, Need for Reforms, Concept Publishing Company, 01-Jan-2004
7. http://lawmin.nic.in/ncrwc/finalreport/v2b2-6.htm
8. Ibid 4
9. *Report of the Eleventh Finance Commission for 2000-2005, AnnexureVIII.2A and VIII.2B*
10. M.A. Oomen, P 156, *Fiscal Decentralisation to Local Government in India*, Cambridge Scholars, 2008
11. P.M. Bakshi, P 231-232, *The Constitution of India*, Universal Law Publishing Co., Eleventh Edition
12. Robin Boadway, Anwar Shah, Fiscal Federalism: Principles and Practice of Multiorder Governance, Cambridge University Press, 11-May-2009
13. P 238, ibid 12
14. Ibid 5
15. Bibek Debroy, Pitambar Datta Kaushik, Academic Foundation, 2005, P 88-89, *Energising Rural Development Through "panchayats"*.
16. https://en.wikipedia.org/wiki/Finance_Commission
17. Chapter 10, Finance Commission of India, http://fincomindia.nic.in/writereaddata%5Chtml_en_files%5Coldcommission_html/fincom13/tfc/Chapter10.pdf
18. Report of the Fourteenth Finance Commission of India, Government of India, http://www.finmin.nic.in/14fincomm/14thFinanceCommission.htm

Effect to Education for society Development & Growth

Dr. Munshi Lal Yadav[1]

Abstract

The aim of this study is to explain the role of education on social development and progress, individual development and progress and to explain the dynamic relationship among these concepts. Education is not only an institution but also a procedure taken place in society. When talking about education people often confuse it with schooling. Think of place live school or collages, when seeing or hearing the word. They might also look to particular ob like teacher or tutor. The problem with this is that while looking to help people learn the way a lot of school and teachers operate is not necessarily something we can properly call education. Education has become one of the pre-requisies of well society. Education is both a Morden a traditional social force. The present society is very much based on modern education, and education as such is a part and parcel of the modern society. Education provides necessary knowledge and skills which enable an individual to operate efficiently in the society and also to contribute to its successful functioning.

Education has been described as a process of walking up to life :

1. Walking up to life and its mysteries, its solvable problems and the ways solve the problems and celebrate the mysteries of life.
2. True education is the harmonious development of the physical, mental, moral (spiritual) and social faculties, the four dimension of life, for a life of dedicated service.

Society and Education

To understand the relationship between education and society in a healthy way and to explain the highly dynamic structure of education is not a routine process that effects every level of society as an social institution, political authority needs to be imposed that to build a prosperous society that education and knowledge are provision. Society and natural conditions determine the role and the function of education. Society cannot carry on without education and vice versa.

Key words : modern, knowledge, relationship, education

1. **Principal, Swami Dharmabandhu, College of Education, VBU Hazaribag Jharkhand**

Introduction

The aim of this study is to explain the role of education on society development and progress, individual development and progress and to explain the dynamic relationships among these concepts. Education is not only an institution but also a procedure taken place in society. When talking about education people often confuse it with schooling. Many think of place like school or colleges, when seeing or hearing the word. They might also look to particular job like teacher or tutor. The problem with this is while looking to help people learn the way a lot of schools and teachers operate is not necessarily something we can properly call education. Education has become one of the pre-requisites of well society. Education is both a modern and a traditional social force. The present society is very much based on modern education. Education as such is a part and parcel of the modern society. Education provides necessary knowledge and skills which enable an individual to operate efficiently in the society and also to contribute to its successful functioning.

Education has been describe as a process of walking up to life

Walking up to life and its mysteries, its solvable problems and the ways to solve the problems and celebrate the mysteries of life.

True education is the harmonious development of the physical, mental, moral and social faculties, the four dimension of life, for a life of dedicated service.

Etymological meaning of education :

Etymologically, the word "education" has been derived from different words.

a) 'educare' which means "to bring out" or "to nourish".

b) "educatum" which means "to bring up, rear, educate".

c) "education" which mans "a breeding, a bringing up, a rearing".

The most common Indian word "shiksha" is derived from the Sanskrit verbal rrot "Shas" which means "to discipline, to control, toinstruct, and to teach."

Defination:

Since time immemorial, education is estimated as the right rood to progress and prosperity. Different educationists thoughts from both eastern and western side have explained the term "education" according to the need of the hours. Various educaionists have given their views on education –

1. **Mahatma Gandhi :** "By education I mean an all round drawing out of the best in man-body, mind and spirit."
2. **Froebel :** "Education is enfoldment of what is already enlolded in the greeem."
3. **Summer :** He defined education as the attempt to transmit to the child the mores of the group, so that he can learn "what conduct is approved and what is this approve ….. how e ought to behave in all kinds of cases : what he ought to believe and rehect."

In simple words, education means" development of and cultivating the various physical, intellectual, aesthetic and moral faculties in an individual.

Education and economy

The level of economic development of any society is closely linked with the level of educational attainment of its people. Certain level of educational attainment is absolutely necessary for preparing economic planning. Scholars have recognized that education is an important instrument in the national development. The growing complexity of urban industrial society has necessitated the interconnection between economy and education. The relationship between education and economy is reflected in the close link that has development between education and occupation in modern urban – industrial societies. Education influences economic development in two distinct but related ways. Firstly, the education system provides the labour force that matched the need of the economy. This is called "the manpower allocation function of education," And is broadly discussed as the problem of human resource development. Secondary, education is a pre-requisite of economic development in the sense economic development assumes a particular set of attitudes and value, or broadly a new culture of its own. Education seems to be an important agency for fostering such values and attitudes among the people and preparing them for economic development. Education, thus is capable of generating "climate for growth."

Literacy Rate in India

To know development in a society, Literacy is another proper indicator of economic development. For purpose of census, a person in age limit of seven and above, who can both write and read with understanding in any of the language is considered as a literate in India. Literacy plays a major role in the economic development of nation. Although India has raised its current literacy rate of 75% (2016) from 12% at the time of Independence in 1947, its still lag behind the world average literacy rate of 84%. Compared with other nations, Republic of India has the largest illiterate population.

As per Population Census of India 2011, the Literacy rate of India has shown improvement of almost 9.2 percent. I has gone up to 74.04% in 2011 from 65.38% in 2001, thus registering an increase of over 9 percent in the last 10 years. He nation also suffers from a wide gender disparity in literacy rate with a literacy rate of 82.14% for men and 65.46% for women Kerela with 93.91% literacy rate is the top state in India. Lakshadweep and Mizoram are at second and third position with 92.28% and 91.58% literacy rate respectively. Bihar with 63.08% literacy rate is the last in terms of literacy rate in India. Majority rate thus contributing towards literate nation.

State with highest Literacy Rate

The southern state Kerala has the highest literacy rate of 93.91% in India.

State with lowest Literacy Rate

Bihar with figure of 63.82% has the lowest literacy rate in India.

Government of India has taken several measures to improve the literacy rate in villages and towns of India. State governments has been directed to ensure and

improve literacy rate in district and villages where people are very poor. There has been a good improvement literacy rate of India in last 10 years but there is still a long way to go. Going by previous growth rate India will be able to achieve its universal literate target no before 2060.

List of steps taken by Government of India to improve Literacy Rate in India :

- Free education programs to poor people living in villages and towns.
- Setting up of new schools and colleges at district and state levels.
- Several committees have been formed to ensure proper utilization of funds allotted to improve literacy rate.
- Beti Bachao, Beti Padhao is the latest initiative taken by Government of India to save and educate the girl child in India.
- State literacy campaigns are launched at several times to conduct door to door survey to examine overall literacy scenario in the districts.

Indian States Ranking by Literacy Rate				
Sl No	State	Literacy Rate (2011 Census)	Male Literacy Rate (2011 Census)	Female Literacy Rate (2011 Census)
1	Andaman & Nicobar Islands	86.3%	90.1%	81.8%
2	Andhra Pradesh	67.7%	75.6%	59.7%
3	Arunchal Pradesh	67.0%	73.7%	59.6%
4	Assam	73.2%	78.8%	67.3%
5	Bihar	63.8%	73.5%	53.3%
6	Chandigarh	86.4%	90.5%	81.4%
7	Chhattisgarh	71.0%	81.5%	60.6%
8	Dadra & Nagar Haveli	77.7%	86.5%	65.9%
9	Daman & Diu	87.1%	91.5%	80.9%
10	Delhi	86.3%	91.0%	80.9%
11	Goa	87.4%	92.8%	81.8%
12	Gujarat	79.3%	87.2%	70.7%
13	Haryana	76.6%	85.4%	66.8%
14	Himachal Pradesh	83.8%	90.8%	76.6%
15	Jammu & Kashmir	68.7%	78.3%	58.0%
16	Jharkhand	67.6%	78.5%	56.2%
17	Karnataka	75.6%	82.8%	68.1%
18	Kerala	93.9%	96.0%	92.0%
19	Lakshadweep	92.3%	96.1%	88.2%
20	Madhya Pradesh	70.6%	80.5%	60.0%

21	Maharashtra	82.9%	89.8%	75.5%
22	Manipur	79.8%	86.4%	73.2%
23	Meghalaya	75.5%	77.2%	73.8%
24	Mizoram	91.6%	93.7%	89.4%
25	Nagaland	80.1%	83.3%	76.7%
26	Orissa	73.5%	82.4%	64.4%
27	Puducherry	86.5%	92.1%	81.2%
28	Punjab	76.7%	81.5%	71.3%
29	Rajasthan	67.1%	80.5%	52.7%
30	Sikkim	82.2%	87.3%	76.4%
31	Tamil Nadu	80.3%	86.8%	73.9%
32	Tripura	87.8%	92.2%	83.1%
33	Uttar Pradesh	69.7%	79.2%	59.3%
34	Uttarakhand	79.6%	88.3%	70.7%
35	West Bengal	74.04%	82.14%	65.46%

BENGALURU :

The overall literacy rate in the country may have gone up to 74.4%, but the drop in the illiteracy rate has not matched the increase in population Between 2001 and 2011, the population above the age of 7 grew by 18.65 crore but the decrease in the number of illiterates is just 3.11 crore.A 2015 Unesco report said that in terms of absolute numbers, India – with 28.7 crore illiterates – was the country with the largest number of adults without basic literacy skills in 2010-11 compared to 2000-01 when it had 30.4 crore illiterates. The fact that illiteracy is not being tackled is evident from the enrolment rates in primary and upper primary schools. Over 12 years (2000-01 to 2013-14), the number of children who enrolled in primary schools increased by just 1.86 crore, and at the upper primary level by just over 2 crore. The population during this period, however, increased by more than 18 crore. Going by 2011 Census data, most states, barring a few like Nagaland have recorded an increase in population but the entolment rate does not mirror that. The country also seems to be having a problem with retaining people in schools and collefes. An average of 326 out of 1,000 students in rural areas are dropping out, while the same is 383 per 1,000 in urban areas, the National Sample Survey Organisation's (NSSO) last survey reveals. This data counts people up to the age of 29. Unesco has put the number of out-of-school (OOS) children at 17 lakh in India. A survey commissioned by the Centre put the number for 2014 at 61 lakh, with SC and ST children making up 49.03% (29.73 lakh) of these.

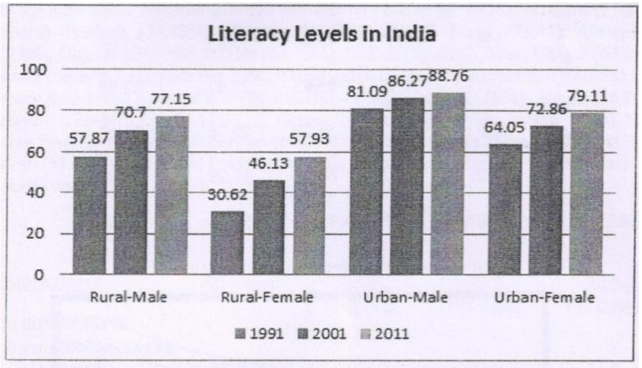

LITERACY IN INDIA ; STEADY MARCH OVER THE YEARS

Eighth September is the International Literacy Day.

When India gained independence, four out of five of her citizen could not read. Thanks to various initiatives and interventions over the years, three out of five Indians can now read and write. The fast growth in literacy in the recent decades even in the face of huge additions to the population depicts a remarkable positive trend. At the same time, we cannot lose sight of the fact that India still have a long way to go towards the goal of total literacy. Out of about 87 crore illiterate in the world, 30 crore are Indians.

The figure here sketch a picture of literacy in India vis-à-vis her neighbours and how it has grown since 1951. Statewise figure of literacy are given to show regional variations, especially to highlight the educationally backward areas of the country.

Highlights of Census 2001

Literacy rate has increased to 65.38%, which reflects an overall increase of 13.17%, the fastest decadal growth ever. This is the highest rate since independence.

Male literacy rate has increased to 75.85%, which shows an increase of 11.72%. On the other hand, female literacy of 54.16% has been reached at a much faster rate of 14.87%.

The male-female literacy gap has reduced from 24.84% in 1991 to 21.70% in 2001. Mizoram has the smallest gap (4.56%) followed by Kerala (7.45%) and Meghalaya (8.27%)

Year		**Literacy**	**Rate**	
	Total	**Male**	**Female**	**Differential**
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.95	21.97	23.98
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	65.38	75.85	54.16	21.69

Comparison of male and female literacy rates since 1951

- All states and Union Territories without exception have shown increase in Literacy rates during 1991-2001
- In all the States and Union Territories male literacy is now over 60%.
- For the first time since independence there has been a decline in the absolute number of illiterates during the decade. In the previous decades, there has been a continuous increase in the number of illiterates, despite the increase in the literacy rates, but now for the first time the total number of illiterates has come down by 31.96 million.
- The number of literate persons has increased to 562.01 million in 2001 thus adding an additional 203.61 million literates in the country.
- Rajasthan has recorded the highest increase in the literacy rate among the States/Uts of India. Literacy rate of Rajasthan in 7+ population in 1991 was 38.55% which has increased to 61.3% in 2001.
- Rajasthan has also recorded very good increase in the female literacy. It was 20.44% in 1991 which has increased to 44.34% in 2001.

On the basis of literacy rate, State/Uts can be grouped as under

High Literacy Rate (80% and above) – Kerala (90.92%), Mizoram (88.49%), Lakshadweep (87.52%), Goa (82.32%), Delhi (81.52%), Chandigarh (81.76%), Pondicherry (81.49%), A & N Islands (81.18%) and Daman & Diu (81.09%).

Literacy Rate above national average (65.4%) and below 80% - Maharashtra (77.27%), Himachal Pradesh (77.13%), Tripura (73.66%), Tamil Nadu (73.47), Uttaranchal (72.28%), Gujarat (69.97%), Punjab (69.75%), Sikkim (69.68%), West Bengal (69.22%), Manipur (68.87%), Haryana (68.11%), Nagaland (67.11%) and Karnataka (67.04%).

Literacy Rate below national average (65.4%) – Chhattisgarh (65.18%), Assam (64.31%), Madhya Pradesh (61.11%), Orissa (63.61%), Meghalaya (63.31%), Andhra Pradesh (61.11%), Rajasthan (61.11%), Dadra & Nagar Haveli (60.03%), Uttar Pradesh (57.36%), Arunachal Pradesh (54.74%), Jammu & Kashmir (54.46%), Jharkhand (54.13%) and Bihar (47.53%)

Other comparison

There are differences in literacy between urban and rural areas, there being Perceptibly higher incidence Of illiteracy in the villages

	Persons	**Male**	**Female**
All Areas	56.6 (65.20%)	33.9 (75.64%)	22.6 (54.03%)
Rural Areas	36.6 (59.21%)	22.6 (71.18%)	14.0 (46.58%)
Urban Areas	20.0 (80.06%)	11.3 (86.42%)	8.6 (72.99%)

The literacy in India as compared to other SAARC countries may be seen in the graph here. While Maldives and Sri Lanka have much higher rates of literacy, other countries have literacy below the Indian level.

Literacy rates among SAARC countries in 20000

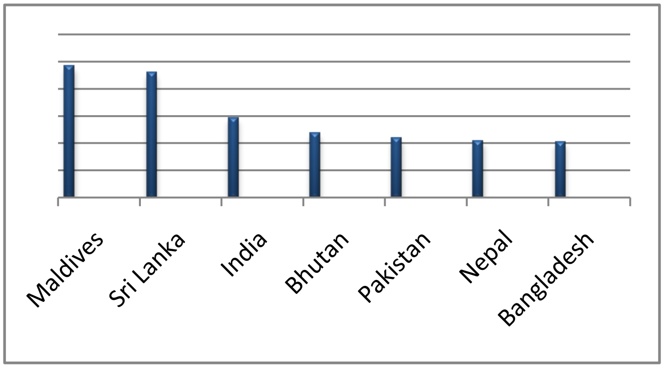

Investment in education has a important egalitarian effect on equity and alleviation of poverty (dash, 2007) education has important link with other aspects of human resources development such as health and fertility. Education play a significant role in bringing about a socioeconomic change and development. A study of most populated state in India during the period 1961-81 has shown that one additional year of education of the workforce was associated with a 15% increase in income output. Spending on education, therefor, is not simply a consumption activity, but it is an investment in human capital.

Problems concerning Equality of Opportunities in Education.

Education id of great help in establishing equality and ensuring social justices no doubt. But system of education itself can add to the existing inequalities, or at least perpetuate the same. Test has been the major problem in providing equal educational opportunity for all. Inequalities of other tonal opportunities arise for the following reasons.

Causes for the inequalities of Education opportunities.

1. Inequalities of educational opportunity occur due to the poverty of al large number of people. The poor cannot afford to meet the expenses of education.
2. Children may lead to their poor performance.
3. In the place where no primary, Secondary or collegiate educational institutions exits, of dren do not get the same opportunity as those who have all these in their neigh bourhoos.
4. Wide inequalities also arise from differences in home environments. A child from 8 rules household or slum does not have the same opportunity as a child from an upper class home with educated parents.
5. There is wide sex disparity in India. Hence, girl’ education in not given the same encousagement s boys.

6. Education of backward classes including schedules castes and tribes and economical backward sections is not at par with that of forward communities of classes.

Suggestions for Reorganizing Educational system for providing Equality of Educational of port unity in India.

The government of India has been striving to achieve the target of providing equal educational opportunities to all the people. Some suggestions could the cited in this regard. These suggestions may be of some help in reaching the target.

1. In order to reap the fruits of education and also to remove the prejudices and biases, about illiteracy has to be removed by launching appropriate programmers.
2. By following "Policy of protective discrimination" all efforts must be made to increases the opportunities for education to all the weaker sections of the society like the scheduled castes, scheduled tribes, backward communities and even women.
3. Honest attempts be made to provide compulsory education to all the children at least up to 14 years. No one should be made to suffer for want of educational opportunity and facilities.
4. The higher educational chances should be extended to all merit.
5. Education commission suggests that for equalization of educational opportunity the following measures may be adopted.
   a) Education should be made tuition free all immediately at the primary and Secondary levels and in course of time, at the university level at least for the needy deserving students.
   b) Free textbooks and writing materials should be supplied at the primary stage.
   c) Transport facilities should be provided to reduce cost on hostels and scholarship.
   d) Facilities for the students to earn a part of their educational expenses, that is, "earn white you learn" schemes should be developed.

Year	Percentage of expenditure on education to expenditure on all sectors (central and state)	Percentage of Education Expenditure to GDP
1951-52	7.92	0.64
1955-56	10.65	1.15
1960-61	11.99	1.48
1965-66	9.82	1.69
1970-71	10.16	2.11
1980-81	2.98	2.98
1990-91	13.37	3.84

1995-96	13.34	3.56
1999-2000	14.60	4.25
2000-2001	14.42	4.33
2001-2002	12.89	3.82
2002-2003	12.74	3.97

CONCLUSION

For proper human development along with economic development, social sectors must be liked with economic growth. Social services provide a better chance of self expression and for community recreation. Myrdal is of the view that vicious circle of poverty can be turned into a virtuous circle Where meeting social needs is cumulatively raising the levels of production (Chopra, 1992). Wocial services are the tools of human resource development and all development in the ultimate sense should culminate in human resources and thereby human development. We are therefore required to lay emphasis on economic development and social development simultaneously. We need to fill the gaps in the health and education and health have a lasting effect on the quality of life of the people of the country. The policy makers, planners, administrators and politicians should realized that augmenting the quality of population through better education and better health care will provide a sound edifice for rapid and sustained economic development.

References

Ram Ahuja (2005) Society in India concepts, Theories and recent trends New Delhi p 215

Webster, a. (1991) sociology of development, Macmillan pres, London Sociology of Indian society. C.N. Shankar Rao.

www.definition.net

https://johnparankimalil.wordpment,macmillan pres, London

Government of India ministry of humen resurses development selected education statics 2002-2003 New Delhi.

http://jhnparankimalilwordfresh.com.

Webstera(1991) sociology of development macmillan press London

c.n. Shankar Raw sociology of Indian society.

General of economic and social development vol. 5 I ssn-0973-886×(2009)

Human resources magement Dr. F.C. Sharma

Who (2002) the world health report who

Government of India 2011 national human development

Government of India economics survey 2004-2005

Nik Safiah Karim. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lampur. Dewan Bahasa dan Pustaka

Paul, B.H. & Chester, L.H. Sociology, USA L McGraw Hill Book Company.

समकालीन हिन्दी साहित्य और स्त्री विमर्श

डॉ0 किरण त्रिपाठी[1]

साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज की चेतना में साँस लेता है, वह समाज का वह परिधान है, जो जनता के सुख, दु:ख, हर्ष, विषाद, आकर्षक—विकर्षण के ताने—बाने से बुना जाता है। उसमें विशाल मानव जाति की आत्मा का स्पन्दन ध्वनित होता है। वह जनता के जीवन की व्याख्या करता है, इसी से उसमें जीवन देने की शक्ति आती है।

समकालीन हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श आज के साहित्य में व्यक्त उस विचारधारा का पर्याय है जिसमें सामाजिक परिवर्तन और विकास के दौर में नारी को एक व्यक्ति के रूप में उसका वास्तविक दर्जा और हक दिये जाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। वर्तमान जीवन परिस्थितियों में उनकी सार्थकता का निरीक्षण—परीक्षण और आलोचना करते हुए युगानुरूप उनमें नवीन परिवर्तनों की प्रस्तावना करने के प्रयास का नाम स्त्री—विमर्श है।[१]

स्त्री—विमार्श का प्रारम्भ हिन्दी साहित्य में छायावाद की मूर्धन्य कवियत्री महादेवी वर्मा की ''श्रृंखला की कड़ियाँ'' से मानना अधिक उपयुक्त है। स्त्री—विमर्श सम्बन्धी जीवन दृष्टि हिन्दी के समकालीन साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक सभी विधाओं में दिखाई पड़ता है। समकालीन चेतना का प्रतिनिधित्व करते हुए नारी जीवन से सम्बद्ध महिला उपन्यासकारों में कृष्णा सोबती (सूरजमुखी अंधेरे के, मित्रों मरजानी), उषा प्रियवंदा (पचपन खंभे लाल दीवारें, सकोगी नहीं राधिका), मन्नू भण्डारी (आपका—बंटी), मृदुला गर्ग (चित्तकोबरा), राजी सेठ (तत्सत्), मैत्रेयी पुष्पा का अल्मा कबूतरी, चाक, झूलानट आदि प्रमुख हैं।[२]

1. प्रभारी, हिन्दी विभाग, जे.आर. विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उ0प्र0

स्त्री—विमर्श की हलचल ने स्त्री जीवन के उन अनछुये पहलुओं पर भी दस्तक दिया है जहाँ स्त्री के स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास में बाधा आई है। स्त्री—विमर्श की अभिव्यक्ति का मूल स्वर नारियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं नारी पुरुष की समानता के इर्द—गिर्द घूमता रहा है, आर्थिक स्वावलम्बन के अभाव में नारी अपने ही परिवार में शोषित होती रही है, क्योंकि विरोध करने का न उसमें साहस है और न सम्बल। चित्रा मुदगल ने अपने उपन्यास ''एक जमीन अपनी'' में लिखा है— ''पुरुष विरोध करते हुए पुरुष की तरह निरंकुश और स्वछन्द हो जाना नारी मुक्ति नहीं है।[३]

आज भारतीय नारी में अनेक परिवर्तन हुए हैं, समाज में नारी को भी स्थान दिया जाने लगा, आधुनिक नारी प्राचीन मूल्यों को त्याग कर नये मूल्यों में अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व सृजित कर रही है। भूमण्डलीकरण के इस दौर में स्त्रियों ने उन सभी आयामों को प्राप्त किया है, दो दशक पहले जिसकी कल्पना भी असम्भव थी।

आधुनिक युग की प्रगतिशील लेखिकाओं ने नारी मनोविज्ञान, स्त्री—पुरुष सम्बन्धों, प्रेम के विविध पक्षों को पूरे मानवीय प्रसार में बड़ी संजीदगी से प्रस्तुत किया है।

नारी विमर्श की दृष्टि से मैत्रेयी जी हिन्दी कथा साहित्य में स्त्री—विमर्श को ठोस रूप में स्थापित करने की पुरस्कर्त्री में से हैं। इसी श्रृंखला में प्रभा खेतान, राजी सेठ, उषा प्रियम्वदा, मन्नू भण्डारी, चित्रा मुद्‍गल, कृष्णा—सोबती, ममता कालिया का नाम शीर्ष पर है। प्रभा खेतान के उपन्यासों में नारी मुक्ति की छटपटाहट का स्वर मुखरित होता है। वह कहती हैं— ''औरत कहां नहीं रोती है, वह जितना भी रोती है, उतनी ही औरत होती जाती है।''[४]

कृष्णा अग्निहोत्री के उपन्यास 'निष्कृति' में लेखिका ने स्त्री की समस्या को व्यापक स्तर पर उठाया है। उपन्यास की नायिका मीरा और जोधा की जो समस्यायें रही हैं, उन समस्याओं को आज की स्त्री समस्या के रूप में लेखिका ने देखने का प्रयास किया है।[५]

स्त्री के लिए चाहे मध्यकाल हो या फिर आधुनिक काल उसकी समस्या का मानदंड तो एक ही जैसा रहा है। स्त्री अपनी अस्मिता और पहचान के लिए लगातार पितृसत्ता से जूझ रही है।

मीराबाई मध्यकाल की एक मजबूत चिन्तक थीं उन्होंने मध्यकाल में पितृसत्ता के विरोध में जबरदस्त संघर्ष किया था। मीरा के बचपन में उनकी इच्छा के विरुद्ध चित्तौड़ के राजा भोज राज से ब्याह हो जाता है लेकिन

विवाह के कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ससुराल के सभी लोग चाहते थे कि वे राजा भोजराज के साथ सती हो जायें लेकिन मीरा ने सती धर्म की भरपूर आलोचना कर सती होने से मना कर दिया है। यह मीरा का स्त्री के पक्ष में लिया गया बड़ा क्रान्तिकारी कदम कहा जा सकता है। उन्होंने पुरुष सत्ता समाज पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा— ''यदि पत्नी के मरने पर पति जीवित नहीं जलता तो पत्नी क्यों जलेगी?

कृष्णा अग्निहोत्री ने अपने उपन्यास 'निष्कृति' की नायिका मीराबाई और जोधा के द्वारा स्त्री अस्मिता के सवाल बड़ी बारीकी से उठाये हैं, यह उपन्यास स्त्री मुक्ति का रास्ता तो तैयार करता ही है, इसी के साथ यह भी बताता है कि इतिहास में स्त्री की भूमिका क्या रही है?

चित्रा मुद्गल के उपन्यास 'एक जमीन अपनी' और आँवा मुख्यत: 'नारी—विमर्श' पर आधारित उपन्यास हैं, इस उपन्यास के नारी पात्रों का कथन है ''मैं पत्नी नहीं सहचरी बनना चाहती हूँ। पत्नी शब्द में मुझे दासीत्व की बू आती है।

इस प्रकार आजादी के बाद के हिन्दी उपन्यासों में नारी के तीन रूप दिखाई पड़ते हैं। अपने पहले रूप में वह सदियों से चलती आ रही शोषण और अत्याचार की स्थितियों की शिकार है, दूसरे रूप में वह नई स्थितियों से जूझ रही है, और तीसरे रूप में आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी होने के लिए संघर्षरत् हैं।

आधुनिक नारी सजग आत्मचेतना और आत्म—निर्णय से लैस होकर न केवल सामन्ती परिवेश ओर रूढ़ मर्यादाओं के गढ़ को तोड़ती है बल्कि सकारात्मक ढंग से अपने व्यक्तित्व की रचना करती है। समग्र रूप में देखें तो स्त्री प्रथा खेतान के चिन्तन और संवेदना के केन्द्र में है, पति के रूप में पुरुष स्त्री को उतनी ही स्वतन्त्रता देना चाहता है, जितना एक बड़े पिंजरे में एक पक्षी को दिया जा सकता है।

साहित्यकार युगद्रष्टा ही नहीं, भविष्य द्रष्टा भी होता है उसे अगली नयी राहों का अन्वेषण भी करना होता है, समकालीन भारतीय समाज में अधिकांश स्त्रियां अपने व्यक्तिगत स्तर पर जिस दमन और शोषण को भोग रही हैं, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है, यहां सत्ता विरोध नहीं, एक नयी श्रेष्ठतर विश्व संस्कृति की भाव भूमि को तैयार करने की जरुरत है।

समकालीन महिला कथाकारों ने अपनी सीमाओं के बावजूद अपनी रचनाओं के माध्यम से जिन कई प्रश्नों का साक्षात्कार करना चाहा है, वहीं आधुनिक भारतीय समाज और स्त्री की ठोस और वास्तविक स्थिति है, स्त्री

विषयक दृष्टि में आज की नारी की भावात्मक स्थिति आत्म सजगता उसकी नियति उसके आत्म—संघर्ष उसकी अस्मिता और मुक्ति की कामना को विविध प्रसंगों के माध्यम से देखा जा सकता है, उसका सजग अहसास विचार विमर्श आज आवश्यक है। स्त्री विमर्श की भावना की अभिव्यक्ति इन्दिरा नुपुर की इन पंक्तियों में परिलक्षित हो रही है—

''मेरा भी तो मन है, उड़ूँ पंख तोलूं
मुझे भी तो जीवन को जीने का हक है,
मेरे पंख काटो न मुझको मिटाओ,
कि बनकर चिरैया चहकने मुझे दो
मैं नन्हीं कली आज खिलने को आतुर
जरा फूल बनकर महकने मुझे दो।''

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

१. डॉ० राजनाथ शर्मा, वृहत् साहित्यिक निबन्ध, पृ०सं०— ३५३।
२. डॉ० कल्पना वर्मा, स्त्री—विमर्श, पृ०सं०— २०८।
३. डॉ० अशोक तिवारी— प्रतियोगिता साहित्य सीरीज।
४. डॉ० कल्पना वर्मा, स्त्री—विमर्श, पृ०सं०—२१४।
५. शरद् सिंह— सरस्वती (मासिक पत्रिका), पृ०सं०—७९।

Role Of Parents And Child Rearing Practices In Gender Equality/Inequality

Dr. Amita Tripathi[1]

The process of socialization starts from family. Family is called the first school of a child. And in the family, the child's first interaction begins with parents (mother and father). Parents influence their children's gender socialization both directly and indirectly by their interaction with their children, their gender attitudes, behaviors and the manner in which they model gendered behavior. Children learn from their parents what it means to be female or male. Parents can play a great role in developing the concept of gender equality in their children because parents are the most significant persons of a child. Children learn by imitating the behavior not the teachings of their parents. So, parents' behavior, their thinking, their gender role stereotyping behavior, child rearing practices, encouragement for sex appropriate activities etc. greatly affects in building the self concept of gender equality/ in equality.

Key Words: gender equality, inequality, socialization, gender behavior, child rearing practicing.

Parents are among the more important socializing agents for children in shaping values, beliefs, and behaviors related to gender (Heyman & Legare, 2004). Rubin and his colleagues (1974) in an study illustrated that first time parents describe their one day old babies in gender role stereotypic terms. For example, sons are described by their fathers as " firmer, larger featured, better coordinated, more alert, stronger, and hardier" than daughters. Rubin and other researchers found that parents see their children in terms of gender role stereotyping behavior rather the

1. Assistant Professor, Dept. of Psychology, JRH University, Chitrakoot (UP)

Children’s actual behaviors. When the child conforms to stereotypes (e.g., girls expressing emotions, boys being aggressive), parents note this behavior; when children do not conform to stereotypic behavior, parents eighter ignore the behavior or punish the child for engaging in such behavior (Doyle & Paludi, 1988). In an study, parents were shown a video of a nine –months old apparently gender- neutral child playing with a card. Then an off-screen adult took the card away and the baby cried throughout the remainder of the video. Parents who have been told that they were watching a boy, as compared to those who were told they were watching a girl, rated the baby’s behavior as quite angry (Condry & Condry, 1976). Plant and colleagues (2000) also showed that male participants who had strong gender stereotypes about emotions provided higher anger ratings for the “boy ‘’ condition. The remaining participants provided similar ratings in both gender conditions.

Pomerleau et al., (1990) surveyed the bedrooms of 120 girls and boys under the age of two. They found that girls’ rooms contained dolls, children’s furniture and toys for initiative manipulations with pink and yellow coloring while the boys’ rooms had more sport equipment, tools and vehicles with blue, red and white coloring.

Parents also encourage sex appropriate activities by providing children with sex typed toys. Boys are given building blocks, sports equipment and model vehicles. Girls on the other hand, are encouraged to play with dolls, doll houses, and miniature household appliances (Heyman & Legare, 2004). Research also has shown that many parents actively discourage their children’s interest in toys associated with the other sex (Antill,1987; Fagot, 1978; Lytton & Romney, 1991). Boys may be persuaded not to play house or to cook, and girls may be dissuaded from engaging in vigorous, competitive play. Fathers involves boys in more active, physical play than girls (Rosen & Peterson, 1990).

Parents also assign household chores to their children in a gender based manner. As early as age six many children are given responsibilities that reflect their parents’ gender expectations (Antill et al., 1996; Huston, 1983; Huston & Alvarez, 1990; Lytten & Romney, 1991). Girls help with dinner preparations, making beds, cleaning and sweeping while, boys are asked to mow the lawn, wash the car, take out the trash, shovel snow or perform simple repairs (Burns & Homel, 1989); Goodnow, 1988; McHale et al., 1990; Rider, 2000.

Children also learn about mothers’ and fathers’ responsibilities for child care. Mothers invest more time and constancy in child rearing than do fathers (Hochschild, 1989; Okin, 1989; Riessman, 1990). Even when both parents have full time employment outside the home, only 20% of husbands do half of the child care and home making tasks (Hochschild, 1989), and mothers tend to do the daily activities of feeding, bathing, dressing and supervising children, while fathers engage in occasional activities that tend to be more enjoyable (Burns & Homel, 1989; Hochschild, 1989).

Kerig, Cowan, & Cowan, (1993) found that fathers tend to reinforce gender differences in the physical activity of their sons and daughters. Fathers also are more likely to reward boys for assertiveness and girls for positive, compliant behavior (Kerig, Cowan, & Cowan, 1993). When children go to school, parents make more restrictions to girls than that of boys. Boys are given more independence. Girls tend to be picked up directly at school, directed to play at home rather than neighborhood. They are also restricted to go to parks, libraries etc. on their own.

So, on the basis of above studies discussed, it may be concluded that there are many ways in which parental behaviors affect in developing the concept of gender equality/ inequality from an early age in children. Children learn from their parents what it means to be female or male. Parents should be motivated to encourage their children's abilities, interests, activities and play activities leaving gender biasness. If we want to fill gender gap, bring gender equality, providing equal opportunities to both genders, we should begin from us and our family. Discriminations in child- rearing practices should be strictly avoided.

REFERENCES –

Antill, J.K. (1987). Parents beliefs and values about sex roles, sex differences, and sexuality: Their sources and implications.In P. Shaver & C. Hendrick(Eds), Sex and gender (pp.294- 328). Newbury Park, CA: Sage.

Antill, J.K. , Goodnow, J.J., Russell, G., & Cotton, S. (1996). The influence of parents and family context on children's involvement in household tasks. Sex Roles, 34,215-236.

Burns, A., & Homel, R.(1989). Genderdivisions of tasks by parents and their children. Psychology of Women Quarterly, 13, 113-125.

Condry, J. C., & Condry, S. (1976). Sex Differences: A Study of the eye of the beholder. Child Development, 47, 812-819.

Denmark L. F. & Paludi A. M.; Psychology of Women: A handbook of issues and Theories.

Doyle, J., Paludi, M. (1998); Sex & Gender: The Human Experience(4th ed.).Boston: Mc Graw Hill.

Fagot, B.I. (1978). The influence of sex of child on parental reactions to toddler children. Child Development, 49, 459-465.

Goodnow J. J. (1988). Children's household work: Its nature and functions. Psychological Bulletin 103, 5-26.

Heyman, G., & Legare, C. (2004). Children's beliefs about gender differences in the academic and social domains. Sex Roles, 50, 227-239.

Hochschild, A. (1989). The second shift: Working parents and the revolution at home. New York: Viking.

Huston A.C. (1983). Sex- typing. In E.M.Hetherington (ed.), Handbook of Child Psychology, Vol.4, Socialization, personality, and social development (4th ed., pp. 387-467). New York: Wiley.
Huston,A.C., & Alvarez, M. (1990). The socialization context of gender development in early development. In R. Montemayor, G.R. Montemayor, G.R. Adams, & T. P. Gullota (Eds.), From childhood to Adolescence: A transitional period? (pp.156-179). Newbury Park,C A : Sage.
Lytton, H., & Romney, D.M. (1991). Parents differential socialization of boys and girls: A meta- analysis. Psychological Bulletin, 109, 267-296.
Mc Hale, S.M., Bartko, W.T., Crouter, A.C., & Perry- Jenkins, M. (1990). Children's housework and psychosocial functioning: The mediating effects of parents' sex-role behaviours and attitudes. Child Development, 61, 1413-1426.
Paludi A. M.; Paludi A.C.; Paludi J.R., & Defour C. D. ; 'Introduction: The more things change, the more they stay the same'.
Plant, E.A., Hyde, J.S., Keltner, D., & Devine, P.G. (2000). The gender stereotyping of emotions. Psychology of Women Quarterly, 24, 81-92.
Pomerleau, A., Bolduc, D., Malcuit, G., & Cossette, L. (1990). Pink or blue: Environmental Stereotypes in the first two years of life. Sex Roles, 22, 259-267.
Rider, E.A.(2000). our voices: Psychology of Women.Belmont, C.A.: Wadsworth.
Rosen, B. N., & Peterson, L. (1990). Gender differences in children's outdoor play injuries: A review and an integration. Clinical Psychology Review, 10, 187-205.
Rubin, J. Z., Provenzano, R., & Luria, Z. (1974); The eye of the beholder; Parents' views on sex of newborns. American Journal of Orthopsychiatry, 44, 512-519.

निरूक्त में उद्घृत कतिपय आचार्यों के सिद्धान्त

डा0 श्रुति श्रीवास्तव[1]

वेद के षड्ङग में निरूक्त का चतुर्थ स्थान है। वेदार्थ जानने में निरूक्त परम सहायक है इसलिए निरूक्त को महर्षि यास्क ने वेद के तृतीय अङ्ग व्याकरण का पूरक भी कहा है। निरूक्त को वेद विद्या–निधि की कुंजी समझा जाता है। 'निरूक्त' निघण्टु की टीका है। निघण्टु में वेद के कठिन शब्दों का समुच्चय किया गया है। 'निघण्टु' की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। आजकल उपलब्ध 'निघण्टु' एक ही है और इसी के ऊपर महर्षि यास्क रचित निरूक्त है।

निरूक्त के महत्व के विषय में स्वयं यास्क ने कहा है कि निरूक्त के अध्ययन के बिना मंत्रों के अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। निरूक्त के द्वारा मंत्रों के अर्थ का ज्ञान होता ही है, साथ ही अनेक वैदिक और लौकिक दुरूह शब्दों के निर्वचन करने का ढंग भी ज्ञात होता है। इसलिए निरूक्त को व्याकरणशास्त्र की परिपूर्णता करने वाला माना गया है। इस प्रकार निरूक्त ग्रन्थ में उद्घृत आचार्यों एवं उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का विवरण निम्नलिखित है–

1. **आग्रायण** –

इनका परिचय अनुपलब्ध है। ये निर्वचन विद्या में पारंगत थे। यह निरूक्त में उपस्थित उद्धरणों से ज्ञात होता है। निर्वचनों के आधार पर आग्रायण आचार्य के निरूक्ति विषयक सिद्धान्तों को भली–भांति समझना कठिन है।

''अक्षि चष्टेः। अनक्तेरित्याग्रायणः।''

आग्रायण का कथन है कि यह अक्षि शब्द (अक्षि = नेत्र) अज् से व्युत्पन्न है। यह अज् (सुन्दर होना) से व्युत्पन्न है। यह सुप्रसिद्ध है– इसलिए वे मानो, अधिक सुन्दर हैं।

1. **प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, मातारानी रूमाली देवी महिला महाविद्यालय, नदुआ बाजार, महराजगंज, उ0प्र0**

2. **आग्रयण** –

ये आचार्य इदम् + कृ, 'इदङ्कर' इन्द्र मानते हैं। इनके बारे में निरूक्त से इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है।

''इदं करणादित्याग्रयणः।''

इन्द्र शब्द का निर्वचन इनके द्वारा इस प्रकार किया गया है– वह (यह) प्रत्येक वस्तु को करने के कारण कहलाता है। अतएव यह सभी वस्तुओं को करने वाला होता है इसलिए इन्द्र कहलाता है।

3. **औदुम्बरायण** –

इनके सम्बन्ध में यही सूचना मिलती है कि यह एक प्राचीन आचार्य हैं तथा इन्होंने शब्द को अनित्य माना है। औदुम्बरायण के अनुसार– ''वाणी केवल इन्द्रियों में नित्य है।''

''इन्द्रिय नित्यं वचनमौटुम्बरायणः।''

औदुम्बरायण का मत है– शब्द जब तक इन्द्रिय में रहता है तब तक ही स्थिर रहता है। न उसके पहले और न उसके बाद रहता है, अतः शब्द अनित्य है अर्थात् वक्ता के वागिन्द्रिय में और श्रोता के श्रोतेन्द्रिय में जब तक शब्द रहता है तब तक ही नित्य है, उसके पहले या बाद में शब्द का अस्तित्व नहीं रहता है।

4. **औपमन्यव** –

इस नाम की चर्चा आचार्य शौनक ने एक बार यास्क के साथ किया है तथा यास्क ने इनका उल्लेख बारह बार किया है। शब्दों के विकास एवं मूर्धन्यीकरण के नियम के सिद्धान्तों से आचार्य औपमन्यव अच्छी तरह परिचित प्रतीत होते हैं। यास्क के द्वारा अनेकशः उद्घृत होने के कारण ये निर्वचन शास्त्र के प्रकाण्ड ज्ञाता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। शब्द निर्वचनों पर इनके मत निम्नलिखित हैं–

''ते निगन्तव एव सन्तो निगमनन्निघटव उच्यन्त इत्यौपमन्वयः।''

निघण्टु शब्द के निर्वचन के प्रसंग में कहा जाता है कि शब्दों की एक परम्परागत सूची को निघण्टु कहते हैं। यह निश्चयपूर्वक वेदमन्त्रार्थ होने से निगन्तु होते हुए निघण्टु कहे जाते हैं– ऐसा औपमन्यव आचार्य का मत है, अर्थात् औपमन्यव आचार्य का कथन है कि ये वेदों से उद्घृत शब्द हैं, अतः इनके उद्घृत किये जाने के कारण नि + गम + तन् प्रत्यय से निष्पन्न निगन्तु घिसते–घिसते निघण्टु कहलाने लगा। संग्रह अर्थ वाले निर उपसर्ग के साथ हन् पाठार्थक धातु का योग होने से भी निघण्टु शब्द बन सकता है। अतएव वैदिक शब्द एक संग्रह रूप में पठित होने के कारण इस वैदिक कोश को निघण्टु कहते हैं।

कुछ कठिन शब्दों को वेदों से चुन–चुन कर यह संग्रह तैयार किया गया है। अतः इस वैदिक कोष का नाम निघण्टु है। जो निर उपसर्ग पूर्वक हृ और तृन्

प्रत्यय से बना है। इस प्रकार निश्चय पूर्वक वेदार्थ ज्ञापक होने से तथा संग्रह रूप में पठित होने से और वेदों से चुन–चुन कर शब्दों के संग्रह से यह निघण्टु नाम से पुकारा जाता है, ऐसा औपमन्यव आचार्य का मत है।

''दमनादित्यौपमन्यवो दण्डम स्याकर्पतेति गर्हायाम।''

दण्ड्य अर्थात् दण्ड के योग्य व्यक्ति या दण्ड के द्वारा की जाने वाली बात। 'दण्ड' (सजा) धारण करने अर्थ वाली दद् धातु से व्युत्पन्न है।लोग कहते हैं कि अक्रूर मणि को धारण करता है। इस पर औपमन्यव का कथन है कि– 'दण्ड' शब्द दम् से व्युत्पन्न है। 'उसको दण्ड दो' यह निन्दा अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अतएव इसके द्वारा दुष्टों का दमन करने से इसे दण्ड कहते हैं। अतएव दण्ड शब्द दम् + ड प्रत्यय के योग से बना है।

5. **और्णवाभ** –

निर्वचन के प्रसंग में निरूक्त में इस नाम की सूचना मिलती है। लगभग पांच बार निरूक्त में तथा बृहद्देवता में कम से कम एक यह नाम उल्लिखित है। और्णवाभ के निर्वचनों को देखते हुए विष्णुपद भट्टाचार्य ने यह स्वीकार किया है कि और्णवाभ ने भी काई निरूक्त ग्रन्थ लिखा होगा।

''होतारं हवातारम् जुहोते होते व्यौर्णवाभः।''

होता आवाहनकर्त्ता अर्थात् यज्ञ में जो देवों का आवाहन करता है, उसे होता कहते हैं। और्णवाभ आचार्य का कथन है कि– होता अर्थात् यज्ञकर्त्ता, यज्ञ करने अर्थ में हु + तृच् प्रत्यय से बना है।

''अश्वैरश्विनावित्यौर्णवाभः।।''

यहाँ पर धुस्थानीय देवता अश्विनौ का वर्णन है। ये अश्विदेव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये दोनों प्रत्येक वस्तु को व्याप्त करते हैं।

और्णवाभ का मत है कि– ''वे अश्विदेव अपने अश्व से युक्त होने के कारण अर्थात् अश्व को धारण करने के कारण कहलाते हैं।''

6. **कात्थक्य** –

इस आचार्य का उल्लेख वैदिक देवशास्त्र में दक्ष होने के कारण यास्क ने इनका उल्लेख आठवें और नवें अध्यायों में किया है।

''तनूनपात् आज्यमिति कात्थक्यः नपादित्यननन्तरायाः प्रजाया नामधेयम्।''

कात्थक्य आचार्य का मत है– तनूनपात् अपना स्वयं का पुत्र। यह घृत है। नपात् शब्द सन्तान को धोतित करता है। जो व्यक्ति के तुरन्त बाद में नहीं आती यह नीचे की ओर अत्यन्त विस्तृत होती है। अतः 'गौ' 'तनू' कहलाती है, क्योंकि उससे स्वादयुक्त वस्तुएं तैयार की जाती हैं। गौ से दुग्ध उत्पन्न होता है तथा दुग्ध से घृत उत्पन्न होता है। इसलिए कात्थक्य आचार्य 'तनूनपात्' को घृत कहते हैं।

''नराशंसो यज्ञ इति कात्थक्यः।''

कात्थक्य का कथन है– नराशंस यज्ञ है। मनुष्य यज्ञ में देवताओं की स्तुति करते हैं इसलिए इसे नराशंस कहते हैं। यह शंस् से व्युत्पन्न है।

''तत्को वनस्पतिः। यूपइति कात्थक्यः।''

औषेधियाँ हवि के लिए प्रयुक्त होती हैं। यहाँ औषेधियों का पति कौन है इसका विवरण है। कात्थक्य का कथन है कि– ''यह यूप है।'' अतएव औषधियों का पति यूप है।

7. **क्रौष्टुकि** –

यास्क अपने ग्रन्थ में मात्र एक बार क्रौष्टुकि के नाम की चर्चा की है। इन्होंने इन्द्र के पर्याय के रूप में द्रविणो दस् को प्रस्तुत करके इस शब्द के अर्थ का निर्वचन किया है। बल और धन (द्रविणस) का अतिशय दाता (दाः)। इस प्रकार दो निष्कर्ष दिखलाई पड़ते हैं, प्रथम तो यह कि ये एक नैरूक्त हैं तथा दूसरा वैदिक देवशास्त्र में परिनिष्ठित हैं।

''तत्को द्रविणोदाः। इन्द्र इति क्रौष्टुकिः।''

यह धन का दाता कौन है? इस विषय में आचार्य क्रौष्टुकि का मत है कि– यह (धन का दाता) इन्द्र है, वह बल तथा धन का सर्वाधिक उदार दाता है तथा बल से सम्बोधित समस्त कर्म उसके ही हैं।

8. **गार्ग्य** –

निरूक्त में इनका उल्लेख तीन स्थलों पर हुआ है। दो स्थानों पर भाषाशास्त्रीय सन्दर्भों में तथा एक बार अलंकार के लक्षण के प्रसंग में। दुर्गाचार्य और स्कन्दस्वामी का मानना है कि गार्ग्य ही एक ऐसे निरूक्तकार हैं, जो नामपद की धातुजता के सिद्धान्त के विरोधी हैं। वैयाकरण से अलग नाम दिया होने से सिद्ध होता है कि ये वैयाकरण नहीं माने जाते रहे होगें। परन्तु जैसा कि पाणिनि के अनेक उल्लेखों से प्रतीत होता है कि वैयाकरण में भो एक गार्ग्य अवश्य रहे होंगे। नामों के धातुजता के बारे में पाणिनि निरूक्त में ही उल्लिखित गार्ग्य के पक्षधर लगते हैं।

''उच्चावचाः पदार्था भवन्तीति गार्ग्यः।''

गार्ग्य का कथन है कि– उनके ़उपसर्गों के) विभिन्न अर्थ होते हैं, अतः उनका चाहे कोई भी अर्थ हो उस अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। नाम और आख्यात के अर्थ में उपसर्ग ही परिवर्तन लाते हैं। ःआ' शब्द 'इधर को' अर्थ में प्रयुक्त होता है, 'प्र' तथा 'परा' इसके विपरीत हैं। इस प्रकार ये विभिन्न अर्थों को व्यक्त करते हैं। इनके अनुसार नाम–यथा गौ, अश्व, पुरूष व हास्ते इत्यादि रूढ़ है अर्थात् ये किसी क्रिया के कारण नहीं बने हैं, अपितु संकेत के द्वारा पशु विशेष के लिए गौ,

अश्व और हस्ति तथा मनुष्य के लिए पुरूष शब्दबिना ही किसी व्युत्पत्ति के प्रसिद्ध हो गये हैं।

9. **<u>गालव</u>** –

इस आचार्य का उल्लेख यास्क ने निरूक्त में एक स्थान पर किया है। यास्क ने इनका उल्लेख वाजसनेयी संहिता (21/43) में उपलब्ध 'शितामतः' इस पद के अर्थ के सम्बन्ध में भिन्न मत को धारण करने वाले आचार्य के रूप में किया है। गालव ने नामकरण के नौ आधार माने हैं। इसकी पुष्टि वृहद्देवता से होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये– 'नामान्याख्यातजानि' इस सिद्धान्त के विरोधी रहे होंगे।

'शितिमांसतो भेदस्त इति गालवः।'

गालव का कथन है– 'शिताम्' का अर्थ है– भेदस् अर्थात् चर्बी क्योंकि यह (शिति) सफेद (मांसम) मांस है। शिति शब्द शो से व्युत्पन्न है। मांसम् (मांस) इसका मान किया जाता ह। यह मन् + स प्रत्यय से बना है। इस प्रकार शिताम् का अर्थ मेदस् (चर्बी) है। जो मिद् + असुन् प्रत्यय से बना है।

ब्राह्मण के अर्थ को धोतित कर दिया, किसी अन्य नवीन अर्थ को नहीं बतलाया अतः उपसर्गों का स्वयं कोई अर्थ नहीं। अर्थ में विशेषता लाने के लिए नामपदों और आख्यातपदों के समीप जोड़े जाते हैं, इसलिए उपसर्ग कहलाते हैं।

सन्दर्भ सूची

1. वैदिक साहित्य और संस्कृति, पृ0 356
2. निरूक्त, 1/9
3. नि0, 6/13
4. नि0, 1/1
5. नि0, 1/1
6. नि0, 2/2
7. नि0, 7/15
8. नि0, 12/1
9. नि0, 8/5
10. नि0, 8/6
11. नि0, 8/17
12. नि0, 8/2
13. नि0, 1/3 और 1/12
14. नि0, 3/13
15. नि0, 1/3

16. नि0, 1/12
17. वृहद्देवता, 1/24–25
18. नि0, 4/3

चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं एवं समस्याएं

डॉ0 रेनू गुप्ता[1], डॉ0 राजेश कुमार गुप्ता[2]

सारांश

चित्रकूट के महत्व का गुणगान आदि–कवि वाल्मीकि, पुराणों के रचयिता महर्षि व्यास, महाकवि कालिदास, संस्कृत नाटक कार भवभूति, संत कवि तुलसी आदि ने मुक्त कण्ठ से किया है। चित्रकूट एक अरण्यक तीर्थ है। हरी–भरी वादियों में वहां पर अनेक ऐसे तीर्थस्थल हैं जो रमणीयता तथा धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। चित्रकूट मे भगवान श्रीराम के लगभग साढ़े ग्यारह वर्ष व्यतीत करने से यह भूमि लोगों के लिए एक तीर्थस्थल बन गई। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनुसुइया ने ध्यान लगाया था। ब्रम्हा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनुसुइया के घर जन्म लिया। चित्रकूट के दर्शन और परिक्रमा मात्र से दर्शनार्थी, श्रद्धालुओं के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। चित्रकूट में अनेकों धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं जिनका समुचित पचार–प्रसार अभी नहीं हो सका है अतएव चित्रकूट को पर्यटन के क्षेत्र में प्रचार–प्रसार करके बढ़ावा देना चाहिए जिससे यहाँ देशी–विदेशी पर्यटकों का आना–जाना शुरू हो सके। चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ समस्याओं को समाप्त करके पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

1. प्रवक्ता–समाजशास्त्र विभाग, एकलव्य महाविद्यालय, बाँदा (उ0प्र0)
2. प्रवक्ता–वाणिज्य विभाग, राजीव गाँधी डी0ए0वी0 महाविद्यालय, बाँदा

(उ0प्र0)

चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत का सबसे प्राचीन तीर्थस्थल है। यह उत्तर–प्रदेश के चित्रकूट जिले की कर्वी तहसील तथा मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर स्थित है। यह प्रयाग (इलाहाबाद) से 120 किलो–मीटर पश्चिम झाँसी–मानिकपुर (मध्य रेलवे) के बीच चित्रकूट धाम कर्वी रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दक्षिण में है। चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा एक ऐसा स्थान है जो विश्व भर के लोगों के लिए किंवदंतियों के साथ ही यथार्थ चेतना का पुंज बना हुआ है। राम जी जब चित्रकूट पहुंचे तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर अभिभूत रह गये इसी पावन भूमि पर राम और वाल्मीकि की भेंट भी हुई थी, कहते हैं कि वाल्मीकि ने ही राम को यहां रहने की सलाह दी थी। भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान चित्रकूट में लगभग साढ ग्यारह साल का लंबा वक्त बिताया जिसमें माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ थे। भगवान राम के चित्रकूट प्रवास के कारण ये भूमि तीर्थ नगरी बन गयी।[1]

यह एक ऐसी तपस्थली है जहां की मिट्टी पहाड़ों, वनों और झरनों की खुशबू देश विदेश के योगियों, ऋषियों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। यहाँ पर आने वाले सैलानी, यहाँ के नयनाभिराम दृष्यों को देखकर आनंदित हो उठते हैं। विचित्रताओं और विभिन्नताओं वाले इस क्षेत्र में कहीं कल–कल करती मंदाकिनी का सुन्दर जल है, तो कहीं विन्ध्य पर्वत की श्रृंखलाओं की पहाड़ियाँ हैं, तो कहीं कई कि0मी0 तक फैले जंगल हैं। पर्यटक जब इन्हें देखते हैं तो अपनी सुध–बुध खो देते हैं। यहाँ पर सुन्दरता के साथ–साथ धार्मिकता के भी दर्शन होते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे बने अनेक घाट और मन्दिरों में पूरे साल श्रद्धालुओं का आना–जाना लगा रहता है। चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन की संभावना को देखते हुये यहाँ की सरकार ने इस ओर ध्यान देना शुरू किया है, जिससे यहाँ पर्यटन का विकास किया जाये। चित्रकूट एक आरण्यक तीर्थ है। हरे–भरे वनों के बीच यहाँ स्थान–स्थान पर ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो रमणीयता और पवित्रता के लिए युगों से सुविख्यात हैं, न केवल धार्मिक महत्व वाले स्थानों की संख्या बहुत अधिक है, अपितु अध्यात्म, संस्कृति तथा पर्यटन तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है, जिसमें से कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल निम्न हैं–

कामदगिरी– मान्यताओं के अनुसार आदिकाल में पर्वत से निकलकर प्रभु कामदनाथ विग्रह के रूप में प्रकट हुये इस पवित्र पर्वत का काफी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की साढ़े पाँच किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर

अनेक मन्दिर बने हुये हैं। चित्रकूट के लोकप्रिय कामता नाथ और भरत मिलाप मन्दिर भी यहीं स्थित हैं।

मंदाकिनी के घाट–मंदाकिनी नदी में अनेकों घाट बने हुये हैं, जिनमें सर्वाधिक लोकप्रिय घाट रामघाट, राघव प्रयाग घाट व भरत घाट हैं। राघव प्रयाग घाट पर सरयू व पयस्वनी का संगम है। यहाँ पर राम ने अपने पिता दशरथ का पिंड तर्पण किया था।[2] यहाँ पर प्रति अमावस्या में लाखों श्रद्धालु स्नान व दीपदान करते हैं।

जानकी कुण्ड– जानकी कुण्ड रामघाट से 2 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। इस कुण्ड के समीप रामजानकी मन्दिर, रघुवीर मन्दिर और संकटमोचन मंदिर हैं।

सती अनुसुइया का आश्रम– महर्षि कर्दम की पुत्री और महर्षि अत्रि की पत्नी महासती अनुसुइया का विशाल गुरूकुल वाला स्थान धर्मनगरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। इस आश्रम में अत्रिमुनि, अनुसुइया, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित हैं।[3]

गुप्त गोदावरी– प्रकृति की अनमोल धरोहर गुप्त गोदावरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आकर पर्यटक अपनी सुधबुध खो देते हैं। प्रकृति की विलक्षण कारीगरी वाली गुफाओं में नक्काशी देखते ही बनती है। यहाँ पर एक गुफा में पानी नहीं है। यहाँ पर गोदावरी माँ के साथ अन्य देवता भी स्थापित हैं और यहाँ पर देवराज इन्द्र का पुत्र जयन्त खटखटा चोर के रूप में आज भी लटका हुआ है। दूसरी गुफा में हमेशा पानी भरा रहता है। यह गुफा काफी लम्बी और संकरी है। इस गुफा के अन्त में पानी समाप्त हो जाता है। स्थानीय लोग यह भी कहते हैं कि इस गुफा के अन्त में राम और लक्ष्मण ने अपना दरबार लगाया था।

हनुमान धारा– हनुमान धारा चित्रकूट के पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक ऊँचे पहाड़ पर स्थित है। यहाँ पर हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति स्थापित है। इस पहाड़ पर निरन्तर जल गिरता रहता है कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका दहन के बाद आये थे तो प्रभु श्रीराम ने उनके आराम के लिए हनुमान धारा का निर्माण किया था।[4] हनुमान धारा से चित्रकूट का सम्पूर्ण दृश्य देखा जा सकता है।

भरतकूप– यह स्थान चित्रकूट से लगभग 15 कि0मी0 दूर है इस स्थान पर भरत जी ने राम के राज्याभिषेक के लिए लाये गये विभिन्न नदियों व सरोवरों के पवित्र जल को एक कूप में डाला था। तब से यह कूप भरतकूप नाम से प्रसिद्ध है।

गणेश बाग, बांके–सिद्ध, कोटि तीर्थ– कर्वी से डेढ़ किलोमीटर दक्षिण में देश के प्राचीन– गौरव तथा समृद्धि के प्रतीक स्वरूप गणेश बाग पेशवा नरेशों की कीर्ति संजोये खड़ा है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी के आरम्भ में श्रीमन्त विनायक राव पेशवा ने अपने आमोद–प्रमोद के लिये कराया था। यहाँ की इमारतों का निर्माण भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। बीच में प्राचीन शैली का

भव्य शटकोणीय मन्दिर है। गणेश बाग से 3 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में हरे–भरे विन्ध्य पर्वत के पार्श्व भाग में स्थित बांके सिद्ध अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिये प्रसिद्ध है। प्रकृति ने इसकी अभूतपूर्व रचना की है। विशाल चट्टान के नीचे विस्तृत कक्ष बना हुआ है। इसके बाद एक और पर्यटन स्थल है, जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। बांके सिद्ध से 1.5 किलोमीटर दक्षिण पर्वत पर कोटि तीर्थ स्थित है। कहा जाता है कि जब भगवान राम चित्रकूट पधारे थे, तब उनके दर्शनार्थ देवलोक से आये हुए करोड़ों देवता इस स्थान पर रुके थे इसलिये इस कोटि तीर्थ कहते हैं।

सोमनाथ मन्दिर– सोमनाथ मन्दिर उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट के कर्वी मुख्यालय से 12 किलोमीटर पूर्व कर्वी–मानिकपुर रोड़ के मध्यवर्ती ग्राम चर में बाल्मीकि नदी के तट पर एक पहाड़ी पर स्थित है। मन्दिर के गर्भ गृह की एक दीवार पर एक शिलालेख अंकित है जिसमें लिखा हुआ है कि इसका निर्माण चौदहवीं शताब्दी के अन्त में तत्कालीन नरेश राजा कीर्ति सिंह ने कराया था। इस शिव मन्दिर को स्थानीय लोग प्रथम ज्योर्तिलिंग भी कहते हैं।

बाल्मीकि आश्रम– कर्वी से 18 किलोमीटर पूर्व में चित्रकूट–इलाहाबाद राजमार्ग पर आदि कवि महर्षि बाल्मीकि का आश्रम एक हरी–भरी पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। पहाड़ी के शिखर पर एक मन्दिर है, जिसमें महर्षि बाल्मीकि की प्रतिमा स्थापित है। बाल्मीकि आश्रम वही स्थान है, जहाँ महर्षि बाल्मीकि ने वनवासी भगवान राम को चित्रकूट में वास करने का परामर्श दिया था।

उल्लिखित स्थानों के अतिरिक्त भी चित्रकूट धाम में अनेकों दर्शनीय स्थल हैं जिनमें मड़फा का किला, मारकण्डेय आश्रम, सूर्यकुण्ड आदि पवित्र स्थान हैं, जो दर्शन करने योग्य हैं। चित्रकूट के दक्षिण वनाचल में शरभंग आश्रम तथा सुतीक्ष्ण आश्रम भी दर्शनीय हैं।

चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन की संभावना– बुन्देलखण्ड का चित्रकूट पर्यटन की दृष्टि से संभवतः देश का सबसे धनी हिस्सा है यहा पर पर्यटन स्थलों की भरमार है पर यहाँ पर पर्यटन स्थलों का समुचित प्रचार–प्रसार नहीं हुआ है और इस सम्बन्ध में प्रचार साहित्य भी बहुत कम उपलब्ध है। अतएव समुचित प्रचार–प्रसार करके देश तथा विदेश के पर्यटकों को यहाँ आने के लिए आकर्षित किया जा सकता है। चित्रकूट में धार्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक हर प्रकार का पर्यटन मिल जाता है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में देश तथा विदेश के पर्यटकों को आकषित करने की भरपूर क्षमता है। धार्मिक पर्यटन स्थलों की यहाँ प्रचुरता है। चित्रकूट में प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं व अमावस्या, सोमवती अमावस्या तथा दीपावली मेले में लाखों श्रद्धालु स्नान व दर्शन करने आते हैं। यदि चित्रकूट के इलाके में पर्यटन को विकसित करना है तो राम मन्दिर का जाप करने वालों

को राम वन गमन का मार्ग खोजकर उसे विकसित करना चाहिए, जगह–जगह पर जहाँ राम रुके वहाँ विश्राम स्थल बनवाए जाएँ, जिससे आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी पर्यटक भी आएंगे। अकेला पर्यटन उद्योग चित्रकूट के लोगों को रोजगार दे सकता है। चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं है, श्रीराम की तपोभूमि में पर्यटन स्थलों की भरमार है, जिसमें करीब एक दर्जन स्थान ऐसे है जो पर्यटन विभाग की सूची में दर्ज हैं। ऐसे स्थानों में पर्यटन की सुविधाएं बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है। वर्ष 2014–15 में जिला योजना में 80 लाख रूपये पर्यटन विकास के लिए रखे गये थे जिससे कोटितीर्थ, भरतकूप और चर सोमनाथ मंदिर में पर्यटकों के लिए पेयजल, यात्री शेड और अन्य सुविधाएं बढ़ाने की योजना थी। साथ ही जिला योजना से जनपद के पर्यटन कार्यालय का उच्चीकरण भी होना था, लेकिन इसे जिले का दुर्भाग्य कहें या सरकार की उदासीनता। जनपद में पर्यटन विभाग के हाथ हर साल की तरह इस बार भी जिला योजना में खाली रहे। 80 लाख रूपये में उसे कुछ भी नहीं मिला, जबकि प्रदेश में चित्रकूट ऐसा स्थान है जो पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सरकार को जिला योजना में इस जनपद को ज्यादा से ज्यादा बजट पर्यटन विकास में देना चाहिए।[6] वैसे तो प्रदेश सरकार ने राज्य–योजना और केन्द्र सरकार ने रामघाट व कामदगिरि परिक्रमा के लिए बजट दिया है, जिससे कुछ विकास कार्य हो सकेगें, लेकिन दस्यु प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पर्यटन के क्षेत्र में चित्रकूट पिछड़ा है।

आज भी चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक प्रतीत होता है, जिसमें सबसे महत्त्वपूर्ण चित्रकूट में परिवहन साधनों का विकास करना है। चित्रकूट में दिल्ली, मुंम्बई, कोलकाता, लखनऊ, जबलपुर और बिलासपुर व रायपुर को जोड़ने के लिए सीधी ट्रेनें हैं लेकिन दक्षिण भारत और प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या सहित हरिद्वार से यहाँ के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। यहाँ पर लंबी दूरी की आठ ट्रेनों को मिलाकर करीब एक दर्जन ट्रेनें हैं। पर्यटन को बढावा देने के लिए ट्रेनों से चित्रकूट को सीधा जोड़ा जाये तथा धर्मनगरी के प्रमुख रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम कर्वी के विस्तारीकरण की भी आवश्यकता है। यहाँ पर सिर्फ दो प्लेटफार्म हैं जबकि मेले के समय अपार भीड़ के चलते स्टेशन में काफी मुश्किल होती है। इसी प्रकार राम की तपोभूमि में सड़क परिवहन की स्थिति बेहद दयनीय है। जिला बनने के बाद भी एक अदद रोडवेज डिपो भी नहीं बन सका। उसकी संभावना अब और धूमिल हो गई है, क्योंकि डिपो के लिए अब जमीन नहीं मिल रही है। फिलहाल यहाँ की कामचलाऊ व्यवस्थाएं बाँदा डिपो के सहारे चल रही है। धर्मनगरी में प्रत्येक माह अमावस्या मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। दीपदान मेला,

मौनी अमावस्या, सोमवती अमावस्या व भदई अमावस्या में तो श्रद्धा का सैलाब ऐसे उमड़ता है कि लोगों को पाँव रखने की जगह भी बडी मुश्किल से मिलती है। धर्मनगरी में लोगों का चार–पाँच दिन जमावड़ा लगा रहता है। सभी प्रदेशों से साल भर लाखों सैलानी आते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सीमा के चक्रव्यूह में फंसी धर्मनगरी में सैलानियों को काफी दिक्कत होती है। ऐसे में इस क्षेत्र को सीमाओ के बंधन से मुक्त किया जाए। आने वाले सैलानियों के वाहनों को सीमा पर रोका न जाये या फिर ऐसे वाहनों की व्यवस्था करें कि सैलानी पूरे धर्मक्षेत्र के पौराणिक स्थलों के दर्शन कर सकें एवं अतिरिक्त बसों की व्यवस्था कराई जाये जिससे पर्यटकों को कोई परेशानो न हो।[7]

चित्रकूट में पर्यटन का विकास करने के लिए पर्यटन परिपथ विकसित करना चाहिए, जिसका रूट दिल्ली, मथुरा, आगरा, झाँसी, खजुराहो, कालिंजर, चित्रकूट, प्रयाग, काशी होना चाहिए साथ ही टूरिस्ट गाइडों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इन पर्यटन स्थलों को टूरिस्ट नक्शे पर लेते हुये इस सम्बन्ध में समुचित प्रचार–प्रसार किया जाये एवं पर्यटन यात्रा एजेंसियों को प्रेरित करके यात्रा रूट तय करते हुये अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्था मुहय्या कराया जाना चाहिए। चित्रकूट में ऐसे दर्जनों सुरम्य पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थल हैं जो अभी स्थानीय लोगों की पहुंच से दूर हैं। ऐसे में सैलानियों के पहुंचने की क्या बात की जाये? जिले में पर्यटन की सम्भावना वाले पर्यटन स्थलों का चिन्हांकन किया जाये। पर्यटन स्थलों का विकास करके अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था की जाये।

केन्द्र सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 120 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना रामायण सर्किट में सतना व चित्रकूट जिले को भी शामिल कर लिया है। स्वदेश दर्शन क केन्द्र की इस योजना में चित्रकूट के शामिल होने के बाद सम्भावना है कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ पर्यटन की सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो सकेगा।

कामतानाथ के परिक्रमा मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त कराने के साथ ही पूरे चित्रकूट परिक्षेत्र को अतिक्रमण व प्रदूषण से मुक्त कराया जाये एवं पुराने मंदिरों में साफ सफाई व रंगाई पुताई और यात्री शेड आदि बनवाए जायें। बस, रेल, हवाई सेवा का विस्तार किया जाये। सपा के शासनकाल में वर्ष 2005 में देवांगना घाटी में हवाई पट्टो बनाने की घोषणा हुई थी लेकिन वह वायुसेवा के नाम पर सिर्फ हवाई पट्टी है।

चित्रकूट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दस्यु समस्या को भी खत्म करना होगा। सरकार को चाहिए की जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर लोगों के अन्दर से इस डर को खत्म करे व पर्यटन को बढ़ावा दे।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राचीन काल से तपस्या और शांति का स्थल चित्रकूट ब्रम्हा, विष्णु, महेश के बाल अवतार का स्थान माना जाता था। वनवास के समय भगवान राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ही महर्षि अत्रि तथा सती अनुसुइया के अतिथि बनकर यहाँ रहे थे। प्राकृतिक सुन्दरता के बीच चित्रकूट में पर्यटक अत्यधिक मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर तरह–तरह की सुविधाएं बढ़ाई जायें जिससे पर्यटक चित्रकूट घूमने का आनन्द ले सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः

1. सिंह, डॉ0 विभा : अभिव्यक्ति पत्रिका, पर्यटन, 12 अक्टूबर 2009
2. तुलसीदास : रामचरित मानस, अयोध्याकाण्ड
3. बाल्मीकि : रामायण
4. राव, पाडुरंग : हमारे प्रसिद्ध तीर्थस्थान, नेशनल बुक ट्रस्ट : नई दिल्ली।
5. कालिदास : रघुवंश बम्बई, 1932
6. दैनिक जागरण : पर्यटन विकास में हर बार छली गई धर्मनगरी, 31 मार्च 2015
7. दैनिक जागरण : प्रभु श्रीराम की तपोभूमि को करें सीमाओं से मुक्त, 28 मई 2016।

परम्परागत संगीत से प्रभावित आधुनिक भारतीय संगीत

डॉ० शालिनी वर्मा[1]

संगीत का उद्गम एवम् विकास सदा संस्कृति पर ही आधारित रहा है। हमारा संगीत मानव उत्पत्ति काल से ही जन जीवन से जुडा रहा है। हमारी सभ्यता एवम् संस्कृति के विकास के साथ ही हमारा संगीत भी विकसित होता रहा है। प्रागैतिक काल से ही जन–जीवन से जुड़ी हई यह कला आज तक निर्बाध गति से आनन्द धारा के रूप में चली आ रही है।

प्रत्येक कला सामान्यतः दो भागों में विभक्त होती है जिन्हें 'शास्त्रीय और क्रियात्मक' कहा जाता है। संगीत के शास्त्रीय पक्ष का प्रारम्भ सर्वप्रथम सामवेद से माना जाता है, तदुपरान्त अनेक ग्रन्थ जैसे नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, वहद्देशी, संगीत मकरन्द, नारदीय शिक्षा, संगीत पारिजात, स्वरमेल कलानिधि, संगीत दर्पण तथा आधुनिक काल में भातखण्डे संगीत शास्त्र, संगीत चिन्तामणि आदि अनेक संगीत शास्त्र ग्रन्थों की रचना हुई है। इन सभी ग्रन्थों में अपने समय के अनुसार संगीत के सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन पाया जाता है परन्तु जब संगीत के क्रियात्मक पक्ष की बात आती है तब वहां मात्र गुरु–शिष्य परम्परा का नाम आता है। संगीत की शिक्षा हम मात्र पढ़ लिख कर नही प्राप्त कर सकते। गुरु के सम्मुख बैठकर ही शिष्य संगीत की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ग़रू का सच्चा स्वर सुनकर शिष्य उसे अपने गले में उतारने का प्रयास करता है। गुरू के सानिध्य में रहकर ही शिष्य प्राचीन परम्परा को जीवित रख सकता है। संगीत के स्वरूप में परिस्थितिवश अथवा समयानुसार काफी परिवर्तन होते रहे है। फिर भी आज के संगीत संसार में गुरू शिष्य परम्परा से सीखे हुए कलाकारों का ही वर्चस्व है।

1. **असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संगीत गायन, शहीद मंगल पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मेरठ।**

'संगीत शब्द में तीन विधाएं समाहित है—गायन, वादन और नृत्य। ध्वनि और लय संगीत कला के आधार—स्तंभ है। ध्वनि के वैसे तो अनेक रूप है—हो सकते है, किन्तु संगीत की भाषा में ध्वनि का मतलब है—कंठ या किसी साज की आवाज। यह आवाज यदि अनियंत्रित है, तो संगीतोपयोगी नहीं हो सकती। इसी प्रकार लय क भी कई अर्थ और रूप होते हैं परन्तु संगीत के दायरे में ध्वनि को नियंत्रित रखने वाले समय का नाम लय है..... लय को मर्यादित रखने के लिये ताल का निर्माण किया गया है। राग और ताल का पारस्परिक सम्बन्ध शरीर और प्राण की भांति माना गया है।''[1]

गायन पर प्रभाव—

जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है तब से संगीत का उद्भव माना गया है। भारत में माँ सरस्वती को विद्या एवं संगीत की देवी माना गया है। माँ सरस्वती के हाथ में वीणा, भगवान शंकर के हाथों में डमरू आदि से संगीत की प्राचीनता का पता चलता है। वैदिक काल में नृत्य का कार्यक्रम खुले प्रागण तथा उन्मुक्त वातावरण में एकत्रित जनता के सम्मुख होता था, जिनमें नर व नारी दोनों ही भाग लेते थे। उस काल में समूह नृत्यों का भी आयोजन किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञों में मनोरंजन के निमित्त गाथा गान तथा वीणादि वाद्यों का वादन किया जाता था। आर्यों ने संगीत में पवित्रता लाने के लिए इसे धर्म के आवरण में लपेट दिया। अतः संगीत व धर्म का एकीकरण हो जाने से संगीत पवित्रतम बन गया। जिससे देवताओं को प्रसन्न करने का एक मात्र साधन संगीतमय स्तुति एवं प्रार्थना को ही माना जाने लगा।

''सामगायन का कार्य स्तुतिगान करना था''..... सामगान का उद्देश्य परमात्मा की आराधना माना जाता था ...... यज्ञ प्रसंगा पर सामगान के अतिरिक्त परम्परागत गाथा गीतों का गाने को प्रचार था—

''सामानि स्तुतिगीतानि गाथाश्च विविधा अपि।''[2]

रामायण तथा महाभारत काल में भी संगीत का खूब प्रचार हुआ।

''श्रवणं कीर्तनं विष्णोस्मरणं पाद सेवनम्।
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्।।[3]

श्रोमद् भगवत् के उपर्युक्त श्लोक के अनुसार समस्त वैष्णव मन्दिरों में श्रवण एवं कीर्तन की योजना सदैव से रहती आयी है। कहीं पर दर्शन खुलने से पहले, कहीं बाद में तो कही दोनों समय भगवान का स्मरण करते हुए कीर्तन भजन गाये जाते हैं।

सोलहवी शताब्दी में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई द्वारा भक्तिपूर्ण काव्य के प्रचार से संगीत कला भगवत् प्राप्ति का साधन बनकर उच्चतम् शिखर पर पहुंची। आज वर्तमान में भी मन्दिरों में भगवान का पूजन अर्चन आादि

पूर्णतयाः संगीतमय रहता है जोकि जन–जन के हृदय को आनन्दित करता है दूसरी तरफ शास्त्रीय संगीत भी एक विशेष वर्ग में प्रफुल्लित होता रहा। शास्त्रीय संगीत अपने नियमों में बंधा होने के कारण इससे कलाकार सीमित ही है। संगीत जैसी उत्कृष्ट कला में परम्परा का बहुत महत्व है संगीत की परम्परा को ध्यान में रखे बिना हिन्दुस्तानी संगीत की कल्पना भी सम्भव नहीं है। संगीत की परम्परा में उसकी सच्ची आत्मा निहित है। परम्परागत संगीत के द्वारा ही हमें प्राचीन संगीत के सच्चे दर्शन हो सकते है। जिस प्रकार एक बड़ा वृक्ष अपनी मजबूत जड़ों के सहारे ही खड़ा रह सकता है। यदि उसकी जड़ों ने मजबूती से मिट्टी को नही पकड़ा होता तो वह गिर जायेगा। उसी प्रकार संगीत भी अपनी मजबूत परम्परा के सहारे ही खड़ा है। परम्परा इसकी रग–रग में समाई हुई है। संगीत के पुनीत संस्कार इसी परम्परा के अन्तगत आते है। हमारे देश में ऐसी अनेक कलाएं है, जो आज भी कुछ निश्चित दायरों एवम् परिवारों में सुरक्षित है। इन्हीं दायरों के कारण हजारों वर्षों से भारतीय कलाओं की सुरक्षा होती आ रही है।

इसी प्रकार संगीत की परम्परा पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित और विकसित होती चली आ रही है और इस परम्परा को 'घराने' का नाम दिया गया है। संगीत में घराने की परम्परा मात्र हिन्दुस्तानी संगीत में हो पायी जाती है। भाषा शब्द कोष में घराना शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया है ''घराना शब्द घर से बना है घर+आना=घराना। घराना का अर्थ वंश, कुल, कुटुम्ब है। एक परिवार घर कहलाता है।''[4] साधारण अर्थ में 'घराना' शब्द का अर्थ केवल वंश या कुल से माना जाता है। किसी भी वंश या कुल में किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी विशेष बात की नींव डाली जाती है या फिर व्यक्ति विशेष के गुणों को श्रद्धापूर्वक परम्परा के रूप में उसकी पीढ़ियों द्वारा जतन किया जाताहै तथा वे गुण या वह विशेष बात उस वंश या कुल का अंग बन जाते है। जिससे समाज में वंश अपनी अलग पहचान बनाए रखे, उसी स्थिति में घरानों का निर्माण होता है।''[5]

कुछ विद्वान घराने का सम्बन्ध गुरू शिष्य परम्परा से मानते है गुरू–शिष्य–प्रशिष्य। इस प्रकार कम से कम तीन पीढ़ी तक चलने पर एक घराने का निर्माण होता है। गुरू शिष्य के योग–सूत्र का नाम ही है 'घराना'। श्रद्धेय डा. कृष्णराव पंडित जी का मत है कि–''शताब्दियों या बहुत वर्षों की परम्परा उच्च कोटि के गुरू–शिष्य परम्परा सब मिलाकर एक घराना बनता है।''[6]

V.H. Deshpande जी के अनुसार "Gharana literally a 'Family' a term applied to a school of music comprising a creatively innovating founder his pupils and those who follow in the line of descipleship."[7]

शम्भुनाथ मिश्र जी के अनुसार ''अनेक वर्षों की परंपरा उच्च कोटि के गुरू और कम से कम तीन पीढ़ियों की गुरू–शिष्य परंपरा से मिलकर एक घराना बनता है।''[8]

''संगीत में सही रास्ता दिखाने का एक ही साधन है, घराना। उचित शिक्षा प्राप्ति घराने से ही होती है। घरानेदार संगीतज्ञों ने अपने कठोर परिश्रम से गुरू द्वारा सही तालीम लेकर संगीत में प्राण दिया है।''[9]

संगीत में घरानों की परम्परा है तो पुरानी मगर इसे सोलहवी सदी के बाद ही महत्व मिला। उस जमाने में उत्तर भारत के संगीतज्ञ अलग–अलग रियासतों रजवाड़ो के संरक्षण में रहा करते थे। उनकी गायकी का स्तर बहुत ऊँचा होता था। राजा–महाराजा संगीतज्ञो का बहुत अधिक आदर–सत्कार करते थे तथा पुरस्कार स्वरूप उन्हे बहुत अधिक धनराशि भेंट की जाती थी जिससे उन्हें भरण–पोषण की कोई चिन्ता न रहती। अतः ''संगोतज्ञो को रियाज करने या राजा के सम्मुख गाने और अपने गायन को ज्यादा से ज्यादा सुमधुर बनाने के अलावा और कोई काम नही था। यह परंपरा कई पीढ़ियों तक चलती रही और संगीतज्ञों के किसी गुण या अन्य प्रभाव के कारण गायकी में संशोधन होता रहा। इस एकांतिक रियाज के फलस्वरूप संगीत की अलग–अलग गायकी और प्रणाली विकसित हुई।''[10]

पहले समय में 'गीति' गाने का प्रचार था। गीति पांच प्रकार की होती थी, आजकल उनका स्वरूप थोड़ा बदलकर व उनका नाम बदलकर प्रचार में है जो कि निम्न है–

शुद्धा गीति	–	ध्रुपद गायकी
भिन्ना गीति	–	धमार गायकी
गौडो गीति	–	ठुमरी गायकी
बेसरा	–	टप्पा गायकी
साधारण	–	ख्याल गायकी

भरतमुनि के नाट्य शास्त्र से निरन्तर आज तक शास्त्रीय संगीत गायन पर ग्रन्थ लिखे गये ह। सभी ग्रन्थों में प्राचीन संगीत का ही प्रभाव दिखता है। ''आज संगीत के क्षेत्र में कई परिवर्तन आ चुके है। ध्रुवपद–धमार के स्थान पर ख्याल गायन का चहुँदिश राज्य है।[11] आजकल ख्याल गायन के अनेक घराने प्रचार में है। इसमें सर्वप्रथम ग्वालियर घराना, आगरा घराना, दिल्ली घराना, जयपुर घराना, पटियाला घराना, अल्लादिया खाँ का घराना और किराना घराना प्रमुख है। इन सभी घरानों की अपनी कुछ उपशाखायें भी है। संगीत गायन के कुछ प्रमुख कलाकार कृष्णराव पण्डित, राजाभैया पूंछवाले, बड गुलाम अली खाँ, मुनव्वर अली,

केसर बाई केरकर, मोधूबाई कुर्डीकर, उस्ताद अमीर खाँ, भीमसेन जोशी, सरस्वती बाई राने आदि सभी पुरानी घराने की गायकी गाते हैं।

वादन पर प्रभाव–

संगीत में वाद्यों को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अजन्ता, एलोरा और एलिफेन्टा की चित्रकारी, मोहनजोदड़ो के भसनावशेष तथा आदि कालीन ग्रन्थ सामवेद इसके प्रमाण स्वरूप है।

भारतीय संगीत में प्राचीन काल से ही अनेक वाद्य यन्त्रों का प्रयोग किया जाता रहा है। ''सरस्वती के हाथों में वीणा, नारद ऋषि के हाथ में नारदीय वीणा, शंकर जी के हाथ में डमरू, विष्णु भगवान के हाथ में शंख इत्यादि इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि जब से सृष्टि का जन्म हुआ था, तभी से भारतीयों को संगीत का ज्ञान प्राप्त था।''[12]होली का वर्णन करते हुए ब्रजपति ने वाद्यों का नामोल्लेख करते हुए लिखा है–

''बाजत, बीन रवाब, किन्नरी, अमृत कुण्डली जंत्र।
अधर सुधा, जुत बांसुरी, हरि कहत मोहिनी मंत्र।।
सुर मंडल, पिनाक अरू महुवरि जी तरंग मन मो है।
मदन भेरि अरू राय गिडगिडी, सहनाई सुर सो है।।''[13]

इस प्रकार प्राचीन काल से ही अनेक वाद्यों का प्रयोग होता रहा है। संगीत रत्नाकर के अनुसार भारतीय वाद्य चार प्रमुख भागों में विभाजित किये जा सकते हैं–तत्, सुपिर, अवनद्ध और धन।

वाद्यतन्त्री ततं वाद्यं सुपिरे मतम्।
चर्मावनद्ध वदनम वनद्धं तु वाद्यते।
धनोमूर्ति साऽभिधातादूधते यत्रतद्वनम।।[14]

1. **तत् वाद्य**–जिन वाद्यों में तांत अथवा तार से ध्वनि उत्पन्न होती है वे वाद्य तत् वाद्य कहलाते है, जैसे तानपुरा, वीणा, सितार, गिटार, सारंगी, कार्यालय आदि।
2. **सुषिर वाद्य**–जिन वाद्यों में वायु द्वारा स्वरोत्पत्ति होती है, वे सुषिर वाद्य कहलाते है, जैसे–हारमोनियम, शहनाई बांसुरी, बिगुल, शंख, तुरही इत्यादि।
3. **अवनद्ध वाद्य**–जिन वाद्यों में चमड़े अथवा खाल को आघात करने से ध्वनि उत्पन्न होती है वे अवनद्ध वाद्य कहलाते है। जैसे–तबला, पखावज, ढोलक, डमरू, नगाडा, मेरी नाल आदि। इन वाद्यों का प्रयोग ताल देने हेतु होता है, क्योंकि इन्हें बजाने पर एक ही स्वर निकलता है। अतः ये वाद्य तय प्रधान होते है।
4. **धन वाद्य**–धातु अथवा लकड़ी से बने वाद्य जिन्हें बजाने से स्वर की उत्पत्ति होती है, ऐसे वाद्य धन वाद्य कहलाते है। मंजीरा, जलतरंग, झोंझ, करताल इत्यादि धन वाद्यों की श्रेणी में आते हैं।

आज अनेक वाद्यों का प्रयोग थोड़ा बहुत बदलाव होकर अथवा उसी रूप में हो रहा है।

नृत्य पर प्राचीन संगीत का प्रभाव–

''भारतीय संगीत प्राचीन काल से ही अपनी दिव्यता और अलौकिकता के लिए विश्व भर में विख्यात है। धर्म, आध्यात्म के परिवेश में साधना–उपासना के वातावरण में उसकी उत्पत्ति और उदय हुआ। मंदिरों में पलकर कालान्तर में राजदरबारों के मार्ग से होते हुए समाज के प्रत्येक विधि–विधान में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाकर शिक्षण क्षेत्र में भी संगीत प्रवेश कर चुका है।''[15]

गायन व वादन के समान नृत्य भी सृष्टि के प्रारम्भ से ही देव भक्ति का एक साधन रहा है। ''नृत्य का श्रीगणेश (भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान होने के कारण) भगवान शिव से माना जाता है। नृत्य के दो प्रधान स्वरूप 'तांडव' और 'लास्य' क्रमशः भगवान शिव और भगवती पार्वती से उद्भूत है। इन्हीं के अन्तगत भारत में प्रचलित सभी नृत्य शैलियां आती है। आजकल भारत में प्रमुख चार नृत्य शैलियां प्रचलित है–भरत नाट्यम, कथक, मणिपुरी और कथकलि।''[16]

कथक तथा मणिपुरी नृत्य उत्तर भारत में प्रचलित है तथा भरतनाट्यम व कथकलि दक्षिण भारत में प्रचलित है। इन सभी नृत्य शैलियों का अपने नियम व शास्त्र है इसलिये इन्हें 'शास्त्रीय नृत्य' कहा जाता है।

भरत नाट्यम–

इसमें नृत्य और अभिनय की प्रधानता रहती है। दक्षिण भारतोय मन्दिरों में देव आराधना के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले इस नृत्य को शास्त्रीय क्रम के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। प्रारम्भ में भरत नाट्यम तमिलनाडु प्रान्त में केवल देवदासियों द्वारा मन्दिर की चारदीवारी तक सीमित था और उसे देवदासी अट्टम कहा जाता था। अब वह पुरूष और स्त्रियों द्वारा सर्वत्र प्रचार में है। इसमें नाट्य शास्त्र के आधार पर करणचारी, अंगहार और मण्डलों का उत्कृष्ट प्रयोग देखने को मिलता है।

कथकलि–

यह दक्षिण भारत के केरल प्रान्त का मुख्य नृत्य है। कथा का अर्थ है कहानी और कली का अर्थ है खेल। किसी कथा को पात्रों के बडे–बडे मुखोटे लगाकर संगीतमय अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत करने को कथकलि नाम से पुकारा जाता है। इसमें कलाकार अपनी भावभंगिमा और मुद्राओं द्वारा किसी पुराणिक कथा को प्रस्तुत करता है। यह एक प्रकार की नृत्य नाटिका है जिसमें कलाकार मूक अभिनय स व्याख्या करता है।

मणिपुरी–

मणिपुरी नृत्य असम में प्रचलित है इसमें धार्मिक और पौराणिक गाथाओं का प्रदशन होता है। रासलीला मणिपुरी नृत्य की एक विशेषता है। इस नृत्य में कोमलता और सुकुमारिता के दर्शन होते हैं। मन्द–मन्द कंपन और गति द्वारा यह नृत्य प्रारम्भ होता है। इसकी वेशभूषा बहुत आकर्षित होती है। मणिपुर के प्रत्येक गांव में कृष्ण–राधा, कृष्ण–बलराम तथा कृष्ण–चैतन्य के मन्दिर होते है और एक रंगशाला भी रहती है जहां प्रायः लास्य प्रधान मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत किये जाते हैं।

कथक–

यह उत्तर भारत का एक प्रमुख नृत्य है कथा के गायन करने वाले कथक कहलाये जिन्होंने नटवरी नृत्य के नाम से एक ऐसी शैली को जन्म दिया जिसमें भाव प्रधान और चमत्कार प्रधान तत्वों का समावेश था। शास्त्रीय आधार पर कथक में गत्, तोड, नायक–नायिका भेद, ततकार और मनोरंजन की दृष्टि से अनेक घुघरूओं की आवाज आदि तत्वों का समावेश मिलता है।

संगीत चिकित्सा पर प्रभाव–

संगीत चिकित्सा कला एवं विज्ञान का समन्वय है। संगीत के माध्यम से चिकित्सा की पद्धति हमारे भारत के प्राचीन ऋषि–मुनियों की देन है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के विभिन्न रागों में वह शक्ति है जिसमें अनेक रोगों जैसे–डायबिटीज, ब्लडप्रेशर, हायपरटेंशन, अस्थमा, सिरदर्द, माइग्रेन, कब्ज, हृदय रोग, यौन रोग, मनोरोग आदि का उपचार सम्भव है। संगीत चिकित्सा पर देश–विदेश में अनेक शोध हुए है जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि संगीत के माध्यम से रोगों की चिकित्सा सम्भव है। सबसे बडो विशेषता संगीत चिकित्सा में यह है कि यह साइड इफेक्टस से मुक्त है। यदि रोगी को किसी कारणवश लाभ नही पहुंचता है तो उसे संगीत से किसी भी प्रकार की हानि भी सम्भव नही है।

''सामवेद के कई श्लोकों में उपचार की शक्ति निहित है। मारीचि ऋषि के सर्माणव तथा कश्यप ऋषि द्वारा रचित ग्रन्थ में भी संगीत चिकित्सा का उल्लेख प्राप्त होते है। जिस प्रकार आयुर्वेदिक पद्धति में वात, पित्त और कफ प्रकृति के नियम समझाकर चिकित्सा की जाती है उसी प्रकार रागों की भी प्रकृति होती है जिनमें मन को प्रवर्तित करने की शक्ति होती है और तो और संगीत में शरीर की ग्रंथियों को शामिल अथवा उत्तेजित करने की भी क्षमता होती है।''[17]

समय पद्धति पर आधारित हमारा भारतीय शास्त्रोय संगीत अपने सुबह शाम और रात के रागों के माध्यम से संगीत चिकित्सा में प्रभावकारी है। अनेक देश व विदेशों में संगीत चिकित्सा विषय पर आज नित नए शोध किये जा रहे है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपने ग्रन्थों में पहले से ही उनका उल्लेख किया है।

लोकगीत व लोकनृत्य पर प्रभाव–

हमारे पूर्वजों ने अपनी स्मृतियों में जिन गीतों को सुरक्षित रखा था उन्हें आने वाली पीढ़ियों को मौखिक रूप से विरासत में दिया है। यही लोकगीत होते हैं। ''शास्त्रीय संगीत अपना जीवन रस सदैव लोक गीतों से लेता आया है। लोक में प्रचलित संगीत जब संस्कार और परिष्कार की प्रक्रिया के द्वारा प्रतिष्ठित होता है। जब उसका अनुसंधान सुसंस्कृत व्यक्ति करते हैं जब उसका अपना व्याकरण बन जाता है, तब वह शास्त्रीय संगीत का पद प्राप्त करता है। शास्त्रीय संगीत लोक संगीत के तत्वों से अपने को समृद्ध करता है। समकालिन संगीतज्ञों में शीर्षस्थ पं. कुमार गंधर्व ने संत कवि कबीरदास की साखि और उलट बंसियोंके लोक गायन की शैली को शास्त्रीयता की प्रतिष्ठा दी है। इसी तरह कश्मीर के लोक वाद्य संतूर ने शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ऊँचा दर्जा हासिल कर लिया है। पंडित शिव कुमार शर्मा के उंगलियों के जादूई चमत्कार से संतूर अत्यन्त लोकप्रिय भी हो गया है और उनसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ की फूंको के कमाल से शहनाई शास्त्रीय वादन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो गई है।''[18]

लोकगीत हमारे देश में अति प्राचीन काल से प्रचार में है। हर प्रान्त और क्षेत्र के अपनी प्रचलित भाषा में लोकगीत होते हैं। इन्हें प्रायः त्यौहारा, मांगलिक अवसरों, विवाह उत्सव, जन्मोत्सव आदि पर एकल अथवा सामूहिक रूप में गाते है। अनेक लोकगीतों का फिल्मी संगीत में भी प्रयोग हुआ है।

लोक गीतों की भांति सभी प्रान्तों के अपने लोक नृत्य भी है ''इनकी संख्या कई सौ हो सकती है। कुछ प्रख्यात लोक–नृत्यों के नाम है–गुजरात का गरबा, असम का लाईहरोबा, पंजाब का भंगडा, राजस्थान का घूमर, हिमाचल प्रदेश का बनजारा, महाराष्ट्र का दिंडी, ब्रज प्रदेश के मंडल–रासक तथा रासलीला, बंगाल का कीर्तन–नृत्य, उड़ीसा का छाऊ नृत्य तथा आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ि।''[19]

इस प्रकार प्राचीन सुदृढ नीव पर खड़ा वर्तमान संगीत निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। जिस प्रकार पहले राजा महाराजा संगीतज्ञों को सम्मानित कर उनकी कला का प्रोत्साहन करते थे उसी प्रकार ''सन् 1952 से भारत सरकार ने संगीत कला को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रपति पदक प्रदान करने आरम्भ किये। अपने क्षत्र में प्रतिष्ठित एवं प्रतिभावान कलाकारों को 'पद्मश्री', 'पद्भूषण' एवं पद्मविभूषण जैसी उपाधियों से अलंकृत किया जाता है। भारत सरकार ने संगीतकारों के आर्थिक सुरक्षा हेतु पेंशन की भी व्यवस्था की है।''[20]

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. संगीत – नवम्बर – 1998 पृ.49।
2. भारतीय संगीत का इतिहास – डा. शरच्चन्द्र श्रीधर परांजपे–पृ.155।
3. श्रीमद् भगवत–7, 5, 23।
4. भाषा शब्द कोष, पृ.638।

5. हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायन की शिक्षा प्रणाली, डा. सुरेश गोपाल श्रीखण्डे, पृ. 3।
6. संगीत, जुलाई, 1993, पृ.17।
7- Maharashtra's contribution to music-V.H. Deshpande, P-6.
8. हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की घराना परंपरा, शम्भुनाथ मिश्र, पृ.4
9. कंठ संगीत में घराना संगीत का विवर्तन, डा. राका मित्रा, पृ.4।
10. हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की घराना परंपरा, शम्भुनाथ मिश्र, पृ.2, 3।
11. डा. रश्मि तिवारी–संगीत–जून–2005 पृ.26।
12. भारतीय संगीत का इतिहास–भगवत शरण शर्मा–पृ.19।
13. पुष्टिमार्गीय मन्दिरों की संगीत परम्परा–सत्यभान शर्मा–पृ.30।
14. संगीत रत्नाकर–शारंगदेव।
15. हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायन की शिक्षा प्रणाली, डा. सुरेश गोयल श्रीखण्डे, पृ. 12।
16. संगीत पत्रिका–नवम्बर 1998, पृ.50।
17. संगीत पत्रिका–नवम्बर 1999, पृ.56।
18. संगीत पत्रिका –नवम्बर 1991।
19. बालकृष्ण गर्ग–संगीत–नवम्बर 1998।
20. संगीत जून 2005 पृ.4।

भारतीय लोक–गीत तथा लोक–नृत्य

डॉ. राधा रानी[1]

प्रस्तावनाः

प्राचोन काल से मानव का प्रकृति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहने के कारण उसकी हर क्रिया प्राकृतिक रही, वह प्रत्येक परिस्थिति में प्रकृति को ही देखा करता था। वही प्रभाव उसके संगीत पर भी था। उस समय के संगीत में स्वाभाविकता अधिक थी, अलंकारिता कम, किन्तु मानव का अब प्रकृति के साथ अधिक सम्बन्ध न रहने के कारण ऐसी बातें केवल जनश्रुति के रूप में ही रह गयी है। प्राचीन खण्डहरों की भाँति इस प्राचीन संगीत की एक परम्परा का संग्रह अगर कहीं भी मिल सकता है तो केवल संगीत में। आज भी पर्वो तथा सामजिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों में प्राकृतिक वस्तुओं का ही वर्णन पाया जाता है। अत : यह कह सकते हैं कि संगीत की सात्विक प्रकृति अथवा हृदय के अन्तर्गत उठे हुए भावों को ठीक उसी रूप में व्यक्त करने का माध्यम जब संगीत का बनाया जाता है, तब उसे 'लोकसंगीत' कहा जाना चाहिए।

निराला के शब्दों में:

"हृदय की अनुभूतियाँ तरंगित होकर जब प्रकृति के मध्य बहने लगती है, तो लोक–संगीत का जन्म होता है।"

पं० ओमकार नाथ ठाकुर के अनुसारः

"लोक संगीत के माध्यम से समस्त विश्व में मानवता, आत्मीयता और ऐक्य की स्थापना की जा सकती है"।

भारतवासियों का जीवन सदा संगीतमय रहा है। शायद ही कोई ऐसी जाति होगी, जिसके जीवन पर संगीत प्रचुर प्रभाव न पड़ा हो। खासकर भारत का संगीत एक ओर प्रकृति और दूसरी ओर अध्यात्म–दोनों पर आधारित है।

1. प्रवक्ता–संगीत (गायन), शहीद मंगल पाण्डे राजकीय महिला स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, मेरठ, उ0प्र0

वैदिक युग में भी पर्वों के अवसरों पर मनोहर गाथाओं क गाने का निर्देश वैदिक ग्रंथों में होता है। 'मैत्रायणी संहिता' (3/7/3) में विवाह के अवसर पर गाथा गाने की विधि उल्लिखित है।

भारतीय लोक–संगीत के बारे में विचार करते समय सर्वप्रथम इस बात पर विचार करना चाहिए कि लोक–संगीत के गायन–वादन की प्रणाली प्राचीन या अर्वाचीन, अन्य देशों की भांति ही है या भिन्न है। यूरोप, भारतवर्ष तथा अन्य कुछ देशों का छोड़कर अन्य सभी देशों में करीब–करीब लोक–संगीत के ही गायन की प्रथा है।

लोक–जीवन का सुन्दरतम प्रतिबिम्ब लोक–संगीत में दिखाई पड़ता है क्योंकि लोक–गीतों के शब्द व स्वरो के चयन में कृत्रिमता का अभाव रहता है उनमें लोक–जीवन का सीधा–सादा परिचय होता है। वे व्यक्ति के बाह्य जीवन के साथ–साथ उसके मानसिक भावों के भी परिचायक होते हैं परन्तु उनमें सूक्ष्मता की अपेक्षा स्थूलता और स्पष्टता का अधिक महत्व होता है। लोक–गीत संक्षिप्त, सरल, स्पष्ट, स्वाभाविक, सुन्दर, अनुभूतिमय और संगीतमय हाते हैं। कदाचित् ही ऐसी कोई लोक–गीत हो, जो संगीत मे अनुप्राणित न हो। उसका संगीत भी लोक–जीवन का उतना ही सफल परिचायक है जितनी उसकी कविता। ग्रामीणों ने इन गीतों के स्वरों व शब्दों में मानो अपनी सम्पूर्ण संवेदनाओं और अनुभूतियों को निष्कपट, सरल और स्वाभाविक ढंग से रख दिया है।

लोक–संगीत में अकेले गाने से ही कहीं अधिक सामूहिक ढ़ंग से गाने के महत्व का पता चलता है और उसमे स्वर की अपेक्षा लय का भो कुछ अधिक प्रभाव मिलता है। उत्तर–भारत में लोक–संगीत में प्रयुक्त होने वाले अवनद्ध अथवा घन वाद्यों म से ढोलक, खंजरी, झाँझ और करताल उल्लेखनीय है। इनमें भी ढोलक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

लोक–गीतों में अधिकतर कहरवा, दादरा, खेमटा और दीपचन्दी (चाँचर) तालों का प्रयोग मिलता है।

ये सरल, सुग्राह्य और आकर्षक होती हैं। मनुष्य–मात्र के हृदय में जो प्रधान भाव रहते हैं, उनकी अभिव्यक्ति के लिए यह ताल लगभग पर्याप्त है। हर्ष उल्लास, स्फूर्ति, उत्साह और वीरता आदि भावों के लिए 'करहवा' बहुत उपयुक्त है तथा 'दादरा' भी सहायता पहुँचाता है। 'दादरा' अथवा 'खमेटा' का उपयोग श्रृंगार मे भी होता है और दीपचन्दी ताल व करूण आदि भावों की अभिव्यक्ति में विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है।

लोक–गीतों में अधिकतर सात शुद्ध स्वरों और दो विकृत–कोमल गन्धार और कोमल निषाद – स्वरा का प्रयोग मिलता है अर्थात् उनमें मुख्यतः बिलावल खमाज और काफी ठाठों के स्वर लगते हैं। शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से भी इन ठाठों के राग अपेक्षाकृत अधिक सरल व सुग्राह होते हैं कुछ गीतों में अन्य विकृत स्वरों का भी प्रयोग मिलता है। उदाहरणार्थ–कोमल धैवत और कोमल ऋषभ। इनमे भी कोमल ऋषभ का प्रयोग कोमल धैवत से कम मिलता है।

भारत में अनेक गायक मिलते हैं जो सरल–से–सरल धुन का गाते समय भी स्वभावतः अनेक प्रकार के खटके, मुरकियाँ और मोड़ का प्रयोग अनायास कर पाते हैं जिन्हे शास्त्रीय संगीतज्ञ यथेष्ट प्रयत्न करने पर अपने कंठ से उत्पन्न कर पाते हैं। वास्तव में लोक–संगीत के अनेक प्रयोग शास्त्रीय संगीत के लिए उपयोगी सिद्ध हा सकते हैं और यह सच है कि अनेक रागो का जन्म ही लोक–धुनो से हुआ है जैसे आसा, माँड़, झिंझोटी, पहाड़ी आदि।

ब्रज के लोक–गीतों में ध्रुपद बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 'ध्रुवा' नामक प्राचीन गीत से ध्रुपद का जन्म हुआ। सोलहवी शताब्दी से हमें ध्रुपद गायन–शैली का ब्रज में विशेष प्रचार मिलता है। ध्रुपद–गीत वीणा, पखावज तथा तम्बूरा के साथ गाए जाते हैं। यह गायन–पद्धति कव्वाली, ठुमरी आदि विदेशी गीत–शैलियों से भिन्न हैं। ओर उनसे कहीं अधिक सरस तथा गम्भीर है। अष्टछाप – कवियों के समय ब्रज में संगीत का मधुर धारा प्रवाहित हुई। सूरदास, नन्ददास, कृष्णदास आदि प्रायः सभी कवि गायक भी थे। इन कवियों ने विविध सरस गीता का अक्षय भंडार अपनी रचनाओं में भर दिया।

इसी प्रकार राजस्थान में होली का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली के कई दिनों पहले से ही राग–रंग प्रारम्भ हो जाता है। पुरूष ही नही, महिला–वर्ग भी इस अवसर पर कम उल्लसित नजर नहीं आता। गीदड़, लूहर, डफ, धमाल गीत एवं नृत्य जनजीवन में नई उमंग भर देते हैं।

मध्य–भारत का लोक–संगीत अनेक अंशों में अपनी विभिन्न धुनो के नाते समृद्ध हैं। गनगौर, मोहरा, बधावे, जोगीड़, साँझी, टेसू, जीजी और बड़ी पगल्या, साजन, हल्दी, प्रभाती, वीरा, केसरबाट, जमाई, गंगाजी, होली बारहमासी, सीतला, बिजोरी, रातीज दोहे भिन्न–भिन्न प्रकार के गीतों को

धुनों मे वैभिन्नय है, किन्तु लोक–स्वर का एक भारी नैकट्य मन के साथ स्पष्ट रूप से सम्बद्ध है।

इस प्रकार बंगला लोक–संगीत में विविधता बहुत है। कुछ गीतो में ताल और लय का प्राधान्य है तो कुछ में नहीं। कुछ जोशीले और जानदार हैं तो कुछ गम्भीर। कुछ गीतों में सरल भाषा में गहन रहस्यवादो और दार्शनिक विचार गुँथे मिलेगे। यहाँ कुछ खास अवसरों और खास तरह के गीत निम्नवत है। जैसे–भटियाली, सारी, बाउल, भावैया, जारी, झूमर, गम्भीरा आदि।

पंजाब के लोक–गीतों में 'टप्पे' का विशेष स्थान है। ब्याह–शादी के अवसर पर शादी से ही कई दिन पहले ही औरतें ढोलक के साथ गीत गाती है, जिनमें 'टप्पे' अवश्य गाए जाते है।

गायन और वादन की दृष्टि से मद्रास–राज्य में भिन्न–भिन्न प्रकार का लोक–संगीत है। 'लावनी' एक प्रकार का लोक–संगीत है जो रूचि को लीन करने वाला भी है और कभी–कभी रूचि का उत्तेजित भी करता है। यह दो व्यक्तियों के माध्यम से किसी विषय पर तर्कयुक्त वार्तालाप–पूर्ण एक संगीतमय नृत्य है। इसका एक प्रिय विषय है। – 'कामदेव को भस्म करते हुए भगवान शिव। धुन में सरल लोक संगीत का प्रकार होते हुए भी, लावनी में भक्ति–पूर्ण धार्मिक विस्तृत वार्ता एवं प्रकृति–वर्णन सन्निहित रहता है। लावनी के गायक दक्षिणो जिलो–विशेषतः तंजौर और त्रिचनापल्ली में मिलते है।

'ललि' , 'ऊजल', 'नरलंगू' और 'सम्मान्धीएसल, वचीपट्टू' नौका गीत (ओडम) लोक–संगीत के प्रकार हैं जो सभी घरो में त्यौहारो व विवाहोत्सवों पर प्राचीन समय में बहुत प्राचीन समय में बहुत प्रचलित रहे हैं।

लोक गीत के साथ–साथ लोक–नृत्य भी कलाओं में अति प्राचीन है। मनोविज्ञान के आधार पर मनुष्य में भाव–प्रकाशन की आकांक्षा जन्मजात मानी गई। सृष्टि के प्रारम्भ में भावहीन मानव ने भाव–प्रकाश के लिए शरीर के हाव–भाव का ही आश्रय लिया होगा। भाव–प्रकाशन की सार्थक म्द्राओं को ही भाषा ने 'नृत्य' कहा है।

भगवान शिव नृत्य के आदि–देव कहे जाते है। शिव और पार्वती, दोनों ही नृत्य–कला में प्रवीण थे। शिव का तांडव और पार्वती का लास्य (कोमल) नृत्य माना जाता है। शिव और पार्वती का नृत्य–विशारद होना, इस बात की पुष्टि करता है कि यह कला जन–जीवन में अति प्राचीन

काल से व्यापक और महत्वपूर्ण रही है। ताल की उत्पत्ति के विषय में एक और मत है कि तांडव से 'ता' और लास्य से 'ल' लेकर ही 'ताल' का निर्माण हुआ है।

इस लोक–नृत्यों का जातियों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। जैसे – कहार लोग अपने यहाँ विवाह आदि उत्सवो पर 'स्वाँग' करते हैं। आसाम की आदिवासी जातियों में मणीपुरी नृत्य स्वयं लोक जीवन से विकसित नृत्य प्रणाली है। इसी प्रकार भारत के अन्य प्रान्तो में नृत्य के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं जैसे–पंजाब का गीद्दा, भांगड़ा, ग़ुजरात का गरबा, महाराष्ट्र की लावणी, असम का बीहु, राजस्थान का घूमर, कश्मीर का रोफ, हिमाचल का महासूई (नाटी) इत्यादि।

इस प्रकार भारतीय लोक–गीत एवं लोक–नृत्य लोक के विचारों और सही भावनाओं को खोज निकालने के उत्तम साधन हैं। जब नवीन विचार मस्तिष्क में आते हैं और पुराने चले जाते हैं तो काव्य पंक्तियों में भी तद्नुसार आवश्यक परिवर्तन हो जाता है। लोगों की आधुनिकतम आंतरिक भावनायें लोक–गीतों तथा लोक–नृत्यों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति पाती है। इस प्रकार लोक–गीत तथा लोक–नृत्य गतिशील रखे जाते हैं। यद्यपि यह बन्धे–बन्धाये साहित्य के स्तर से ऊँचे नहीं उठ पाते हैं फिर भी यह लोकप्रिय भावों और विश्वासों के सच्चे प्रतिबिम्ब हैं इन लुप्त होते लोक नृत्यों व लोक गीतों को सहेज कर रखना हर भारतीय का कर्तव्य है क्योंकि यही हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत है।

" लोक–संगीत में धरती गाती है,
पहाड़ गाते है, नदियाँ गाती हैं,
फसलें गाती है, उत्सव और मेले,
ऋतुऐं और परंपराएँ गाती हैं।

महात्मा गांधी

सन्दर्भ ग्रन्थ

लोक संगीत अंक – संगीत कार्यालय हाथरस
भक्ति–संगीत अंक – संगीत कार्यालय हाथरस

स्वातन्त्र्योत्तर भारतीय राजनीति मं नैतिक मूल्यों के ह्रास की मीमांसा

डॉ0 नीलम चौरे[1], प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी[2]

''अरस्तू ने राज्य को आत्मनिर्भर एवं सर्वोच्च समुदाय माना है, जो व्यक्तियों को ऐसी परिस्थिति और वातावरण प्रदान करता है। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास एवं सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके जीवन को शुभ सार्थक और सुखी बनाता है।''[1]

उपरोक्त कथन के आलोक में यह स्पष्ट है कि राज्य सदैव मानव कल्याण और मानव उत्थान पर बल देने वाली संप्रभु संस्था है, जिसका आधार नैतिकता है। नैतिकता के बिना समाज की प्रगति संभव नहीं है। ''राज्य के प्रशासक वर्ग एवं नागरिकों पर ही आदर्श नैतिक राज्य विकसित करने का उत्तरदायित्व होता है क्योंकि इन्हें ही राज्य और राजनीति की प्राथमिक इकाई माना जाता है। राज्य का लक्ष्य नागरिकों को सचित्र बनाना है''[2], जिससे स्वस्थ एवं नैतिक समाज का विकास हो सके। इस दृष्टि से राज्य और राजनीति में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट है।

महात्मा गांधी नैतिक मूल्यों के प्रति आस्थावान थे। उन्होंने नैतिकता को मानव धर्म बताया और राज्य एवं राजनीति को मानव सेवा का साधन कहा। गांधी का विचार था कि ''नैतिक म्ल्यों के बिना समाज एवं राज्य का पतन अवश्य संभावी है।''[3]

1. सह. आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, म.गा.चि.ग्रामोदय विश्वविद्यालय, म0प्र0
2. शोधछात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, म.गा.चि.ग्रामोदय, विश्वविद्यालय, म0प्र0

आज प्रजातांत्रिक युग है। यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने भौतिक संसाधनों को बढ़ावा दिया। जिसका प्रभाव प्रजातंत्र पर भी पड़ा। प्रजातंत्र से पूर्व राज्यतंत्र था, जहां राजाओं द्वारा प्रजा का शोषण हो रहा था। राजधर्म कुचल दिया गया था। संप्रभुता का केंद्र प्रजा को सुनिश्चित करने के लिए विश्व भर में क्रांतियां हुई तब प्रजातंत्र आया, जो शासन और सत्ता की दृष्टि से नया संकेत सिद्ध हुआ। इसका मूल ध्येय शासक को प्रजा की सेवा करना था। परंतु कालांतर में भौतिकवाद की बाढ़ ने प्रजातंत्र को इस कदर अपने आगोश में बॉध रखा कि यथार्थ और नैतिक जीवन मूल्यों पर एक पर्दा सा पड़ा प्रतीत होता है। आज प्रजातांत्रिक संस्थाएं अपने उद्देश्यों को विस्मृत कर, स्वहित साधन की संस्था मात्र बनकर रह गई हैं। इसका मूल कारण नैतिकता को निरंतर ह्रास होना ही है।

भारत म सांस्कृतिक रूप से नैतिक मूल्य सदैव ही प्रतिष्ठा को प्राप्त रहे हैं। यद्यपि नैतिक मूल्यों की ग्रन्थोय जटिलता के कारण समझना इतना आसान नहीं तथापि मोटे तौर पर मानवोय व्यवहारों का विश्लेषण कर हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। यथा किसी भी कार्य का औचित्य क्या है? साध्य एवं साधनों का औचित्य पूर्ण आधार क्या है?

यह बात अरस्तु के सद्गुण संबंधी विचार से समझ सकते हैं। उसने मानव आत्मा के दो पक्ष, भावना और बुद्धि बताया है। भावनात्मक पक्ष तो सभी जीवो पर सामान है परंतु बौद्धिक होने के कारण मानव ही इस जगत में श्रेष्ठ है। अतः बुद्धि और विवेक से भावनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना ही नैतिकता है, और यही राज्य एवं समाज में निहित सार्वकालिक नैतिक मूल्य ह। यही एक बात हमें और समझ लेना चाहिए कि किसी भी राज्य के स्वरूप को तत् राज्य के शासक और नागरिक ही निश्चित करते हैं। अतः दोनों को ही अनुकरणीय आदर्श एवं नैतिकता युक्त आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिसस सद्गुणी समाज का विकास संभव होगा। गांधीजी ने कहा है, ''हमें याद रखना चाहिए कि आजाद हिंदुस्तान तभी एक बन कर काम कर सकेगा, जब वह नैतिक शासन को मानेगा।''[4] भारत के परिप्रेक्ष्य में हम नैतिक मूल्यों की बात करें तो निराशा ही मिलती है। स्वतंत्रता पश्चात भारतोय शासन व्यवस्था के संचालन एवं लोककल्याण हेतु भारतीय संविधान को विचारपूर्वक हर संभावनाओं पर चर्चा करके लिखित रूप में तैयार किया गया। फिर भी कुछ बातों को, परंपराओं और प्रथाओं को राजनेताओं के आचरण पर छोड़ दिया गया था। अपेक्षा रही की राजनेतागण अपने आचरणों और स्वस्थ मन से इन परम्पराओं विकसित करेंगे। जो सभी के लिए अनुकरणीय होगा। परंतु इनके आचरणों ने राज्य, राजनीति, शासन–प्रशासन अर्थात संपूर्ण समाज को अंधकूप में धकेलने जैसा कृत्य किया। नैतिक पतन को रोकने का प्रयास करने वालों की आवाज को दबा दिया जाता रहा। राजनेताओं

के कृत्यों को यदि हम देखें तो स्पष्ट होता है कि हमारे लोकतंत्र में भी निरंकुश होने की पर्याप्त संभावना है, जो एक बार 1977 में आपातकाल के रूप में प्रकट हो चुका है।

भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों में गिरावट को स्वतंत्रता के पश्चात निर्वाचन, दल–बदल एवं घाटालों के रूप में देख सकते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं उल्लिखित की जा रही है जो राजनीतिक नैतिकता के राजनीतिक नैतिकता के ह्रास को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्तहैं।

1952 के आम चुनाव में मद्रास प्रेसीडेंसी में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। टी0 प्रकाश के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा गठित करके 167 विधायकों की सूची के साथ सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया। परंतु तत्कालीन राज्यपाल ने उसे खारिज करते हुए बहुमत के आंकड़े से दूर किंतु सबसे बड़े दल के रूप में उभरी कांग्रेस पार्टी को सी0 राजगोपालाचारी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। जिन्हें बाद में विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। बहुमत के लिए कांग्रेस ने अन्य दलो के सदस्यों को तोड़कर पार्टी में शामिल किया। यही से दल–बदल की भ्रष्ट नीति की शुरुआत हुई, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन और तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अग्रिम पंक्ति के नेताओं की मौन स्वीकृति भी प्राप्त रही। 1953 में आंध्र प्रदश के सम्मानित लोकप्रिय राजनेता टी0 प्रकाश ने मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़ कर कांग्रेस में शामिल हो गए। यह पद लोलुपता का उदाहरण बन गया। जो उसके बाद के नेताओं के लिए आम बात बन गई। ''1967 के चौथे आम चुनाव के प्रथम वर्ष में 430 लोगों के दल–बदल का रिकॉर्ड कायम हुआ। दल बदलुओ के कारण 16 महीने के भीतर 16 राज्यों में सरकारें गिरी। हरियाणा के विधायक श्री गया लाल ने 15 दिन में ही तीन बार दल–बदल की अनैतिक राजनीति में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। उनकी वजह से ही हमें दल–बदल की राजनीति के लिए एक नया शब्दबन्ध 'आया राम गया राम प्राप्त हुआ।''[5]

संसदीय राजनीति में चौधरी चरण सिंह 1979 में दलबदल द्वारा प्रधानमंत्री बन गए । भारत के 11वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी दलबदलू नेता थे। यह राजनीति, यही नहीं रुकी अपितु देश में लंबे काल तक सिद्धान्त विहीन नैतिक आचरणो के विरुद्ध चलती रही, जिससे भारतीय राजनीति में अस्थिरता बनी रही। डॉक्टर लोहिया ने इस प्रकार की राजनीति को समुद्री डकैती कहा था।

भ्रष्टता का राजनीतिक दृष्टि से एक और नमूना हम देखते हैं चुनाव के रूप में। लोकतंत्र का आधार निष्पक्ष निर्वाचन है। यह प्रत्यक्ष जनमत की अभिव्यक्ति है हृदय नाथ कुंजरू ने कहा था, ''अगर निर्वाचन तंत्र दोषपूर्ण है या निष्पक्ष नहीं

है या गैर–ईमानदार लोगों द्वारा संचालित होता है तो लोकतंत्र अपन उद्‌भव काल में ही डगमगा जाएगा।''[6]

परंतु स्वतंत्रता के बाद से ही चुनाव में बूथ कैप्चरिंग, राजनीति में अपराधियों का प्रवेश, धन अपव्यय जैसे भ्रष्ट आचरण भारतीय राजनीति और नेताओं पर कलंक ह। अटल बिहारी वाजपेई कहते थे ''पहले अपराधी हमारे पास अपने बचाव के लिए आते थे, फिर दूसरी स्थिति आई। अपराधी हमारे पास हमारी मदद के लिए आने लगे। हम उनकी मदद चुनाव जीतने के लिए, पोलिंग बूथ पर कब्जा करने के लिए लेने लगे।''[7] चुनाव लड़ना इतना महंगा हो गया है कि जन सामान्य के बस की बात नहीं। चुनाव में जातिवाद, हिंसा, संप्रदायवाद, धनशक्ति एवं अपराध शक्ति जैसे दुर्गुण व्याप्त हैं। आज राजनीति धन प्राप्ति का जरिया बन गई है। राजनेता बड़े–बड़े घोटालों में संलिप्त हैं। चीनी घोटाला, स्टांप घोटाला, चारा घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला एक प्रकार श्रृंखला रूप में हुए हैं। उसके बाद अपेक्षा करते हैं कि भारत का विकास नहीं हुआ। ऐसे माहौल में विकास कहां संभव है। ''यह सच्चाई है कि आज आदर्शवाद नाम मात्र का रह गया है और सत्ता में सिद्धांतविहीन राजनीति उसका स्थान ले रही है।''[8] आज जन प्रतिनिधि लोकतंत्र के मंदिरों में बैठकर अपने वेतन, पेंशन जैसी सुविधाएं प्राप्त के लिए एक स्वर से अध्यादेश पास कर कानून बना लेते हैं। परंतु जनहित और राष्ट्र हित के अध्यादेश सालों–साल लटके रहते हैं। जनता का सेवक स्वामी बन गया है। आज लोकतंत्र में भी जनता अपने जन प्रतिनिधियों के समक्ष हाथ जोड़कर अभिवादन करती है और जनप्रतिनिधि, उनकी समस्याओं को सुनते नहीं, जबकि जो सुविधाएं आज जनप्रतिनिधियों को प्राप्त है यथा लैपटॉप, मोबाइल, वाहन आदि वो इसलिए कि जनता की समस्याओं को जानने, समझने और निराकरण में ये यंत्र सहायक है। लेकिन जनप्रतिनिधियों द्वारा इन सुविधाओं को ऐशो–आराम का उपकरण बना लिया गया है।

उपरोक्त मीमांसा से स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र के शैशवावस्था से ही निरंतर ह्रास देखने को मिलता है। राजनेता स्वार्थी, भाई–भतीजावाद, धनलोलुप और आपराधिक प्रवृत्ति के हो चले हैं। इस अध्ययन में राजनीति और राजनेताओं के नैतिक ह्रास स्पष्ट हैं। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी पर गांधी परिवार का वर्चस्व एवं समाजवादी पार्टी पर मुलायम सिंह यादव के परिवार का वर्चस्व भाई भतीजावाद की राजनीति का स्पष्ट उदाहरण है। अफसोस जिस महान भारत की संस्कृति सदैव विश्व के लिए अनुकरणीय रहो है वहां की राजनीति इतनी भ्रष्ट है, निश्चय ही दुखद एवं शोचनीय है।

संदर्भ ग्रंथ

1. वीरकेश्वर सिंह, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, पृष्ठ 61

2. ई0वार्कर, ग्रीक पोलिटिकल थ्योरी एंड हिज प्रोडिसर्स प्लेटो, पृष्ठ 168
3. महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज
4. हरिजन अंक 27 जुलाई 1947
5. डॉक्टर सुभाष कश्यप, दल–बदल और राज्यों की राजनीति, पृष्ठ 121
6. डॉक्टर पुखराज जैन, भारतीय शासन एवं राजनीति, पृष्ठ 529
7. अटल बिहारी वाजपेयी, विचार बिंदु, पृष्ठ 141
8. अटल बिहारी वाजपेयी, विचार बिंदु, पृष्ठ 88

विकलांग महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का समाज वैज्ञानिक अध्ययन

डॉ0 सुनीता श्रीवास्तव[1]

मनुष्य सृष्टि का सबसे विचित्र एवं विलक्षण प्राणी है। इसका विरोधाभाशी स्वरूप उच्चतर एवं निम्नतर प्रकृति का अद्‌भुत समुच्चय है। एक ओर जहां उसमें दिव्य अस्तित्व का एक कटु सत्य है, इसी आधार पर श्री अरबिन्द ने– ''सामान्य मनुष्य का एक मानसिक प्राणी कहा है।''

किसी भी समाज के विकास की स्थिति और सार का अनुमान उस समाज में निवास करने वाली महिलाओं की परिस्थिति एवं चेतना स्तर से लगाया जा सकता है। विश्व के विकसित विकासशील और अविकसित क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति तथा चेतना स्तर में भिन्नता पायी जाती है। यह भिन्नता जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात सामाजिक एवं आर्थिक जीवनशैली शेक्षणिक स्तर पारिवारिक भक्ति संरचना में उनकी स्थिति तथा भमिका आदि में पायी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं जनसंख्या–प्रतिवेदनों के अन्तर्गत प्रकाशित आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं, कि विगत कुछ दशकों में जनंसख्या और सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हुआ है, जिसका प्रभाव सामान्य जनजीवन शैली, पर्यावरण और प्रगति परक नीतियों तथा विकलांगजन पर परिलक्षित होता है।

मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र के अन्तर्गत महिलाओं और पुरूषों में समानता को स्वीकार किया गया है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन के अन्तर्गत लैंगिक समानता के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पुनः स्वीकार करते हुए महिलाओं की परिस्थितियों में सुधार के लिए विभिन्न उपायों को अपनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया

---

1. **सहायक आचार्या, समाजशास्त्र विभाग, जे.आर. विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट,उ0प्र0**

गया है। भौतिक समानता और शिक्षा दो ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष थे, जिसमें नीतिगत निर्णय के माध्यम से कार्य योजनाएं प्रस्तावित करने और उन्हें संचालित करने पर सहमति हुई। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में हुए सम्मेलन के अन्तर्गत थी। उन मुद्दों पर बल दिया गया था। तदन्तर कई देशों, राष्ट्रीय योजनाओं के अन्तर्गत महिलाओं में शैक्षणिक प्रगति के लिए कार्यक्रम संचालित किये गए हैं। वर्ष 1995 में बीजिंग में हुए चौथे महिला विश्व सम्मेलन के अन्तर्गत भी इस दिशा में प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। लेकिन एक दशक के अन्तराल में जो प्रगति प्राप्त की गई थी वह संतोषजनक नहीं थी। ऐसी स्थिति में यह विचार व्यक्त किया गया कि, लैंगिक सम्बन्धों को निर्धारित करने वाले परम्परागत विश्वासा और आदतों में परिवर्तन आवश्यक है।

1995 में हुए चौथे महिला विश्व सम्मेलन में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था, कि महिलाओं में जिन चीजों में कमी है, वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आर्थिक और अन्य सम्बन्धी सेवाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर पाती। निर्धन और कम शिक्षित एवं विकलांग ग्रामीण समाजों में महिलाओं की शिक्षा में कुछ किया जाय और उनकी चेतना स्तर में बुद्धि की जाय तो उसका प्रभाव पूरे समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं हर स्तर पर पड़ेगा, जिसके कारण उनकी स्थिति सुधर सकती है।

विकलांगता के कठोर सच के साथ हम सब इस बात पर महसूस करने हेतु तत्पर हैं कि, जो हमारे समाज की अक्षम व अपंग महिलायें भोग रही हैं जीवन में संवेदनायें, करूणा और ममता का मूल स्त्रोत वही है। विराट वृक्ष की शक्ति हमेशा छोटे से बीज में छिपी रहती है। यही बीज खेत में पड़कर उपयेागी खाद पानो पाकर विशालकाय छायादार वृक्ष के रूप में प्रस्फुटित होता है। उसी तरह से अक्षम मगर मन के भीतर भी समस्त संभावनायें एवं अनन्त भाक्तियां बीज रूप में छिपी हैं, जिनको विवेक के जल से अभिसिंचित कर कम विचारों की उर्वरक खाद देकर जाग्रत भर करना है, जिसको करने का बीड़ा या सार्थक प्रयास गुरु रामभद्राचार्य जी का विश्वविद्यालय कर रहा है। महिलायें जो स्वयं परिवार की धुरी होती हैं, आज स्वयं दूसरों पर आश्रित है, क्योंकि शरीर के किसी अंग से असमर्थ होने पर सारा शरीर बेकार नहीं हो जाता, हाँ ऐसा मानना और अपने को दीन नहीं समझना गलत है। जहां चाह वहां राह होती है। यह मानकर महिलाओं को अपनी विकलांगता की अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से दूर करना होगा।

विकलांग महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति–

विकलांगता अपने आप में दर्द है, असमानता है, अव्यवस्था और है, अपूर्णता, विकलांगता समाज हो, व्यवस्था हो, व्यक्ति हो, वह असहन्य है, और वह भी नारी है तो –'एक तो करेला दूजे नीम पड़ा' क्योंकि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र

देवता' मनुस्मृति स्त्री को समाज के दूसरे दर्जे का नागरिक बना रखा। यह तो उन स्त्रियों के लिए है जो सकलांग हैं, सुन्दरी हैं जिन्हें रमा नारी कहकर भोग्या के रूप में स्वीकार किया गया है। परन्तु जो महिलायें हैं, उन्हें समाज की दोहरी मार झेलनी पड़ती है।

सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर स्त्री का मानसिक, आन्तरिक एवं वाह्य द्वन्द्व समाज के यथार्थ एवं आदर्श का द्वन्द्व सर्वत्र परिलक्षित है। हर स्तर पर हर में अपना अधिपत्य जमान के लिए महिला को स्वयं से संघर्ष, वातावरण की प्रदूषित व्यवस्था, सोच से संघर्ष करना पड़ रहा है। परन्तु उसकी जीवन्तता उसकी है। जिसके लिए उसको दिन–रात दिया स्वप्न, प्रलय, सुख दुख के संघर्ष के प्रतिमान झलकर विविध प्रकार के सामाजिक मानसिक एवं आर्थिक यंत्रणाओं का शिकार होकर भी अपने अस्तित्व की रक्षा कर कुछ खोकर कुछ पाया है। नारी के संघर्ष के लिए तो सवेरा का सुनहरा अवसर प्रकृति प्रदत्त भी है, किन्तु विकलांग की मनःस्थिति शारीरिक अक्षमता के कारण मानसिक विकलांगता की श्रेणो में ला देती है। विकलांगता पुरुष और महिला में किसी भी अनुपात में हो सकता है परन्तु पुरुष जन्म से 60% विकलांग होता है तो 40% बचपन में अपनी शरारती आदतों एवं माता–पिता की अज्ञानता के परिणामस्वरूप, परन्तु महिला विकलांगता जन्मशः 50% से कम होती है। सामाजिक गुत्थे व्यवहार अर्थात कुपोषण से 0 से 5 वर्ष तक 20 से अधिक विकलांगता हो जाती है। इस तरह हमारी सामाजिक व्यवस्था महिला दुर्भाग्य का कारण बनती है और उन्हें विकलांगजीवन जीने को बाध्य करती है। भारतीय व्यवस्था के अनुकूल कन्या के विवाह के पश्चात त्याग कर पति के घर जाकर रहना कन्या को 'परायाधन' अर्थात् वस्तु बना देता है। सुन्दर सकलांग धनी पिता की सुन्दर कन्या आसानी से अच्छा पति प्राप्त कर लेती है, तो उसे पति के घर में स्नेह सम्मान मिलेगा या नही कहा जा सकता, परन्तु यदि कन्या विकलांग है तो माता–पिता को उससे घर के कार्यों में हाथ बटाने वाले भाई बहिन के पालन पोषण में सहयोगी बनने की स्वार्थी प्रवृत्ति भी समाप्ति हो जाती है और वह दुर्भाग्य बनती है। इसके विपरीत माता–पिता के लिए दुःख का कारण होती है कि उससे विवाह भी कोई करेगा? माता–पिता को स्नेह कन्या के प्रति कम हो जाती है।

यौवन की दहलीज पर कदम रखने पर भी उन्हें पति नसीब नहीं हो पाता। यदि लड़का विकलांग भी हो तो माता–पिता सकलांग सुन्दर को बहु के रूप में चाहते हैं क्योंकि, उनके अनुसार विकलांग लडका घी का टेड़ा मेड़ा लड्डू है, और विकलांग लड़की मुसीबत है।

समाजिक दृष्टि से हीन समझी जान के कारण मानसिक प्रताड़ना की शिकार होती है, उनमें शारीरिक अक्षमता के साथ–साथ बौद्धिक विकास स्वतः बाधित होने लगता है, वे ना अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाती है न सामाजिक दृष्टि से चतुर होती है। बुद्धि से कमजोर होने के कारण उन्हें कोई काम भी नहीं मिल पाता। प्रायः गरीब परिवार की महिलायें अन्य घरों में कामकर अपना जीवन यापन कर लेती है परन्तु शारीरिक दृष्टि से सक्षम होने के कारण कार्य क्षमता में महिलायें प्रभावित होती है, तो उन्हें कोई काम भी नहीं देता। जो कुछ अच्छे परिवार की हैं वे किसी तरह शिक्षा की व्यवस्था करती हैं। विकलांग स्त्री को विकलांग पुरुष के समान ही शिक्षा व काम प्राप्त करने का अधिकार है।

आदर्श की बातें आदर्श के प्रतिमान धर्मग्रन्थों एवं हितोपदेश की बातें मात्र हैं। आज धार्मिक अनुष्ठान व किया कलाप बढ़ते जा रहे है, परन्तु राजनीतिक धुरंधरों की भांति धार्मिक धुरंधरों द्वारा भी वाह्याडम्बर एक स्वार्थ हेतु अन्य क्षेत्रों की भांति विकलांग कन्याओं के हितों को लेकर काम किये जा रहे है। आज समाज स्वयं विकलांग एवं निष्प्राण हो रहा है। तो उसमें पलने वाले वास्तविक विकलांग को बजाय अधिकांश मानसिक विकलांग हो रहे हैं। सारी विकलांगता अभिशाप न समझकर विकलांगों के साथ मानवता का व्यवहार किया जाना चाहिए।

शोध अभिकल्प एवं अध्ययन पद्धति–

समाजशास्त्रीय समस्याओं अध्ययनों में जहां तक अधिगमों का सम्बन्ध है, इस परिप्रेक्ष्य की अनेक समाज वैज्ञानिकों ने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु अनेक अधिगमों को विकसित किया है, जैसे मर्टन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम के कार्लमार्क्स द्वारा संघर्ष का सिद्धान्त पारसन्स द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्था से सम्बन्धित सामाजिक व्यवस्था का सिद्धान्त। उपरोक्त में सभी सिद्धान्तों की व्याख्या सभो समाजशास्त्रियों ने अपने–अपने ढंग से किया है। प्रश्न यह उठता है कि क्या ये सभी सिद्धान्त विषेशतया धार्मिक सामाजिक भारतीय व्यवस्था के सन्दर्भ में घटित होने वाली समस्याओं का विश्लेषण करने में सक्षम है? यदि नही, तो इनका सहारा लिया जाता है, तो क्यूँ? हम शोधकर्ता के समक्ष सबसे प्रमुख समस्या यही रही है। आखिरकार हम अपने अध्ययन की समस्या को किस उपागम के माध्यम से विश्लेषित करें, ताकि कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हो सकें।

प्रस्तुत अध्ययन समस्या के सम्बन्ध में मिसलकर और केटॉफ (1955) तथा डेविल और फूलेक (1959) ने सम्पूर्णतावादी अभिगम की परिचर्चा की है, लेकिन यह भी अभिगम अधूरा पाया गया है। ऐसी स्थिति में हमने प्रस्तुत शोध में बहु सुधारवादी आगम का सहारा लिया है। बहुसुधारवादी अभिगम एक ऐसा माध्यम है जो सामाजिक समस्याओं की तथ्यगत जानकारी देने के साथ–साथ समस्या

समाधान हेतु उपयोगी ज्ञान की अवश्यकता पर भी बल देता है। इसी कारण से वर्तमान अध्ययन में चित्रकूट जनपद की विकलांग महिलाओं का सामाजिक, आर्थित स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन क द्वारा तथ्यों का सववीकरण कर विश्लेषण करने का प्रयास किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य–

प्रस्तुत अध्ययन में चित्रकूट जनपद के विकलांग महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर समाज वैज्ञानिक अध्ययन किया गया, जिसको निम्नलिखित उद्देश्यों क द्वारा जानने का प्रयास किया गया।

- ग्रामीण विकलांग महिलाओं की स्थिति।
- ग्रामीण व नगरीय विकलांग महिलाओं की सामाजिक आर्थिक एवं व्यवसायिक स्थिति का विश्लेषण करना।
- जनसंख्या वृद्धि के कारकों के बारे में विकलांग महिलाओं की मनोवृत्तियों का विश्लेषण करना।
- महिलाओं में लैंगिक समानता व असमानता का स्तर क्या है?
- महिलाओं की जीवनशैली और उनकी चेतना स्तर में कितनी सह–सम्बन्ध है।

तथ्य संकलन प्रविधि–

वर्तमान अध्ययन में तथ्यों का संकलन प्राथमिक एवं द्वैतियक स्रोतों के आधार पर किया गया। प्राथमिक तथ्यों का संकलन, साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन विधि के द्वारा किया गया।

द्वितीयक स्रोत के अन्तर्गत विभिन्न पुस्तकों, शोध ग्रन्थों, गन्थालयों से सरकारी प्राप्त लेखों एवं अभिलेखों समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं, शोध प्रतिवेदनों सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय विकासखण्ड कार्यालय आदि से सूचनाओं का अध्ययन कर आवश्यक समर्गियों का संकलन किया गया।

जनसंख्या की दृष्टि से चित्रकूट जनपद का कुल क्षेत्रफल 2073.39 वर्ग किलो मीटर है, जिसमें इस जनपद की कुल जनसंख्या 28.53157 है, जिसमें पुरुष 24.22628 एवं स्त्रियों की संख्या 3.37052 है। प्रस्तुत शोध हेतु 50 विकलांग महिलाओं को चुना गया है, जिनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को आंकड़ों के आधार पर दर्शाया है।

सारणी क्रमांक–1

सामाजिक स्थिति के आधार पर उनका परिवार में भूमिका

क्र0सं0	परिवार	संख्या	प्रतिशत

1	भूमिका है	10	20 प्रतिशत
2	भूमिका नहीं	40	80 प्रतिशत
	योग	50	100 प्रतिशत

सारणी के आधार पर परिवार में, इनकी भागीदारी केवल 20 प्रतिशत है और 80 प्रतिशत महिलाओं की परिवार में भूमिका नहीं है। यानि इनके निर्णय को उच्च नहीं माना जाता है।

सारणी क्रमांक–2

महिलाओं के व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण

क्र0सं0	व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1	नौकरी	30	60%
2	छुकान	05	10%
3	अन्य	15	30%
	योग	50	100%

व्यवसाय के आधार पर शिक्षा अधिक होने के कारण ये ज्यादातर प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के रूप 60 प्रतिशत महिलाय कार्य कर रही है, जबकि 10 प्रतिशत ही व्यवसाय से जुड़ी है जो एक जगह रह कर कार्य कर सके।

सारणी क्रमांक–3

महिलाओं का सम्पत्ति पर अधिकार

क्र0सं0	सम्पत्ति	संख्या	प्रतिशत
1	सम्पत्ति का अधिकार	04	08%
2	अन्य	46	92%
	योग	50	100%

महिलाओं का केवल 8 प्रतिशत ही सम्पत्ति अधिकार हैं अन्य 92 प्रतिशत का अन्य पर अधिकार है।

सारणी क्रमांक–4

स्वयं के कमाये गए धन पर अधिकार

क्रसं0		संख्या	प्रतिशत
1	स्वयं के धन	40	80%
2	अन्य	10	20%
	योग	50	100%

स्वयं के किए कार्यों के आधार पर उनका अपने कार्यों के द्वारा पाये गए धन पर 80 प्रतिशत का अधिकार रहता है, 20 प्रतिशत का नहीं।

निष्कर्ष–

अध्ययन के दौरान यह जानने पर बल दिया गया है, कि कौन–कौन से चर हैं जो विकलांग महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से प्रभावित करती है। साथ ही उनमें समाज में पद, प्रतिष्ठा एवं आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। आज सरकार द्वारा इन विकलांगों की समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। चित्रकूट एक धार्मिक स्थल होने के नाते यहां पर आर्थिक मजबूती के लिए कोई भी अलग से प्रयास नहीं किया जा रहा है, इसलिए यहां विकलांग महिलायें ही नहीं बल्कि यहां हर वर्ग पीछे है।

सुझाव–

निष्कर्ष के आधार पर यह सुझाव है, कि चित्रकूट जैसे पिछड़े इलाके को समाज में स्थान प्राप्त हो, क्योंकि आज हर वर्ग कार्य कर रहा है। इस नाते उसे समाज में पद एवं आर्थिक रूप से मजबूत होने का अधिकार है–

- लिंग भेद न किया जाय।
- निर्णय लेने का पूरा अधिकार प्राप्त हो।
- सम्पत्ति पर बराबर का अधिकार दिया जाय।
- महिलाओं के प्रति पुरानी रूढ़िवादी धारणा से अलग किया जाय।
- जब समाज म साथ चलना है तो शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाया जाय।
- विकलांग महिलाओं को परिवार मे स्थान दिया जाय, भेदभाव न किया जाय।
- सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो, जिससे इनकी स्थिति सुधर सके और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर कार्य कर सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Brynt. J.H. (1977) ."The Place of Prevention in Meeting the Health needs of Society" WHO, Geneva.
2. Durkheim E. (1912) "The Suicide" Passion, Paris.
3. W.H.O. Technical Report Series No. 31, 1961, Geneva.
4. सामाजिक समस्यायें, राम आहुजा।

राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत सरदार पटेल

डॉ0 शान्त कुमार चतुर्वेदी[1]

भारत के स्वतन्त्रता सेनानी एवं स्वतन्त्र भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार बल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ई0 में गुजरात के नड़ियाद में हुआ था। सरदार पटेल वर्फ से ढके एक ज्वालामुखी थे। वे नवीन भारत के निर्माता थे। राष्ट्रीय एकता के अद्वितीय शिल्पी थे। वास्तव में भारतीय जनमानस (अर्थात् किसानो) की आत्मा थे।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के आजादी के बाद वे प्रथम गृहमंत्री और प्रधानमंत्री बने। उनकी दृढ़ इच्छा भाक्ति एवं कुशल नेतृत्व क्षमता को देखते हुए, उन्हें भारत का लौहपुरूष भी कहा जाता है। जिस समय भारत मे अंग्रजी सत्ता थी, उस समय फूट डालो और राज करों की नीति विस्तार को प्राप्त हो रही थी। भारत एक राष्ट न होकर मात्र रियासतों का समुद्र बन गया था। स्वतन्त्रता आन्दोलन में सरदार पटेल ने सबसे बडा ओर पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिया। उस समय भंयकर सूखे की चपेट में गुजरात का खेड़ा खण्ड था। किसानों ने अंग्रेजी सरकार से भारी कर में छूट की मॉग की किन्तु जब अंग्रेजों द्वारा यह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, तो सरदार पटेल ने अपने सफल नेतृत्व का उदाहरण पस्तुत किया और किसानों को कर न देने हेतु प्रेरित किया, जिसके कारण अंग्रेजी सत्ता को उनके सामने घुटने टेकने पड़े और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की एकता एवं नेतृत्व की पहली सफलता थी।[2]

सरदार पटल में अद्भुत नेतृत्व क्षमता थी, उन्होंने बारदौली, सत्याग्रह का सशक्त नेतृत्व किया, जिसके कारण महात्मा गाँधी जी ने उन्हें 'बारदोली का सरदार' कह करके पुकारा। बाद में सरदार शब्द उनकी पहचान बन गई।[3] जिस समय भारत अंग्रजी दासता से मुक्त हुआ उस समय भारत अनेक छोटी–छोटी

1. सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग, जे.आर. विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उ0प्र0

रियासतों में बँट चुका था। सरदार पटेल का नाम तत्कालीन पाँच सौ तिरसठ (563) रियासतों के भारत में विलीनीकरण के कारण सम्मान से लिया जाता है। अंग्रजों ने भारत को स्वतंत्रता दी किन्तु अपनी घिनौनी हरकतों के कारण भारतीय रियासतों के सामने यह विकल्प प्रस्तुत किया कि, जो रियासतें भारतीय संघ में विलीन होना चाहें वे हो सकती हैं और जो पाकिस्तान में विलय करना चाहें वे कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो रियासतें स्वयं को स्वतंत्र रखना चाहती हैं वे स्वतंत्र है। सरदार बल्लभभाई पटेल के लौह पुरूष होने का प्रमाण उनके द्वारा रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का महान कार्य देखने को मिला।

भारत की स्वतंत्रता में राजशाही का विशेष योगदान नहीं था। बहुत से शासक केवल नाममात्र के शासक थे। छोटे– छोटे रजवाड़े अपनी रक्षा करके ही खुश हो जाते थे किन्तु इसके उपरान्त भी उनके भीतर यह इच्छा अवश्य थी कि स्वतंत्र भारत में अपनी स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रख सकेगे।[4] इस प्रकार स्वतंत्र भारत में वह भाी अपनी स्वतंत्रता खोज रहे थे। उनकी यह इच्छा उस समय और भी बलवती हो गई जब अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को यह अधिकार दे दिया कि वे चाहें तो भारत के साथ जा सकती है। सरदार पटेल ने जो राज्योचित व्यवहार किया अर्थात गुप्तचरों द्वारा और कार्य को प्रवृत्ति से देश के शुभाशुभ वृतांत को जानकार उस पर विचार करे। तत्पश्चात् अशुभ का तत्काल निवारण करे।[5] **सरदार** पटेल ने प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार शासन कार्य को संचालित किया, वहाँ पर बजाया गया है, कि वीर शासक निन्दनीय मनुष्यों की निन्दा करे और दण्डनीय अपराधियों के दण्ड दे, इसमें काई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये।[6] सरदार बल्लभभाई पटेल का राजधर्म ऐसा ही था। उन्होंने निन्दनीय पुरूषों के प्रति, राष्ट्रद्रोहियों के प्रति और अपूज्यों के प्रति कठोर व्यवहार किया।

पूजनीय और राष्ट्र भक्तों के प्रति सदैव सत्कारशील रहे। उन्होंने भारतीय नरेशों के साथ बड़ी सावधानीपूर्वक वार्तालाप किया तथा इस बात का पूर्ण ध्यान रखा कि किसी भी राजा के सम्मान को ठेस न पहुँच और हमारी बात को भी मान लें।

सरदार बल्लभभाई पटेल ने रियासतों के राजाओं से स्पष्ट कहा कि हम चाहते है कि इस पवित्र भूमि को दुनिया के देशों के मध्य उपयुक्त स्थान दिलाया जाए और इसे शान्ति एवं समृद्धि का घर बना दिया जाए।[7]

जिस समय सरदार पटेल भारत के गृहमंत्री बने उस समय उसके सामने राजवाड़ों के भारत में विलय का विषय उसके सामने था रियासतों के विलय में सरदार पटेल ने साम, दाम, दण्ड, भेद सभी प्रकार की नीतियों का अनुसरण करके भारत में उसका विलय करवाया। जम्मू कश्मोर जूनागढ़ तथा हैदरावाद को छोड़कर सभी रियासतें स्वेच्छा से भारतीय संघ में विलय हो गई। तब सरदार

पटेल की जूनागढ़ में जनविद्रोह हुआ और अंतत जूनागढ़ के शासक को अपनी रियासत का विलय भारतीय संघ में करना पड़ा। इसी प्रकार हैदराबाद पर पुलिस कार्यवाही कर उसे भारत का विकास तब तक संभव नही है जब तक उसका एकीकरण नही होगा।[8]

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक बड़ी समस्या थी रियासतों का एकीकरण। कुशल कूटनीतिज्ञ और जरूरत पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप क जरिए सरदार पटेल ने उन अधिकांश रियासतों को तिरंगे के तले लाने में सफलता प्राप्त की, किन्तु पंडित नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। जिसके कारण कश्मीर मुद्दा अभी तक बना हुआ है। अन्यथा सरदार पटल उसका भी कोई न कोई हल अवश्य निकाल लेते। नेहरू शास्त्रों के ज्ञाता थे, सरदार पटेल शास्त्रा के पुजारी थे। सरदार पटेल स्पष्ट कहा करत थे ''मैने कला या विज्ञान के विशाल गगन में उड़ानें नही भरी थी, मेरा विकास कच्ची झोपड़ियों में गरीब किसानों के खेतों की भूमि और भाहरों के गन्दे मकानों में हुआ है।'' कहने का तात्पर्य यह है कि सरदार पटेल का समपूर्ण जीवन एकता का परिचालक है। उन्होंने गांवो शहरों का, देश का, विदेश से एवं विभिन्न रियासतों का एकीकरण किया। इसमें बौद्धिक क्षमता अत्याधिक थी। एक बार उन्होंने सुना कि बस्तर रियासत में कच्चे सोने का भारी क्षेत्र. है, और इस भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर हैदराबाद की निजाम सरकार खरीदना चाहती है। उसी दिन वे परेशान हो उठे। वे उड़ीसा पहुँचकर वहाँ के 23 राजाओं से बोले कि कुएँ के मेढ़क मत बनो महासागर मे आ जाओ। फिर नागपुर पहूँचकर वहाँ के 38 राजाओं से मिले और अन्ततः उस क्षेत्र को भारतीय संघ में मिला दिया गया।

13 नवम्बर 1947 को सरदार पटेल ने सोमनाथ के भग्न मन्दिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जो पंडित नेहरू के तीव्र विरोध के पश्चात् भी बना। भारतीय एकता के अग्रदूत सरदार पटेल की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए महात्मा गाधी ने सरदार पटेल को लिया था, ''और रियासतों की समस्या इतनी जटिल है, कि केवल तुम्हीं हल कर सकते थे।''

सरदार पटेल की सूझबूझ से रियासतों के अतिरिक्त गोवा आदि राज्य भी भारत का हिस्सा बन सके। इस प्रकार सरदार बल्लभभाई पटेल अपनी सूझबूझ से राष्ट्रीयता को अखण्ड बनाने में सफल हुए, जिसक कारण उन्हें भारत का विस्मार्क और लिंकन भी कहा जाता है। उनके बारे में लिखा गया है–

''यही प्रसिद्ध लौह पुरूष प्रबल,
यही प्रंसिद्ध भाक्ति की शिला अटल,
हिला रख सका कभी न शत्रु दल जिन्हें
पटेल पर स्वदेश को गुमान है।

सुबुद्धि उच्चश्रृंग पर किये जगह,
हृदय गम्भीर है समुद्र की तरह,
कदम छुए जमीन की सतह,
पटेल देश का निगहबान है
हरेक पक्ष को पटेल तौलता,
हरेक भेद को पटेल खोलता,
दुराव या छिपाव से इसे गरज,
कटोर नग्न सत्य बोलता,
पटेल हिन्द की निडर जवान है।[10]

सरदार पटेल की राष्ट्रीय एकता को देखते हुए एवं राष्ट्रीय एकता को अखण्ड बनाने में उनके विषेश योगदान को देखते हुए 31 अक्टूबर 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया है।

सन्दर्भ सूची–

1. आर्य राकेश कुमार, भरतीय रियासतों का एकीकरण और पटेल प्रवक्ता में प्रकाशित लेख।
2. वेदव्यास, महाभारत, अध्याय–14.5, पृष्ट–5–949
3. वेदव्यास, महाभारत, वन पर्व
4. आर्य राकेश कुमार, भरतीय रियासतों का एकीकरण और पटेल।
5. भारतकोश, इन्टरनेट वेबसाइट
6. बच्चन हरिवंश राय, पटेल के प्रति (1950)

ग्रामीण महिला हिंसा मे महिलाओं की भूमिका एक सामाजिक अध्ययन (ग्राम रानीपुरभट्ट के विशेष संदर्भ मे)

रुचि शर्मा[1]

भारतीय समाज मे स्त्री की स्थिति के विषय मे सैद्धान्तिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से बड़ा ही विरोधाभास रहा है। कभी तो उसे शक्ति, धन व ज्ञान की देवी मानकर पूजा गया तो कभी दासी व नरक का द्वारा कहकर तिरस्कृत किया गया। प्राचीन समय से लेकर आज तक विभिन्न तरीकों के द्वारा पुरूष सत्ताधारी समाज ने उसका शोषण किया है। एक तरफ उसे शक्ति, धन व ज्ञान से वंचित रखा गया आज जबकि वह शक्ति, ज्ञान, धन की दिशा और दशा में निरन्तर आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ समाज मे उसके प्रति हिंसा एवं अपराध भी बढ़ रहे है। यद्यपि महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या अति प्राचीन है।

प्राचीन समय से ही वह उत्पीड़न का शिकार एवं तृष्णा की शान्ति का साधन रही है। किन्तु वर्तमान मे यह समस्या अपने मे भयावह स्थिति लिये हुए है। महिलाओं के प्रति अपराधों मे बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। आज की महिलाऐं कहीं भी बाहर समाज मे सुरक्षित नहीं है। चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, घरेलू हो या कामकजी, उच्च कारर्पोरेट की महिला हो या निम्न वर्गीय दलित महिला।

महिला जिसका तात्पर्य वर्तमान रूप मे एक मजबूर हिंसा से ग्रस्त एवं लाचार प्राणी से लगाया जाता है। आज भी वैश्विक दौर मे महिलाएं शर्म व संकोच के कारण अपने प्रति हो रहे अपराधों व अत्याचार के खिलाफ शिकायत सामाजिक पंचायत में नहीं कर पाती है। जो शिकायतें दर्ज भी होती है, उनमे से भी बहुत ही कम मामलों मे अभियुक्तों को सजा मिलती है। सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति अपराधों के रोकथाम के लिए बनायी गयी कानूनों की मेड़ बेअसर साबित हो रही है।

1. शोध छात्रा (समाजकार्य), म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि.,चित्रकूट सतना (म.प्र.)

उद्देश्य :—

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये है :—

1. ग्रामीण महिला हिंसा के स्वरूप का अध्ययन करना।
2. महिला हिंसा से जुड़ी हुई महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करना।
3. महिला हिंसा मे महिलाओं की भूमिका के स्वरूपों की पहचान करना।

शोध प्रविधि :—

शोध के अध्ययन हेतु रानीपुरभट्ट ग्राम पंचायत का चयन किया गया। रानीपुरभट्ट ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या 350 है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु समस्त परिवारों का दस प्रतिशत अर्थात् 35 परिवारों का चयन यादृश्छ न्यादर्श पद्धति से किया गया। इस प्रकार प्रत्येक परिवार में एक महिला उत्तरदाता का चयन द्वारा अध्ययन हेतु अर्थात कुल 35 उत्तरदाताओं का चयन किया गया।

सारणीयन एवं विश्लेषण :—

तालिका संख्या 1

जाति के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	जति	संख्या	प्रतिशत
1	सामान्य	6	17.14
2	अनुसूचित जाति	8	22.85
3	अनुसूचित जनजाति	0	00
4	पिछड़ी	21	60
	कुल	**35**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक महिला उत्तरदाता पिछड़ी जाति की है, जिनका प्रतिशत 60 है एवं सबसे कम महिला उत्तरदाता सामान्य जाति की पायी गयी, जिनका प्रतिशत 17.14 है एवं अनुसूचित जाति की महिलायें नहीं पायी गयी।

तालिका संख्या 2

शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	शिक्षा	संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक	15	43.14
2	पूर्व माध्यमिक	07	20
3	माध्यमिक	01	2.9

4	उच्च माध्यमिक	07	20
5	उच्चतर	00	00
6	साक्षर	05	14.28
	कुल	**35**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक महिला उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा तक शिक्षित है।

तालिका संख्या 3
व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1	कृषि	10	28.57
2	मजदूरी	10	28.57
3	नौकरी	00	00
4	अन्य	15	43.14
	कुल	**35**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 28.56 महिलाये अपने पति को कृषि कार्यो में सहयोग देती है और इतने ही प्रतिशत महिलायें मजदूरी करती है एवं 43.14 महिला अन्य कार्यो में संलग्न है, जैसे दूध बेचना, सिलाई करना आदि।

तालिका संख्या 4
शारीरिक या मानसिक पीड़ा के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	पीड़ा	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	35	100
2	न्हीं	00	00
	कुल	**35**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शत्–प्रतिशत महिलाओं के साथ कोई घटना आवश्यक घटित हुई है जिससे उन्हें शरीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचती है।

तालिका संख्या 5
घटनाओं के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	घटना	संख्या	प्रतिशत
1	दहेज प्रताड़ना	13	37.14
2	पुत्र उत्पन्न करने का दबाव	12	34.29
3	शादी होने के कारण	10	28.57

	पढ़ाई छूट जाना		
	कुल	**35**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 37.14 प्रतिशत महिला दहेज प्रताड़ना के कारण मानसिक एवं शारीरिक कष्ट झेलते है। 34.29 प्रतिशत महिलायें पुत्र उत्पन्न करने के दबाव के कारण मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा झेलती है जबकि 28.57 प्रतिशत महिलायें शादी हाने के बाद पढ़ाई छूट जाने के कारण मानसिक कष्ट झेलती है।

तालिका संख्या 6

पीड़ा पहुंचाने वाले सदस्य के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	पति	12	34.29
2	सस	9	25.71
3	स्सुर	6	17.14
4	अन्य	8	22.86
	कुल	**35**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 34.29 प्रतिशत महिलाओं को अपने पतियों से पीड़ा पहुंचती है, 25.71 प्रतिशत महिलाओं को अपनी सास से, 17. 14 प्रतिशत महिलाओं को अपने ससुर से और 22.86 प्रतिशत महिलाओं को परिवार के अन्य सदस्यों जैसे– देवर, जेष्ठ, ननद इत्यादि से पीड़ा पहुंचती है।

तालिका संख्या 7

घरेलू हिंसा में दुर्व्यवहार का शिकार होने वाली महिलाओं की भूमिका के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	00	00
2	नहीं	35	100
	कुल	**35**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शत प्रतिशत महिला उत्तरदाता यह मानती है कि परिवार में घरेलू हिंसा में उन महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है जिनके साथ दुर्व्यहार हुआ है।

तालिका संख्या 8

लड़का या लड़की को अधिक महत्व देने के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत

1	लड़का	25	71.43
2	लड़की	6	17.14
3	छोनों	4	11.42
	कुल	**35**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 71.43 प्रतिशत महिलायें लड़कों को मानती है, 17.14 प्रतिशत महिलायें लड़कियों को मानती है, जबकि 11.42 प्रतिशत महिलाये लड़के और लड़कियों दोनों को मानती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष

1 सभी महिलाओं के साथ कुछ समस्याऐं है, परन्तु सर्वाधिक 20 से 30 वर्ष आयु वर्ग की 60 प्रतिशत महिलायें हिंसा से ग्रसित पाई गयी।

2 सर्वाधिक 21 प्रतिशत महिलायें पिछड़ी जाति की पाई गयी।

3 43.4 प्रतिशत महिलायें प्राईमरी तक शिक्षित पाई गयी जबकि 14.8 पतिशत महिलायें साक्षर पाई गयीं।

4 1000 से 2000 रू. मासिक आय वाली 40 प्रतिशत महिलाओं की भूमिका महिला हिंसा में सर्वाधिक रही।

5 4 से 6 सदस्यों वाले परिवारों की महिलायें किसी न किसी तरह महिला हिंसा के प्रति जिम्मेदार हैं।

6 अधिकांश महिलाये कृषि कार्यों में संलग्न एवं मजदूरी पर आश्रित पाई गयी।

7 शत प्रतिशत महिलायें किसी न किसी रूप में शारीरिक या मानसिक पीड़ा स ग्रसित हैं। पीड़ा पहुचाने वाले रिस्तेदार जिम्मेदार होते हैं।

8 37.14 प्रतिशत महिलाओं को दहेज को लेकर तथा 34.29 प्रतिशत महिलाओं को पुत्र न पैदा कर पाने के कारण घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है।

9 लगभग 34.29 प्रतिशत महिलाऐं पति द्वारा अपने ऊपर होने वाले दुर्व्यवहार को सहन करती है।

10 लगभग 66.66 प्रतिशत महिलायें पति द्वारा अपने ऊपर होन वाले दुर्व्यवहार में अपने आपको जिम्मेदार मानते हैं।

11 लगभग 71.42 प्रतिशत महिलाओं ने अधिक बच्चे होने में पूर्ण सहमति जताई है।

12 लगभग 71.43 प्रतिशत महिलायें लड़के और लड़की के पालन पोषण में भेदभाव नहीं करती हैं, जबकि 28.57 प्रतिशत महिलायें करती है।

13 लगभग 71.43 प्रतिशत महिलायें लड़कों को अधिक महत्व देती है जो पुरूष वर्चस्व युक्त समाज का परिचायक है।

सुझाव

1 महिलाओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिये।
2 सभी महिलाओं को शिक्षित होना चाहिये।
3 महिला हिंसा कानून के नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।
4 सरकार को मंहगाई पर राके लगाने के साथ ही रोगगार के नये–नये अवसर तलासने चाहिये।
5 पुरूषो को महिलाओं के प्रति अपनी मानसिकता बदलनी चाहिये।
6 ग्रामीण क्षेत्र के स्वावलम्बी महिलाओं का एक समूह बनाये जाना चाहिये और सप्ताह या माह के अन्त में उनमें से किसी एक महिला द्वारा अपने अनुभव बताने के लिये कहना चाहिये।
7 सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा महिलाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित व प्रेरित किया जाना चाहिये।
8 समय–समय पर जागरूकता मेलों का अयोजन किया जाना चाहिये।
9 सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु किसी समिति का निर्माण किया जाना चाहिये, अन्यथा जानकारी के अभाव में सारी योजनायें व्यर्थ साबित हो सकती हैं।
10 शिक्षामित्रों, किसानमित्रों व पंचायत मित्रों के तर्ज पर महिला मित्रों की नियुक्ति की जानी चाहिय, जो घर–घर जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सके।
11 प्रेरणास्पद एवं शिक्षा फिल्मों का प्रदर्शन सामूहिक रूप से करने की व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे महिलाओं में नवीन चेतना का विकास हो सके।
12 महिला हितों की रक्षा करने वाली गुलाबी गैंग जैस संगठन सभी गावों में बनाये जाने चाहिये जिससे महिलाओं पर होने वाले अत्याचार बन्द हो सके।
13 समय–समय पर विद्यालयों व आंगनबाड़ी केन्द्रों में किशोरियों व महिलाओं हेतु भाषण एवं बाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिये, जिससे महिलाओं के अन्दर की झिझक दूर हो सके और वे अपनी बात खुलकर रख सके।
14 महिलाओं को लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1 यादव, जैनेन्द , 2009, '' नारी सशक्तिकरण'', ट्राइडेन्ट पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2 स्याल, शान्तिकुमार, 2006, ''महिलाओं के कानूनी, धार्मिक एवं सामाजिक, अधिकार'', आकाश एण्ड सन्स, दिल्ली।

3 गुप्त, कैलाशनाथ, 2004 '' मानवाधिकार और उनकी रक्षा'', अविराम प्रकाशन, नई दिल्ली।
4 श्रीवास्तव, हेमलता, 2000, '' सामाजिक परिवर्तन तथा आन्दोलन'' साहित्य भण्डार इलाहाबाद।
5 सुदर्शन, हरिदास रामजी सेण्डेन, 2008 ''नारी उत्पीड़न : समस्या एवं समाधान'' ग्रन्थ विकास, जयपुर।
6 नाटाणी, प्रकाश नारायण, 2004 '' महिला एवं बाल विकास के नूतन आयाम'' अंकित प्रिन्टर्स, जयपुर।
7 अंसारी, एम.ए. 2000, '' महिला और मानवाधिकार ज्योति प्रकाशन''।

Expanded Core Curriculum For Visually Impaired Children

Nihar Ranjan Mishra[1]

In education, curriculum is broadly defined as the totality of student experiences that occur in the educational process. The term often refers specifically to a planned sequence of instruction, or to a view of the student's experiences in terms of the educator's or school's instructional goals. In a 2003 in a study by, Reys, Reys, Lapan, Holliday and Wasman, curriculum as a set of learning goals articulated across grades that outline the intended content and process goals at particular points in time throughout the school program. Curriculum may incorporate the planned interaction of pupils with instructional content, materials, resources, and processes for evaluating the attainment of educational objectives. Curriculum is split into several categories, the explicit, the implicit (including the hidden), the excluded and the extra-curricular.

The word "curriculum" began as a Latin word which means "a race" or "the course of a race".By the seventeenth century, the University of Glasgow referred to its "course" of study as a "curriculum", producing the first known use of the term in English in 1633. By the nineteenth century, European universities routinely referred to their curriculum to describe both the complete course of study The intended curriculum, which the students learn through the culture of the school, implicit. The curriculum that is specifically excluded, like the extra curricular activities like sports, This is particularly true of schools at the university level, where the diversity of a curriculum might be an attractive point to a potential student. A curriculum may also refer to a defined and prescribed course of studies, which students must fulfill in order to pass a certain level of education. For example, an elementary school might discuss how its curriculum, or its entire sum of

1. Asst. Professor (Selection Grade) & Head, Department of Special Education, Faculty of Education, J.R.H.University, Chitrakoot, U.P

lessons and teachings, is designed to improve national testing scores or help students learn the basics. An individual teacher might also refer to his or her curriculum, meaning all the subjects that will be taught during a school year.On the other hand, a high school might refer to a curriculum as the courses required in order to receive one's diploma. They might also refer to curriculum in exactly the same way as the elementary school, and use curriculum to mean both individual courses needed to pass, and the overall offering of courses, which help prepare a student for life after high school.Curriculum can be envisaged from different perspectives The "written" curriculum is usually expressed in comprehensive and user-friendly documents, such as curriculum frameworks; subject curricula/syllabuses, and in relevant and helpful learning materials, such as textbooks; teacher guides; assessment guides. This is why a curriculum framework is important. It sets the subjects within this wider context, and shows how learning experiences within the subjects need to contribute to the attainment of the wider goals.There are many common misconceptions of what curriculum is and one of the most common is that curriculum only entails a syllabus.

In the early years of the 20th century, the traditional concepts held of the "curriculum is that it is a body of subjects or subject matter prepared by the teachers for the students to learn." It was synonymous to the "course of study" and "syllabus".In The Curriculum, the first textbook published on the subject, in 1918, John Franklin Bobbitt said that curriculum, as an idea, has its roots in the Latin word for race-course, explaining the curriculum as the course of deeds and experiences through which children become the adults they should be, for success in adult society. Furthermore, the curriculum encompasses the entire scope of formative deed and experience occurring in and out of school, and not only experiences occurring in school; experiences that are unplanned and undirected, and experiences intentionally directed for the purposeful formation of adult members of society.

Thus, curriculum can be viewed as a field of study. It is made up of its foundations (philosophical, historical, psychological, and social foundations); domains of knowledge as well as its research theories and principles. Curriculum is taken as scholarly and theoretical. It is concerned with broad historical, philosophical and social issues and academics. Under a starting definition offered by John Kerr and taken up by Vic Kelly in his standard work on the curriculum, curriculum is "all the learning which is planned and guided by the school, whether it is carried on in groups or individually, inside or outside the school. Four ways of approaching curriculum theory and practice: (a)Curriculum as a body of knowledge to be transmitted, (b)Curriculum as an attempt to achieve certain ends in students – products , (c) Curriculum as a process and (d) Curriculum as praxis.

Core Curriculum

Educators define "core curriculum" as the knowledge and skills expected to be learned by a student by high school graduation. Generally, the core curriculum consists of knowledge and skills related to academic subjects. Mastery of the core curriculum is what both parents and teachers stress as essential for academic success in school, and later in life. In most states, opportunities are provided for students to meet other criteria in cases when those students cannot meet the academic demands of the core curriculum. There are many versions of the core curriculum. In our country, each state assumes responsibility for minimum standards for high school graduation. This core curriculum becomes the foundation for almost all learning, from kindergarten through high school.

With respect to blind and visually impaired students, the existing core curriculum, as developed for sighted students, is entirely appropriate and generally available. Because educators of visually impaired students have developed expertise in curriculum adaptation, it should be possible to take any curriculum that has been developed and make it readily available for visually impaired learners. If blindness or visual impairment presents only the problem of accessibility to learning materials, then the issue of education of visually impaired students is solved by adaptation of the existing core curriculum.

Some educators of visually impaired students believe that it is true that the child in a regular classroom who has access to all curricular materials is as equally prepared to learn as her sighted classmates. But most professionals hold a strong position that there is an expanded core curriculum for visually impaired students that requires additional areas of learning.

There are experiences and concepts casually and incidentally learned by sighted students that must be systematically and sequentially taught to the visually impaired student. The core curriculum for visually impaired students is not the same as for sighted students. Indeed, it is much larger and more complex.

The concept of a core curriculum for visually impaired learners has been discussed by professionals and parents for many years. It has been called many things. It has been referred to as the specialized curriculum, or specialized needs, the unique curriculum, or unique needs, the non-academic curriculum, the dual curriculum, and most recently, the disability-specific curriculum.

These other terms are sometimes a distraction to the important issue. The term core curriculum has been used to define the basic educational needs of sighted students for many years. It is proposed that the term core curriculum for blind and visually impaired students be used to define the basic educational needs for this population. It conveys the same message as the original core curriculum. Words like specialized, unique, and disability-specific are not needed, and, indeed, may give an erroneous connotation to basic educational needs. The terms imply two separate lists of educational needs for visually impaired students. One list contains the elements of a

traditional core curriculum. The other is a list of "disability-specific" needs. Two lists provide educators with options, such as one list being required and the other consisting of electives. There should be only one list, and that should consist of the required core curriculum for visually impaired students.

The existence of special needs, or a unique core curriculum for blind and visually impaired students, has been known for years. References to the subject of grooming skills date back as far as 1891. The need for social interaction skills appears in the literature in 1929 and again in 1948. Between the years 1953 and 1975, there are more than two dozen references to books and articles written about daily living skills and visually impaired students. Many more articles and documents have been written about orientation and mobility and career education. The expanded core curriculum now being promoted is not new--its need has been known for decades. The following example incorporates these basic subjects and adds the expanded core curriculum for visually impaired students:

The Expanded Core Curriculum for Blind and Visually Impaired Children and Youths

The Existing Core Curriculum

- English language arts other languages
- Mathematics and science
- Health and physical education
- Fine arts and social studies
- Economics and business education
- Vocational education

The Expanded Core Curriculum

The Expanded Core Curriculum (ECC) is the body of knowledge and skills that are needed by students with visual impairments due to their unique disability-specific needs. Students with visual impairments need the expanded core curriculum in addition to the core academic curriculum of general education. The ECC should be used as a framework for assessing students, planning individual goals and providing instruction.

Compensatory or Functional Academic Skills,

Compensatory and functional skills include such learning experiences as concept development, spatial understanding, study and organizational skills, speaking and listening skills, and adaptations necessary for accessing all areas of the existing core curriculum. Communication needs will vary, depending on degree of functional vision, effects of additional disabilities, and the task to be done. Children may use braille, large print, print with the use of optical devices, regular print, tactile symbols, a calendar system, sign language, and/or recorded materials to communicate. Regardless, each student will need instruction from a teacher with professional preparation to instruct students with visual impairments in each of the compensatory and functional skills they need to master. These compensatory and

functional needs of the visually impaired child are significant, and are not addressed with sufficient specificity in the existing core curriculum.

Orientation and Mobility

As a part of the expanded core curriculum, orientation and mobility is a vital area of learning. Teachers who have been specifically prepared to teach orientation and mobility to blind and visually impaired learners are necessary in the delivery of this curriculum. Students will need to learn about themselves and the environment in which they move - from basic body image to independent travel in rural areas and busy cities. The existing core curriculum does not include provision for this instruction. It has been said that the two primary effects of blindness on the individual are communication and locomotion. The expanded core curriculum must include emphasis on the fundamental need and basic right of visually impaired persons to travel as independently as possible, enjoying and learning from the environment through which they are passing to the greatest extent possible.

Social Interaction Skills

Almost all social skills used by sighted children and adults have been learned by visually observing the environment and other persons, and behaving in socially appropriate ways based on that information. Social interaction skills are not learned casually and incidentally by blind and visually impaired individuals as they are by sighted persons. Social skills must be carefully, consciously, and sequentially taught to blind and visually impaired students. Nothing in the existing core curriculum addresses this critical need in a satisfactory manner. Thus, instruction in social interaction skills becomes a part of the expanded core curriculum as a need so fundamental that it can often mean the difference between social isolation and a satisfying and fulfilling life as an adult.

Independent Living Skills

This area of the expanded core curriculum is often referred to as "daily living skills." It consists of all the tasks and functions persons perform, in accordance with their abilities, in order to lead lives as independently as possible. These curricular needs are varied, as they include skills in personal hygiene, food preparation, money management, time monitoring, organization, etc. Some independent living skills are addressed in the existing core curriculum, but they often are introduced as splinter skills, appearing in learning material, disappearing, and then re-appearing. This approach will not adequately prepare blind and visually impaired students for adult life. Traditional classes in home economics and family life are not enough to meet the learning needs of most visually impaired students, since they assume a basic level of knowledge, acquired incidentally through vision. The skills and knowledge that sighted students acquire by casually and incidentally observing and interacting with their environment are often difficult, if not impossible, for blind and visually impaired students to learn without direct, sequential instruction by knowledgeable persons.

Recreation and Leisure Skills

Skills in recreation and leisure are seldom offered as a part of the existing core curriculum. Rather, physical education in the form of team games and athletics are the usual way in which physical fitness needs are met for sighted students. Many of the activities in physical education are excellent and appropriate for visually impaired students. In addition, however, these students need to develop activities in recreation and leisure that they can enjoy throughout their adult lives. Most often sighted persons select their recreation and leisure activity repertoire by visually observing activities and choosing those in which they wish to participate. The teaching of recreation and leisure skills to blind and visually impaired students must be planned and deliberately taught, and should focus on the development of life-long skills.

Career Education

There is a need for general vocational education, as offered in the traditional core curriculum, as well as the need for career education offered specifically for blind and visually impaired students. Many of the skills and knowledge offered to all students through vocational education can be of value to blind and visually impaired students. They will not be sufficient, however, to prepare students for adult life, since such instruction assumes a basic knowledge of the world of work based on prior visual experiences. Career education in an expanded core curriculum will provide the visually impaired learner of all ages with the opportunity to learn first-hand the work done by the bank teller, the gardener, the social worker, the artist, etc. It will provide the student opportunities to explore strengths and interests in a systematic, well-planned manner. Once more, the disadvantage facing the visually impaired learner is the lack of information about work and jobs that the sighted student acquires by observation.

Technology

Technology is a tool to unlock learning and expand the horizons of students. It is not, in reality, a curriculum area. However, it is added to the expanded core curriculum because technology occupies a special place in the education of blind and visually impaired students. Technology can be a great equalizer. For the braille user, it allows the student to provide feedback to teachers by first producing material in braille for personal use, and then in print for the teacher, classmates, and parents. It gives blind persons the capability of storing and retrieving information. It brings the gift of a library under the fingertips of the visually impaired person. Technology enhances communication and learning, as well as expands the world of blind and visually impaired persons in many significant ways. Thus, technology is a tool to master, and is essential as a part of the expanded core curriculum.

Sensory Efficiency Skills

Sensory efficiency includes instruction in the use of residual vision, hearing, and the other senses; for example, learning how to use optical devices, hearing aids,

augmentative communication devices, and the like. In addition, learning how to integrate all remaining senses to counter the impact of any missing or impaired sense is also integral to this area; for example, learning how to use tactual, gustatory, and olfactory input rather than visual cues to identify one's personal possessions, or using hearing and the other senses to identify people one knows without visual cues, fits into this area.

Self-Determination

This area of the ECC highlights the importance of believing in oneself, while understanding one's abilities and limitations. Students learn from successes and failures how to achieve one's goals in life. Self-determination is the ability for people to control their lives, reach goals they have set and take part fully in the world around them.

Conclusion

Bringing together all of these skills learned in the expanded core curriculum produces a concept of the blind or visually impaired person in the community. It is difficult to imagine that a congenitally blind or visually impaired person could be entirely at ease and at home within the social, recreational, and vocational structure of the general community without mastering the elements of the expanded core curriculum. What is known about congenitally blind and visually impaired students is that, unless skills such as orientation and mobility, social interaction, and independent living are learned, these students are at high risk for lonely, isolated, unproductive lives. Accomplishments and joys such as shopping, dining, attending and participating in recreational activities are a right, not a privilege, for blind and visually impaired persons. Responsibilities such as banking, taking care of health needs, and using public and private services are a part of a full life for all persons, including those who are blind or visually impaired. Adoption and implementation of a core curriculum for blind and visually impaired students, including those with additional disabilities, will assure students of the opportunity to function well and completely in the general community.

The components of the expanded core curriculum present educators with a means of addressing the needs of visually impaired children with additional disabilities. The educational requirements of this population are often not met since the lack of vision is considered "minor", especially when the child is severely impacted by cognitive and physical disabilities. Each area in the expanded core curriculum can be further defined to address the educational issues facing these children and assist parents and educators to fulfill their their needs.

This expanded core curriculum is the heart of the responsibility of educators serving visually impaired students. These areas are not adequately addressed by regular classroom teachers, nor should they be, for this is the core curriculum that is essential to students who are blind and visually impaired, and it epitomizes their "...right to be different..."

References

- Wiles, Jon (2008). Leading Curriculum Development. p. 2. ISBN 9781412961417.
- Reys, Robert; Reys, Barbara; Lapan, Richard; Holliday, Gregory; Wasman, Deanna (2003). "Assessing the Impact of Standards-Based Middle Grades Mathematics Curriculum Materials on Student Achievement". Journal for Research in Mathematics Education: 74–95.
- Adams, Kathy L.; Adams, Dale E. (2003). Urban Education: A Reference Handbook. pp. 31–32. ISBN 9781576073629
- Kelly, A. V. (2009). The curriculum: Theory and practice (pp. 1–55). Newbury Park, CA: Sage.
- Dewey, J. (1902). The Child and the Curriculum (pp. 1–31). Chicago: The University of Chicago Press.
- Smith, M. K. (1996, 2000) 'Curriculum theory and practice' the encyclopedia of informal education, www.infed.org/biblio/b-curric.htm.
- Dewey, John (1902). The child and the curriculum.
- Jackson, Philip (1986). Life in Classrooms. New York: Holt, Rinehart, and Winston. pp. 33–35. ISBN 0-8077-3034-3.
- Jackson, Philip W. "Conceptions of Curriculum and Curriculum Specialists." In Handbook of Research on Curriculum: A Project of the American Educational Research Association, edited by Philip W. Jackson, 3–40. New York: Macmillan Pub. Co., 1992.
- Kim, M., & Dopico, E. (2014). Science education through informal education. Cultural Studies of Science Education, 1–7.
- "Harvard approves new general education curriculum". The Boston Globe. 15 May 2007. Retrieved 9 February 2013.

Whitman: From Poetic Imagination to Transcending Imagination

Dr. Shashi Kant Tripathi[1]

Abstract

This paper is proposed to study the gradual advancement of Whitman's poetic vision from the mere ground of imagination to the rare height of Cosmic Consciousness. Poetic outputs of Whitman render assistance to his journey from known to unknown in a quite different way from that of western tradition. It automatically demands the attention of the orient to find some hints to get the due interpretation of his poetry. Whitman's consistent attempt to centralize his songs on and around "I" has been the most complicated topic amongst the scholars. The paper is, therefore, intended to add one more theme of relation between poetry and spiritual awareness. Practice of self awareness at four different levels of consciousness has been discussed at length. Attempt has been made throughout the paper to dwell upon the central vision of self-search in the light of transcendental Reality.

Keywords "I", Self-Search, Pure Consciousness, Transcending.

Walt Whitman is one of the most mystical and democratic poets of America in her infancy of literary independence. He was a true follower of Emerson who taught several lessons to his men of letters to give a new and independent identity to America in realm of literature and art. Emerson emphasised that the American scholar "cannot always be fed on the sere remains of foreign harvests" (Emerson, 162). Whitman must have followed the command of his master that made him lead to self expansion on the wings of poetry. His self examination appears to touch both the extremes of isolation from and identification with the world. Therefore it seems to be difficult for an average reader to enjoy the immortal songs of an extraordinary poet of the world level. On the other side it is very interesting for an Indian scholar to take out the essence of poet's vision since Indian soil has been honoured with a long chain of such poets who were great sages also. In Indian poetic tradition life-philosophy and literature goes together. Any attempt to draw a boundary line

1. Asst. Professor, Dept. of English, JRH University, Chitrakoot, UP

between the two would destroy the ultimate aim of literature. Whitman is with Americans at every inch and moment but at the same time he is equally with the people of the remaining parts of the earth. Such a poetic presence leads us to examine him in the light of “I”, the first person pronoun challenging the entire physical existence. Perhaps it becomes easier for an Indian scholar to take up such a topic as deals with the expansion of consciousness under different stages of spiritual awareness. At the same time his poetic talent needs proper attention of ours before reaching any whimsical conclusion. His poetic output is enough proof to evaluate him in the light of transcendental truth that has occupied very prestigious place in India. That poetic imagination, under systematic course, leads to transcending imagination has been the glorious tradition since unknown past. Our land has been one of the most devoted civilisations to carry out uninterrupted research to establish our imaginative, relative and real existence in this world of sense perception. Imagination, being an inevitable first step of any branch of knowledge, provides plenty of opportunities for a poet to dive deep in seeking his real self through perpetual practice.

We have an accustomed way of seeing some activities that are shaped by our mental waves but we take them as truth. In reality, whatever mind and sense organs do, it is imaginary and temporary. It helps us lead ahead for more private investigation beyond second or third hand source. The poet has decided to have the first hand knowledge of origin of all the poems so he urges his fellow beings boldly:

Have you practis’dso long to learn to read ?
Have you felt so proud to get at the meaning of poems ?
Stop this day night with me and you shall posses the origin of all poems,
You shall no longer take things at second or third hand . . .

(Whitman, 79)

The poet begins his poetic journey with his awareness of consciousness on concrete objects. His imagination dwells upon the man-associated objects and events. He observes, “Houses and rooms are full of perfumes, the shelves are crowded with perfumes, I breathe the fragrance myself and know it and like it,” (Whitman, 78). He begins his poem with keen observation of objects. Never, we find him jumping into any abstract idea without having been travelled on concrete ground. In his poem, ‘Song of the Open Road’ he starts stating, “Afoot and lighted-hearted ,I take to the open road, healthy, free, the world before me,” (Whitman, 108). There is only one condition that the object before him remains alone in his awareness. This system of imagination is very important practice to lead to the graded course of Vedantic meditation from concrete to absolute. The imaginative self of the poet gets established with the object under observation. His poem, ‘There Was a Child Went Forth’ reveals such attributes:

There was a child went forth every day,

And the first object he look'd upon, that object he became,
And that object became part of him for the day or a certain part of the day,
(Whitman, 120)

The poet now leads to the second step of his awareness to the level of senses. He has been making effort to bring consciousness to the level of senses. As a result the object that is being observed by the senses would disappear. Now he exclaims with joy in 'Song of Myself', "I believe in the flesh and appetites, Seeing, hearing, feeling, are miracle, and each part and tag of me is a miracle" (Whitman, 93). He is interested in utilising his senses to know the truth of their existence:

Welcome is every organ and attribute of me, and of any man hearty clean,
Not an inch nor a particle of an inch is vile, and non shall be less familiar than the rest.
(Whitman, 80)

The poet is proud of his senses and entire body which can be used to lift his self to the higher realm of existence. When his consciousness flows through eyes, ears, nose, tongues and skins. He sees, hears smells, tastes and feels touch. He hears in his imagination the varied song of America. The men and women from different walks of life are engaged in producing melodious songs. In his short poem, 'I Hear America Singing', he hears:

Each singing what belongs to him or her to none else,
The day that belongs to the day – at night the party of young
fellows, robust, friendly,
Singing with open mouths their strong melodious songs.
(Whitman, 141)

All the sense perceived objects are marked by their temporary existence and the poet is leading to the next level of awareness. He is no longer interested in enjoying the sense perception only. Some more meaning of his being is still waiting to be sought. How boldly he refuses the observation that has been done by the senses:

My knowledge, my live parts, it keeping tally with the meaning of all things,
Happiness, (which whoever hears me let him or her set out in search of this day)
My final merit I refuse you, I refuse putting from me what really I am.
(Whitman, 96)

The body or physical form has limited and relative existence that has erupted from his awareness to the next level of consciousness. We find the poet making some kind of attempt to assimilate the diffusion of mind into its prime source of existence. As he, for some time, is aware of the object world, he is soon to attain the next step

where he is aware of the senses and never of the objects. Gradually he moves away from the object to the sense-organs. Whenever he feels he sees an object, his awareness is directed to the sense organs, leaving all the objective attachment far behind. Somehow he has, so for, been able to train himself in order that he may remain established in his senses by ignoring the objects. The poetic imagination helps him move on one more step ahead of even senses. His approach is now getting connected with the empire of mind, quite away from the senses. He persistently follows the practice of being absorbed in the mind. The poet recollects an earlier occasion when he lay on the grass and he made sudden escape from his sense organs:

> Loaf with me on the grass, loose the stop from your throat,
> Not words, nor music or rhyme I want, not custom or lecture, not even the best.
> . . . . .I mind how once we lay . . . . .
>
> (Whitman, 82)

Pains and pleasures are subjected to the mind. He has a unique poetic conviction that he is not only the poet of body but also that of the soul. He brings out his experimented truth with the help of poetic gift which is a great religion in itself. There might be doubt in the minds of so called critical readers but he is extempore in stating that:

> I am the poet of the Body and I am the poet of the Soul,
> The pleasures of heaven are with me and pains of hell are with me,
> The first I graft and increase upon myself, the latter I translate into a new tongue.
>
> (Whitman, 89)

At early stages of poetic imagination the intellect of the poet associates often with the sense organs and body. But latter on it is gifted with amazing trait to isolate itself from worldly objects and identifies with pure consciousness which is beyond imagination. The intellect plays an important role to determine his practice of isolation and identification. There still remain the chances of the intellect to get connected again with the mind and its senses due to its general tendency. Awareness to the level of intellect has made the poet to declare:

> I celebrate myself, and sing myself,
> And what I assume you shall assume,
> For every atom belonging to me as good belongs to you.
>
> (Whitman, 77)

He has devoted all his poetic talent to realise his true self and then treat it as the dominant theme of his poetry. How far has he been successful in his application of

self revelation in his poetry? This fundamental question is answered by him through the most of his songs we come across. It depends on the readers to have first hand knowledge and filter the truth:

> You shall not look through my eyes either, nor take things from me,
> You shall listen to all sides and filter them from your self.

(Whitman, 79)

Mind is always ready to convince itself that it has realized truth. In fact, mere intellectual conviction and convention may not lead to the realisation of the ultimate truth unless the body, mind and intellect have been transcended. The poet has strong conviction in his transcendental imagination and screams in joy, “I believe in you my soul, the other I am must not abase itself to you, and you must not be abased to the other”.

(Whitman, 82)

He has now decided to transcend all of mind and even intellect. His awareness to the poetic imagination has given place to the transcendental imagination. He declares in his poem, ‘Song of the Open Road’:

> From this hour I ordain myself loos’d of limits and imaginary lines,
> Going where I list, my master total and absolute,
> Listening to others, considering well what they say,
> Pausing, searching, receiving, contemplating,
> Gently, but with undeniable will, divesting myself of the holds that would hold me.

(Whitman, 109)

All the memories of the world-of-objects are now dissolved in pure consciousness encompassing everything. He says, “The efflux of the soul is happiness, here is happiness, I think it pervades the open air, waiting at all times, Now it flows out us, we are rightly charged,” (Whitman, 111). He has a lot of faith to evolve his awareness of real self. He is resolute in assimilating all the men and women in his cosmic vision. Assuming the supreme duty of singing his real self, he does not hesitate to say, “It is time to explain myself—let us stand up. What is known I strip away, I launch all men women forward with me into the Unknown.” (Whitman, 101). He himself undergoes the bliss of pure consciousness and comes to conclude that he is free forever. There is no need of any proof; he need not anybody to tell him whether he is right or wrong in his assertion of real self. He does not like any further investigation. Now all forces of the world are extending full support and the poet takes delight in composing song of self elevation:

> All forces have been steadily employ’d to complete and delight me
> Now on this spot I stand with my robust soul.

(Whitman, 102)

The poet invites his fellow beings to experience the same one truth in them. He feels that his people should not be deprived of any facility since he has strong faith in democratic system of life. He does not like to be taught or preached or governed by any one or any institution. By now, his severe pervasive self has become the greatest book that contains the wisdom of the entire universe. His road is safe:

Allons ! the road is before us !
It is safe – I have tried it – my own feet have tried it well – be not detain'd !
(Whitman, 115)

He wishes that poets to come would certainly justify his poetic revolution. They would also justify what he has been for. He has discharged his duty by singing the self song of his account. Handing over his charge to coming poets, he expects the brighter side of poetry:

Poets to come ! . . ..
Leaving it to you to prove define it,
Expecting the main things from you.
(Whitman, 145)

We should make all our due attempt to get at the right understanding of his transcendental approach in American poetry. In his preface to Raja-Yoga, Swami Vivekananda said, "It is not the sign of a candid and scientific mind to throw overboard anything without proper investigation." To sum up it is very interesting to state that the self of the poet is all embrasive but his poetry is conducive to those that have somehow become one with his transcending imagination. With the help of transcending imagination, we must seek our relation with ultimate existence of ourselves since "the Jiva is identical in essence with Isvara" (Sataprakashananda, 253). His contribution to American literature is important in two peculiar ways: first of all, he gave new identity to American poetry by his treatment of universal theme of Self- Search in a democratic way of his own; secondly he has presented such a poetic tradition as is one of the rarest of religions to realise truth on the wings of poetry. Like an epic tradition he treats the beginning of even his shorter lyrics to assert his self existence. His imagination does not colour his poems but it is his poetic vision of life that colours his imagination where lies his uniqueness. Being a pure practical man of self elevation and investigation, he never appears to be formal everywhere. Therefore his poetry is charged of disorder. When we find such a great theme in such a great poet, we try to put them in order through our study of spiritual scriptures that dwell upon the theme self search. The poet begins with poetic imagination but ends with transcendental imagination beyond any trace of false

assumption. His awareness to the pure consciousness is the output of poetic imagination leading to honest contemplation. A huge volume of his poetry is centred on the expansion of "I" and assimilation of all selves. We are ever indebted to such a great poet as has left indelible impression on our heart with the sparks of immortal bliss born of his songs.

References:

Emerson, Ralph Waldo. *Selected Essays and Poems*, ed. Dr. RaghukulTilak, Rama Brothers: New Delhi, Ninth edition., 2004.

Satprakashananda, Swami.*Meditation: Its Process, Practice, and Culmitation*, Mylapore, Madras:Sri Ramkrishna Math,1966.

Vivekananda, Swami. *Raja-Yoga*, Calcutta: Advaita Ashrama, 1990.

Whitman, Walt. *Select Poems*, ed. Dr. Raghukul Tilak, Rama Brothers: New Delhi, 23rd Ed., 2011.

मानसिक स्वास्थ्य तथा आरोग्यता

डॉ0 पमोद कुमार त्रिपाठी[1]

Abstract

वर्तमान समय में सम्पूर्ण भूमण्डल में मानसिक स्वास्थ्य तथा आरोग्यता की आव" यकता महसूस की जा रही है। प्रस्तुत आलेख द्वारा मानसिक स्वास्थ्य कार्यकमो की गुणवत्ता का आयाम सुनिशिचत करने की दृष्टि से भारत के मानसिक स्वास्थ कार्यक्रमो की भूमिका, समस्याएं एवं उनके समाधान इंगित किए गए है। यदि हम मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ लगाये ंतो इसका तात्पर्य मन की स्वस्थता से है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करता है, दुखावस्था में उत्तेजित नही होता अधिकतर लोगों के साथ सहृदय संबंध बनाये रखता है। वह आत्म विश्वासी, उत्साही, आशावादी तथा धैर्यवान होता है। वह जीवन की विविध समस्याओं का समाधान गम्भीरता से करता है। उसके व्यवहार में कल्याणकारी भावना की झलक होती है तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। मानसिक आरोग्य व्यक्ति को मानसिक रूप से या मस्तिष्क को स्वस्थ्य स्थिति में रखने वाला विज्ञान है। मानसिक आरोग्य के द्वारा मानसिक रोगों के उपचार के साथ ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित विकास भी होता है।

आधुनिक युग में, स्वास्थ्य विज्ञान की उपयोगिता सबसे अधिक अनुभव की जा रही है। क्योकि आज आदमी के आध्यात्मिक चिन्तन व व्यवहार में अनिश्चितता आ गई है। व्यक्ति का चिन्तन व व्यवहार दिन–प्रतिदिन भौतिकवादी होता जा रहा है। समाज में इस प्रकार के परिवर्तन के फलस्वरूप समाज में नयी–नयी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, और यह समस्याएं व्यक्ति के सरल जीवन को जटिल बनाती जा रही है। आधुनिक युग में हमारे समाज में भी भौतिकता की लहर चल रही है, परिणाम–स्वारूप व्यक्ति के समायोजित जीवन में अधिक जटिलता उत्पन्न हो गई है। व्यक्ति के जीवन को इस भातिकता ने दुश्चिन्ता, अवसाद व अनिद्रा जैसी अनेक व्याधियों से ग्रसित किया है।

1. **फ्रोलांसर**

मानसिक स्वस्थ्य तथा आरोग्यता के सन्दर्भ में सबसे महत्वपर्ण कार्य ''मानसिक स्वास्थ्य के राष्ट्रीय संघ'' नेशनल एसोसिएसन फार मेन्टल हेल्थ का है, इसी राष्ट्रीय संघ को पहले मानसिक आरोग्य की राष्ट्रीय समिति कहा जाता था। सन् 1908 में मानसिक आरोग्य विज्ञान समाज की स्थापना की गई। सन् 1909 में न्यूयार्क में मानसिक आरोग्य विज्ञान के राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। इन दोनों प्रमुख संगठनों की स्थापना का श्रेय सी0 डब्लू0 वीयर्स को है। राष्ट्रीय संघ ने अपने सर्वप्रथम कार्य क अंतर्गत विभिन्न राज्यों व प्रदेशों में निरीक्षण करके मानसिक अस्पतालों के रोगियों की दशा का अध्ययन किया। आज वर्तमान में मानसिक स्वास्थ्य तथा आरोग्यता हेतु निदानशालाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है।

यदि हम मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ लगाये तो इसका तात्पर्य मन की स्वस्थता से है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करता है, दुखावस्था में उत्तेजित नही होता अधिकतर लोगों के साथ सहृदय संबंध बनाये रखता है। वह आत्म–विश्वासी, उत्साही, आशावादी तथा धैर्यवान होता है। वह जीवन की विविध समस्याओं का समाधान गम्भीरता से करता है। उसके व्यवहार में कल्याणकारी भावना की झलक होती है तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। मानसिक आरोग्य व्यक्ति को मानसिक रूप से या मस्तिष्क को स्वस्थ्य स्थिति में रखने वाला विज्ञान है। मानसिक आरोग्य के द्वारा मानसिक रोगों के उपचार के साथ ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित विकास भी होता है।

मानसिक स्वास्थ्य तथा आर्रोग्यता के अर्थ का भिन्न–भिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है– जेम्स ड्रेवर के अनुसार–

''मानसिक आर्रोग्यता का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनायें रखने के उपायों से है।''

हैंडफील्ड के अनुसार–

''मानसिक आरोग्यता का सबंध मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा मानसिक असंतुलन को रोकने से है।'' इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य तथा आरोग्यता को स्पश्ट करते हुए पेज ने कहा है–

''मानसिक आरोग्यता एक शैक्षिक आन्दोलन है जिसका संबंध स्नायुविक तथा मानसिक विकृतियों के निरोग व निराकरण तथा अधिकतम क्षमता और खुशियों के लिए व्यक्तित्व के समग्र विकास से है।''

उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि 'मानसिक स्वास्थ्य तथा आरोग्यता के अंतर्गत मानसिक और सनायुविक विकृतियों की रोकथाम और निराकरण के सभी साधन आते हैं, जिनमें स्वस्थ व्यक्तित्व विकास, अधिकाधिक कार्यक्षमता और सुख की प्राप्ति होती है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मानसिक

और स्नायुविक विकृतियों की रोकथाम और निराकरण ही इसका मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पत्येक व्यक्ति, समूह, समाज और राष्ट्र को प्रयास करना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति पर निश्चित रूप से व्यक्ति मानसिक रूप से निरोगी ही नहीं होगें, अपितु उनकी कार्यक्षमता में वृद्वि होगी, उनका समायोजन प्रभावपूर्ण होगा तथा वह सुख और शान्ति का जीवन व्यतीत कर रहे होगें। अपने देश मे मानसिक आरोग्यता की दिशा में महत्वपूर्ण शाध कार्य ही नही हुए है। अपने देश का जीवन दर्शन इस प्रकार का है कि अन्य विकासशील देशों की अपेक्षा यहां के लोगों में मानसिक और स्नायुविक विकृतियाँ अपेक्षाकृत कम उत्पन्न होती है।

इससे स्पष्ट है कि मानसिक आर्रोग्यता एक ऐसा साधन है जिसका साध्य मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक आरोग्यता की सहायता से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने, व्यक्ति को मानसिक कुसमायोजन से बचाए रखने तथा मानसिक रोगों का उपचार करने के उपाय किए जाते है।

मानसिक स्वास्थ्य तथा आरोग्यता के उद्देश्यों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है–

(क) मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना।
(ख) मानसिक रोगों तथा विकारों की रोकथाम करना।
(ग) मानसिक रोगों का उपचार करना।

कुछ मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य तथा आरोग्यता के तीन उददेश्यों के अनुरूप इसके तीन पक्ष बनाते हैं–

1.रोकथाम संबंधी उपाय–

मानसिक रोगों की रोकथाम के उपाय इस प्रकार है–

1. रोकथाम के जैविक उपायः–(Biological Preventive Measure)

इस रोकथाम के अंतर्गत आवश्यक है कि व्यक्ति के शारीरिक रोगों का समय–समय पर परीक्षण की जाय, साथ ही मानसिक रोगों की समय–समय पर डाक्टरी परीक्षा आवश्यक है। इस प्रकार की डाक्टरी परीक्षाओं से समय–समय पर उत्पन्न होने वाले शारीरक, मानसिक और स्नायुविक रोग चाहे साधारण है, अथवा गम्भीर, उनका पता लग जाने से उनका तुरन्त उपचार सम्भव है।

2. रोकथाम के मनोवैज्ञानिक उपायः– (Psychological Preventive Measure)

मानसिक आरोग्य के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के चारो ओर उचित पर्यावरण हो जिससे कि उसके व्यकितत्व का भी उचित व समायोजनपूर्ण विकास हो सके। वह एक तरफ तो जीवन–दर्शन, जीवन मूल्यों, अभिवृत्तियों आदि के अनुसार अपने आचरण को प्रकट करता है, तो दूसरी तरफ विभिन्न पर्यावरण संबंधी दबावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर मनोवैज्ञानिक रूप से निरोधात्मक

उपायों का उपयोग नहीं किया गया तो मानसिक स्वास्थ्य की एक जटिल समस्या आ सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था आज क संघर्षपूर्ण युग में अति आवश्यक है जिससे कि प्रारम्भिक अवस्था में ही रोगी की पहचान व उपचार हो जाय। मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक रोकथाम के अंतर्गत निम्न बाते आती हैः–

1. बाल्यावस्था में उचित पालन–पोषण की व्यवस्था।
2. किशोरावस्था में उचित पालन–पोषण की व्यवस्था।
3. अपेक्षित संवेगात्मक व समाजिक योग्यताओ को विकसित करना।
4. व्यवसायिक समायोजन।
5. उचित जीवन–दर्शन के निर्माण के लिए प्रयत्न।

3. **उपचारात्मक उपायः–(Curative Measures)**

मानसिक आरोग्यता का यह पक्ष इस बात पर बल देता है कि जो लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं, उनके उपचार की उचित व्यवस्था की जाय। यह मानसिक विकृतियों को दूर करने का उपाय बताता है। फलतः समाज तथा राज्यों को मिलाकर ऐसी संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए जहां असामान्य लोगों का उपचार किया जा सके।

4. संरक्षणात्मक उपायः–(Preservative Measures)

इसके अंतर्गत वे नियम एवं उपाय आते हैं, जिनका अनुसरण कर प्रत्येक व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। इस दिशा में अनुसन्धानों को विशेष बल एवं प्रगति प्रदान की जानी चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं का ज्ञान मानसिक रूप से स्वस्थ या सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षणों या विशेषताओं को देखकर प्राप्त किया जा सकता है।

मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने गुणों और सीमाओं का सही–सही मूल्यांकन कर सकता है। उसमें विभिन्न अन्तनिहित योग्यताएं, क्या–क्या और कितनी मात्रा में है, इसका उसे सही–सही ज्ञान होता है। पारस्परिक अन्तःक्रियाओं में वह अपनी इन्हीं योग्यताओं के आधार पर सामान्य अन्तःक्रियाएं करने अथवा उपयुक्त समायोजन करने में सफल होता है।

इसी प्रकार मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में आत्म–विश्वास पाया जाता है। वह जीवन की विभिन्न संघर्षमय परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोता है, वह आत्म–विश्वास और उत्साह के साथ संघर्षमय परिस्थितियों का सामना करता है और उन परिस्थितिया पर विजय प्राप्त करने के लिए आशावान है।

मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में समायोजनशीलता पायी जाती है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में चाहे वह कितनी जटिल हो, उसका समायेजन प्रभावपूर्ण होता है। वह विभिन्न समायोजन परिस्थितियों में ही शान्तिपूर्ण ढंग से स्वंय और दूसरो को प्रसन्नचित रखने का प्रायस करता है।

मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य समाज के मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुसार ही नही होते है, बल्कि उसके परिवार और संस्कृति की मान्यताओं और परिस्थितियों के अनुसार भी होते हैं। उसके जो भी जीवन लक्ष्य होते हैं वह उन सभी लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास नही करते हैं बल्कि अधिकांश लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेते हैं।

मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में संवेगात्मक स्थिरता पायी जाती है। उनके विभिन्न संवेग इनते नियंत्रित होते हैं कि वह संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। ऐसा नहों होता कि यह हर समय प्रेम प्रदर्शित करे या क्रोध का भय प्रदर्शित करें। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने विभिन्न लक्ष्यों से संबंधित कार्यो को करने में रूचि ही नही लेता है, बल्कि पर्याप्त संतोष का अनुभव भी करता है। वह अपने कार्यो को करने में हमेशा प्रसन्नचित भाव से संलग्न रहता है।

मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का जीवन र्प्याप्त रूप से नियमित होता है। सुबह से शाम तक की दिनचर्या, उसका पहनावा, आदि सब नियमित तथा समाज और संस्कृति की परिस्थितियों के अनुसार होता है। सामान्य रूप में मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्येक प्रकार की अतिशयता का अभाव पाया जाता है। वह न अधिक सम्मान पाना चाहता है और न ही अधिक प्रतिष्ठा। वह न अधिक कामुक होता है और न अधिक संवेगी। किसी भी चीज की अतिशयता अच्छी नहीं होती है क्योंकि व्यवहार में एक चीज की अतिशयता व्यवहार के अन्य क्षेत्रों में असन्तुलन उत्पन्न कर देती है।

मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में ये विशेषताएं पर्याप्त मात्रा में पायी जाती है। जिस व्यक्ति में ये विशेषाएं पर्याप्त मात्रा में हैं, हम उसे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कह सकते ह और यदि ये विशेषताएं पर्याप्त मात्रा में नही हैं तो हम उस व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ नही कह सकते है।

मानसिक स्वास्थ्य तथा आरोग्यता का कार्यक्रम

1. मानसिक स्वास्थ्य तथा आरोग्यता के प्रभावपूर्ण कार्यक्रमों में सर्वप्रथम आवश्यक है कि व्यक्ति या व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य तथा आरोग्यता

के महत्व को समझाया जाय कि वह क्या है और मानसिक स्वास्थ्य में उनका क्या महत्व है।

2. मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोगों और स्नायुविक रोगों के संबंध में फैले भ्रमक विचारो को लोगों में से दूर करना चाहिए।

3. लोगों को इस बात की भी शिक्षा दी जा सकती है कि साधारण तथा गम्भीर मानसिक रोगों का उपचार सम्भव है। अतः आवश्यकता है कि लक्षणों के उत्पन्न होते ही उनका उपचार प्रारम्भ कर दें।

विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों के लक्षणो, उनके कारणों एवं उपचार आदि की भी शिक्षा देनी आवश्यक है, जिससे कि लोग आवश्यकता के अनुसार प्रारम्भ में ही लक्षणों को पहचान सके। वयस्कों और विशेष रूप से संरक्षको को असमान्यता के कारणों का ज्ञान कराना इसलिए भी आवश्यक है कि वह बालकों में पहले से ही बात का ध्यान रखें कि उनमें रोग उत्पन्न ही न हो। मानसिक रोगों के उत्पन्न होते ही प्रारम्भिक लक्षणों को व्यक्ति में पहचानने की योग्यता को विकसित करना चाहिए, जिससे रोग गम्भीर रूप धारण न कर सके, उन्हे प्रारम्भ में ही उपचार द्वारा शीघ्र समाप्त किया जा सके। किसी भी रोग के प्रारम्भिक लक्षणों को समाप्त करने से धन, समय और श्रम आदि सबकी बचत होती है।

मानसिक स्वास्थ्य तथा आरोग्यता कार्यक्रम में इस तथ्य का भी समावेश होना चाहिए कि लोग खाली समय किस प्रकार व्यतीत करें। इसके लिए आवश्यक है कि उनके मनोरंजन के स्वस्थ साधन उपलब्ध हों तथा साथ ही साथ उन्हें खालो समय में रचनात्मक कार्यो की ओर लगाया जाय। इन कार्यक्रमोकी सहायता से मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने का प्रयास किया जा सकता है तथा उत्पन्न होने वाले रोगों की रोकथाम की जा सकती है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थितिः—

भारत की अस्थिर आर्थिक दशा, देश की सीमाओं को खतरा, बेरोजगारी, आधुनिकता तथा प्रगति के नाम पर आधुनिक कही जाने वाली प्रत्येक सड़ी—गली चीज की नकल करने की प्रवृत्ति, आँख मूदकर अपनी संस्कृति की प्रत्येक बात की निन्दा अथवा प्रशंसा, ज्ञान प्राप्त करने एवं मौलिक चिन्तन के प्रति अरूचि, खण्डित एवं भ्रन्त जीवन मूल्यों की उपस्थिति आदि कारको ने कुल मिलाकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी ह, जिसे मानसिक आरोग्यता की दृष्टि से भयावह कहा जायेगा। सरकार, समाज तथा प्रबुद्ध वर्ग का कर्तव्य है कि व देश को इस झंझावत से उबारने का प्रयास करें।

इतने बड़े विशाल एव प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न देश में 1.3 अरब जनसंख्या के बीच कुल मिलाकर 37 सरकारी अस्पताल 25 बाल निर्देशक केन्द्र

तथा केवल 20000 मानसिक रोगियों के भर्ती होने की व्यवस्था है। यदि भारत की जनसख्या को दृष्टि में रखकर उपर्युक्त आंकड़ों को देखा जाए तो स्थिति और गम्भीर लगती है। इसका मूल कारण जनता तथा सरकार की मानसिक स्वास्थ्यों के प्रति पूर्ण उदासीनता है। मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में सभी को मिलाकर अविल्म्ब कदम उठाया जाना चाहिए जिससे मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें तथा भावी मानसिक अस्वस्थता की रोकथाम हो सके। मानसिक स्वास्थ्य को रक्षा हेतु भारत सरकार को निश्चित कार्यरूप में परिणित हो सकने वाली योजनायें बनानी चाहिए।

सुझाव

1. मानसिक स्वास्थ्य योजना को राष्ट्र निमार्ण का महत्वपूर्ण अंग माना जाय।
2. प्रत्येक सरकारी अस्पतालों में मानसिक उपचार विभाग खोलकर क्लीनकल मनोवैज्ञानिको को नियुक्त किया जाय।
3. कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के मनोविज्ञान विभाग के अध्यापकों को मानसिक उपचार कर सकने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाय।
4. मनोचिकित्सा में प्रशिक्षण प्राप्त प्रत्येक मनोवैज्ञानिक को स्वतंत्र रूप से डाक्टरों या वैद्यों की भांति उपचार कर सकने की सुविधा दी जाय।
5. मानसिक रोगों के प्रशिक्षण हेतु और अधिक संस्थान खोले जाय।
6. अधिक मानसिक आरोग्य केन्दों की स्थापना की जाय तथा पहले से चल रहे केन्द्रों की सहायता की जाय।
7. मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान कार्यो को प्रोत्साहित किया जाय।
8. मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जनता को जागरूक बनाया जाय।
9. मानसिक स्वास्थ्य सेवा का सामुदायिक विकास के साथ संलग्नता।

इन कार्यक्रमों की पूर्ति होने पर मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा का वातावरण बनेगा जो इस अभियान को अधिक गति प्रदान करेगा क्योकि मानव एक प्रगतिशिल प्राणी है। स्वास्थ्य के व्यापक हित में इसे न पुरातन की रूढ़ियों से अनावश्यक रूप से बंधा रखना है और न प्रगति के तीब्र उत्साह में उनमें से कुछ का मूर्खतापूर्ण परित्याग कर देना ही तर्क संगत है। अतः प्रत्येक मानव का यह पवित्र कर्तव्य है कि अपने व्यक्तिगत जीवन–प्रक्रम के अंतर्गत अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के साथ–साथ सामाजिक कल्याण व मानवीय मूल्यों को भी अपने जीवन में आत्मशात् करें, ताकि मानव जाति की अधिकाधिक प्रगति का मार्ग सरलतापूर्वक प्रशस्त हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- WHO (2001):- The world Health Report, Mental Health New Understanding. NewHope, (WHO 2001), Geneva: WHO.
- Asthana H.S.:- Indian journal of commumity Psychology 2004,1(1),1-10
- Bandura: -Periciples of Behaviour modification (Rinehart Winston) 1969
- Government of India (2002):- National health Policy (NHP, 2002) New Delhi Ministryof Health and family welfare.
- Coleman, J.C:- Abnormal Psychology and modern life (Taraporevala) 1976
- Dubey, S.N. (2004):- Editorial, Indian Journal of Community Psychology.I,I
- Kasl, S (1973):- Mental Health and work Environmental an Examination of the Evidence; Journal of occupational medicine 15,509-18.
- Singh, H,G,:- Psycho therapy in India (N.P.C) Agra.Levine, M and Perking D.V. (1987) Principal of community Press.
- Ramjee Lal: -Community Psychology Historical Perspective: Indian Journal of Community Psychology, 2004, 1(i), 25-35..
- Singh ,Shweta: -Community mental Health in India A who Perspective; Indian Journal of Community Psychology 2004, 1(1), 46-62
- Sharma, S-D (1990):- Mental Hospital in India new Delhi diretors General of health services.

Thermoluminescence in ZnSe: Mn and ZnSe: (Mn, Nd) Phosphor

Shashi Kant Dwivedi [1]

Abstract

The method of preparation of ZnSe phosphors doped with Mn^{+2} *and* Nd^{+3} *ions have been discussed .The thermoluminescence properties of these phosphors have been performed between 160K to 360K, at a single uniform heating rate 0.3 K/sec. The trap depth (E) have been calculated using curie's method and peak shape method. The value of trap-depth calculated by both methods are nearly same .It is obtained that trap-depth changes with varying concentration of impurity. The life time of electrons and capture cross–section also been calculated in this paper.*

Introduction

Thermoluminescence is a form of luminescence that is exhibited by certain crystalline materials. Such as some minerals when previously absorbs energy from electromagnetic radiation or other ionizing radiation is re-emitted as light upon heating of the material. The thermoluminescence study provides the information about the trapping parameters such as the activation energy of trap, frequency factor, life time of electron in traps and capture cross –section for electron /hole. [3,4,6]

Another important application of TL is a solid – state dosimetry of ionizing radiation, the dating of archaeological and geological specimens, which have been

1. Department of Physics, Udai Pratap College, Varanasi

exposed to nuclear radiation for many years. [8-11]. The present paper deals with the determination of trap depth, capture cross section and life time of electron in ZnSe: Mn and ZnSe: Mn, Nd, Phospher.

Theory

(a) The Probability P of electron escaping from a trap of depth E is given by the relation [1].

$$P = S \exp(-E/KT) \qquad (1)$$

where S is the frequency factor T is the absolute temperature and K Boltzmann constant .If the trap is quite deep it would be quite inactive at low temperature but would be active enough to release electrons at higher temperature. If n is the number of electrons in the trap at a time t then TL intensity is given by

$$I = dn/dt = -n/\tau \qquad (2)$$

where τ is the mean life of the trapped electron.

$$1/\tau = P = S \exp(-E/KT)$$

$$\tau = 1/P = 1/ S\exp(-E/KT) \qquad (3)$$

Thus , $I = -dn/dt = n P$

$$= n S \exp(-E/KT) \qquad (4)$$

Now if β is the constant heating rate

$$T = T_0 + \beta t \qquad (5)$$

The solution of equation (4)

$$I(t) = n_0 S \exp(-\beta/KT) \exp[-\frac{S}{\beta}\int_{T0}^{T} \exp(\frac{-E}{KT}) dT] \qquad (6)$$

T_0 and n_0 are the initial temperature and concentration of charge carriers respectively. This is the first order kinetic equation and represent the complete form of glow curve [7].

For any order of kinetics the trap depth can be fairly known with sufficient accuracy using the relation [2].

$$E(ev)=\frac{T_m(K)-T_0\ (\beta/S)}{K(\beta/s)} \quad (7)$$

T_m is peak temperature ,β is the heating rate , the values of K and T_0 for different values of $\theta = (\beta/S)$ have been given by curie [2]

(b) Capture Cross Section is calculated by the relation [6]

$$S/\sigma = 2\sqrt{6}\ \pi^{3/2}\ K^2\ T^2\ m\ h^{-3} \quad (8)$$

Experimental method

Zn Se: Mn and Zn Se: (Mn, Nd) Phosphors were prepared by firing an appropriate mixture of ZnSe, $MnCl_2$. $4H_2O$ and $Nd_2\ O_3$ with constant amount of A.R. grade NaCl (0.002 gm) in each samples in a silica crucible .The firing atmosphere of silica tubular furnace was nitrogen gas, firing temperature $(780 \pm 20)^0$C and the firing time was 1 hour.

The required apparatus for the study of glow curves at low temperature was setup by us [3-5].

The luminescent emission was received by an IP21 Photomultiplier tube. The tube was operated at 1250 volt D.C. The output of photomultiplier tube was fed to the multiflex galvanometer (Model D.No.-78-99, OSAW, India) whose current sensitivity was 10^{-9} amp/mm. The samples were excited for 5 minutes by ultraviolet radiation (365nm) from a high pressure mercury lamp. For recording the glow curves, the heating was started at constant heating rate 0.3 K/sec, when the phosphorescence intensity become negligible.

Result and discussion

The glow curves for samples have been obtained from 160K-360K at a single uniform heating rate 0.3 K/sec. The glow curve of ZnSe: Mn, ZnSe: Mn, Nd are shown in fig (1, 2).

The trap depth corresponding to different peaks have been calculated by using the curie's method [2]. The value of frequency factor S have been taken to be 10^9 sec for each sample. The trap depths corresponding to main peak of the sample also calculated by peak shape method [8, 9] in fig (3,4).

It is found that the intensity of peak maxima of TL glow curves decreases with increasing concentration of Mn^{+2} ions .This may be due to the concentration quenching shown in the given table .

The activation energy or trap depth determination by curie's method and peak shape method are found in close agreement. It is found that life time decreases with decrease of temperature however the capture cross–section [7-10] calculated for the sample is found to decrease with increase of trap depth.

Table

Values of peak temperature (T) ,trap depth (E) ,life time (τ) and capture cross section (σ) of electron traps, β =0.3 K/sec, S= 10^9 sec^{-1} and T_0=10K are used in calculation of E.

S. No.	Phosphor	T (K)	E (Ev)	τ (sec)	$\sigma*10^{-22}$ (m^2)	E (ev) peak shape method
1	ZnSe: Mn	199	0.39	29.1	3.94	0.35
	Mn=2.0%	291	0.59	40.2	2.85	
	Mn=1.0%	195	0.39	28.1	6.70	
		285	0.57	40.9	2.10	
2	ZnSe: (Mn,Nd)	201	0.40	29.6	5.40	0.39
	Mn =1.0%	256	0.51	36.9	2.70	
	Nd=0.1%	297	0.60	42.3	2.46	
		328	0.66	46.7	1.66	

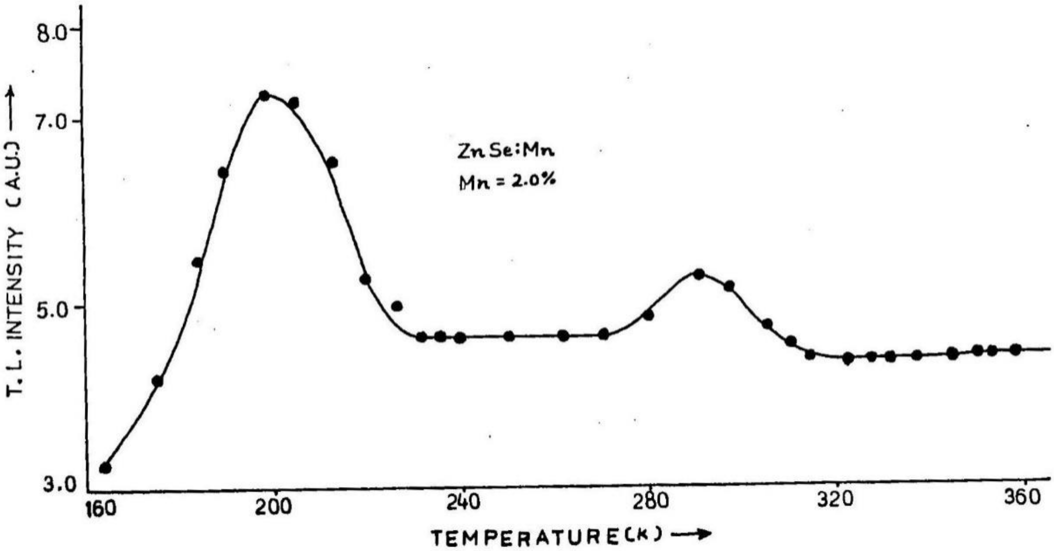

Fig. 1 Glow Curve for ZnSe: Mn

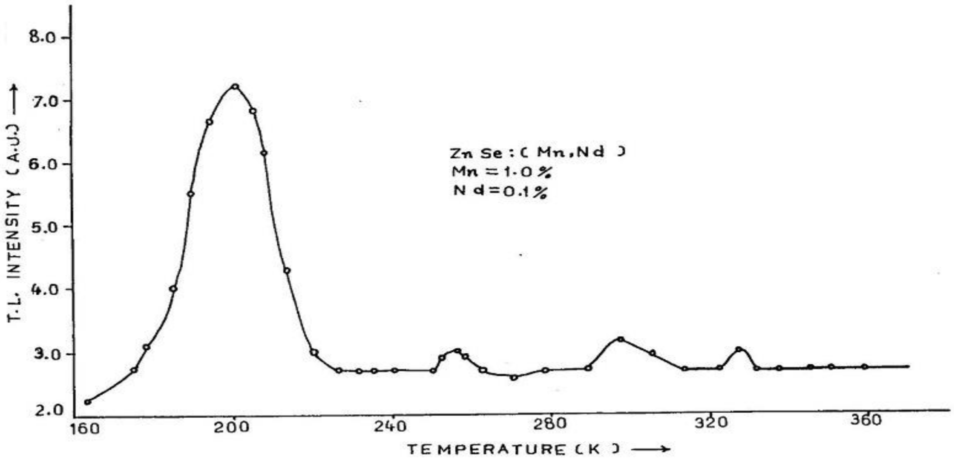

Fig. 2 GLOW CURVE FOR Zn Se : (Mn, Nd) PHOSPHOR

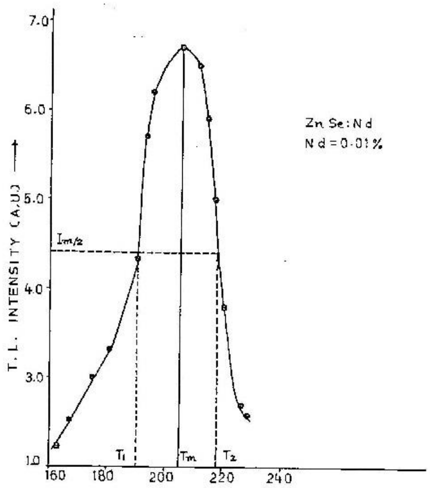

Fig. 3

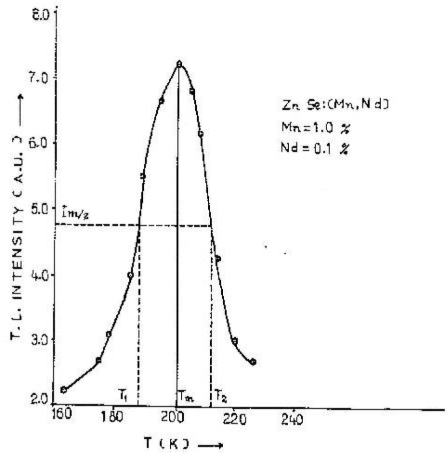

Fig. 4

The peak of TL glow curve shows the unique behavior of phosphors it may be useful for dosimetry application, dating of geological specimen and fluorescent devices.

Reference

1. J.T. Randall and M.H.F Wilkins Proc. Roy. Soc (London) A 184 (1945) 366, 370.
2. Curie D. Luminescence in crystal London: Methuen Co. Ltd 1963: 162.
3. Mishra A.K, Tripathi LN, Pandey UN et al. Thermoluminescence in ZnS doped Pr and (Cu,Pr) Phosphors. Ind J. Pure Applied Physics 2002, 40:337.
4. Tripathi, L.N., Mishra S.K., Raj N.S luminescence in ZnSe doped with Pr and (Sn, Pr) Phosphors. Ind J. Pure ApplPhys, 1993, 31(2) 899.
5. Tripathi, L.N., Mishra Sanjaya K., Pandey U.N. Thermoluminescence of ZnS doped with Dy and Mn Phy Lett A 1991 154 (5/6): 312
6. Mott, N.F. and Gurney, R.W., Electronic Processes in Ionic Crystals, Clarendon Press, Oxford, 108 (1940).
7. Botolen, T.P.J , Phillips Res. Repts 7, 197 (1953)
8. D. Sharma and Amar Singh Ind. J. Pure Appl. Phys. 6 (1968) 346
9. Mishra S.K. Luminescence in some inorganic Phosphors Lambert Academic Publishing ISBN -978-3–659-14807-1 (2012)
10. Tiwari R, Balatraunk P, Tamarkar R K, et al. synthesis, characterization and thermoluminescence behaviour of (Cd, Zn) S mixed Phosphors doped with Ag, Chalcogenide Lett 2014, 11(3):141
11. Chandra, B. P., Chandra, P.K., Jha P. Piezo electrically –induced trap– depth reduction model of elastico- mechanoluminescent material Physica B, 2015, 461:38.